लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 48 म अंक 1 से 10 तक हैं ।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

Preservation Unit
Fumigated 28-8-9
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 28 फरवरी, 1975/9 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 10—Friday, February, 28, 1975/Phalguna 9, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
165	लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जीवन बीमा निगम की नीति	Policy of L.I.C. to promote Small Scale Industry . .	1–5
166	राज्य व्यापार निगम द्वारा बिना बिके रासायनिक पदार्थों का निर्यात	Export of Unsold Chemicals by S.T.C.	5–7
167	कोयले का निर्यात न करने का प्रस्ताव	Proposal not to Export Coal .	8–9
168	अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें	Prices of Essential Commodities	9–13
171	व्यापार करने वाली फर्मों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना	Scheme of Granting Recognition to Trading Firms as Export Houses . . .	13–14
	सर जान कर, आस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल, का स्वागत	Welcome to Sir John Kerr, Governor General of Australia	7

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
161	भारत और ईरान के बीच करार	Agreement between India and Iran	14–15
162	पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को लाइसेन्स / रिलीज आर्डर जारी किया जाना	Issue of licences/Release Orders to Paramount Engineering Works	15
163	दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर - वाराणसी-पटना-क ता विमान सेवा	Delhi-Lucknow-Gorakhpur - Varanasi-Patna-Calcutta Air Service . . .	15–16

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the house by him.

1—11 LSS(ND)/75

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
164	फसली ऋणों में थोड़ा अन्तर	Narrow gap between Seasonal Credit Expansion . . .	16
169	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Aerodrome . . .	16–17
170	सी० ओ० एम० ई० सी० ओ० एन० (कोमेकोन) देशों के साथ व्यापार	Trade with COMECON Countries	17
172	उर्वरकों का आयात करने के लिए एजेंसी	Agency to Handle Import of Fertilizers . . .	17
173	कपड़ा मिलों में नियंत्रित किस्म के कपड़े का जमा होना	Accumulation of Controlled Cloth in Textile Mills .	18
174	चावल का निर्यात	Export of Rice . .	18–19
175	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . .	19
176	अहमदाबाद और बम्बई हवाई अड्डों को जाने वाली सड़कों	Approach Roads to Ahmedabad and Bombay Airports . .	20
177	बम्बई में हाजी मस्तान और आयकर अधिकारियों के बीच गठजोड़	Alleged Collusion between Haji Mastan and Income-Tax Authorities in Bombay .	20–21
178	भारत और पाकिस्तान के बीच सौदे पूरे होना	Clearance of Transactions between India and Pakistan .	21
179	समाजवादी और गैर-समाजवादी देशों को निर्यात में वृद्धि	Boosting of Exports to Socialist and Non-Socialist countries . .	21–22
180	तीव्रगामी 'दुर्गा' और 'काली' नौकाओं द्वारा पकड़ा गया तस्करी का माल	Seizure of Smuggled Goods by Speed Boats 'Durga' and 'Kali'	23
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1591	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Companies	23–24
1592	काली विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कर्नाटक सरकार का अनुरोध	Request from Karnataka Government for World Bank Assistance Kali Power Project	24
1593	पश्मीना उद्योग के लिए लद्दाख को सहायता	Assistance to Ladakh for Pashmina Industry . . .	24
1594	जूट उद्योग का कार्य	Performance of Jute Industry	25
1595	आयकर की बकाया राशि के मामलों में न्यायालयों द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा	Injections issued by Courts in Income Tax arrears cases .	25
1596	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलनों और समारोहों पर व्यय	Expenditure on International Conferences and Festivals	25–26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1597	मेलबोर्न में भारतीय चाय बोर्ड के केन्द्र का बन्द हो जाना	Closure of India's Tea Board's Centre at Melbourne .	26
1598	राजगीर, जमशेदपुर, पटना और रांची में साधारण होटल खोलने का प्रस्ताव	Proposal to set up 'No Star' Hotels at Rajgir, Jamshedpur, Patna and Ranchi .	26
1599	विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा सस्ती दरों पर टिकटों का बेचा जाना	Sale of Air Tickets at cheaper rates by Foreign Airlines . .	27
1600	विकसित और रुपये में भुगतान वाले देशों से आयात	Imports from developed and rupee payment countries .	27
1601	वर्ष 1974-75 में विदेशों से प्राप्त ऋण	Loans from Foreign countries in 1974-75 . . .	28
1602	इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना	Boosting of Export of Engineering goods and services	28–29
1603	अण्डमान में नियुक्त अधिकारी	Officers Posted in Andamans .	29–30
1604	जापान से ऋण	Loan from Japan . . .	30
1605	अखबारी कागज और कागज की कमी	Shortage of Newsprint and paper	30–31
1606	विदर्भ और मध्य प्रदेश के सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Officials of Customs and Excise Departments of Vidarbha and Madhva Pradesh	31
1607	धागे के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Yarn	31
1608	फाईबर और टेक्सटाइल यार्न के मूल्यों में कमी	Decline in the prices of Fibre and Textile Yarn	31–32
1609	प्राइवेट फर्मों द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore by Private Parties	32
1610	गुजरात के बारे में पर्यटन सामग्री	Tourist Material about Gujarat	32
1611	स्पिनिंग मिलों की स्थापना करना	Setting up of Spinning Mills	33
1612	अमरीका द्वारा प्रत्यक्ष करों में कटौती करने से भारतीय व्यापार पर प्रभाव	Impact on India's Trade due to Cut in Direct Taxes by U.S.A.	33
1613	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों में खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Food Testing Laboratory in Hotels by I.T.D.C.	34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1614	नेपाल को कोटे की मदों के निर्यात पर रोक	Ban on Export of quota items to Nepal	34
1615	निर्यात लक्ष्य	Export Target	34-35
1616	छत्रपति शिवाजी से सम्बद्ध स्थलों का पर्यटकों के लिये विकास	Development of Places Associated with Chhatrapati Shivaji for Tourists	35
1617	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में चर्चा के विषय	Subjects discussed in IMF's Meeting	35-36
1618	सिक्युरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के उत्पादन अनुभाग में समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime in Production Section of S.P.M., Hoshangabad	36
1619	रुपये के मूल्य में गिरावट	Decline in Value of Rupee .	36
1620	नेपाल को निर्यात किए जाने वाले कोयले और सिमेन्ट के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लिये जाने का प्रस्ताव	Proposal to charge International Prices on Coal and Cement exported to Nepal . .	36-37
1621	राजनैतिक दलों के लिए कार्य कर रहे बैंक कर्मचारी	Bank Employees working for Political Party	37
1622	बड़े औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की पूंजीनिवेश नीति	Investment Policy of L.I.C. in regard to Larger Industrial Houses	37-38
1623	बैंकों तथा गैर-सरकारी व्यापार फर्मों द्वारा जमाकर्ताओं के लिए घोषित ब्याज की दरें	Rates of interest for deposits announced by Banks and Private Business Firms	38-39
1624	इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods	39-40
1625	तस्करों से पकड़ी गई नौकाएं और जहाज	Launches and Vessels Seized from Smugglers	40
1626	मारिशस से व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Mauritius	40-41
1627	राज्य व्यापार निगम के पास पड़ी बिना बिक्री साइजिंग मशीनें	Sizing Machines Lying Unsold by S.T.C.	41
1628	फ्लाईंग कल्ब एवं नागर विमानन केन्द्र	Flying Clubs and Civil Aviation Centres	41-42
1629	एयर इण्डिया को हुआ घाटा	Loss Suffered by Air India	42
1630	गुजरात में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारना	Raids by Income Tax Authorities in Gujarat	42-43
1631	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D. A. to Central Government Employees	43-44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1632	पश्चिम बंगाल के लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum Submitted by Small and Medium Scale Industries, West Bengal . . .	44-45
1633	अधिक कारोबार वाले चालू मौसम में वाणिज्यिक क्षेत्र और अनाज की वसूली के लिए बैंक ऋण	Bank Credit to Commercial Sector and Food Procurement during current Busy Season .	45
1634	वर्ष 1974-75 में चाय का निर्यात	Export of Tea during 1974-75	45
1635	विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में आने पर लाई गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान में छूट	Exemptions from Payment of Customs Duty on Articles brought by Indians living Abroad . . .	45-46
1636	महंगाई भत्ते की तीन किश्तों के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असन्तोष	Dissatisfaction of Central Staff on three Instalments of Dearness Allowance . .	46
1637	केन्द्रीय मंत्रियों के विदेश दौरे .	Foreign tours of Central Ministers	46
1638	काजू कारखानों का बन्द होना .	Closure of Cashew Factories	47
1639	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में विकास परियोजनाओं के लिये जीवन बिमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loan advanced by L.I.C. for Development Projects in Faizabad District of U.P. . .	47-48
1640	मध्य-वर्ग पर्यटक होटलों की स्थापना	Setting up of Middle class tourist hotels	48-49
1641	भारतीय व्यापार दल का कोरिया का दौरा	Visit of Indian Trade Team to Korea.	49
1642	यूरोप की मन्दी से भारतीय अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिए कार्यवाही	Steps to protect Indian Economy from Recession in Europe . .	48
1643	पीतल और कलाकृत बर्तनों की बाजार में मन्दी	Slumps in Brass and Artware Market	49-50
1644	पश्चिम बंगाल का औद्योगिक वातावरण	Industrial climate of West Bengal	50
1645	आल इण्डिया बैंक एम्लाइज एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया जाना	Submission of Memorandum by All India Bank Employees Association . . .	50
1646	विदेशी ऋण	Foreign Debt	51
1647	बम्बई गोदी में पालिस्टर चिप्स का जमा होना	Accumulation of Polyester Chips in Bombay Docks . .	52
1648	भारत बंगला देश व्यापार समझौता	Indo-Bangladesh Trade Pact	52-53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1649	जाली मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of forged currency .	53
1650	प्रचलन में धन राशि	Money in circulation . .	53-54
1651	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को लाभ/हानि	Profit/loss of Hotels run by I.T. D.C.	54
1652	मध्य प्रदेश की प्रथम 20 फर्मों/व्यक्तियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against First 20 Firms/Industries of Madhya Pradesh . .	54-55
1653	कर अपवंचकों की गिरफ्तारी	Arrest of Tax Evaders . .	55
1654	राजस्थान में शुष्क पत्तन	Dry Port in Rajasthan	56
1655	वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि	Rise in prices of commodities	56
1656	तस्करी विरोधी समिति	Committee on Anti-smuggling	56-57
1657	गैर-सरकारी क्षेत्र के मिश्रित पूंजी अनुसूचित बैंकों की अर्थव्यवस्था के संयुक्त क्षेत्र में रखने के लिए किये गये प्रयास	Attempts made to put Private Sector Joint Stock Scheduled Banks in Joint Sector of Economy . . .	57
1658	जीवन बीमा निगम द्वारा निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता दिया जाना	Assistance Granted by L.I.C. to Corporate Private Sector .	57-58
1659	भारत और अमरीका के बीच पूंजी निवेश और व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए अमरीकी अध्ययन दल	U.S. Study Team to find out Investment and Trade Prospects between India and U.S.A. . . .	58-59
1660	ऊनी कपड़ों का निर्यात बढ़ाने हेतु परियोजनाएं	Projects for Boosting Export of Woollens . . .	59
1661	एक कथित संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए सोने के आभूषण की अधिकतम सामा निर्धारित करना	Ceiling on Possession of Gold Ornaments by an Individual Joint Family Members .	59
1662	तुर्की को ट्रैक्टरों का निर्यात	Export of Tractors to Turkey	59-60
1663	तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods .	60
1664	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य	Performance of Public Sector Undertakings . . .	60-61
1665	चीनी का बाजार मूल्य	Market Prices of Sugar .	61
1666	कलकत्ता हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन	Terminal Building at Calcutta Airport	61-62

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1667	त्रिपुरा में स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of State Bank in Tripura . .	62
1668	पश्चिम बंगाल में संकट ग्रस्त चाय बागान	Sick Tea Gardens in West Bengal	62
1669	लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of Audit and Accounts Department	63
1670	कोयले का निर्यात	Export of Coal . .	63
1671	ब्रिटेन से सहायता	Aid from U.K. . .	63–64
1672	बम्बई क्षेत्र के सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Customs Officials Bombay	64
1673	जनता को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की साम्य पूंजी (इक्विटी) के शेयर खरीदने की अनुमति	Public participation in the equity of Public Sector Undertakings . . .	64
1674	मयूर भवन और इन्द्रप्रस्थ भवन में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए केन्टीन	Canteen for Staff Working in Mayur Bhawan and Indraprastha Bhawan . . .	65
1675	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए किये गए उपाय	Measures taken to bring down prices of Essential Commodities	65
1676	भूकम्प की पूर्व चेतावनी देने के लिये वैज्ञानिक उपकरण	Scientific Device for Advance Warning about Earthquake	66
1677	शुष्क पत्तनों की स्थापना	Setting up of Dry ports .	66
1678	बढ़े हुए महंगाई भत्ते की मांग को रोकने सम्बन्धी नीति	Policy to arrest demand of increased Dearness Allowance .	66
1679	सरकारी उपक्रमों को हुए लाभ अथवा हानियां	Profit or Losses suffered by Public Sector Undertakings .	66–67
1680	दिल्ली में चार्टर्ड अकाउन्टैन्ट द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Chartered Accountants in Delhi	67
1681	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कोटा, राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि निदेशक	Directors of Nationalised Banks and Public Finantial Institutions Represented in J. K. Synthetics Limited, Kota, Rajasthan	67–68
1682	डी० सी० एम० रेयन्स और डी० सी० एम० फर्टीलायझर्स में राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्त पोषी संस्थाओं की शेयर धारिता	Share-holdings of Nationalised Banks and Financial Institutions in D. C. M. Rayons and D.C.M. Fertilizers .	68–6

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1683	मफतलाल ग्रुप द्वारा आयकर अपवंचन	Evasion of Income Tax by Mafatlal Group . . .	69
1684	जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा मफतलाल ग्रुप के कारखानों के लिए मंजूर किये गए ऋण	Loans sanctioned to Mafatlal Group of Mills by LIC and Unit Trust of India . .	69-70
1685	पश्चिम बंगाल में हावड़ा के लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Small Scale Indstries of Howrah in West Bengal.	70
1686	यूनायटेड कर्मशल बैंक की भरतपुर शाखा के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment amongst the staff of Bharatpur Branch of United Commercial Bank.	70-71
1687	केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा खोलने की मांग	Demand to start a Branch of R. B.I. in Kerala . . .	71
1688	राष्ट्रीय कृत बैंकों में समयोपरि भत्ता	Overtime in Nationalised Banks	71-72
1689	ऋण नीति में परिवर्तन	Changes in the Credit Policy .	72
1690	वर्ष 1973-74 में कृषकों को ऋण देने की प्रतिशतता में वृद्धि	Increase in percentage of Financing Agriculturists during 1973-74	72
1691	इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विमानों की खरीद	Purchase of Aircraft by Indian Airlines . . .	72-73
1692	अनधिकृत विद्युतचालित करघों का नियमित किया जाना	Regularisation of Unauthorised Powerlooms . . .	73
1693	प्रजा सहकारी उद्योग, भरतपुर लिमिटेड के शेयर	Shares of Praja Sahakari Udyog. Bharatpur Limited . .	73-74
1694	पालम हवाई अड्डे के एक रेस्टारेन्ट के नवीकरण और नए रूप से सुसज्जित करने में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्य इंजीनियर का हाथ होना	Involvement of Chief Engineer of IA in Renovation and Refurnishing of a Restaurant at Palam Airport .	74
1695	सीमेन्ट कारखानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करने के लिए राज्य व्यापार निगम का अनुरोध	Request from S. T. C. for making available adequate power to Cement Units . . .	74
1696	चाय भाण्डागारों द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Taxes by Tea Warehouses	74-75
1697	वर्ष 1975 में चीनी का निर्यात	Export of Sugar during 1975	75

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1698	वर्ष 1975-76 में चीनी का निर्यात	Export of Sugar during 1975-76	75
1699	चीनी उद्योग की ओर से राज्य व्यापार निगम को पेशकश	Offer from Sugar Industry to S.T.C. . . .	75-76
1700	विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारक अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका	Petition Challenging Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act . . .	76
1701	भारत-युगोस्लाव वैगन सौदे के बारे में गतिरोध	Deadlock over Indo-Yugoslav Wagon Deal . . .	76
1702	नियंत्रित कपड़ा योजना का असफल रहना	Failure of Controlled Cloth Scheme . . .	77
1703	भारतीय उद्योगों में निजी विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश	Foreign Private Investement in Indian Industries . .	77-78
1704	सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधी में जमा राशि में से धन निकाला जाना	Withdrawal of Amount from GPF Deposits by Government Employees. . .	78-79
1705	तस्करी रोकने के लिए उपाय	Measures to check smuggling	79-80
1706	संघ-राज्य क्षेत्रों में तस्करों की गिरफ्तारी	Arrest of Smugglers in Union Territories . . .	80
1707	यूरुपिय एयर बस और नये विमान का खरीदा जाना	Acquisition of European Airbus and New Aircraft . .	80-81
1708	हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहकारी बैंक	Cooperative Banks for Financing Handloom Weavers .	81
1709	नई कपड़ा नीति	New Textile Policy .	81
1710	अपरिष्कृत काजू का आयात	Import of Raw Cashew .	82
1711	टायलों का निर्यात	Export of Tiles . .	82
1712	राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान सेवा शर्तें	Uniform Service Conditions in Nationalised Banks . .	82-83
1713	केरल में काजू कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories in Kerala . . .	83
1714	पुनः बागान लगने के लिए राजसहायता की दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to Enhance the Rate of Replanting Subsidy .	83
1715	काजू उद्योग के विकास के लिए योजना	Schemes for Developing Cashew-nut Industry . . .	84

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1716	निषिद्ध वस्तुओं का जब्त किया जाना	Seizure of Contraband Goods	84
1717	दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क कर्मचारियों की कमी	Shortage of customs staff at Delhi Airport . . .	84
1718	केन्द्र द्वारा अनुत्पादक व्यय कर कम करने के लिए बिहार राज्य सरकार को दिए गए सुझाव	Steps suggested by Centre to State Government of Bihar to cut down unproductive expenditure . . .	84–85
1719	जनरल इन्सोरेन्स यनिट (आम बीमा एककों) में झूटे दावों के द्वारा धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of money through false claims by officials of General Insurance Units .	85
1720	कलकत्ता में आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी लिया जाना	Searches by Income Tax Authorities in Calcutta . .	85
1721	वेतनभोगी कर्मचारियों का ऋणांग्रस्त होना	Indebtedness of Salaried employees	85–86
1722	जाली नोटों का प्रचलन	Circulation of Counterfeit Notes	86
1723	अवश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities	87
1724	देश में प्रचलित करेंसी नोट	Amount of Currency Notes in Circulation . . .	87–88
1725	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala through Reserve Bank of India	88
1726	वर्ष 1974 के दौरान भारत आने वाले पर्यटक	Tourists visited India during 1974	88
1727	एयर इण्डिया के विमान चालक	Air India Pilots	89
1728	कानपुर में हवाई अड्डे की इमारत	Airport building in Kanpur	89
1729	जीवन बीमा निगम द्वारा गैरसरकारी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक गृहों में पूंजी निवेश	Investment of Funds by LIC in Large Industrial Houses in Private Sector . . .	89–90
1730	वाणिज्यिक बैन्कों की ऋण तथा जमाराशि के अनुपात में कमी	Fall in credit deposit ratio of Commercial Banks . .	90
1731	मैसूर मिनरल्स लिमिटेड द्वारा निर्यात	Exports by Mysore Minerals Limited . . .	90
1732	सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात	Export of ready-made Garments	91
1733	पर्यटन विकास दर	Growth Rate of Tourism	91

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1734	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधिजमा राशियों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर	Rate of Interest offered by Nationalised Banks for fixed Deposits	91–22
1735	सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Customs officials	93
1736	यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के संसाधन	Resources of Unit Trust of India	93
1737	चिथड़ों के आयात में अनियमितताओं को रोकने के लिए नई प्रक्रिया	New procedure to Circumbent Irregularities in Rags Imports	94
1738	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ देने की योजना	Scheme to provide Additional Benefits to Families of Government Employees . .	94–95
1739	फलों का निर्यात	Export of Fruits	95
1740	चाय के भाण्डागारों को बन्धक भांडागारों में परिवर्तन करना	Conversion of Tea Warehouses into Bonded Warehouses .	95
1741	सिक्यूरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद में मंजूर किये गये पदों को भरना	Filling up of sanctioned posts in S.P.M., Hoshangabad .	95–96
1742	सिक्यूरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद की निर्धारित कागज उत्पादन क्षमता	Rated paper production capacity of S.P.M., Hoshangabad .	96
1743	सिक्यूरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद में कार्यवर्गीकरण के लिए आयोग की नियुक्ति करना	Appointment of Commission for job classification of S.P.M., Hoshangabad . . .	96–97
1744	सिक्युरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के प्रबन्धकों द्वारा जबरन छुट्टी की घोषणा करना	Lay off declared by Management of S.P.M., Hoshangabad .	97–98
1745	रूबल की तुलना में रुपये की मूल्य में कमी	Fall in value of rupee in relation to Rouble	98
1746	विश्वबाजार में भारतीय पटसन के माल की मांग	Demand for Indian Jute goods in the world market . .	98–99
1747	विमान सेवाओं को चलाने के बारे में प्राइवेट ओपरेटरों को प्रोत्साहन	Encouragement to private cperators to run Air services .	99
1748	होटलों को खोलने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन	Encouragement to private sector to start Hotels . . .	99–100

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1749	अलाभप्रद चाय बागानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of uneconomic Tea Plantations	100
1750	राजस्थान में पर्यटन विकास	Development of Tourism in Rajasthan	100
1751	राजस्थान सरकार की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण	Central loans outstanding against Rajsthan Government .	101
1752	काले धन का पता लगाने के लिए राजस्थान में छापे	Raids in Rajasthan to unearth black money . . .	101
1753	भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा "धीमे काम करो" और सामूहिक छुट्टी की नीति अपनाना	Go slow and Mass Leave by Officers of R.B.I. . .	101
1754	आस्ट्रेलिया के विदेश व्यापार मंत्री का भारत का दौरा	Visit of Australian Minister for Overseas Trade to India .	102
1755	प्रवर्तन तथा उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा छापे	Raids by Enforcement and Excise Department . .	102–103
1756	आस्ट्रेलिया द्वारा जूतों का आयात	Import of Footwear by Australia	103
1757	गैर-अनुसूचित विमान सेवाओं को चलाने के लिए गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को अनुमति	Permission to Private Airlines to operate Non-scheduled Services	103–104
1758	एयर इण्डिया के एक जम्बो जेट विमान के अपहरण का प्रयास	Attempt to Hijack an Air India Jumbo Jet	104
1759	राज्य व्यापार निगम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to S.T.C.	104
1760	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को पर्यटन केन्द के रूप में विकसित करना	Development of Andaman and Nicobar Islands as Tourist Resort	105
1761	जीवन बीमा निगम की बड़े औद्योगिक हों में ूजी निवेश करने की नीति	Policy of LIC in making Investment in Large Industrial Houses	105
1762	वर्ष 1974–75 में विदेशी सहायता	Foreign Aid in 1974-75 . .	105–106
1763	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी घोटाले	Foreign Exchange Rackets .	106–107
1764	फरवरी, 1975 में डाकार में हुआ तटस्थ देशों का सम्मेलन	Non-Aligned Nations Conference held at Dakar in February, 1975	107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1765	रुई का आयात	Import of Cotton . . .	107–108
1766	चालू व्यस्त मौसम के दौरान खाद्य वसूली ऋण प्रसार के सम्बन्ध में कमी	Decline in Food Procurement Credit Expansion during Current Busy Season . .	108
1768	राजस्थान राज्य के निर्यात को बढ़ाना	Boosting of Exports of Rajasthan State	108–109
1769	पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries	109
1770	मुद्रास्फिति से प्रभावित विकसित पूंजीवादी देशो से भारतीय व्यापार और वाणिज्य को समाप्त करना	Delinking Indian Trade and Commerce from Inflation affected development Capitalist Countries	109–110
1771	सांताक्रुज हवाई अड्डे पर एक होटल खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Hotel at Santa Cruz Airport . . .	110
1772	भारत को जस्ते की सप्लाई के लिए भारत और रुस के बीच करार	Agreement between India and Russia regarding supply of Zinc to India . . .	110
1773	फाइन और सुपर फाइन कपड़े के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव	Proposl to impose Cess on the output of Fine and Superfine Cloth	110–111
1774	भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार पर गोष्ठी	Seminar on Indo-E.E.C. Trade	111
1775	जब्त की गई वस्तुओं का निर्यात	Export of confiscated Goods .	111
1776	तस्करी विरोधी समिति की रिपोर्ट	Report of Committee on Anti-Smuggling . . .	111–112
1777	इण्डियन एयर लाइन्स किराये में वृद्धि	Increase in Fares in Indian Airlines	112
1778	इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा दिये गये अल्पाहार और पेय पदार्थ	Snacks and Beverages served by Indian Airlines . . .	112
1779	फ्लाईंग क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान	Uniform pay scales for employees working in flying clubs .	112–113
1780	'प्रतिबन्ध रक्षा लेखे वर्ष पुस्तिका' के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार सी० डी० ए० पटना के आई० डी० ए० एस० के अधिकारी की पदोन्नति	Promotion of I.D.A.S. Officer of C.D.A. Patna responsible for publication of 'Restricted Defence Accounts Year Book'	113–114

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1781	जीवन बीमा निगम द्वारा औद्योगिक गृहों और औद्योगिक क्षेत्र में लगाई पूंजी	Investement made by L.I.C. in Industrial houses and Industrial Sector	114–115
1782	भारत के आन्तरिक ऋण	India's internal debts	115–116
1783	ईराक और इरान के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Iraq and Iran	116–117
1784	"काटन वेस्ट एक्सपोर्टस ग्राइंड टु ए हाल्ट" शोर्षक के अन्तर्गत समाचार	News item 'Cotton waste Exports grind to a Halt'	117
1785	अपने रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income-tax by self-employed Individuals	118
1786	दिसम्बर, 1974 में एयर इण्डिया के एक विमान को अपहरण करने के प्रयास के बारेम जांच रिपोर्ट	Inquiry report on attempt to hijack an Air India Plane in December, 1974	118
1787	आयकर का बकाया	Arrears of Income-Tax	118–119
1788	रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in value of Rupee	119
1789	"कोमेकोन" के साथ भारत के सम्बन्ध	India's relations with Comecon	119–120
1790	अपरिष्कृत पटसन के मूल्यों में कमी को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check fall in Prices of raw jute	120

विषय	SUBJECT	PAGES
सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	120–123
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	123–124
राज्य सभा द्वारा पास किये गए विधेयक	Bills as passed by Rajaya Sabha	124
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	124
सभा का कार्य	Business of the House	124–128
तम्बाकू बोर्ड विधेयक—	Tobacco Board Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव —	Motion to consider —	
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikan thamma	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री पट्टाभिराम राव	Shri Pattabhi Rama Rao . .	128–129
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	129
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury .	129–130
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali	130
डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	130–131
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	131–132
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal . .	132
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	133
श्री नुरूल हूडा	Shri Noorul Huda . .	133–134
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	134
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharya . . .	134
श्री पी०अंकीनीडु प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao	134–135
श्री पी० वैंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	135
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar	135
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	135–137
खण्ड 2 से 33 और 1	Clauses 2 to 33 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	137–139
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	
51 वां प्रतिवदन—स्वीकृत हुआ	Fifty-first Report—*Adopted* .	139–140
दश में फासिस्टवाद के फैलाव के बार में संकल्प	Resolution re. Growth of Fascism in the country . . .	
श्री शामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	140–143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
बजट (सामान्य) 1975–76—प्रस्तुत किया गया	General Budget, 1975-76—*presented*	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	143–165
वित्त विधेयक, 1975–पुर:स्थापित किया गया	Finance Bill, 1975—*introduced.*	
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	165

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1975/9 फाल्गुन, 1896 (शक)
Friday, February 28, 1975/Phalguna 9, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लघु उद्योग क्षत्र को बढावा देने के लिये जीवन बीमा निगम की नीति

*165. †**श्री पी० आर० शिनाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये जीवन बीमा निगम की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में अब तक जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) से (ग) सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा गया है ।

विवरण

जीवन बीमा निगम के निवेश लघुक्षेत्र उद्योग में सीधे ही नहीं किये जाते बल्कि राज्य वित्तीय-निगमों द्वारा जारी किये गये शेयरों तथा बन्ध-पत्रों में अशदान के रूप में और सहकारी समितियों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए ऋण की मजूरी के रूप में किये जाते हैं ।

2—11 LSS(ND)75

31 मार्च, 1974 को और 1 अप्रैल, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की अवधि में जीवन बीमा निगम के कुल निदेश इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	31-3-1974 को	1-4-1974 से 31-12-1974 तक की अवधि में
राज्य वित्तीय निगमों के बंध-पत्र	30,07.78	429.05
राज्य वित्तीय निगमों के शेयर	1,69.69	0.42
औद्योगिक बस्तियों को ऋण	2,66.06	170.35
	34,43.53	599.82

श्री पी० आर० शिनाय : विवरण के अनुसार जीवन बीमा निगम छोटे पैमाने के उद्योगों को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष ऋण नहीं दे रहा है। यद्यपि यह देश में सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है और ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतम धन लेता है तथापि इसकी गतिविधियां केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार या जीवन बीमा निगम के पास ऐसा कोई अभ्यावेदन आया है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हो कि निगम सीधे ऋण दे और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करे ?

श्रीमती सुशिला रोहतगी : बीमा अधिनियम स्वयं स्वामित्व वाली कम्पनियों में निवेश को रोकता है। अधिकांश छोटे पैमाने के उद्योग स्वामित्व वाले हैं या भागीदारों वाली फर्में हैं। इसलिए जीवन बीमा निगम छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रत्यक्ष निवेश नहीं करता किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों में निवेश करता है।

श्री पी० आर० शिनाय : छोटे पैमाने के उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं और उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कानून के उपबन्धों में आवश्यक संशोधन करेगी ताकि जीवन बीमा निगम छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण दे सके ? दूसरे वर्तमान प्रबन्धों के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम सहकारी समितियों तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों को औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिए ऋण दे रहा है। किन्तु 1-4-74 से 31-12-74 तक औद्योगिक बस्तियों को अब तक केवल 170 लाख रुपये दिए गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कानून के उपबन्धों में आवश्यक संशोधन करेगी ताकि जीवन बीमा निगम छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण दे सके ? क्या मैं उन उद्योगों के नाम जान सकता हूं जिन्हें जीवन बीमा निगम ने पहले ही ऋण दे दिए हैं ?

श्रीमती सुशिला रोहतगी : राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र के उद्योग समझते है और उनकी सहायता कर रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है। यहां पर हमें यह याद रखना है कि जीवन बीमा निगम के ढांचे में थोड़ा-सा अंतर है। इसका किसानों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों से इतना काम नहीं देता जितना कि विभिन्न राज्यों में विद्यमान अभिकरणों तथा संस्थाओं के साथ होता है क्योंकि जीवन बीमा निगम जो धन देता है उसे केवल वे ही खपा सकते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि अधिनियम में फिलहाल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी जीवन बीमा निगम ने अभी-अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है जिसने सुझाव दिया है कि समूची निवेश नीति के पुनरीक्षण की आवश्यकता

हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए निवेश ढांचे को पुनः परिभाषित किया गया है। तीसरी बात औद्योगिक सम्पदाओं के बारे में है। हमारी कुछ औद्योगिक बस्तियां भी हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ऐसी औद्योगिक बस्तियों की संख्या अधिक नहो है जो जोवन बोमा निगम द्वारा दिए जाने वाले विषेश को खपा सके या उसका उपयोग कर सके किन्तु वह काफी हद तक आधारभूत ढांचे और विभिन्न राज्यों की खपत क्षमता पर निर्भर करता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. speaker The Hon. minister has just now said that the Government have issued orders to the Life Insurance Corporation to grant loans to the Small Scale Industries whether Government have fixed any limit of loan ? How much money has been given so far ? Whether Small Scale Industries do not face a crisis due to shortage of raw material and paucity of Funds and whether they do not suffer loss on that account ? If so, whether Government propose to insure Small Scale Industries ?.

Shrimati Sushila Rohatagi : I have already replied your points. The statement has already been placed before you. As I have said they get loans indirectly and not directly. There are State Finance Corporations, Small Scale Industries Corporations and Industrial Estates in every State. The Small Scale Industries get loans through them.

Shri Hukam Chand Kachwai : You have not replied to second part of my question. Whether Government propose to Insure the Small Scale Industries which suffer loss due to non-availability of raw material and paucity of funds ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इसका निर्णय उद्योग मंत्रालय ने करना है न कि वित्त मंत्रालय ने।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण प्रतिबंध नीति के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि वे अपनी नीति में परिवर्तन करके वित्तीय संस्थाओं को अधिक धन देंगे जिससे अन्ततः छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक ऋण मिल सके ?

श्रीमती सुशिला रोहतगी : समूची ऋण प्रतिबन्ध नीति की संवीक्षा की गई और उसमें इन सब बातों पर विचार किया गया। इस प्रकार के निवेश या ऋण नीति के आधार पर ही इसे परिभाषित किया जाता है। मेरे विचार से जीवन बीमा निगम की निवेश नीति यह है कि निगमित क्षेत्र को 10 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता।

Shri Bibhuti Mishra : 80 per cent population of the country is living in Villages and the rural people deposit their money with Life Insurance Corporation. Hon. minister is replying in a zig-zag way. If any villager wants to set up an industry or asks for raw material for that purpose, whether Government is prepared to help him directly ? This question should be answered in yes or no. The Government should clearly say whether they are prepared to help them or not, instead of saying that they should go to Life Insurance Corporation or banks.

Shrimati Sushila Rohatagi : I have already replied to this question, There is no question of answering in a zig-zag way. I want to make it clear that no direct loan is given to the rural people by L. I. C. But under the investment pattern of L. I. C., 75 per cent loan is given for social oriented work i. e. water, electricity etc. It is a fact that major part of the population of our country is living in rural areas. We too are their representatives. We also want that more money should be given to the rural people but the L. I. C. functions according to its investment policy.

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री महोदया ने आपने लिखित विवरण में कहा है :—

> "जीवन बीमा निगम के निवेश लघु क्षेत्र उद्योग में सीधे ही नहीं किए जाते बल्कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा जारी किए गए शेयरों तथा बन्ध-पत्रों के अंशदान के रूप में और सहकारी समितियों तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों को औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए ऋण की मंजूरी के रूप में किए जाते हैं।"

मैं इस संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछड़े तटीय क्षेत्रों के मछुओं को ऋण सुविधाएं दी जायेंगी जो सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रयास करते हैं और क्या उन्हे पर्याप्त मात्रा में ऋण दिये जायेंगे ?

श्रीमती सुशिला रोहतगी : इस पर विचार किया जा सकता है।

Shri Sukhadev Prasad Verma : Mr. speaker, there is need to set up small scale industries in rural areas, because there is a problem of unemployment there. The credit policy of the Government is so complicated that the money does not reach to the villagers. Keeping in view this situation I would like to know from the Hon. minister whether Government propose to evolve a system, under which the Small Scale Industries in rural areas are encouraged so that the rural people may set up industries and solve the unemployment problem and other local problems and they may get raw material without any difficulty if so, the steps being taken by the Government in this regard ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जीवन बीमा निगम के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में होने वाले कार्यों से सर्वथा भिन्न है। जीवन बीमा निगम को कुछ धन निवेश करना है। इसकी दोहरी भूमिका है। उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र में भी जाना चाहिए और साथ ही उन्हें काफी लाभ भी कमाना चाहिए ताकि पालिसी धारियों को लाभ मिल सके। अतः जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण और रोजगार कार्यक्रमों को नहीं चला सकता। यह कार्य समुचित अभिकरणों जैसे राज्य सरकार द्वारा करना होगा। वास्तव में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। यही कारण है कि अपने उत्तर में मेरे साथी ने कहा है कि राज्य वित्तीय निगमों को जीवन बीमा निगम द्वारा सहायता दी जाती है ताकि ये राज्य वित्तीय निगम छोटे पैमाने के उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों आदि को सहायता दे सकें। जीवन बीमा निगम राज्य वित्तीय निगमों द्वारा जारी किए जाने वाले अंशों में अंशदान करता है तथा औद्योगिक बस्तियों स्थापित करने के लिए ऋण भी देता है। यदि जीवन बीमा निगम को राज्यों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को करने का कार्य दिया जायेगा तो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जायेगी और फिर वह जीवन बीमा निगम के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उनका क्षेत्र सीमित है। जहां कहीं उन्हें निवेश करना होता है, वहां वे सुरक्षित निवेश के रूप में निवेश करते हैं और किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाते।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : विवरण में 1-4-1974 से 31-12-194 की अवधि के दौरान तथा 31-3-1974 तक जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए कुल निवेश के सम्बन्ध में आंकड़े दिए हैं। राज्य वित्तीय निगमों के शेयर 31-3-1974 तक 169.69 लाख रुपये के थे। और 1-4-1974 से 31-12-1974 तक इसमें 0.92 लाख रुपये की कमी हो गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशिला रोहतगी : आरम्भ में ही माननीय सदस्य ने कहा कि वह एक संगत प्रश्न पूछेंगे, मैं इससे खुश हूं। किन्तु इसका उत्तर सम्बन्धित राज्य सरकार से प्राप्त होगा।

श्रीमती मानसिंह भौरा : जीवन बीमा निगम राज्य वित्तीय निगमों को ऋण दे रहा है। कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति वित्तीय निगम जैसे निगम हैं किन्तु धनाभाव के कारण वे निर्धन लोगों की सहायता नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जीवन बीमा निगम को कुछ अनुदेश जारी करेगी

कि वह इन वित्तीय निगमों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों की सहायता करे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य निगमों को दी जानेवाली धनराशि में से कुछ धन इस उद्देश्य के लिए देने हेतु जीवन बीमा निगम को अनुदेश देगी ।

श्रीमती सुशिला रोहतगी : मैं नहीं समझती कि यह बात आप इस प्रश्न के साथ कैसे जोड़ रहे हैं । जीवन बीमा निगम जाति के चक्र में नहीं पड़ता यह तो निवेश ढांचे के अनुसार काम करता है और साथ ही अपने निवेश की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है ।

श्री जे० माथा गौडर : क्या आप राज्यवार , विशेषकर, तमिलनाडु के सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा बिना बिके रसायनिक पदार्थों का निर्यात

+

*166. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री धामनकर :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अपने द्वारा आयात किये गये उन रसायनिक पदार्थों का जिनकी बिक्री नहीं हो रही है निर्यात करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण रसायनिक पदार्थ हैं ; और

(ग) इस प्रकार की कार्यवाही से कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विचार है कि "नहीं, श्रीमान" उत्तर का सम्बन्ध निर्यात तथा बिना बिके रसायनों से हैं । किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि राज्य व्यापार निगम के पास लगभग 15 करोड़ रुपये के मूल्य के आयातित रसायनों का बड़ा भारी स्टाक जमा हो गया है क्योंकि व्यापारियों तथा उद्योगों ने, जिन्हें रिलीज करने के आदेश दिए हैं या अनुमति दी है, आयात करने के पश्चात इन्हें उठाने से इन्कार कर दिया और यदि हां, तो यद्यपि उसका पुनः आयात करने का कोई विचार नहीं है, फिर भी राज्य व्यापार निगम उस बड़े भारी स्टाक का क्या करने का सोच रहा है और उसे किस तरह निपटाया जायेगा और कितनी हानि उठाने पर ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रसायनों का छोटा सा स्टाक जमा हुआ है, किन्तु यह मुख्यतः ऋण प्रतिबंधों, औद्योगिक क्षमताओं के आंशिक प्रयोग और सस्ते देशी कच्चे माल के उपलब्ध होने के कारण हुआ है । 31-1-75 को 11.62 करोड़ रुपये के रसायनों का स्टाक जमा हुआ है । इसे निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं ।

(1) राज्य व्यापार निगम बिल मार्कीटिंग स्कीम की सुविधाएं दे रहा है । इस स्कीम में बिलों को भुगताने का समय पारस्परिक रूप में निर्धारित किया जायेगा किन्तु यह समय 90 दिनों से अधिक नहीं होगा ।

(2) आबंटित स्टाकों का पुनः आबंटन किया जा रहा है । यह उन पक्ष के लिए किया जा रहा है जिन्होंने इसे नहीं उठाया । हम इसका पुनः आबंटन केवल उनके लिए कर रहे हैं जो इसको उपयोग में लाते हैं ।

(3) यह भी विचार किया जा रहा है कि कुछ स्टाक सस्ते दामों पर बेचा जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन होल्डरों द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सचाई भी है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा इन रसायनों का लिया गया मूल्य बाजार के मूल्य से काफी अधिक है और इसलिए वे इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं । या क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ लोग, जिन्हें रिलीज के आदेश दिए गए हैं, मैं नहीं जानता कि क्या वे व्यापारी हैं या औद्योगिक फर्में, जिनके कहने पर यह सामग्री आयात की गई और जो इसे अब नहीं उठा रहे हैं, उन्हें काली सूची में दर्ज किया जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : राज्य की गोपनीयताएं प्रकट नहीं की जा सकती ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों में कमी-ज्यादा हो सकती है और क्रय अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में किया जाता है और उसके पश्चात् बाजार में उसकी कीमत घट सकती है और इस तरह मूल्यों में अंतर पड़ सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई अंतर है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी खरीद के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी हुई है । इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका अभिप्राय यह हुआ कि माल राज्य व्यापार निगम को ही भारी घाटे पर ही दिया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब तक माल बेचा नहीं जाता तब तक हानि का हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : काली सूची में दर्ज किये जाने की क्या स्थिति है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उक्त कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

श्री धामनकर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दो बातें कही हैं । रसायनों को दो कारणों से नहीं उठाया जा रहा है अर्थात् (1) उधार का बन्द किया जाना (2) सस्ते रसायनों की स्वदेश में उपलब्धता । मुझे पता चला है कि आयात लाइसेंस तभी दिये जाते हैं जब माल देश में उपलब्ध न हो । यदि हां, तो जब इन रसायनों का देश में निर्माण हो रहा है और यह देश में सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं तब इनका आयात क्यों किया जाता है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका आयात औद्योगिक कारखानों द्वारा किया जाता है अथवा व्यापारियों द्वारा किया जाता है ? मैं मंत्री महोदय से यह दोनों बाते जानना चाहता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह समय समय की बात है । आज हम सक्षम हैं और ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद हम उत्पादन न कर पायें । कुछ ऐसा माल भी है जिसका उत्पादन हम आज कर पाते हैं कल नहीं कर पाते थे । दूसरे प्रश्न को यदि वह स्पष्ट करेंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा ।

श्री धामनकर : आयात व्यापारियों द्वारा किया जाता हैं । क्या आयात औद्योगिक कारखानों वास्तविक उपभोक्ताओं अथवा व्यापारियों द्वारा किया जाता है जोकि बाजार में बिक्री के लिये आयात करते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये हैं, अतः ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं ।

श्री धामनकर : यह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है । औद्योगिक कारखानों एवं व्यापारियों को भी लाइसेंस दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न जमा माल के बारे में है और प्रश्न पर पूछा गया था कि क्या उसे वापस भेजा जायेगा, क्या उसे दुबारा निर्यात कर दिया जायेगा तब उन्होंने उत्तर दिया कि यह सभी प्रश्न मूल प्रश्न की सीमा से सर्वथा बाहर हैं । आप उन्हें संगत रूप में पूछें ।

श्री धामनकर : मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह रसायन, जो आयात किये गये हैं और बिक नहीं रहे औद्योगिक कारखानों द्वारा अथवा आयात-कर्त्ताओं द्वारा आयात किये गये ? बेशक आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है । औद्योगिक कारखाने तथा व्यापारी लोग भी इसमें हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे किनके पास हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: वास्तविक उपभोक्ताओं तथा कुछ फर्मों को भी राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने दिया जाता है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : राज्य व्यापार निगम के पास यह माल कब से पड़ा हुआ है इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मुझे एक घोषणा करनी है ।

आस्ट्रेलिया के गव्हर्नर जनरल सर जोन केर का स्वागत

WEL COME TO SIR JOHAN KERR GOVERNOR GENERAL OF AUSTRELIA.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करना है ।

अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे आस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल महा महिम माननीय जोन केर, जोकि इस समय आदरणीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है, का स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है । हम उनकी इस देश की यात्रा को सुखद तथा लाभपूर्ण होने की कामना करते हैं । उनके माध्यम से हम आस्ट्रेलिया की संसद, सरकार एवं जनता के प्रति अपनी शुभ कामनाएं देते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरी आपसे प्रार्थना है कि शिष्टमंडल के नेता से निवेदन करें कि वह सर डोन ब्रेडमैन को भेजें । हम उन्हें देखना चाहते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

RAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : मिश्र जी, आप क्या पूछ रहे थे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने पूछा था कि यह स्टाक कबसे राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा हुआ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कब यह माल आयात किया गया, मैं ठीक तिथि आपको नहीं बता सकता ।

कोयले का निर्यात न करने का प्रस्ताव

+
*167. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगा दव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कोयले का निर्यात नही किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में अनुमान लगाने के लिये कोयला विभाग को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस मामले पर कोयला विभाग के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) अकोककर कोयला पड़ोसी देशों को सीमित मात्राओं में निर्यात किया जा रहा है । अन्य देशों को इसे निर्यात करने के प्रश्न पर कोयला विभाग से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

Shri Anadi Charan Das : Mr. Speaker, my question has not been properly replied. I want to know the quantity of coal we are exporting to neighbouring countries this year out of our production. ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पड़ोसी देश बंगलादेश और श्रीलंका को हम कोयले का निर्यात करते हैं । हम 6.5 लाख टन कोयला भेज रहे हैं । वर्ष 1975–76 के दौरान 5 लाख टन कोयला बंगला देश को भेजा जायेगा । बर्मा के साथ एक और करार 15 लाख टन कोयले के लिए, पूरा होने की सम्भावना है तथा कोयले की थोड़ी मात्रा अर्थात् 10 से 15 हजार टन श्रीलंका को भी बेचे जाने की सम्भावना है ।

Shri Anadi Charan Das : The industries in this country like railway, steel plants etc. complain that their demands for coal are not met. Then what is the necessity to export coal ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कोयला उत्पादन के राष्ट्रीयकरण के बाद किये गये युक्तियुक्त उपायों तथा सुधारों से हमें उम्मीद है कि हम देश की मांग को पूरा कर ही सकेंगे, साथ ही न केवल पड़ोसी देशों को अपितु विश्व व्यापी स्तर पर कोयले का निर्यात कर सकेंगे ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयले की आंतरिक खपत तथा बाह्य खपत में अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के कारण बहुत वृद्धि होगी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता कि क्या स्वदेशी उद्योगों को नान-कोकिंग कोयले की सप्लाई में बाधा नहीं आयेगी ? यदि हां, तो सरकार मांग की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है । दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि यदि निर्यात किया जाता है तब अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा कितनी होगी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 12 लाख टन के कुल उत्पादन में से 95 लाख टन नान कोकिंग कोयला है । इसलिए नान कोकिंग कोयले में कमी की कोई सम्भावना नहीं है । भविष्य में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी यह सब मूल्य पर निर्भर करता है ।

श्री के० एस० चावड़ा : कोयले की कमी के कारण एक हजार से अधिक रेल गाड़ियां निलंबित पड़ी हैं । और सरकार कोयले का निर्यात पड़ोसी देशों को कर रही है । क्या सरकार इस सभा को आश्वासन देगी कि जबतक निलम्बित की गई गाड़ियां पुनः चालू नहीं की जाती कोयले का निर्यात नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे । इसका सम्बन्ध वाणिज्य मंत्री की अपेक्ष रेल मंत्री से अधिक है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गैर-कोककारी कोयले की वर्तमान मात्रा से आन्तरिक खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । भविष्य में आंतरिक खपत को देखकर ही इसका निर्यात किया जायेगा ।

श्रीमती माया राय : माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि हमारे पास कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वह यह बात स्पष्ट करेंगे कि यह ठीक समय पर अपने गंतव्य स्थानों तक क्यों नहीं पहुंचता । इसके ठीक समय पर उपलब्ध न होने से इस्पात उत्पादन में बाधा पहुंचती है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे ऐसे लगता है कि मैं निर्यात के सम्बन्ध में उत्तर दे रहा हूं न कि यातायात के बारे में ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि निर्यात वस्तुओं के बदले में किया जाता है या नकद भुगतान के आधार पर ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब हम निर्यात वस्तुओं के बदले में नहीं करते ।

Shri Ramavatar Shastri : Whether you have fixed the price of the coal which is to be exported to our neighbouring countries ? Whether that price will be more or less or equal to that prevailing in India ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वे मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर हैं ।

श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बंगला देश की मुक्ति के तत्काल पश्चात् उनके औद्योगिक तथा परिवहन क्षेत्र में कोयले की भारी मांग थी ? क्या यह भी सही है कि भारत-बंगलादेश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के आधार पर बंगला देश के लोगों के हित में उचित मूल्य पर कोयले की सप्लाई करने के विचार से बंगला देश सरकार के साथ कोई समझौता किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब तक हम बंगला देश को कोयला अपने आंतरिक मूल्य पर सप्लाई कर रहे थे किन्तु अब हम कोयले की सप्लाई अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर करेंगे ।

श्रीमती डॉ० लक्ष्मी कान्तम्मा : श्रीमान्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंगारेनी कोयला खानें हैं । उस क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में है । श्रीमान मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि चूंकि कोयले की मांग भारत तथा विदेशों में है, अतः क्या आपका विभाग तथा अन्य विभाग वहां से अधिकतम मात्रा में कोयला निकालने में समन्वय रखेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा समन्वय तो वहां है ही ।

Prices of Essential Commodities

***168. †Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Atal Bihari Bajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the retail prices of esential consumer goods prevailing at the end of January of each of the last three years and during each month of the last year ;

(b) the percentage of increase or decline that has taken place in prices each time ; and

(c) the special efforts made to bring down prices during the last three years and results achieved each time ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अलग-अलग चीजों की खुदरा कीमतों के संबंध में सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि अलग-अलग जगहों पर इनकी कीमतें अलग अलग होती हैं । लेकिन, अखिल भारतीय औदयोगिक मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960-100), जो श्रम मंत्रालय में तैयार किया जाता है जनवरी, 1971 में 184 से बढकर जनवरी 1972 में 194 और जनवरी 1973 में और बढकर 210 और जनवरी 1974 में 264 हो गया । यह वृद्धि क्रमश: 5.4 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और 25.7 प्रतिशत बैठती है । जनवरी 1974 से सूचकांक में हर महीने हुई प्रतिशत घटबढ़ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

1974 :	फरवरी	+1.1
	मार्च	+3.0
	अप्रैल	+2.9
	मई	+3.9
	जून	+2.4
	जुलाई	+3.3
	अगस्त	+3.2
	सितम्बर	+4.0
	अक्तूबर	+0.3
	नवम्बर	—1.2
	दिसम्बर	—1.5

कीमतों की अनुचित रूप से बढ़ने से रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनकी रूपरेखा वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा है और मुद्रा और वित्त के संबंध में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जैसे वार्षिक ग्रंथों में बतायी गयी है । जहां तक इन उपायों के प्रभाव का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि पिछले 2-3 वर्षों में कुछ ऐसे विशेष कारण थ जिनकी वजह से इन उपायों के पूरे प्रभाव को महसूस नहीं किया जा सका ऋणों के विस्तार को नियंत्रित करने और जमाखोरी को और मुनाफोखोरी को रोकने के लिए किये गये उपायों के साथ-साथ जुलाई 1974 में मांग को कंट्रोल करने के लिए किये गये उपायों से स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई प्रतीत होती है क्योंकि कीमतों में दो साल के बाद पहली बार फिर से मौसमी गिरावट आई है ।

Shri Jagannathrao Joshi : Sir, this statement, which has been placed on the table of the house is not Clear. The information regarding price rise is there but it has not been clearly said as to what effective steps have been taken by Government to check price rise instead they have said that those effective steps can be seen in such annual documents "Economic survey" of the Ministry of Finance and the Reserve Bank's Report on curreney and Finance.

We are asking about the effective steps taken to arrest the rising prices but the reply is : "go through this report and that report." It would have been better if they had reply told us to find a book in some library when we ask them they refer the report Had the report been placed two three days back, we would have gone through that. but it is available after half past ten. There is no time to go through the report of the Reserve Bank and the "Economic Survey". Instead of this detailed statement, they should have mentioned three four measures which would be enough to know the position, you have told us that just there was 5.4 per cent increase, then 8.2 percent

increase and then there was 25.7 per cent increase, which is improper. Despite taking effective Steps, which have been mentioned in the Reserve Banks report there has been 25.7 percent steep rise in prices this percentage is not for separate consumers prices. It is the sum total in 1971, Ghee in this very Parliament house was sold at the rate of 12 rupees per K. g. where as it, is being sold at the rate of 25 rupees at present. It means there has been 100 percent price rise. So this figure of 25.7 is not clear. So I want to know why there has been unjustifiable price rise despite taking effective mesures.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान्, 'आर्थिक सर्वेक्षण' हाल ही का दस्तावेज है, जिसे तीन या चार दिन पहले सभा पटल पर रखा था और मैंने सोचा कि एक नया प्रकाशन होने के नाते माननीय मंत्री महोदय ने इसे पढ़ लिया होगा। यह अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों ही भाषाओं में छपा हुआ है और माननीय सदस्य दोनों ही भाषाओं को जानते हैं। उसमें हमने उन सब कारगर उपायों का उल्लेख किया है, जो हमने कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए अपनाये हैं और यहां भी हमने यह दिखाने के लिए आंकड़े दे दिए हैं कि अक्तूबर के पश्चात इन उपायों का मूल्यों पर कुछ प्रभाव पड़ा है। अक्तूबर में मूल्यों में केवल 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवम्बर में 1.2 प्रतिशत। इसमें गिरावट आनी आरम्भ हो गई और दिसम्बर में यह 1.5 प्रतिशत थी। इस वर्ष जनवरी में मूल्यों में और गिरावट आई। निस्संदेह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हों, जिनके मूल्यों में 25.7 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। इसका यह अर्थ होगा कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में 25.7 प्रतिशत से कम वृद्धि भी हुई है। यह केवल कुछ वस्तुओं की औसत है जो कि जनसाधारण, विशेषकर श्रमिकों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं के बारे में है। सूचकांक को तैयार करते समय इन बातों पर ध्यान दिया गया है। अतः, श्रीमान मेरा अनुरोध है कि हम केवल औसत दे सकते हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष वस्तु का मूल्य जानना चाहते है जैसा कि और यदि उसके मूल्य के बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध होगी तो हम अवश्य उन्हें यह जानकारी देंगे।

Shri Jagnnathrao Joshi : My question was quite different. The increase in prices from 8.2 percent to 25.7 percent is unjustifiable. This increase is not normal rise in prices. My question was that despite effective steps, why there has been a steep price rise and what effective steps have been taken by you ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान, मेरा विचार है कि देश की आर्थिक स्थिति पर हमने काफी चर्चा कर ली है और बताया गया है कि इसका पहला कारण बंगला देश युद्ध और बाद में सूखा स्थिति का पैदा हो जाना है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति का पैदा होना है। इसलिए हमारे देश में भी कीमतें बढ़ गई। ऐसा केवल हमारे ही देश में नहीं हुआ है, यह तो विश्व की समस्या है। (हंसी) जबतक आप वास्तविकताओं को नहीं समझते तब तक हंसने का कोई लाभ नहीं है। हमने कदम उठाये हैं। हमने जो कदम उठाये हैं, उनका बढ़ते हुए मुल्यों पर प्रभाव पड़ा है। ऐसा कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है।

Shri Jagnnathrao Joshi : Mr. Speaker, now I will put my second question.

Mr. Speaker : You have already asked your second question.

Shri Jagannathrao Joshi : No. That was my first question. They have given only two main reasons for price rise. First Bangla Desh war and the Second drought. But I want to tell you that there was war in 1965 and in 1966 the Country had to face drought Situation. Inspite of the war and drought situation the prices during this years did not go up as in the present case. Now you are trying to meet the Suitation by increasing your expenditures and enhancing tax rates. For ex ample the cost price of kerosene is 50 paise, but you have imposed 50 percent tax thereon. Similarly the Cost price of petrol is 68 paise and you have imposed 2.36 ruppees as duty on that. In such circumstances how these commodtiies will be available at reasonable prices whether you propose to reduce expenditure and tax rates in order to bring down the prices ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जब तक मैं अपना बजट पेश करता हूं तब तक उन्हें यह देखने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मैंने इसमें कमी की है या नहीं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह सही है कि मुल्यों में आम तौर पर वृद्धि हुई है किन्तु यह भी सच है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में मुल्यों में वृद्धि कुछ अधिक ही हुई है । इसका कारण यातायात की बाधाएं तथा कुछ अन्य बातें हैं । आर्थिक सर्वेक्षण से इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं मिलता कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठा रही है कि समूचे देश में आवश्यक वस्तुश्रो के मूल्यों में समानता हो ताकि देश के कुछ भागों को कठिनाई का सामना न करना पड़े । क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि समूचे देश में वस्तुश्रों के मूल्यों में समान रूप से गिरावट आये ताकि किसी विशेष क्षेत्र को कुछ बाधाओं के कारण हानि न उठानी पड़े ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : निश्चय ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों में अधिक अंतर न हो । सब वस्तुश्रों के बारे में तो आश्वासन नहीं दिया जा सकता किन्तु आवश्यक वस्तुओ को लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचकर सभी क्षेत्रों में समान मूल्य रखेंगे । उदाहरण के लिए गेहू, चावल तथा अन्य मोटे अनाजों का वितरण हम लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से करेंगे । इनका मूल्य सभी क्षेत्रों में समान होगा । इसी तरह हम अन्य आवश्यक वस्तुश्रों के लिए भी लोक वितरण प्रणाली तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं । उदाहरण के लिए लेवी चीनी सारे देश में एक ही मूल्य पर उपलब्ध की जा रही है । अतः यह कार्य तभी हो सकता है जब इसके लिए समुचित लोक वितरण प्रणाली हो । हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है कि किन-किन वस्तुओं को लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जायेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : फिलहाल हम अनाज श्रौर चीनी को लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेच रहे हैं । स्टैंडर्ड कपड़ा उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है । अतः अनाज, खाने योग्य तेल, चीनी, कोयला तथा स्टैंडर्ड कपड़ा आदि मुख्य वस्तुएं हैं जो लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जायेंगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टैंडर्ड कपड़ा उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा है । मैं नहीं जानता कि ऐसा कहां हो रहा है । हमें तो कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता ।

यह सही है कि श्री मोहन धारिया की अध्यक्षता में इस मामले पर विचार करने तथा अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी । इस समिति को इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या खाना पकाने के तेल, मिट्टी के तेल, चीनी, स्टैंडर्ड कपड़ा, श्रौषधियां आदि को लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जा सकता है या नहीं । यदि हां तो क्या सरकार ने सिफारिशों सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है, यदि हां तो इसका क्या हुआ ? क्योंकि हालही में उद्योग श्रौर नागरिक पूर्ति मंत्री, श्री टी०ए०पाई ने कई वक्तव्य दिए हैं जिसमें उन्होंने जनता को आशा दिलाई है कि शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी श्रौर इन वस्तुश्रों को लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए इनकी वसूली की जायेगी । इस मामले की वास्तविक स्थिति क्या है श्रौर क्या हम 1975 के दौरान कभी यह आशा कर सकते हैं कि इस दिशा में कोई कदम उठाया जायेगा । इसके बिना कीमतों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता श्रौर न ही उन्हें कम किया जा सकता है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जबतक हमारी लोक वितरण प्रणाली मजबूत नहीं होगी, तब तक हम कीमतों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकते । इसीलिए इस उद्देश्य हेतु एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया गया है । यदि श्री टी०ए०पाइ ने कोई वक्तव्य दिया है तो स्वाभाविक है कि वे इसके लिए तैयारियां कर रहे होंगे । इसलिए मैं भी आशा कर रहा हूं कि 1975-76 में हम लोक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने लगेंगे ताकि हम कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण इस प्रणाली के माध्यम से करना आरम्भ कर दें श्रौर इसका विस्तार करते रहे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री मोहन धारिया समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : नागरिक पूर्ति मंत्री उस पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Nathuram Ahirwar : The standard cloth which is supplied in rural and urban areas for the poor people, is sub-standard. It is so inferior that people do not want to purchase it. I want to know the steps being taken by Government to improve its quality. Whether Government would issue directives to the firms in this regard ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम मुख्य प्रश्न से दूर जा रहे हैं । निस्संदेह कुछ फर्में घटिया किस्म का स्टैंडर्ड कपड़ा बना रही है ताकि लोग उसे न खरीदें और वे फिर यह कह सकें कि उन्हें घटिया किस्म का कपड़ा बनाने से छूट दे दी जाये । यही कारण है कि कपड़े की किस्में तथा गुण को निर्धारित किया जा रहा है । मुझे पूरी आशा है कि सम्बन्धित मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि गुण नियंत्रण बना रहे और इसका उत्पादन निर्धारित मात्रा में होता रहे ।

व्यापार करने वाली फर्मों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना

***171. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री झारखण्डे राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार करने वाली फर्मों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां । निर्यात सदनों को मान्यता देने की योजना का पुनरीक्षण करने के लिए जनवरी, 1975 में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी आनी है।

Shri Sukhdev Prasad Verma : Sir, The hon. minister has stated that the Report of the Working Group set up in January, 1975 to review the scheme of recognition of Export Houses is awaited. I want to know the factors necessitating the setting up of this Group ? I also wanted to know the main point seeking such recognition and this has not been replied to.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कार्यकारी दल ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है अत: इस समय उनकी सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि निर्यात गृहों संबधी सरकारी नीति समय-समय पर बदलती रहती है क्योंकि विदेश-व्यापार मंडी की स्थिति बदलती रहती है । हमारे यहां पहले ही 295-300 निर्यात गृह हैं । उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं और उनके सुचारू कार्यकरण से ही हमारी निर्यात-आय में काफी वृद्धि होती है । हम, इसीलिए, प्रक्रिया को युक्तिसगत और उन्हें दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : My question has not been fully answered. Whether any direction has been issued to the Working Group as to date by which it should submit it Report and the points which are to be reviewed by them ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समिति को यथासंभव शीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है । अन्य बातों के अलावा उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाये ; क्या उस निर्यात गृह को मान्यता दी जाय या नहीं जो एक ही वस्तु का, चाहे वह काफी मात्रा में ही क्यों न हो, निर्यात करता है ; और लघु उद्योगों के सार्थ संघ को निर्यात-गृह के रूप में मान्यता देने हेतु क्या विशेष मानदण्ड हों ? आदि ।

Shri Jharkhande Rai : Whether it is a fact that some of the export houses had connection with some top smugglers of India as was revealed in the recent swoop on smugglers? Whether this will/has harden/hardened Government's attitude towards them ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि हमें तस्करी के कार्यों से सम्बद्ध किसी निर्यात-गृह का नाम बताया जाये तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

Shri Jharkhande Rai : Whether he does not have such information from his own source ? If so, whether Government's attitude has hardened or whether it is proposed to do so ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि आप जानते हैं, तस्करों के प्रति हमारा रवैया सदा सख्त रहा है और इन 300 में से यदि उनके विचार से कोई निर्यात-गृह कदाचार का दोषी है, तो हम अवश्य उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री जी० एम० मेहता : क्या उनके मंत्रालय ने 31 मार्च, 1975 से पूर्व लघु उद्योग कारखानों द्वारा निर्यात-वृद्धि के लिए सार्थ-संघ बनाने का निर्णय किया है और यदि ऐसा न हुआ तो निर्यात की सीमा घटा दी जाएगी ताकि लघु उद्योग निर्यात कर सकें ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता ही चुका हूं कि सरकार का आशय उनका सार्थ-संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का है ताकि जो सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हैं, वे भी उन्हें मिलने लगें और हम सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्थिति की सिफारिशें हमें शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हों, ताकि उनपर उचित कार्यवाही की जा सके ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और इरान के बीच करार

*161. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये दोनों देशों के बीच कुछ करार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दीर्घकालिक व्यापार करार :

भारत और ईरान के बीच एक दीर्घकालिक व्यापार करार 17–12–1974 से लागू हुआ है । यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है और इसके अन्तर्गत पारस्पारिक व्यापार में परम-मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान किये जाने और साथ ही एक दूसरे के देश में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है । करार के अन्तर्गत भुगतान मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जायगा और करार के अन्तर्गत व्यापार के निष्पादन का पुनरीक्षण छः मास में एक बार किया जाएगा।

समझोता ज्ञापन :

2. भारत की प्रधान मंत्री की अप्रैल/मई, 1974 में ईरान की यात्रा के दौरान निम्नलिखित के लिए ईरान द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में करार किया गया ;

(क) ईरान को सप्लाई के लिए कुद्रमुख में एक पैलैट फीड परियोजना की स्थापना (वार्षिक क्षमता 75 लाख मे० टन) ;

(ख) एक एल्यूमिनियम संयंत्र (वार्षिक क्षमता 300,000 मे० टन) ; और

(ग) एक संयुक्त जाहजी कम्पनी।

वस्तु संविदाए :

3. तेहरान में आयोजित भारत-ईरान व्यापार वार्ताओं के दौरान अगस्त, 1974 में निम्न-लिखित की सप्लाई के लिए विशिष्ट संविदाएं की गई ;

(क) भारत द्वारा ईरानीयन स्टेट रेलवेज को 130,000 मे० टन पटरियां।

(ख) 3 लाख मे० टन सीमेंट को सप्लाई का एक करार क्रियान्वयन अधीन है और शिपमेंट्स मई/जून, 1975 तक पूरे हो जाने की संभावना है, 1975–1977 के बीच 11 लाख मे० टन सीमेंट सप्लाई करने की एक और संविदा की गई है ।

(ग) 5 लाख मे० टन चीनी की सप्लाई संबंधी एक करार को क्रियान्वित किया जा रहा है । 75,000 मे० टन की और मात्रा की सप्लाई के लिए एक और करार को भी अन्तिम रूप दिया गया है ।

पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को लाइसेन्स रिलीज आर्डर जारी किया जाना

*162. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलेस स्टील/अन्य उत्पादों के पैरामाउंट इंजीनियरिंग वर्क्स को कुल कितने मूल्य के लाइसेंस/रिलीज आर्डर जारी किये गये ;

(ख) क्या इन रिलीज़ आर्डरों को या इसके अन्तर्गत आयात किये गये माल को काले बाजार में बेचा गया है ;

(ग) क्या उस काण्ड की कोई जांच-पड़ताल की गई है ; और

(घ) उसके परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मैसर्स पैरामाउंट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ ने पिछली बार 1971–72 की लाइसेंसिंग अवधि के लिये अलोह धातुओं हेतु 65,47,674 रु० के आयात लाइसेंस/रिलीज़ आदेश प्राप्त किये थे।

(ख) से (घ) सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । इस एकक के इस बीच बन्द होने की सूचना मिली है और आयातित माल के उपयोग किये जाने के बारे में जांच की जा रही है ।

दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी-पटना-कलकत्ता विमान सेवा

*163. **श्री शिब्बन लाल सक्सेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली–लखनऊ–गोरखपुर–वाराणसी–पटना–कलकत्ता विमान सेवा से गोरखपुर का अभी तक सम्पर्क स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह सेवा कब आरम्भ होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विमानन ईंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि तथा वाइकाउंट एवं डाकोटा बिमानों को अपने विमान बेड़े से निकालने के कारपोरेशन के निर्णय के प्रसंग में, इंडियन एयरलाइन्स की गोरखपूर के लिए विमान सेवाएं प्रारम्भ करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

फसली ऋणों में थोड़ा अन्तर

***164. श्री जनार्दनन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष तथा एक वर्ष पूर्व दिए गय फसलों ऋणों में अन्तर कम हो रहा है क्योंकि दिसम्बर के मध्य से ऋण की मात्रा तेजी से बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) वर्तमान व्यस्त मौसम के दौरान, 7 फरवरी, 1975 तक, कुल ऋणों में, रिजर्व बैंक में पुनः भुगताये गये (रीडिस्काउंटेड) बिल भी शामिल है, 571 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है, जबकि इसके मुकाबले 1973–74 के व्यस्त मौसम में इसी अवधि तक 714 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस मौसम के दौरान सप्ताह से सप्ताह अथवा महीने से महीने तक के भी परिवर्तन विभिन्न बातों पर निर्भर होते हैं। 1973–74 के व्यस्त मौसम के प्रथम सात सप्ताहों अर्थात् अक्तूबर के अन्त से दिसम्बर 1973 के मध्य तक सकल बैंक ऋण में हुई 452 करोड़ रु० की वृद्धि के मुकाबले चालू व्यस्त मौसम के दौरान इसी कालावधि में 119 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है । पिछले व्यस्त मौसम के दौरान शुरू-शरू की वृद्धि की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नवम्बर, 1973 के मध्य में तथा तत्पश्चात् उसके अन्त में 'पैकेज' प्रतिबन्धात्मक उपाय घोषित किये गये थे और तब उसके बाद हुई वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक विनियमित रही । वर्तमान व्यस्त मौसम प्रारम्भ होते ही बैंकों द्वारा ऋणप्रसार का बेहतर विनियमन किये जाने के कारण, इस वर्ष विभिन्न सप्ताहों के बीच ऋण का प्रसार एवम् वितरण, पिछले व्यस्त मौसम में हुए प्रसार एवम् वितरण से कहीं अधिक रहा है ।

कालीकट हवाई अड्डा

***169. श्री वरके जार्ज :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के लिए उनके मंत्रालय ने एक परियोजना का अनुमोदन किया था, और यदि हां, तो उसके निर्माण पर केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) क्या उस योजना के लिए अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है ; और

(ग) प्रस्तावित हवाई अड्डा कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कालीकट में एक हवाई अड्डे के निर्माण की एक प्रायोजना को पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण तथा उसकी बाड़ लगाने पर नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा लगभग 11 लाख रुपए का व्यय किया गया है ।

केरल सरकार न, जिन्होंने एक एप्रोच रोड का निर्माण किया है लगभग 15 लाख रुपए का व्यय किया बताते है

(ख) ईस प्रयोजन के लिए 213.65 एकड भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने हाल हो में बताया है कि अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति एवं परिचालन लागत में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, उनके लिए पांचवीं योजनावधि के दौरान कालीकट के लिए विमान सेवा का परिचालन कर सकना संभव नहीं होगा। तथापि, यदि साधन उपलब्ध हुए तो, विमानक्षेत्र के विकास के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। यदि प्रायोजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया जाता है तो कार्य प्रारंभ होने को तारीख से इस कार्य को पुरा होने में लगभग तीन वर्ष लग जाएंगे।

सी० ओ० एम० औ० सी० ओ० एन० (कोमेकोन) देशों के साथ व्यापार

*170. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सी० ओ० एम० ई० री० ओ० एन० (कोमेकोन) देशोंके साथ व्यापार के भुगतान के माध्यम के रूप में हस्तान्तरित रुबलों का विकल्प अपना सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस विशेष उपबन्ध के क्या लाभ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कोमेकोन देशों के बीच व्यापारिक लेखों का निपटारा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बैंक के माध्यम से अंतरणीय रुबलों में किया जाता है। भारत इस बैंक का सदस्य नहीं है। यह बैंक अपन सदस्य देशों और गैर-सदस्य देशों के बीच भी संबंधित देशों और बैंकों के बीच हुए विशिष्ट करार के आधार पर लेखों का अन्तरणीय रुबलों में निपटारा करने का काम अपन हाथ में ल सकता है। इस समय कोमेकोन देशों के साथ भारत का व्यापार द्विपक्षीय आधार पर भारतोय रुपयों में होता है। क्या वर्तमान प्रबन्धों में पारस्पारिक हित की दृष्टि से कोई परिवर्तन किये जा सकते है—यह एक ऐसा प्रश्न हैं जिस पर सरकार का बराबर ध्यान रहता है

उर्वरकों का आयात करने के लिये एजेंसी

*172. **श्री पी० के० देव :**

श्री राज राज सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय क्रिया है कि उर्वरकों के आयात का कार्य कौनसी एजेंसी को करना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उस एजेंसी का नाम क्या है ; और

(ग) वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) रुपये में भुगतान करने वाले देशों से उर्वरकों के आयात का काम खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तथा अन्य देशोंसे आयात करने का काम, पूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। सभी स्रोतो से उर्वरकों की प्राप्ति के लिए एक ही अभिकरण को उत्तरदायी बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

3—11 LSS/ND/75

कपड़ा मिलों में नियन्त्रित किस्म के कपडे का जमा होना

*173. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों पर प्रतिबंध लगाये जाने के उपरांत सूती कपड़ा मिल मालिकों ने, मिलों की फुटकर दुकानों पर बिक्री के लिए नियंत्रित किस्मों के कपड़ों को उठाना बहुत कम कर दिया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप नियंत्रित किस्म के कपड़ों की बहुत बड़ी मात्रा जमा हो गई है ;

(ग) क्या सूत की 100,000 से भी अधिक गांठें मिलों के गोदामों में, विशेषकर तमिलनाडु में जमा हो गई है ; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) हाल ही में, कतिपय मिलों ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से अनुरोध किया हैं कि उन्हें उनकी अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए कंट्रोल का कपड़ा आबंटित न किया जाये। इसके अतिरिक्त कतिपय मिलों ने कंट्रोल के कपड़े की कुछ मात्रा अभ्यर्पित कर दी है जो उन्हें उनकी अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से बिक्री हेतु आबंटित किया गया था। मिलों द्वारा उठाये गये इन कदमों का कारण ऋण संकुचन प्रतीत नहीं होता। संभवतः मिलें कंट्रोल के कपड़े की ऐसी विशिष्ट किस्मों की बिक्री करने में असमर्थ हैं जो उनकी खुदरा दकानों के माध्यम से बिक्री हेतु आबंटित किया गया था।

(ख) जी नहीं, यह देखा गया है कि जून, 1974 से प्रत्येक मास के अन्त में लगभग 3 सप्ताह के उत्पादन से लेकर छः सप्ताह उत्पादन तक विभिन्न मात्राओं में कंट्रोल के कपड़े का स्टाक था जो असामान्य नहीं है।

(ग) जनवरी, 1975 के अन्त में सूत के कुल स्टाक की मात्रा 95,800 गांठे थी (जिनमें से 59,200 गांठे अनबिकी और 25,800 गांठे बिक तो चुकी थी परन्तु उठाई नहीं गई थी।) जिनमें तमिलनाडु की मिलों के पास 29,000 गांठे (जिनमें से 21,500 गांठे अनबिकी और 7500 गांठे बिक तो चुकी थी परन्तु उठाई नहीं गई थी।) पड़ी थी।

(घ) चूंकि स्टाक का स्तर सामान्य ही है, अतः कोई विशेष उपाय करने का विचार नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां अपेक्षित हो कंट्रोल के कपड़े के वितरण के सिद्धान्तों को शिथिल किया जाये ताकि मन्दगामी स्टाकों की निकासी हो सके।

Export of Rice

*174. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which rice has been exported from India during the last one year and the quantity of rice exported to each of them;

(b) whether the demand for Basmati and Dehradun rice is constantly increasing in foreign countries; and

(c) if so, the steps being taken by Government to set up its export to the maximum ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) Countries of export	Quantity exported during 1973-74 (Tonnes)
Bahrein Is.	6942
Dubai	3000
Kuwait	1034
Qatar	1000
U.K.	1251
Others	1595
TOTAL	14822

(b) Yes, Sir.

(c) As incentive for increasing production, more attractive price is being paid to the growers for basmati paddy.

अखबारी कागज का आयात

***175. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री हरि सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्मों के ठेकों के अन्तर्गत होने वाले आयात देश-वार, तथा स्वदेशी उत्पादन से वर्ष 1975-76 में कुल कितना अखबारी कागज उपलब्ध हो सकेगा ; और

(ख) वर्ष 1974-75 में किस किस देश से कितनी माता में तथा कितने मूल्य के अखबारी कागज का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 1975-76 के दौरान 1.28 लाख मे० टन अखबारी कागज आयात करने के लिए पक्की संविदायें की हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कनाडा	68,813 मे० टन
पश्चिम जर्मनी	20,000 मे० टन
जापान	17,000 मे० टन
सोवियत संघ	12,875 मे० टन
चेकोस्लोवाकिया	9,500 मे० टन

तथापि, 1-4-1975 को सम्भावित अधशेष माल तथा मार्गस्थ माता को देखते हुए 1975-76 के दौरान आयातों से कुल 1.80 लाख मे० टन अखबारी कागज उपलब्ध होने की आशा है ।

1975-76 के दौरान स्वदेशी उत्पादन से लगभग 75,000 मे० टन अखबारी कागज उपलब्ध होने की आशा है ।

(ख) 1974-75 के अंत तक कनाड़ा स्केन्डिनेविया, चेकोस्लोवाकिया, बंगाला देश, सोवियत संघ तथा जापान से 60.18 करोड़ रु० मूल्य के 1.86 लाख मे० टन कागज आयात किये जाने की सम्भावना है ।

अहमदाबाद और बम्बई हवाई अड्डोंको जानेवाली सड़कें

*176. **श्री शरद यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद और बम्बई के हवाई अड्डों को जाने वाली सड़कों की खराब स्थिति के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या भारत में अन्य बड़े हवाई अड्डो को जाने वाली सड़कें भी खराब स्थिति में हैं; और

(ग) हवाई अड्डों के प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने सुरंग मार्गों सहित जैसा कि सांताक्रुज, बम्बई में है ऐसी सड़कों की मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अहमदाबाद तथा बम्बई विमानक्षेत्रों के पहुंच मार्गों की असंतोषजनक हालत के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन दानों सड़कों की मरम्मत कर दी गयी है तथा अब ये अच्छी हालत में हैं।

(ख) और (ग) मद्रास, दिल्ली तथा कलकत्ता की मुख्य सड़कों से वहां के अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों को जाने वाली सड़कों के सीमित खंडों की, जिन को देख भाल भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण करता है, हालत काफी अच्छी है। जहांतक अन्तर्देशिय विमानक्षेत्रों का संबंध है इन विमानक्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों का संधारण संबधित राज्य सरकारों/म्युनिसिपल कमेटियों आदि द्वारा किया जाता है और इन्हें सेवायोग्य हालत में बनाये रखना उन का उत्तर दायित्व है विमानक्षेत्रों को जाने वाली सडको के उचित संधारण की आवश्यकता को 1969 में ही राज्य सरकारों के नोटिस में लाया गया था। जब किसी पहुंच मार्ग की असंतोषजनक हालत का मामला नोटिस में आता है तो आवश्यक मरम्मत कराने के लिए मामले को संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

बम्बई में हाजी मस्तान और आयकर अधिकारियों के बीच कथित गठजोड़

*177. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि बम्बई गेरेज के जिस भाग को आयकर विभाग बम्बई ने 20,000 रुपय प्रतिमास के किराए पर ले रखा है उसका मालिक हाजी मस्तान है ;

(ख) क्या सरकार ने किन्हीं आयकर अधिकारियों का हाजी मस्तान के साथ गठजोड़ पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या है; और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रवीणकुमार मुखर्जी) : (क) यह इमारत एफ०एम०शिनाय एण्ड कंपनी (प्रा०) लि० की है। परन्तु, श्री हाजी मस्तान और उसके साथियों ने इस कम्पनीके सारे हिस्से दिसम्बर 1968 में प्राप्त कर लिये। आयकर विभाग ने इस इमारत में 19,000 वर्ग फुट जगह 42,750 रु० मासिक किराये पर हरीचरन पुरुषोत्तमदास ट्रस्ट से ली। उक्त ट्रस्ट ने इस परिसर को कमरुन्निसा ट्रस्ट से पट्टे पर लिया है और यह कमरुन्निसा ट्रस्ट एफ० एम० शिनाय एण्ड कं० का पट्टेदार है। कमरुन्निसा ट्रस्ट के न्यासी और हिताधिकारी श्री हाजी मस्तान के रिश्तेदार हैं।

हरीचरण पुरुषोत्तमदास ट्रस्ट का व्यापार ही यह है कि उपयुक्त परिसरों को प्राप्त करना और उन्हें किराये पर/पट्टे पर लेना, और बाद में उनमें आवश्यक हेर-फेर, मरम्मत आदि करा कर उनको बेच देना अथवा किराये पर चढ़ा देना। इस ट्रस्ट ने उपर्युक्त परिसरों को ठीक-ठाक करा कर उनको अपने कारोबार के हस्ब-मामूली सिलसिले में आयकर विभाग को 1972 में किराये पर दे दिया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Clearance of Transactions between India and Pakistan

***178. Shri Shiv Kumar Shastri** ; Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether all the transactions between India and Pakistan had been cleared before the rupture of trade relations between these countries;

(b) if not, whether at that time Pakistan owed anything to India and vice-versa;

(c) whether any talks have been held in this regard; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir. All trade transactions had not been cleared.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

समाजवादी और गैर-समाजवादी देशों को निर्यात में वृद्धि

***179. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाजवादी तथा गैर-समाजवादी देशों को भारत के निर्यात में वृद्धि करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वर्ष 1974 के दौरान विभिन्न देशों को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और 1973 के आंकड़ों की तुलना में कितने आंकड़े न्यूनाधिक हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। निर्यात उत्पादन बढाने, निर्यात अधिशेष बनाने, पदों को अभिज्ञात करने तथा विदेशी बाजारों के विकास हेतु प्रयास किये जाते हैं। इस के अलावा निर्यातों को बढ़ाने हेतु व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित किया जाता है, संयुक्त आर्थिक आयोगों की स्थापना की गई है, द्विपक्षीय व्यापार योजनाओं पर बातचीत की जाती है, संयुक्त उद्यमों तथा प्रदर्शनियों व वाणिज्यिक मेलों में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्षेत्रों के अनुसार निर्यातों की दिशा

क्षेत्र/देश	1972-73	1973-74	अप्रैल-अक्तू० 1973	अप्रैल-अक्तू० 1974
1. पूर्व यूरोपीय देश . .	46973	47806	28055	36608
(1) सोवियत संघ .	30482	28979	17691	23762
(2) बल्गारिया . .	1886	1965	1316	623

क्षेत्र/देश	1972-73	1973-74	अप्रैल-अक्तू० 1973	अप्रैल-अक्तू० 1974
(3) चेकोस्लोवाकिया .	4610	4165	2052	3579
(4) जर्मन लोकतंत्रिय गणराज्य	1511	2162	972	1735
(5) हंगेरी . .	1223	2377	1494	1006
(6) पोलैंड . .	4413	4387	2289	2525
(7) रुमानिया . .	1594	1516	889	973
(8) यूगोस्लाविया .	1244	2555	1341	1390
2. अमरीका . . .	31040	38820	19298	28631
क. उत्तरी अमरीका .	30394	3735	18790	27212
1. कनाडा .	2820	3078	1723	3016
2. सं० रा० अमरीका	27574	34278	17067	24196
ख. लातिनी अमरीका .	428	1208	390	1262
ग. अन्य अमरीका देश .	218	256	118	157
3. एशिया तथा महासागरिय देश	64194	86981	40734	58459
क. एसकेप . .	56805	53080	35382	45628
ख. अन्य एशिया तथा महासागरिय देश	7379	13901	5352	12831
4. पश्चिम यूरोपीय देश .	44764	64624	34630	41900
क. यूरोपीय साहजा बाजार	40772	59432	31914	38651
ख. यूरोपीय निर्वाध व्यापार एसोशियेशन	2780	3194	1573	2058
ग. आय यूरोपीय देश .	1210	1990	1973	1281
5. अफ्रीका . . .	10112	10091	5117	5208
निर्यातों का कुल योग (पुनर्निर्यातों सहित)	197083	243322	127864	174396

Seizure of Smuggled Goods by Speed Boats 'Durga' and 'Kali'

***180. Shri R. V. Bade :**

Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of the smuggled goods seized by the speed boats 'Durga' and 'Kali' engaged in intercepting the boats of the smugglers, along with the dates of seizure; and

(b) the reasons and facts behind the slackness coming from time to time in the activities of these boats ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The value of smuggled goods seized with the help of the speed boats 'Durga' and 'Kali' together with the dates on which these smuggled goods were seized are given below:

	Date of seizure	Value of goods seized	Value of the craft seized
		Rs.	Rs.
Kali	28-10-74	29,31,240	3,00,000
	29-10-74	14,51,325	2,50,000
	31-10-74	11,29,611	4,00,000
	5-11-74	9,75,564	80,000
Durga	1-11-74	15,04,275	3,50,000

(b) The speed boats 'Kali' and 'Durga' were not available for operations for short periods due to periodical routine maintenance and repairs.

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

1591. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियों के पास प्रमुख कम्पनियों के रूप में अभी भी शेयर है और उनका पूर्ण भारतीयकरण कब तक होने की सम्भावना है ;

(ख) अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों सहित ऐसे कितने विदेशी कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपने पदों को छोड़ने और उन्हें सक्षम भारतीयों को दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या भारत सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में किसी कम्पनी के विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सम्भवत:, माननीय सदस्य भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं। ऐसी सहायक कम्पनियों की सूची कानून, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के उप-मंत्री महोदय ने 17 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 4921 के उत्तर में लोक सभा में पेश कर दी थी।

जहां तक विदेशियों के शेयरों के भारतीयकरण का सम्बन्ध है भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(क) 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी शैयरधारिता वाली कम्पनियां जब अपना विस्तार करती है तो उन्हें "बहुसंख्यक विदेशी शैयरों वाली कम्पनियों में विदेशी शैयरधारिता को कम

करने के निर्देशकों के अनुसार विदेशी शैयरधारिता कम करनी पड़ती है। इस संबंध में दिनांक 19 फरवरी, 1972 की प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—9043/75]

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन् अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत, विदेशों में निगमित कम्पनियों और उन भारतीय कम्पनियों को, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक शैयर विदेशियों के पास हों, भारत में अपना वर्तमान व्यवसायिक कार्य करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से नये सिरे से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे सभी मामलों पर इस धारा में प्रबन्ध के सिलसिले में सरकार द्वारा घोषित निर्देशकों की शर्तों के अनुसार विचार किया जायगा, जिसकी प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा के पटल पर रख दी गयी थी। इन निर्देशों में यह परिकल्पना की गयी है कि विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को अपने काम के स्वरूप के अनुसार अपने आपको 40 प्रतिशत या 74 प्रतिशत विदेशी शैयरधारिता वाली भारतीय कम्पनियों में बदलना होगा। उन भारतीय कम्पनियों को भी, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक शैयर विदेशियों के पास हों, अपने काम के स्वरूप के अनुसार अपनी-अपनी विदेशी शैयरधारिता 74 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक कम करनी पड़ेगी।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी उतनी लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

काली विद्युत परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कर्नाटक सरकार का अनुरोध

1592. श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली विद्युत परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कर्नाटक सरकार का अनुरोध केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Assistance to Ladakh for Pashmina Industry

1593. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the schemes under consideration for providing financial assistance to ensure availability of raw material for setting pashmina wool industry in Ladakh on a large and regular scale ; and

(b) the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b) The Govt. of India allocates 50 per cent of the total foreign exchange ceiling as available for the worsted handloom sector of the woollen industry from time to time, to the Director of Industries, J. & K. Over and above this, an additional foreign exchange ceiling of Rs. ten lakhs for the import of Raffals Yarn Wool Tops has been released in January, 1974, for the shawl industry in J & K. State to the State Director of Industries. Actual allocation amongst individual units in the several parts of the State is done by the State Director of Industries, who would be taking necessary steps for assisting and developing the pashmina wool industry in Ladakh.

जूट उद्योग का कार्य

1594. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार जूट उद्योग का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन दल ने क्या सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 1650 मध्यम तथा विशाल कम्पनियों के, जिनमें 43 पटसन मिले भी शामिल हैं, की वित्तीय स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1970–73 के दौरान किये गये अध्ययन से यह पता चला कि उस अध्ययन में कवर किये गये अन्य उद्योगों से तुलना किये जाने पर पटसन उद्योग का कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण संश्लिष्ट माल से प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप मांग में कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि, बिजली की कटौती की वजह से उत्पादन में हानि आदि है ।

(ग) इस मामले में अध्ययन में कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

आयकर की बकाया राशि के मामलों के न्यायालयों द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा

1595. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आयकर की बकाया राशि के ऐसे मामलों की पृथक संख्या क्या है, जिनमें दोषी पक्षों द्वारा वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई ;

(ख) क्या इन निषेधाज्ञाओं को समाप्त कराने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या है जिन्होंने निषेधाज्ञाएं प्राप्त की है और जिसे दस लाख रुपये से ज्यादा आयकर की बकाया राशि वसूल होनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जिन पार्टियों ने न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली थी और जिनमें से प्रत्येक की ओर 31 मार्च 1974 को 10 लाख रु० से अधिक के आयकर की मांग बकाया थी उनके नाम अनुबन्ध में दिये गये है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०- 9044/75]**

Expenditure of International Conferences

1596. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of international conferences and festivals held in India during 1973-74 and 1974-75; and

(b) the amount in Indian currency and foreign exchange spent thereon?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मेलबोर्न में भारतीय चाय बोर्ड के केन्द्र का बन्द हो जाना

1597. श्री एन० ई० होरो :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

श्री टुना उरांव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेलबोर्न में भारतीय चाय बोर्ड का केन्द्र बन्द कर दिया गया है और अमरीका तथा कनाडा में भारतीय चाय का बाजार सीमित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि देश के चाय उत्पादक विश्व में चाय खरीदारी बाजार की प्रवृत्ति के प्रति चिन्तित हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसका कारण विश्व मंडी में भारतीय चाय की लोकप्रियता का कम होना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) आस्ट्रेलिया में मेलबोर्न चाय केन्द्र बन्द करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

पंचाग वर्ष 1974 में अमरीका को 76 लाख किग्रा० का निर्यात हुआ जब कि 1973 में 79 लाख किग्रा० और 1972 में 74 लाख किग्रा० का निर्यात हुआ था। जनवरी-अक्तूबर, 1974 में कनाडा को 26.5 लाख किग्रा० का निर्यात हुआ है जब कि 1972 और 1973 में क्रमश : 28 और 22.11 लाख किग्रा० का हुआ । इस प्रकार सामान्य प्रवृत्ति से कोई खास गिरावट प्रतीत नहीं होती ।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसी शंका करने का कोई आधार नहीं है कि विश्व बाजार में भारतीय चाय की लोकप्रियता कम हो रही है।

राजगीर, जमशेदपुर, पटना और रांची में साधारण होटल खोलने का प्रस्ताव

1598. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में राजगोर, जमशेदपुर, पटना और रांची में सरकारी सहायता से साधारण होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत पर्यटन विकास निगम की बिहार में राजगोर, जमशेदपुर तथा पटना में होटल बनाने की कोई योजना नहीं है। परन्तु पटना में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र-व-मोटल निर्माणाधीन है। इस कामलेक्स में 50 कमरे तथा एक रेस्टोरेंट होंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में रांची में 60 कमरों की क्षमता वाले एक मोटल का निर्माण सम्मिलित किया गया है। आर्थिक दृष्टि से इस की व्यवहार्यता तथा साधनों के उपलब्ध होने की हालत में इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा सस्ती दरों पर टिकटों का बेचा जाना

1599. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि बहुत सी विदेशी विमान कम्पनियां एयर इंण्डिया या बी० ओ० ए० सी० या टी० डब्ल्य० ए० की तुलना में विमान यात्रा के टिकट काफी सस्ते बेचती हैं, जिससे एयर इंडिया को भारी घाटा होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां यातायात को अपनी ओर खींचने के लिए अनुमोदित किरायों से कम किराये लेने जैसे अनाचारों में रत हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(1) यू० एस० ए० तथा भारत और यू० के० तथा भारत के बीच किफायती वापसी भ्रमण किराए लागू किए गए हैं ;

(2) भारत तथा फ्रांस और भारत तथा स्विट्ज़रलैंड के बीच किफायती युवा किराए लागू किए गए हैं।

विकसित और रुपये में भुगतान वाले देशों से आयात

1600. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित पूंजीवादी देशों से कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है और उनमें से कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात रुपये में भुगतान वाले देशों या विकसशील देशों से किया जा सकता है;

(ख) क्या विकसित पूंजीवादी देशों से केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करने का विचार है, जो रुपये में भुगतान वाले या विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रूपये में भुगतान के आधार पर भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों के नाम क्या हैं और क्या रुपये में भुगतान स्वीकार न करने वाले देशों से व्यापार के आधार के रूप में भारतीय रुपये को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार की यह नीति है कि सभी व्यापारिक पार्टनरों के साथ, भले हो वे रुपये में भुगतान वाले के क्षेत्र के हो या परिवर्तनीय मुद्रा क्षेत्र के हों, व्यापार को विविधीकृत किया जाये और अधिक से अधिक बढ़ाया जाये। सभी आवश्यक सामान ऐसे स्त्रोतों से आयात किया जाता है जहां से वे सर्वाधिक प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध होते हैं। किसी विशिष्ट अर्थ व्यवस्था वाले क्षेत्र या किसी विशिष्ट मुद्रा क्षेत्र के साथ व्यापार को सीमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) समाजवादी देशों अर्थात् सोवियत संघ, पोलेंड, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी, बल्गारिया, रूमानिया और कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के अलावा संयुक्त अरब गणराज्य और सूडान के साथ रुपये में भुगतान के आधार पर व्यापार किया जाता है। इस समय, रूपये में भुगतान स्वीकार न करने वाले देशों के साथ रुपये में भुगतान के आधार पर व्यापार करने का अनुरोध करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

Loans from Foreign Countries in 1974-75

1601. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the countries from which the Government of India received loans during 1974-75, indicating the amount of loans and the form in which the loans were received;

(b) the amounts of interest free loans and particulars of amounts received as grants; and

(c) the efforts made by Government to get loans at lower rates of interest?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) During the current financial year Belgium, Canada, Denmark, France, West Germany, Japan, Netherlands, Sweden, U.K., U.S.A., World Bank and I.D.A. have committed external assistance of Rs. 1062.31 crores to India as indicated below :—.

	Donor Currency Million	Rs. Crores
Belgium (BF)	250.00	5.77
Canada (C$)	52.36	42.98
Denmark (D.Kr.)	52.00	7.02
France (FF)	384.28	64.56
West Germany (DM)	360.00	113.76
Japan (Yen)	19,142.86	51.69
Netherlands (DG)	82.00	25.01
Sweden (S. Kr)	203.50	37.44
U.K. (£ Stg.)	39.40	74.54
U.S.A. (US$)	8.64	6.93
		419.70

Besides, World Bank and IDA have committed an aid of $161.00 million (Rs. 129.12 crores) and $ 627.80 million (Rs. 513.49 crores) respectively. Of these Rs. 500.27 crores are in the form of Project Loans and Rs. 562.04 crores as non-project loans. Interest free loans amount to Rs. 156.32 crores and grants to Rs. 38.30 crores.

(c) The Government of India, over the years have been trying to obtain external assistance on more favourable terms and to a great extent, these efforts have succeeded. Whereas during the First Plan only a quarter of the total external loans carried a rate of interest of 3 per cent or less, the same stood at 60 per cent during the Third Plan period and reached over 80 per cent during the Fourth Plan period. There has been improvement in the repayment period also. During the Fourth Plan, three-fourth of the total external assistance has a maturity period of 25 years or more compared to 50 per cent during the Third Plan and a bare 4 per cent during the First Plan.

इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना

1602. **श्री पी० व्यंकटासुब्बया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के बारे में काफी क्षमता विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में उसके लिये मार्किट खोजने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुआ हैं तथा निर्यात को बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इंजीनियरी सामान के निर्यात बढ़ाने हेतु सतत आधार पर निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

1. पंजीकृत निर्यातकों को आयातित कच्चे माल की व्यवस्था ;
2. इस्पात तथा एल्यूमीनियम जैसे स्वदेशी कच्चे माल की प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई ;
3. निर्यात उत्पादन हेतु सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा कतिपय कच्चे मालों के बल्क आयात की व्यवस्था करना ;
4. व्यापार विकास प्राधिकरण का निर्यात उत्पादन तथा कतिपय चुनी हुई वस्तुओं का विदेशों में विपणन बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है ;
5. परियोजना तथा उपस्कर निगम इंजीनियरी सामान के निर्यात बढ़ाने हेतु अपने कार्यकलाप बढ़ा रहा है ;
6. विपणन सामर्थ्य का विकास करने तथा देश के विकास की वर्तमान अवस्था में अन्तर्निहित हानियों को निष्प्रभावी करने हेतु चुने हुए उत्पादों के निर्यातों पर मुआवजा सहायता की अनुमति दी जाती है ;
7. अनेक निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी ;
8. उपरोक्त के अलावा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् भी निरन्तर आधार पर निम्नलिखित कदम उठा रही है ;

व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों तथा अध्ययन दलों को बाहर भेजना, विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करना, निर्यातकों के बीच व्यापार हित से संबंधित जानकारी का प्रसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनीयों व मेलों में भाग लेना आदि।

उठाये जा रहे उपरोक्त कदमों के फलस्वरुप इंजीनियरी माल का निर्यात वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है।

अन्दमान में नियुक्त अधिकारी

1603. श्री एम० वी० सोमसुन्दरम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पेश आ रही आर्थिक कठिनाईयों की दृष्टि से सरकारी अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण करने पर मार्च, 1975 तक प्रतिबंध लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 अप्रैल, 1975 से यह प्रतिबंध हटा लिये जायेंगे अथवा इनकी अवधि अग्रेतर बढ़ा दी जायेगी ; और

(ग) क्या अंदमान में नियुक्त ऐसे अधिकारियों, इंजीनियरों और डाक्टरों को अप्रैल, 1975 में मुख्य भूमि में भेज दिया जायेगा जो अपनी कार्यावधि पूरी कर चुके हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) इंजीनियरों तथा डाक्टरों सहित अधिकारियों का स्थानांतरण, इन सेवाओं को नियंत्रित करने वाले संबद्ध मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (संघ राज्य क्षेत्र) तथा दिल्ली एवं अंडमान सिविल/पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए ऐसा कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है जिसके लिए इन द्वीपों में सेवा करनी पड़ती है। उनका स्थानांतरण विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जिनमें प्रशासनिक आवश्यकताएं शामील हैं। तथापि लगभग दो वर्ष की सेवा पुरी कर लेने पर अधिकारी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाता है। डाक्टर अधिकांशत: केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में से लिये जाते हैं और ऐसे अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानान्तरित करने के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानांतरण का विनियम किया जाता है। इन मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार पोर्ट ब्लेयर का वर्गीकरण एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां तैनाती की सामान्य अवधि चार वर्ष है।

जापान से ऋण

1604. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने इस्पात सामग्री उर्वरक और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिये भारत को 230 लाख डालर का ऋण दिया है ;

(ख) क्या भारत को जापान का ऋण 1.07 मिलियन डालर का हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत को किस अवधि तक ब्याज सहित ऋण जापान को चुकाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। 31 जनवरी 1975 को दोनों सरकारों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था, जिनमें यह व्यवस्था है कि जापान सरकार भारत को वित्तीय सहायता के एक भाग के रूप में मशीनरी इस्पात उर्वरक संघटक फालतु पुर्जे आदि खरीदने के लिये 700 करोड़ येन 39 करोड़ रुपये अथवा चालू विनियम दरके अनुसार 234 लाख डालर के बराबर की रकम का एक वस्तु ऋण देगी।

(ख) जी हां। उपयक्त वस्तु ऋण को हिसाब में लेने के बाद और 1214.3 करोड़ येन की ऋण राहत को हिसाब में लेने के बाद जिनके सम्बन्ध में पत्रों का आदान प्रदान हो चुका है जापान सरकार द्वारा भारत की दिये गये कुल ऋणों की रकम 333 अरब येन बैठती है जो चालू विनियम दर के अनुसार लगभग 1.09 अरब अमेरीकी डालर के बराबर होगी।

(ग) सभी ऋण जिनमें उपयुक्त (क) और (ख) में उल्लिखित वस्तु ऋण और ऋण राहत ऋण भी शामील है, व्याज समंत वर्ष 2004 के सम्बन्ध ऋण करारों की शर्तें के अनुसार चुकाये जायेंगे।

अखबारी कागज और कागज की कमी

1605. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज और अन्य किस्म के कागज की वर्तमान कमी राज्य व्यापार निगम की गलत नीतियों के कारण हैं ; और

(ख) यदि हां तो विभिन्न प्रयोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में कागज की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फिलहाल देश में अखबारी कागज की कोई कमी नहीं है। राज्य व्यापार निगम बढ़िया कागज का आयात नहीं करता है।

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान अखबारी कागज के विभिन्न प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने विदेशी संभरकों के साथ पहले ही पुख्ता संविदाएं कर ली हैं।

Promotion of Officials of Customs and Excise Departments of Vidarbha and Madhya Pradesh

1606. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether certain officers of Customs and Excise departments of Vidarbha and Madhya Pradesh, against whom complaints were made, have been promoted instead of being punished; and

(b) if so, the number of such officers?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir. In any case the mere fact of there being a complaint against an officer does not debar him from promotion. However, wherever preliminary investigations into the complaints establish a prima-facie case warranting departmental action, promotions are withheld.

(b) Does not arise.

धागे के मूल्यों में वृद्धि

1607. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में धागे के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण भारत में अधिकांश हथकरघा बुनकरों ने इसी कारण से अपना काम बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां तो धागे के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) दिसम्बर 1974 तथा जनवरी 1975 के महीनों में हैंक यार्न की कीमतों में कुछ वृद्धि रही लेकिन फरवरी, 1975 में पुनः कीमतों में गिरावट आ गई है। सितम्बर, 1974 से कौन यार्न की कीमतें में शनैः शनैः कमी हुई है।

(ख) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फाईबर और टैक्सटाईल यार्नों के मूल्यों में वृद्धि

1608. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों फाईबर और टैक्स्टाईल यार्न के मूल्योंमें कमी हुई है? और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जनवरी 1975 को छोड़कर गत तीन महीनों के दौरान रेशों तथा टेक्सटाइल यार्न की कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तव में समग्र रूप से कीमतों में सुधार का रुख रहा है ।

प्राइवेट फर्मों द्वारा लोह अयस्क का निर्यात

1609. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्राइवेट फर्मों को विदेशों को लोह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति देती हैं और क्या कुछ मामलों में अपवाद के रूप में अनुमति दी गई है?

वाणिज्य मंत्रालय म उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): गोआ के उन जहाजी व्यापारियों को छोड़कर जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत कीमतों पर गोआ मूल के लोह अयस्क का सीधे निर्यात करने की अनुमति है लौह अयस्क का निर्यात भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० के माध्यम से मार्गीकृत हैं।

गुजरात के बारे में पर्यटन सामग्री

1610. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने गुजरात के पर्यटन स्थानों के संबंध में मानचित्रों गाइड पुस्तकों, फोल्डेरों तथा पुस्तिकाओं सहित कोई पर्यटन सामग्री प्रकाशित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पर्यटन प्रचार सामग्री में गुजरात राज्य का भी समावेश है:—

(i) 'डिस्कवर इण्डिया', 'दिस इज इण्डिया' 'दि राइट प्लेस' 'दि बोम्बे एण्ड दी वैस्ट' नामक फोल्डर ।

(ii) साबरमती आश्रम के ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन पर ब्रोशर।

(iii) 'गिर फारेस्ट, संबंधी सचित्र पोस्ट कार्ड।

(iv) 'वन्य जीवन' पर ब्राशर (छप रहा है)।

2. समाचार पत्र 'यात्री' के दो अंकों में गिर शरण्य तथा नल सरोवर के बारे में लेखे लिखे गये। 'यात्री' के प्रकाशनाधीन एक विशेषँक में गुजरात के बारे में विस्तृत यात्रा सूचना दी गयी है।

3. पर्यटन विभाग के लिए पर्यटन के बारे में सूचना देने वाली डायरेक्टरीयों के नियमित उत्पादन कार्यक्रम में निगम के गुजरात में निम्नलिखित गन्तव्य स्थानों के बारे में प्रकाशन हैं:—

(क) अहमदाबाद—गांधीनगर (मेहसाना—मोधेरा सहित)

(ख) राजकोट—जामनगर—द्वारका

(ग) पोरबंदर—जूनागढ़—सोमनाथ

(घ) भावगर—पालिताना

स्पिनिंग मिलों की स्थापना करना

1611. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र में स्पिनिंग मिलों/एककों की स्थापना के लिये लाइसेंस के कितने आवेदनों की केन्द्र सरकार से सिफारिश की है, उनके नाम एवं स्थापना स्थल क्या हैं ;

(ख) कितने मामलों में लाइसेंस/आशय पत्र मंजूर किये गये हैं ; उनके नाम एवं स्थापना स्थल क्या हैं ;

(ग) जो आवेदनपत्र रद्द किये गये हैं उनके नाम एवं स्थापना स्थल क्या हैं और रद्द करने के अलग अलग कारण क्या हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि रद्द किये गये आवेदनपत्रों पर पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी लाईसेंस नीति को अन्तिम रूप देने के पश्चात् पुनः विचार किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चौथी योजना अवधि में सहकारी क्षेत्र में नये स्पिनिंग एकक स्थापित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से सिफारिश किये हुए केवल तीन आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। सभी तीनों मामलों में औद्योगिक लाइसेंस दे दिये गये थे। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पार्टी का नाम	स्थान	तकुओं की संख्य
दक्षिण को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, ईचालकरनजी ।	कोल्हापूर	25,000
कोल्हापुर जिल्हा सहकारी विनकर सूत गिरनी लि०, ईचालकरनजी ।	कोल्हापूर	25,000
दी ईचालकरनजी को आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, रांजो, कोल्हापुर	ईचालकरनजी	25,000

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

अमरीका द्वारा प्रत्यक्ष करों में कटौती करने से भारतीय व्यापार पर प्रभाव

1612. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अपने प्रत्यक्ष करों में कटौती कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका अमरीका के साथ भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों में खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

1613. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम अपने होटलों में खाद्यपदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अशोक होटल, नई दिल्ली, जोकि भारत पर्यटन विकास निगम का एक यूनिट है, एक खाद्य-पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने, जिनकी इस मामले में सलाह मांगी गयी है, प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये अपेक्षित उपकरणों एवं कर्मचारियों का सुझाव दे दिया है।

नेपाल को कोटे की मदों के निर्यात पर रोक

1614. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को कोटे की मदों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात लक्ष्य

1615. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा :**
श्री झारखण्डे राय :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात लक्ष्य में शत तिशत वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस अवधि में प्राप्त किया जायगा;

(ग) क्या उससे व्यापार असन्तुलन को ठीक करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का घाटा दूर हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) वाणिज्य मंत्री ने 26 दिसम्बर, 1974 को व्यापार सम्बन्धी परामर्शी परिषद की 7वीं बैठक के अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने की उच्च महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा आगे चलकर स्वस्थ भुगतान सन्तुलन की स्थिति बनाने के लिये निर्यातों में शत प्रतिशत से अधिक वृद्धि के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।

Development of Places Associated with Chatrapati Shivaji for Tourists

1616. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any schemes for developing famous historical places associated with the birth and other activities of Chhatrapati Shivaji with a view to attract tourists there; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) Due to the present constraints on resources it has not been possible for the Government of India to initiate any scheme for the development of historical places connected with the life of Chhatrapati Shivaji. The State Government are being approached to consider the development of these places under their tourism development plan, particularly in view of their appeal to home-tourists.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में चर्चा के विषय

1617. श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1975 में वाशिंगटन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी के पास न शर्तों वाले ऋणों को सभी देशों द्वारा भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति को ठीक करने के लिये उपयोग में लाने का विरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो उस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या भारत ने और कोई सुझाव रखे थे और यदि हां, तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिम समिति ने विश्व की आर्थिक सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया। इसके परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन प्रक्रिया पर भी विचार किया। समिति इस बात से सहमत थी कि तेल सुविधा को 1975 में बड़े पैमाने पर जारी रखा जाए। समिति ने गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले विकासशील देशों की सहायता करने के लिये निर्णयात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर दिया। समिति ने सदस्यों के कोटे की छठी सामान्य समीक्षा से सम्बंधित प्रश्नों पर

भी विचार किया। समिति ने एक सम्भावित संशोधन पर भी विचार किया जिससे एस डी आर और विकास वित्त के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

सिक्योरिटी पेपर मिल्ज, होशंगाबाद के उत्पादन अनुभाग में समयोपरि भत्ते का भुगतान

1618. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल्ज होशंगाबाद के उत्पादन अनुभाग में समयोपरि भत्ता बंद कर दिया गया था परन्तु केन्दीय अनुभाग, सिक्योरिटी शाखा, जनरल स्टोर तथा प्रशासकीय शाखाओं में इसको जारी रखा गया था; और

(ख) यदि हां तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नही होता।

रुपये के मूल्य में गिरावट

1619. **श्री वयालर रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के प्रथम दस महीनों में रुपये के मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट आयी है और गत दो वर्षों में इसी अवधि में आयी गिरावट के अनुपात में इसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ख) हाल ही में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों से रुपये के मूल्य को कहां तक स्थिरता प्रात हुई है और सरकार इस दिशा में आगे किस प्रकार के कदम उठाना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार रुपये की क्रय शक्ति में मार्च, 1974 और दिसम्बर, 1974 के बीच 15.7 प्रतिशत की कमी हुई। 1973 और 1972 की इसी अवधि में क्रमश: 16.8 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(ख) हाल के महीनों में किये गये उपायों के परिणामस्वरूप रूपये की क्रयशक्ति में अक्टूबर से दिसम्बर, 1974 के बीच 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नेपाल को निर्यात किए जाने वाले कोयले और सीमेंट के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लिये जाने का प्रस्ताव

1620. **श्री के० मालन्ना** :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार नेपाल को निर्यात की जाने वाली कोयले और सीमेंट जैसी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लेने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार भारत से वस्तुओं का आयात घरेलू मूल्यों पर करती रही है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत कम हैं, और वह भुगतान रुपयों में करती रही है; और

(ग) इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) नेपाल, रुपयों में भुगतान करके घरेलू कीमतों पर कोयला और सीमेंट आयात करता रहा है। इन दोनों वस्तुओं की विश्वकीमतें, हमारी घरेलू कीमतों से ऊंची हैं। आगामी अवधि के लिय कीमतों का प्रश्न विचाराधीन है।

राजनैतिक दलों के लिए कार्य कर रहे बैंक कर्मचारी

1621. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल यूनियन आफ बैंक एम्प्लाइज़ तथा इन्डियन बैंक एम्पलाइज़ कांग्रेस की समवन्य समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि बैंकों की उन 5000 कर्मचारियों पर 7.5 करोड़ रुपया वार्षिक खर्च करना पड़ता है जो बैंकों की वेतन पंजी पर हैं परन्तु वास्तव में पूरे समय किसी राजनैतिक दल के लिये कार्य करते हैं;

(ख) क्या ऐसा इस कारण से है कि बहुत से बैंक संघों के पदाधिकारियों को संघ कार्य के लिये छट दी जाती है परन्तु वास्तव में वे कार्यालय समय में उस राजनैतिक दल के लिये कार्य करते हैं जो उनके संघ पर नियंत्रण रखता है; और

(ग) यदि हां, तो संघ कार्य के नाम में इस अपव्यय को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) से (ग) पिछले अनेक वर्षों के दौरान मजदूर-संघों के साथ हुए द्विपक्षीय करारों और आपसी समझौतों के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बक एवम् उसकी समनुषंगियों-दोनों में एक सीमित संख्या में सम्बद्ध बैंकों के कर्मचारियों को पूर्णकालिक/अर्धकालिक आधार पर मजदूर-संघों के कार्य के लिए विमुक्त किया जाता है। दोनों ही संगठनों, अर्थात् "दी आल इण्डिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन" और "दी नेशनल यूनियन आफ बैंक एम्पलाइज" से सम्बद्ध मजदूर संघ, उन सभी बैंकों में जहां कि ये संघ बहुमत में हैं, इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे है। सरकारी क्षेत्रों में मजदूर-संघों के पूर्णकालिक कार्य के लिए विमुक्त कर्मचारियों की संख्या और इस बारे में इन बैंकों द्वारा किये जाने वाले व्यय के विषय में यथासुलभ सूचना अलग से एकत्र की जा रही है जो सभापटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि उनके किसी भी कर्मचारी को किसी भी राजनैतिक दल के वास्ते कार्य करने के लिये विमुक्त नहीं किया गया है।

बड़े औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की पूंजीनिवेश नीति

1622. **श्री शशी भूषण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगकि गृहों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की पूंजीनिवेश नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम ने दस शीर्षस्थ व्यापार-ग्रुपों में कुल कितना पूंजी निवेश किया है; और

(ग) क्या निगम ने बड़े औद्योगकि गृहों में अपना पूंजीनिवेश बढ़ाने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी): (क) संशोधित निवेश नीति के अनुसार, जीवन बीमा निगम, एक वर्ष में अपनी नियंत्रित निधि में हुई वृद्धि की कुल मिलाकर 10 प्रतिशत से अधिक रकम गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं लगा सकता। निगम को सलाह दी गई है कि वह मध्यम उद्योग क्षेत्र में निवेश के स्वस्थ मार्ग प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय प्रयास करे। उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए जीवन बीमा निगम अपनी निधियों का निवेश बड़े औद्योगिक गृहों के उद्योगों में तथा अन्य उद्योगों में भी करता है। गैर-सरकारी निगम क्षेत्र में निवेश करते समय मुख्य जोर पूंजी की सुरक्षा और उससे होने वाली आय पर दिया जाता है।

(ख) सबसे बड़े दस-व्यापार समूहों में पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम के निवेशों की स्थिति इस प्रकार थी :—

	करोड रु० में
31 मार्च 1972 को . .	94.47
31 मार्च 1973 को . . .	98.66
31 मार्च 1974 को . .	102.26

(ग) जी, नहीं।

बैंक तथा गैर-सरकारी व्यापार फर्मों द्वारा जमाकर्ताओं के लिए घोषित ब्याज की दरें

1623. **श्री भगत राम मनहर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों तथा गेर सरकारी व्यापार फर्मों ने जमाकर्ताओं के लिए 12 प्रतिशत से 35 प्रतिशत व्याज तक की आकर्षित दरें घोषित की हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि पर तथा डाक विभाग के अंतर्गत सावधि जमा तथा अन्य योजनाओं के जमाकर्ताओं को दिये जा रहे ब्याज की दरें बहुत कम हैं; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) बड़े वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा रकमों पर, 23 जुलाई, 1974 से अदा किये जाने वाले ब्याज की दर इस प्रकार है :—

अवधि	ब्याज-दर
1 वर्ष और उससे अधिक, किन्तु 3 वर्ष से कम . . .	8%
3 वर्ष और उससे अधिक, किन्तु पांचवें वर्ष समेत पांच वर्ष तक . .	9%
5 वर्ष से ऊपर	10%

गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जनता की जमाओं पर, जो अप्रत्याभूत होती हैं, हाल ही में घोषित ब्याज-दर सामान्यत: इन वर्गों में आती है : एक वर्ष की अवधि के लिए निक्षेपों पर 9.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक और 5 वर्ष से अधिक वाले निक्षेपों पर 12.5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक।

(ख) और (ग) डाकघर संचयी सावधिक बचत योजना द्वारा 23 जलाई, 1974 से अदा किये जाने वाले ब्याज की दर 6.25 प्रतिशत है, जबकि डाकघर मियादी जमाओं पर 23 जुलाई 1974 से अदा किय जाने वाले ब्याज की दर इस प्रकार है :—

अवधि	ब्याज-दर
1 वर्ष	8%
2 वर्ष	8.5%
3 वर्ष	9%
5 वर्ष	10%

ये दरें, इस उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दरों से समतुल्य हैं।

बैंकों और डाकघरों में जमा-रकमों और उनपर अजित ब्याज पर सम्पत्तिकर और आयकर संबंधी कुछ छूट मिलती हैं, किन्तु गैर-बैंकिंग कम्पनियों में किये गये निक्षपों और उनपर अजित ब्याज पर य छूटें ाप्य नहीं हैं।

सामान्य भविष्य-निधि की जमाओं पर 25,000 रु० तक के अधिशेष पर 7.5 प्रतिशत और 25,000 रु० से अधिक के अधिशेषों पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। सामान्य भविष्य-निधि के अंशदाता को सुलभ अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दरें अनुपयुक्त रुप से कम न ीं समझी जा सकती हैं।

Export of Engineering Goods

1624. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value and names of engineering goods exported by India to foreign countries during 1972, 1973 and 1974, respectively;

(b) whether there is demand for more engineering goods from these countries which India is not able to meet and if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government make available all the raw material to the industries which export engineering goods and latest technical know-how is also provided in this regard and if so, the names of agencies which are engaged in doing this work and annual expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) The value of exports of engineering goods is maintained financial year-wise. A statement giving the value and categories of engineering goods exported from 1972-73 onwards is attached.

(b) The demand for engineering goods, especially capital goods, is generally on the increase and this demand is being met within the production capacity of the country. However, there are some constraints in the way of increasing the production programme, mainly on account of power cut in many States, inadequate credit availability etc.

(c) For export production, priority allocation of controlled raw materials like steel and aluminium is made by Government. Where necessary, Government also allow import of raw materials. Technical know-how is arranged by exporters from different agencies, including Government agencies like National Research Development Corporation. It is not possible to assess the annual expenditure incurred on technical know-how.

STATEMENT

(Value in Lakh Rs.)

Name of Item	1972-73	1973-74	1974-75 (Provisional) (Apr.-Nov.'74)
A. Capital Goods			
1. Industrial Plant and Machinery	1,146.10	1,439.63	1,187.20
2. Heavy Electricals	460.45	605.36	602.26
3. Steel Structurals (Fabricated)	1,093.30	1,126.41	810.67
4. Wires and Cables	1,256.62	1,153.69	882.74
5. Wagons, Coaches, Components & Rly. Track Materials	414.79	617.14	167.13
6. Complete Vehicles	892.78	613.40	516.12
B. Producer & Consumer Goods			
1. Primary Steel and Pig Iron Based Items	2,732.48	4,101.44	4,974.84
2. Non-Ferrous Products	536.07	914.67	640.64
3. Others	5,575.24	7,439.14	7,068.40

तस्करों से पकड़ी गई नौकाएं और जहाज

1625. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सीमाशुल्क विभाग ने तस्करों की कितनी नौकाएं और अन्य जहाज जब्त किये थे; और

(ख) उक्त जब्त की गई नौकाओं और जहाजों का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बम्बई सीमाशल्क विभाग द्वारा 1-1-70 से 31-1-1975 तक 192 लांच-नौकाएं तथा अन्य यान जब्त किये गये ।

(ख) बहुत से मामलों में, जब्त किये गये यानों को जब्ती के बदले में जुर्माना अदा करने पर छुड़ा लेने दिया जाता है । जिन यानों को छुड़ा नहीं लिया जाता है उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है । कुछ यानों की, जिन्हें ठीक और उपयोगी पाया जाता है, उन्हें तस्करी-विरोधी कार्य के लिए काम में ले लिया जाता है ।

मारिशस से व्यापार सम्बन्ध

1626. **श्री निम्बालकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मारिशस से अपने व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) जी हां।

(ख) दोनों देशों के बीच शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान किया गया है। भारत मारिशस में अनेक संयुक्त उद्यमों में भी भाग ले रहा है। भारत ने 5 करोड़ रु० मूल्य का ऋण भी दिया है जिसका उपयोग भारत से उपस्कर प्राप्त करने के लिये किया जायेगा।

राज्य व्यापार निगम के पास पड़ी बिना बिक्री साईजिंग मशीनें

1627. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से आयात की गयी आठ वर्ष से बिना बिक्री वही साईजिंग मशीनें राज्य व्यापार निगम द्वारा नीलामी करके बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मशीनों का मल्य, संख्या तथा सहायक पुर्जे आदि सहित मशीनों की खरीद का विवरण क्या है;

(ग) नीलाम करके बेचने से कितनी हानि होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आफर आमंत्रित करके साईजिंग मशीने बेचने के उपाय कर रहा है।

(ख) 1965 में आयातित, सहायक सामान सहित छः साइजिंग मशीनों की क्रय-कीमत 43 लाख रु० थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मशीनें अभी तक नहीं बेची गई हैं।

(घ) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

फ्लाइंग क्लबें एवं नागर विमानन केन्द्र

1628. **श्री मोहन राज** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1974-75 में कुल कितने फ्लाइंग क्लब एवं नागर विमानन केन्द्र थे;

(ख) इन क्लबों एवं केन्द्रों में 1974-75 के दौरान कुल कितने विमानचालक प्रशिक्षित किये गये; और

(ग) प्रत्येक विमानचालक के प्रशक्षिण पर सरकार द्वारा कितना औसत व्यय किया गया और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक विमानचालक द्वारा कितना औसत व्यय किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 23 फ्लाइंग क्लब तथा 3 उड़ान प्रशिक्षण स्कूल हैं।

(ख) उन प्रशिक्षुओं की संख्या, जिन्होंने 1-4-1974 से 31-1-1975 तक की अवधि के दौरान निजी विमानचालक लाइसेंस तथा वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस प्राप्त किए, क्रमशः 61 तथा 37 है।

(ग) इस आधार पर कि निजी विमानचालक लाइसेंस के लिए 60 उड़ान घंटे तथा वाणिज्यिक विमानचालक के लिए 250 उड़ान घंटे आवश्यक होंग प्रशिक्षुओं द्वारा देय शुल्क तथा सरकार द्वारा देय आर्थिक सहायता, वर्तमान दरों पर, निम्न प्रकार होगी :—

	प्रशिक्षुओं द्वारा देय शुल्क	सरकार द्वारा देय आर्थिक सहायता
निजी विमानचालक लाइसेंस के लिए —		
22 वर्ष से कम आयु वाले मैट्रिक पास व्यक्ति .	1,680 रुपये	5,610 रुपये
अन्य . . .	2,700 रुपये	4,590 रुपये
वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के लिए —		
22 वर्ष से कम आयु वाले मैट्रिक पास व्यक्ति	24,766 रुपये	5,610 रुपये
अन्य	25,785 रुपये	4,590 रुपये

टिप्पणी—1. 1. अप्रैल, 1971 से क्लबों में उपदान प्राप्त उड़ान को प्रति प्रशिक्षु 60 घंटे तक (अर्थात निजी विमानचालक लाइसेंस के स्तर तक) सीमित कर दिया गया है। अतः क्लबों में वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के लिए प्रशिक्षुओं को इस सीमा से अधिक की समस्त उड़ान के लिये पूरी दर पर शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

2. नवम्बर, 1973 में पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण फ्लाइंग क्लबों को प्रशिक्षुओं से 25 रुपये प्रति उड़ान-घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क वसूल करने का अधिकार दे दिया गया है। ऊपर दिये गये आंकड़ों में यह अंतरिम वृद्धि सम्मिलित नहीं है।

एयर इण्डिया को हुआ घाटा

1629. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया को वर्ष 1974-75 में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि में कौन-कौन से मार्ग घाटे में चलें?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) एयर इण्डिया के लाइन विमानचालकों द्वारा ग़ैर-कानूनी हड़ताल जोकि अगस्त से अक्तूबर, 1974 तक तीन महीने चली, तथा उसके परिणामी प्रभावों और विमानन ईधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरुप 1974-75 के दौरान एयर-इंडिया द्वारा परिचालित लगभग सभी मार्गों पर हानि होने की संभावना है। उपलब्ध प्राक्कलनों के अनुसार 1974-75 के दौरान 12 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है।

गुजरात में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारना

1630. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 12 जनवरी, 1975 को अहमदाबाद में गोधरा जिले में दोहद स्थित आटा मिल के 3.75 लाख रुपये के मूल्य के 7.5 किलोग्राम भार के सोने के जेवरातों का अभिग्रहण किया था और बैंक के पांच लाकर्स में प्राइमरी सोना पकड़ा गया था;

(ख) क्या आयकर अधिकारियो ने 4 जनवरी, 1975 को पेट्रोल उत्पाद तथा ट्यूब का व्यापार करने वाली एक फर्म के तीन साझेदारो के गुजरात राज्य में भावनगर, हातुवा, सावकुन्दिया तथा राजकोट स्थित व्यापार स्थलों तथा निवास स्थानों पर एक साथ छापे मारकर आठ गोदामों तथा 13 बैंक लाकरों पर सील लगाई थीं;

(ग) यदि हां, तो छापों का विवरण क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राज्य में जनवरी 1975 में कुल कितने छापे मारे गये और गुजरात में इन छापों से कितने मूल्य का सोना तथा नकद धनराशि बरामद हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मैदा और सूजी आदि बनाने का व्यापार करने वाली दौहद की एक फर्म के मामले में तलाशी लेने और माल पकड़ने का काम 10 जनवरी 1975 को शुरू किया गया था।

इस तलाशी में पाय गये स्वर्ण-आभूषणों के सम्बन्ध में, जिनका वजन 7.38 किलोग्राम और मूल्य 3.75 लाख रु० था, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अधीन निषेधात्मक आदेश तामील गिये गय हैं। तलाशी में पाया गया शुद्ध सोना पकड़ लिया गया और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियो को सौप दिया गया।

(ख) और (ग) टायरों, ट्यूबों, मोटरगाड़ियों के पुर्जों, डीजल तेल आदि का व्यापार करने वाली विभिन्न फर्मों के व्यापारिक परिसरों, उनके गोदामों, भागीदारों के निवास स्थानों तथा लाकरों की 3 जनवरी, 1975 को अधिनियम की धारा 132 के अ ीन तलाशियां शुरू की गई।

निम्नलिखित परिसम्पत्तियां पकड़ी गई:—

	(हजार रु० में)
नकदी	82
आभूषण	572

गोदामों के माल की सूची बना ली गई। अघोषित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाने और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों में से उतनी को रोक रखने के लिए, जितनी उन पर सगणित कर और प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन आदि कोई कर-दायित्व विद्यमान हो तो उनको भी पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाए, सभी मामलों में अधिनियम की धारा। 32(5) के अधीन आदेश जारी करने की कार्यवाही शुरू की गई है।

(घ) जनवरी 1975 के महीने में आयकर विभाग ने गुजरात में 15 तलाशियां लीं, जिनमें पकड़ी गई नकदी और आभूषण निम्नानुसार है:—

	(लाख रु० में)
नकदी	1.07
आभूषण	9.99

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारि को महंगाई भत्ता

1631. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की कितनी किश्तें देय हो गई है और उसमें कुल कितनी लागत आयगी;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है; यदि हां, तो इस प्रकार निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार किस आधार पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का नकद भुगतान करने में संकोच कर रही है;

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की आशा है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत (1960-100) में 200 से उपर प्रत्येक बार होने वाली 8 अकों की वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की स्वीकृति की सिफारिश की। उसने यह भी सिफारिश की कि यदि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत 272 से ऊपर चला जाए तो सरकार को स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए। और यह निर्णय करना चाहिए कि महंगाई भत्ते की योजना आगे बढ़ाई जाए या वेतनमानों का ही संशोधन किया जाए। महंगाई भत्ते की 9 किश्तें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से अंतिम किश्त 1-9-1974 से प्रभावी है, जब सूचकांक औसत 272 था। 272 के स्तर से ऊपर महंगाई भत्ते की योजना को चालू रखने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थिति पर फिर से विचार किया जा रहा है। इस प्रकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार देय सारा महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। स्वीकृत की गई 9 किश्तो की लागत पूरे वर्ष में लगभग 468 करोड़ रुपए होती है।

(ग) और (घ) देय महंगाई भत्ते के उस अंश को छोड़कर जिसे अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अनुसार जमा करना होता है शेष भाग की नकद अदायगी की जा रही है। 31 दिसम्बर, 1974 तक अंतिम तीन किश्तो के कारण बकाया को भविष्य निधि खाते में विशेष निक्षेप में जमा रखा जा रहा है।

(ङ) यद्यपि तीन अतिरिक्त किश्तो को देने के बारे में कर्मचारियों के एक वर्ग ने असंतोष व्यक्त किया है तथापि इन निर्णयों का सामान्यतः स्वागत हुआ है।

पश्चिम बंगाल के लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

1632. श्री रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लघु तथा मध्यम उद्योग फेडरेशन ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री को लघु उद्योगों में ऋण प्रतिबंध के बारे में एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के लघु तथा मध्यम उद्योग फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण पर प्रतिबंधों और लघु और मध्यम उद्योगों पर उनके सम्भावित प्रभाव के व्यापक प्रश्न का उल्लेख किया गया है तथा यह सुझाव दिया गया कि ऋण-नीति, एककों की सक्षमता और उद्यम-कर्ताओं की सत्यनिष्ठा के मापदण्डों पर आधृत होनी चाहिए। उक्त फेडरेशन ने यह प्रश्न भी उठाया है कि जबकि अधिक बड़े उद्योगों को उनके विविधीकरण और प्रसार के लिए ऋण दिया जा रहा है, छोटे पैमाने के उद्योगों को इन सुविधाओं से सुरक्षा के आधार पर वंचित रखा जाता है।

ऋण-नीति बनाते समय और बैंकों द्वारा उस नीति को कार्यान्वित करते समय ज्ञापन में सूचीबद्ध विभिन्न पहलूओं पर यथेष्ठ ध्यान दिया जाता है। इस नीति के कारण हुई कठिनाइयों के विषय में अलग-अलग शिकायतों पर, यथावश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने की दृष्टि से, सम्बध्द बैंक के परामर्श से, विचार किया जाता है।

अधिक कारोबार वाले चालू मौसम में वाणिज्यिक क्षेत्र और अनाज की वसूली के लिए बैंक ऋण

1633. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अधिक कारोबार वाले गत मौसम की तुलना में चालू मौसम में ऋण की मांग कम रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के उक्त मौसम में और चालू मौसम में वाणिज्यिक क्षेत्र और अनाज वसूली के लिए कितना-कितना बैंक ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) चालू व्यस्त मौसम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण-नीति में ऋण-प्रसार पर निरन्तर नियंत्रण बनाये रखने पर जोर दिया गया है। ऋण की यथार्थ वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ इस अवधि में जमा-रकमों की वृद्धि पर आश्रित होगी। वर्तमान व्यस्त मौसम के दौरान 31 जनवरी, 1975 तक, कुल ऋणों में, जिनमें रिजर्व बैंक को "रीडिस्काउन्टिंग" बिल भी शामिल हैं, 497 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि इसके मुकाबले 1973-74 के व्यस्त मौसम में इसी अवधि के दौरान 675 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष की कुल वृद्धि में सरकारी खाद्य वसूली ऋणों में 1973-74 के व्यस्त मौसम में इसी अवधि के दौरान हुई 154 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले 109 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

वर्ष 1974-75 में चाय का निर्यात

1634. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में अब तक और गत वर्ष की इसी अवधि में निर्यात की गई चाय की मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1974-75 (अप्रैल-अक्तूबर 1974) के दौरान भारत से 119.09 करोड़ रु० मूल्य की 1233.0 लाख कि० ग्रा० चाय निर्यात हुई जबकि 1973 की इसी अवधि के दौरान 83.09 करोड़ रु० मूल्य की 1053.0 लाख कि० ग्रा० चाय निर्यात हुई थी।

Exemptions from payment of Customs Duty on Articles brought by Indians Living Abroad

1635. **Ch. Ram Prakash** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal under which the Indians coming from abroad will be exempted from payment of customs duty on low priced articles of daily use :

(b) whether Government are considering sympathetically the question of providing to Indians residing abroad, the facility of sending tractor or any other machinery to India so that they may bring their money to India; and

(c) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Indians coming from abroad are already allowed to import free of customs duty, used articles of personal wear (excluding jewellery and wrist watch) and articles in personal use for satisfying daily necessities of life.

(b) and (c) The Import Trade Control Policy for 1974-75 Vol. I, Section I, Paragraph 163 already contains a provision under which Indian nationals returning from or residing abroad and intending to set up small-scale industries in India are allowed to import machinery subject to certain conditions.

As regards import of tractors, in view of the fact that the position in respect of indigenous production of tractors has eased very much, a scheme for allotment of Agricultural tractors on priority basis against inward remittance of foreign exchange has been introduced with effect from 1-2-1975.

मंहगाई भत्ते की तीन किश्तों के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष

1636. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री बेंकारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महंगाई भत्ते की तीन किश्तों की घोषणा पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में कथित असंतोष की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में कर्मचारियों ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) इस आशय की रिपोर्ट देखने में आई हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्ग महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किश्तों की स्वीकृति के बारे में हाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कुछ पत्र भी प्राप्त हुए है।

(ग) चूंकि ये निर्णय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के पश्चात किये गये थे और सामान्यत: उनका स्वागत हुआ है, इसलिए इस मामले में कोई और आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेश दौरे

1637. **श्री सी० टी० दण्डपाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान विभिन्न मंत्रियों के विदेश दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) मंत्रियों के उक्त दौरों के प्रयोजन क्या थे; और

(ग) दौरों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) 1 अप्रल, 1974 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि की अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

काजू कारखानों का बन्द होना

1638. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री वयालार रवि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उद्योग को अपरिष्कृत काजू के अभाव के कारण, जिसका अधिकांश भाग अफ्रीकी देशों से आयात किया जा रहा है, गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या दक्षिण के चार राज्यों में स्थित 240 कारखानों में से 96 एकक बन्द हो गये हैं; और एक के वाद एक अन्य कारखाने वन्द होने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो इस वारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। अपेक्षित मात्रा में काजू का आयात करने में समस्याएं हैं।

(ख) चूंकि काजू साधितकर्ता उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्चा काजू पर्याप्त मात्रा में उलपब्ध नहीं है, अतः कुछ एककों का आंशिक रूप में तथा समय समय पर बंद होना उद्योग की एक सामान्य बात है। यह स्थिति इस वर्ष और भी बिकट हो गई है क्योंकि कुछ अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू के आयात संबंधी व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) काजू की सप्लाई के लिए कीनिया के साथ प्रबंध किया जा चुका है और तंजानिया तथा मोजम्बीक के साथ वार्ताए चल रही हैं। मार्च, 1975 के प्रारंभ में तंजानिया तथा मोजम्बीक से एक प्रतिनिधि मंडल आने की आशा है जबकि उद्योग के लिए कच्चे काजू की शीघ्र सप्लाई पुनः शुरु करने के लिए भ रसक प्रयत्न किये जाएंगे।

अलग से नये क्षेत्रों में रोपण सहित विभिन्न स्कीमों के जरिए स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाय जा रहे हैं। तथापि, इन परियोजनाओं में उत्पादन आरंभ होने में लम्बा समय लगेगा।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में विकास परियोजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण

1639. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार, और 31 जनवरी, 1975 तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में व भिन्न विकास परियोजनाओं के लिये विभिन्न एजसियों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(ख) क्या इस राशि का सही ढंग से उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका तत्काल तथा सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के फैजावाद जिले में ऐसी कौन सी विकास परियोजनाएं हैं जहां वर्ष 1974-75 की अन्तिम तिमाही और वर्ष 1975-76 में जीवन बीमा निगम का विचार ऋण के लिये राशि देने का है और प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में और 31 जनवरी, 1975 तक जीवन बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश के फैजावाद जिले में स्थानीय निकायों को

अपने जल-पूर्ति तथा मल निकास व्यवस्था योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए निम्नलिखित ऋण दिये :

वर्ष	स्थानीय निकाय का नाम	रकम
		रु०
1971-72 .	—	कुछ नहीं
1972-73 .	गोसाई गंज	18,000
यथोपरि	जलालपुर	37,000
	जोड़	55,000
1973-74 .	गोसाई गंज	11,000
यथोपरि .	जलालपुर	18,000
	जोड़	29,000
1-4-1974 से 31-1-1975 तक .	—	कुछ नहीं

(ख) जीवन बीमा निगम को दी गयी सूचना से, यह देखा जाता है कि संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा उपर्युक्त ऋणों का उपयोग अपनी जल पूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है ।

(ग) 1974-75 की अन्तिम तिमाही में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में ऋणों का वितरण संभवतः इस प्रकार किया जायेगा :—

नगर पालिका का नाम	रकम
	रु०
गोसाईगंज . .	20,000
जलालपुर . . .	40,000
जोड़	60,000

जीवन बीमा निगम को हाल में, फैजाबाद जिले के अकबरपुर में एक कताई मिल लगाने के लिए कुल मिलाकर 280.75 लाख रु० का सावधिक ऋण मंजूर करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव को अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रुप से छानबीन की जा रही है ।

मध्य वर्ग-पर्यटक होटलों की स्थापना

1640. **श्री आर० पी० उलगम्बी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अधिक 'मध्यवर्ग-पर्यटक-होटल' स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये होटल किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) धन उपलब्ध होने, सीमेंट पर लगे प्रतिबंध के हटाये जाने, तथा संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने की हालत में भारत पर्यटन विकास निगम का 1975 के दौरान सिलिगुड़ी, चण्डीगढ़ तथा पांडीचेरी में मोटलों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

भारतीय व्यापार दल का कोरिया का दौरा

1641. **श्री वनमाली बाबू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार दल ने इस वर्ष फरवरी में कोरिया का दौरा किया था;

(ख) क्या व्यापार में वृद्धि के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच कोई करार हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) 1975 हेतु भारत-कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य व्यापार संलेख में यह निर्धारित किया गया है कि 1975 के दौरान 38 करोड़ रु० का कुल दुतरफा व्यापारिक लेन-देन होगा। इस संलेख के अनुसार भारत द्वारा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को टायर तथा ट्यूबों, विभिन्न रासायनिक पदार्थों, मशीनों, बेयरिंग्स, तार रस्सों आदि जैसी अनेक अपरम्परागत मदों का निर्यात किया जायेगा और कोरिया जिंक, इस्पात तथा इस्पाती उत्पादों, मैगनिशिया क्लिंकर और अन्य औद्योगिक कच्चे मालों का आयात किया जायेगा।

यूरोप की मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कार्यवाही

1642. **श्री नूरूल हुडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि 1975 में यूरोप के पूंजीवादी देशों में गंभीर मंदी और भारी आर्थिक अव्यवस्था होने की संभावना है; और

(ख) ऐसी स्थिति के संभावित प्रभाव से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाये रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। सरकार को युरोपीय देशों की आर्थिक संभावनाओं से संबंधित रिपोर्टों और पूर्वानुमानों की जानकारी है।

(ख) युरोपीय देशों में मंदी की प्रवृत्तियों का भारत द्वारा इन देशों को किये जाने वाले निर्यात के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। किन्तु हमारे द्वारा बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों और किस्म आदि में सुधार करने की हर कोशिश की जा रही है ताकि मंदी के असर का मुकाबला किया जा सके।

पीतल और कलाकृत बर्तनों की बाजार में मन्दी

1643. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये निर्यात क्रयादेशों के अभाव के कारण देश के पीतल और कलाकृत बर्तनों के बाजार में मन्दी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

5—11 LSS(ND)/75

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल का औद्योगिक वातावरण

1644. श्री टुना उराव :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल का औद्योगिक वातावरण तनाव रहित हो रहा है; और

) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिमी प्रदेश के अन्य राज्यों को औद्योगिक निवश के लिये जिस प्रकार ऋण दियें जाते हैं उसी प्रकार इस राज्य के लिये भी दियें जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए, अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर सम्मिलित रुप से अथवा अकले ही ऋण मंजूर करता है। ऋण मंजूर करने से पुर्व, जीवन बीमा निगम ऋण लेने वाली कम्पनी की वित्तीय स्थिरता, पुँजी की सुरक्षा और उस पर अच्छे लाभ के संबंध में अपना समाधान करता है। कम्पनी के स्थान का औचित्य केवल उसकी लाभदायिता की संभावनाओं के संबध में आंका जाता है।

2. जीवन बीमा निगम ने इस वर्ष 31 जनवरी, 1975 तक पश्चिम बंगाल की औद्योगिक संस्थाओं को कुल मिलाकर 400 लाख रु० का ऋण मंजूर किया है।

Submission of Memorandum by All India Bank Employees Association

1645. Shri Ramavatar Shastri : Will the Mninister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the All India Bank Employees Association has submitted any memorandum to him recently;

(b) if so, the main points thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) Perhaps the Hon'ble Member is referring to the two pamphlets, one on "national policy for agricultural credit in national interest" and the other on "Ills of bank credit-corrective masures", brought out in November, 1974, by the All India Bank Employees Association. The emphasis in the first pamphlet was on achieving coordination between the existing cooperative credit system and the commercial banks and the provision of credit in rural areas through the commercial banking system in an integrated manner, while in the second pamphlet it was pointed out that large industrial and commercial houses continue to enjoy the bulk of the credit available from the commercial banks inspite of nationalisation. The second pamphlet also recommended certain measures such as greater recourse to bills re-discounting scheme avoiding the possibility of double finance, strengthening the capital base of the corporate sector, greater scrutiny of the information furnished by these houses for obtaining bank loans to avoid excessive finance being provided to such houses etc.

The points made in the pamphlets referred to above are constantly kept in view while formulating the credit policy of the Government and during its implementation by the scheduled commercial banks.

विदेशी ऋण

1646. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा दिये गये ऋण अभी बकाया हैं और वे ऋण किस प्रयोजन के लिए दिये गये थे।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : एक अनुबन्ध संलग्न है, जिसमें उन देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम दिये गये हैं, जिन्होंने भारत को ऋण दिये हैं और जिनके ऋण इस समय बकाया हैं। ये ऋण विद्युत उत्पादन, इस्पात, कोयले, भारी मशीनों के निर्माण, इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, रसायन और अन्य उद्योगों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके खेती की उपज बढ़ा कर परिवहन और संचार आदि जैसे आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाकर तथा औद्योगिक उपक्रमों व उर्वरकों आदि की संघटकों, कच्चे माल, फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा करके आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए दिये गये थे।

विवरण

देश का नाम

(क) विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण

1. आस्ट्रिया
2. बेलजियम
3. कनाडा
4. डेनमार्क
5. जर्मन संघीय गणराज्य
6. फ्रांस
7. इटली
8. जापान
9. नीदरलैण्ड
10. स्वीडन
11. ब्रिटेन
12. संयुक्त राज्य अमेरिका
13. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक
14. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
15. स्विटजरलैण्ड
16. बहरीन
17. कातार

(ख) वस्तुओं के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण

1. चेकोस्लोवाकिया
2. पोलैण्ड
3. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ
4. यूगोस्लाविया

(ग) रुपयों में चुकाए जाने वाले ऋण

1. डेनमार्क

बम्बई गोदी में पालिस्टेर चीप्स का जमा होना

1647. श्री वसन्त साठे :

श्री धामनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के 900 मीटरी टन से अधिक पोलिस्टर चिप्स बम्बई गोदी में जमा हो गये हैं और सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने उन्हें बिना जब्त किये अथवा नीलामी किये आठ महीने से भी अधिक समय से रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ग) क्या पोलिस्टर चिप्स का, पोलिस्टर फिलामेंट, उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के रुप में आयात किया जाता है और उसे इस प्रकार से रोके जाने के परिणामस्वरुप इस एककों की उत्पादन क्षमता का क्या उपयोग हुआ है तथा इससे पोलिस्टर यार्न की कीमतें 20-30 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर लगभग 170 रुपय प्रति किलोग्राम हो गयी है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 267 मीट्रिक टन पोलिस्टर चिप्स, जिनका लागत-बीमा भाड़ा सहित मूल्य लगभग तीस लाख रुपये है, पिछले लगभग छः महीनों से इस बात की जांच के लिए निकास के बिना बम्बई में पड़े है कि उनका आयात लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किया गया। है अथवा नहीं।

(ग) और (घ) आयात किया गया माल, पोलियस्टेर तंतु उद्योग में इस्तेमाल किये जाने के लिए कच्चा माल है। इनका आयात, निर्यात गृहों को जारी किये गये आयात लाइससों पर, उनके मशीन ी आदि जैसी उन मदों के निर्यात के प्रति किया गया है जिनके उत्पादन में वस्त्र की कोटि के पोलिएस्टर चिप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे बहुत से कारण हैं जिनका प्रभाव पोलिएस्टर तन्तु धाग के उत्पादन और मूल्य पर पड़ता है, और इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि इस मामले में, एकमात्र कारण, उल्लिखित माल को रोके रखना है।

भारत-बंगला देश व्यापार समझोता

1648. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश व्यापार समझौते के अनुसार गैर-सरकारी एजेन्सियों को बहुत से लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन पार्टियों को कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) भारत-बंगला देश व्यापार समझौते का कार्य किन किन सरकारी कार्यालयों द्वारा देखा जात है और वे कहां कहां पर स्थित हैं; और

(घ) इन सरकारी एजेंसियों के अध्यक्षों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बंगला देश के साथ हुए सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत जिन पार्टियों को लाइसेंस दिय गये थे उनके नाम निकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज में प्रकाशित किय जाते हैं जो आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अंक-संकलन निदेशक द्वारा प्रकाशित की जाती है।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार के विभन्न मंत्रालय/विभाग तथा, विदेश मंत्रालय/वित्त/वाणिज्य और उनके अन्तर्गत संगठन तथा, आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक और कलकत्ता स्थित उसका क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०, भारतीय पटसन निगम लि०, कलकत्ता और स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता आदि।

जाली मुद्रा का पकड़ा जाना

1649. श्री ई० आर० कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में देश में कुल कितनी राशि की जाली मुद्रा पकड़ी गयी;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1974-75 में दिसम्बर 1974 तक पुलिस द्वारा विभिन्न छापो में 98,326 रुपये के मूल्य के जाली करंसी नोट पकडे गये और 29,237 रुपये के नोट चलन से बरामद किये गये।

(ख) 65 व्यक्ति।

(ग) करंसी व बैंक नोटों की जालसाजी के अपराधों के प्रसंग में इस देश के कानून में पहले से ही निवारक दण्ड की व्यवस्था है। ऐसे मामलों पर राज्यों के पुलिस अधिकारी बराबर नजर रखते हैं और जब जब उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा जाली नोट बनाये जाने की सूचना मिलती है तब तब वे छापे मारते है। केन्द्रीय जांच व्यूरों भी मुद्रा की जालसाजी में अपनाये जाने वाले विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रखा तथा बाजार में ऐसी मुद्रा के आने की समय-समय पर जांच कर भारतीय मुद्रा की जालसाजी की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है। उसने जाली नोट बनाने के घोर अपराधों की छानबीन करने तथा राज्यों में की जाने वाली जांच पड़ताल के काम में समन्वय लाने के लिए अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा में एक कार्यालय भी खोला है।

प्रचलन में धन राशि

1650. श्री पीलू मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक प्रचलन में धनराशि का सही सही लेखा नहीं रखा जा रहा है;

(ख) क्या जाली नोटों की सामान्य घटनाओं के अतिरिक्त ऐसी अनेक घटनाओं का पता लगा है, जिन में दो-दो या तीन-तीन करेंसी नोटों पर एक नम्बर होता है; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इतनी बड़ी लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अगस्त-सितम्बर, 1974 में 5 रुपये के मूल्य के नोटों की ऐसी पांच गड्डियां मिली थी जिनमें से हर एक गड्डी में एक से नम्बरों वाले 19 नोट थे। पिछले कुछ दिनों में अन्य मूल्यों के एक ही नम्बर वाले दो या तीन नोटों के इक्का-दुक्का मामले भी सामने आये हैं। लेकिन ऐसे मामले विरले ही होते हैं। इस समय करेंसी नोट प्रेस में हर साल 440 करोड़ नोट छापे जाते हैं।

(ग) पूछताछ से यह पता चला है कि नम्बरों की पुनरावृत्ति नम्बरिंग मशीनों में खराबी आ जाने के कारण हुई और इसका पता बाद में की गयी जांच से भी नहीं चला। जिन कर्मचारियों ने यह गलती की थी उनके खिलाफ पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुरानी नम्बरिंग मशीनों की स्थान पर रोटरी किस्म की आधुनिक नम्बरिंग मशीनों लगाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को लाभ/हानि

1651. **श्री सी० क० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-75 के दौरान भारतीय पर्यटन निगम द्वारा देश में चलाये जा रहे प्रत्येक होटल में लाभ और हानि की स्थिति क्या रही;

(ख) क्या गोआ में सेंट जेवियर के शरीर को दर्शनार्थ रखने के सिलसिले में उन के मंत्रालय के विभिन्न निकायों द्वारा प्रायोजित विशेष पर्यटक कार्यक्रम लाभप्रद रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वर्ष 1974-75 के लिए लेखाखाते अभी बंद नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग ने गोवा में सेंट ज़ेवियर के शरीर के प्रदर्शन (एक्सपोज़ीशन के संबंध में किसी पर्यटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था हालांकि उस प्रदर्शन का प्रचार अवश्य किया था।

Arrears of Income Tax Against first 20 firms/Industries of Madhya Pradesh

1652. **Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the names of the first 20 firms and persons in Madhya Pradesh who owe maximum amount of Income-tax; and

(b) the concrete steps proposed to be taken by Government to recover the outstanding amount of Income-tax from them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The names of the first 20 assessees in the charges of the Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh I & II, Bhopal, against whom maximum amount of Income-tax (including Corporation-tax) arrears were outstanding as on 31-12-1974, are given in the Annexure.

(b) The following steps have been and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case :

(1) Requesting Appellate authorities to dispose of appeals on priority basis.

(2) Attachment of moneys due to the assessees.

(3) Attachment of movable/immovable properties belonging to the assessees.

(4) Auction sale of attached properties.

(5) Considering the possibility of detention of the assessees in civil prison.

Statement

Sl.No.	Names of the first 20 assessees against whom maximum amount of Income-tax (including Corporation-tax) arrears were outstanding as on 31-12-1974 in the Charges of the Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh I & II, Bhopal.
1	2
1	Shri P. D. Moda.
2	M/s. Mangalchand Hukmichand.
3	M/s. New Bhopal Textiles Co. Ltd.
4	M/s. Swayamberlal Motor Services (Pvt.) Ltd.
5	Shri Ramavilas Agarwal.
6	M/s. Paluram Dhanania.
7	The Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Wvg.) Co. Ltd.
8	Shri Hukmichand Chimanlal.
9	Shri Mangalchand Chimanlal partner of M/s. Mangalchand Hukmichand.
10	Shri Dhansukhbhai.
11	Shri Onkarlal Mishrilal.
12	M/s. Shree Sajjan Mills Ltd.
13	M/s. Sardarsingh Amarsingh.
14	M/s. Prabhudayal Sheonarain.
15	Sardar Kartarsingh.
16	M/s. Balwantsingh & Sons.
17	M/s. Sagarmal Spinning & Weaving Mills Ltd.
18	Shri Gapulal Jaiswal.
19	Sardar Jodhsingh.
20	M/s. Sadhana Traders.

कर अपवंचकों की गिरफ्तारी

1653. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर अपवचन के आरोपों में देश में, राज्यवार, वर्ष 1973-74 में और एक अप्रैल, 1974 से 31 जनवरी, 1975 तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) सरकार द्वारा कर अपवंचकों की कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई; और

(ग) इस मामले में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

राजस्थान में शुष्क पत्तन

1654. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुष्क पत्तन की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व किन-किन निष्पक्ष सिद्धांतों पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में शुष्क पत्तन स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुतकिया किया है; यदिहां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अलवर में प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल और बिजली उपलब्ध होने और भूमि की कम कीमत को ध्यान में रखते हुए वहां पर पत्तन स्थापित करने की उपयुक्तता पर गहराई से विचार किया है ?

वाणिज्यिक मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सिद्धान्त ये हैं, शुष्क पत्तन की जरूरत, इसके अन्तर्देश (हिन्टरलैंड) से निर्यात बढाने में उसका योगदान, अन्तर्देश से उपलब्ध निर्यात माल का परिमाण, निर्यात माल लाने ले जाने के लिए पत्तन पर अपेक्षित अवस्थापना पर्यावरण संबंधी प्रभाव, परियोजना का आर्थिक दृष्टि से चलने योग्य होना आदि ।

(ख) राजस्थान सरकार ने शुष्क पत्तन बनाने के बारे में जयपुर, अलवर, और भारतपुर का प्रस्ताव रखा है ।

(ग) अलवर सहित विभिन्न वैकल्पिक स्थलों की उपयुक्तता पर सरकार विचार कर रही है ।

वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

1655. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी वस्तुओं की कीमतों में बजट-पूर्व वृद्धि हुईहै;

(ख) क्या ऐसा बजट प्रस्ताव के लीक हो जानेसे हुआ है अथवा अन्य बातों से;

(ग) क्या कुछ पेटेंट ब्रान्ड की वस्तुयें बाजार से गायब करदी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ग) पेटेन्ट ब्रांड की किसी भी वस्तु के बाजार से गायब हो जाने का समाचार सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

तस्करी विरोधी समिति

1656. **श्री था किरुत्तिनन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त तस्करी विरोधी समिति ने हाल में बम्बई और मद्रास का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति ने क्या निर्णय किये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने तस्करी विरोधी कार्य संबंध में कोई उच्चाधिकार समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि वे तस्करी-विरोधी कार्य के संबंध में किये जा रहे उपायों की सतत समीक्षा करें और उनमें समन्वय कायम करें।

इस संबंध में कुछ विभागों के अधिकारियों के एक दल ने बम्बई और मद्रास का दौरा किया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के मिश्रितपूंजी अनुसूचित बैंकों को अर्थव्यवस्था के संयुक्त क्षेत्र में रखने के लिए किए गये प्रयास

1657. श्री जी० वी० नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के मिश्रित पूंजी (ज्वायंट स्टाक) अनुसूचित बैंकों को अर्थव्यवस्था के संयुक्त क्षेत्र में रखने के बारे में कोई प्रयास किय गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) माननीय संसद-सदस्य के ध्यान में सम्भवत: निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियों और परिसम्पत्तियों का सरकारी क्षेत्र के बैंकों में संविलयन/अन्तरण अथवा निजी क्षेत्र के बैंकों की शेयर-पूंजी में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बतलाया है कि निजी क्षेत्र के छोटे बैंकों के विषय में उसकी नीति यही बनी हुई है कि जब तक कुल मिलाकर इन बैंकों की वित्तीय एवंम् विकासीय क्षमता सन्तोष-प्रद बनी रहे, इन बैंकों को निरंतर विकसित होने दिया जाय और उनके विलय पर जोर नहीं दिया जाय।

जीवन बीमा निगम द्वारा निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता दिया जाना

1658. श्री ईरा सेझियान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र को आजतक कुल कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गयी;

(ख) दस एकाधिकार गृहों में से प्रत्येक के नियंत्रण के अधीन कम्पनियों को जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गयी; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी सहायता की बड़ी राशि एकाधिकार गृहों को मिलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा 1-9-1956 से तथा 31-12-1974 तक शेयरों का खरीदने की जिम्मेदारी के रूप में ऋणपत्रों तथा शेयरों में सीधे अंशदान करके, "हकदारी-शेयरों (राइट इस्यूज)" में अंशदान करके किये गये कुल निवेशों तथा गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को मंजूर तथा वितरित किये गये सावधिक ऋणों का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :—

मंजूर की गई रकम	वितरित की गई रकम
(करोड़ रु० में)	
232.69	177.20

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीदने की जिम्मेदारी के रुप में/ऋणपत्रों तथा शेयरों में सीधे अंशदान करके, "हकदारी शेयरों (राइट इस्यूज़)" में अंशदान करके किये गये कुल निवेशों तथा एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट, 1965 में उल्लिखित प्रथम दस एकाधिकार व्यापार समूहों की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को मंजूर तथा वितरित किये गये सावधिक ऋणों का ब्यौरा नीचे दिय अनुसार है :—

(करोड रु० में)

क्र० सं०	व्यापार समूह	मंजूर की गई रकम	वितरित की गई रकम
1.	टाटा	25.90	21.14
2.	बिड़ला	21.30	16.02
3.	मार्टिन बर्न	2.88	0.38
4.	बांगड़	5.37	4.62
5.	ए०सी०सी०	4.33	4.27
6.	थापर	1.10	1.02
7.	साहू जैन	1.09	0.09
8.	बर्ड हेलजर्स	1.02	0.52
9.	जे०के० (सिघानिया)	5.04	2.01
10.	सूरजमल नागरमल	0.33	0.29
	जोड़	68.36	50.36

(ग) पूर्वोक्त कम्पनियों में जीवन बीमा निगम के निवेशों के उच्च अनुपात का कारण यह है कि इन समूहों द्वारा नियंत्रित उद्यम अपने दूर-दूर तक फले कारोबार के कारण, निवेश के अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करते हैं ।

भारत और अमरीका के बीच पूंजी निवेश और व्यापार सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अमरीकी अध्ययन दल

1659. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अध्ययन दल ने हाल में भारत का दौरा किया और पूंजीनिवेश की सम्भावनाओं तथा दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया;

(ख) क्या अमरीका और भारत ने एक व्यापार परिषद् की स्थापना करना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो परिषद् की मख्य बातें क्या हैं; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित एक व्यापार मिशन ने अनेक अमरीकी खनन, निर्माण तथा मिट्टी हटाऊ उपस्कर के लिए और विशिष्ट अभिकरण प्रबंधों, वितरण व्यवस्था, संयुक्त उद्यमों तथा प्रत्यक्ष बिक्रियों की सभाव्यताओं का पता लगाने के लिए भारतीय बाजार का अध्ययन करने के लिए दिसम्बर, 1974 में भारत का दौरा किया।

(ख) जी हां। जनवरी, 1975 में हुई भारत-अमरीकी आर्थिक तथा वाणिज्यिक उप-आयोग की बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि एक संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना की जाए।

(ग) संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार तथा निवेश सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ेंगे।

(घ) यद्यपि व्यापार में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, सुनिश्चित रूप से यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि व्यापार में किस सीमा तक विस्तार होगा।

ऊनी कपड़ों का निर्यात बढ़ाने हेतु परियोजनाएं

1660. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक ऐसे स्थान का चयन किया गया है जहां केन्द्रीय सरकार का विचार ऊनी कपड़ों का निर्यात बढ़ाने हेतु स्थापित की जाने वाली तीन परियोजनाओं में से एक परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या राज्य को उसमें लगायी जाने वाली धनराशि में से कुछ धनराशि लगानी होगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) यद्यपि विशिष्ट रूप से ऊनी कपड़ों के निर्यात बढ़ाने हतु कोई परियोजना शुरू नहीं की जा रही है किन्तु यह विनिश्चित किया गया है कि पंजाब में लुधियाना में यू० एन०डी पी०सहायता से एक वूल डाइग तथा फिनिशिंग सयंत्र स्थापित किया जाये। इस प्रयोजन के लिए पंजाब सरकार ने लुधियाना में 4 एकड़ का एक स्थान चुना है।

(ग) जी हां।

एक कथित संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए सोने के आभूषण की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

1661. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू बजट सत्र में एक व्यक्ति तथा/या संयुक्त परिवार के सदस्यों के कब्जे में जो सोने के आभूषण हैं उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में एक विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

Export of Tractors to Turkey

1662. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of tractors in India;

(b) whether the International Tractor Company of India, Bombay is going to export 750 tractors to Turkey;

(c) whether tractors are likely to be exported to other countries also; and

(d) the reasons for the export of tractors when there is great demand for tractors in the country itself?

The Deputy Minister In the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir. The indigenous production of tractors is adequate to meet the effective current demand for tractors.

(b) Yes, Sir.

(c) There is proposal to export tractors to other countries also.

(d) In order to enable the Indian manufacturers to have a foothold in the foreign markets, tractors are being allowed for export in small numbers on merit. This export will not effect the availability of tractors in the country to any significant extent.

Seizure of Smuggled Goods

1663. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of the goods seized from smugglers as a result of the action taken against them during the past one year; and

(b) the amount of expenditure incurred by Government on the said campaign and the amount that accrued to the exchequer by the sale proceeds of the seized goods?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The value of the smuggled goods seized by the Customs authorities during the year 1974 was Rs. 6006 lakhs (provisional).

The staff exclusively posted for preventive and anti smuggling operation, is often reinforced by posting of some additional staff also. Therefore, it is not possible to give in clear-cut manner the expenses incurred on anti-smuggling drive.

Since the sale of seized goods has to wait till the disposal of appeals etc., it is not possible to indicate the amount that accrued to the exchequer by way of sale proceeds of goods seized during 1974.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य

1664. श्री एस० आर० दामाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1973-74 में उससे पहले के वर्ष की तुलना अपने में कार्य काफी सुधार दर्शाया है तथा चालू वर्ष में उनका कार्य कैसा है; और

(ख) क्या उनकी क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कार्य के वित्तीय परिणाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1973-74 वर्ष से सम्बन्धित सूचना अनुबन्ध I में दी गई है इन उद्योगों से यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में भी वे सुधार के इस क्रम को बनाये रखेंगे।

(ख) जी हां, सामान्यत: I अनुबन्ध I में उल्लिखित उद्यमों में से 121 बिनिर्माणकारी उद्योगों के बारे में यह सूचना अनुबन्ध II में दी गई है। चूंकि इनमें अन्य उद्यम विनिर्माणकारी कम्पनियां नहीं हैं इसलिये उनका क्षमता के उपयोग का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

(ग) 1973-74 वर्ष के सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध I में दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०--90/4575] 1974-75 के के लेखे अभी बन्द नहीं किये गये हैं।

चीनी का बाजार मूल्य

1665. डा० कर्णी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 तथा 1974 के दौरान कितनी चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) उसका किस मूल्य पर निर्यात किया गया;

(ग) इन वर्षों के दौरान भारत में खुले बाजार में चीनी का क्या मूल्य रहा; और

(घ) वर्ष 1975 के दौरान कितनी चीनी का निर्यात करने का विचार है तथा किस मूल्य पर और इस समय भारत में चीनी का क्या मूल्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973 तथा 1974 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा क्रमशः 2.49 लाख मे० टन और 4.87 लाख मे० टन थी।

(ख) हर सौदे की कीमतें अलग अलग होती हैं और सामन्यत: एल०डी०पी०कीमतों से बेची रही।

(ग) बम्बई में खुले बाजार में सफेद चीनी की थोक कीमतें अक्तूबर, 1973 की 348 रु० प्रति क्विंटल से सितम्बर, 1974 की 615 रु० प्रति क्विंटल तक के बीच विविध रूपी रहीं।

(घ) 1975 में निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा, कीमत और गन्तव्य स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा पूर्ति स्थिति पर निर्भर करेंगे। फिर भी स्वदेशी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कीमत पर यथासभव अधिक से अधिक मात्रा में चीनी का निर्यात करने के प्रयत्न किये जायेंगे ताकि विदेशी मुद्रा की आय को अधिक से अधिक बढाया जा सके।

बम्बई बाजार में 20-2-1975 को "डी" ग्रेड की सफेदी चीनी की कीमत 428 रु० प्रति क्विंटल थी।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन

1666. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता हवाई अड्डे पर भव्य टर्मिनल भवन निर्मित करने के संबंध में उनके मंत्रालय का प्रयोजन क्या था तथा उनकी योजना क्या थी;

(ख) अन्तर्देशीय उड़ानों के निर्धारित स्थान को बदलकर, अब इसे अधिकतर अन्तर्देशीय उड़ानों के लिए प्रयोग में क्यों लाया जा रहा है; और

(ग) उस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कौन से कारगर कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कलकत्ता विमान-क्षेत्र के नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन को कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की संभावित वृद्धि को ध्यान में रख कर ही बनाया गया था।

(ख) एयर-इण्डिया के अलावा, छः विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का उपयोग कर रही हैं। अन्तर्देशीय टर्मिनल भवन यातायात खपा सकने की चरमतम सीमा तक पहुंच गया था तथा यातायात अनुमानों के आधार पर इसका काफी विस्तार एवं सुधार करने आवश्यक हो गया। वित्तीय दबावों के कारण अन्तर्देशीय परिचालनों को अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन में, जहांकि स्थान उपलब्ध था, ले जाने का निर्णय किया गया था।

(ग) कलकत्ता विमानक्षेत्र से होकर और अधिक उड़ानें परिचालित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को आकर्षित करने के लिये इस विमानक्षेत्र पर और अच्छी सुविधाओं तथा आधुनिक एवं परिष्कृत दिक्चालन उपकरणों की व्यवस्था करने के निरंतर उपाय किये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

1667. **श्री बीरेन दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सभी सब-डिवीजन कसबों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखायें खोलने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शाखायें न खोलने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि त्रिपुरा के 10 सब-डिवीजन कस्बों में से हर एक में उक्त बैंक की शाखायें खोलने के बारे में उन्हें कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। इस समय तीन सब-डिवीजनल कस्बों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें है; जबकि अन्य स्थानों के साथ-साथ बाकी के 7 सब-डिवीजनल कस्बों में भी यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की शाखाएं मौजूद हैं।

पश्चिम बंगाल में संकट ग्रस्त चाय बागान

1668. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बहुत से चाय बागान बंद होने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो संकटग्रस्त चाय बागानों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) चाय बागानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चाय बोर्ड की तीन स्कीमें हैं अर्थात रोपण वित्त-पोषण स्कीम जिसके अन्तर्गत चाय क्षेत्रों के विस्तारण तथा/अथवा प्रतिस्थापन/पुनर्रोपण हेतु ऋण दिये जाते हैं, पुनर्रोपण उत्पादान स्कीम जिसके अन्तर्गत पुराने तथा अलाभकारी चाय क्षेत्रों के उन्मूलन तथा पुनर्रोपण हेतु उपदान दिया जाता है और चाय मशीनरी किराया खरीद स्कीम जिसके अन्तर्गत चाय उत्पादन के लिए किराया खरीद शर्तों पर मशीनरी दी जाती है। अनेक बागानों ने, जो कि इस समय कठिनाइयोंसे गुजर रहे हैं, चाय बोर्ड की इन वित्तीय सहायता स्कीमों का पहले ही लाभ उठा लिया है। जिन अन्य चाय बागानों ने इन स्कीमों से लाभ नहीं उठाया है, व इन स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, चाय उद्योग संबंधी टास्क फोर्स ने संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबंधकों नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी हैं। प्रस्थापना के फलितार्थों की जांच के लिए स्थापित समिति ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है।

लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

1669. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लेखा-परीक्षा तथा लेखा-विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिसम्बर, 1974 में की गई एक दिवसीय भूख हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूख हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) यह सूचना मिली है कि लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों के एक वर्ग ने कुछ कार्यालयों में दिसम्बर, 1974 में भूख हड़ताल की ।

(ख) अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा तथा लेखा-संघ ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी। संघ द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार भूख हड़ताल का उद्देश्य यह सूचित करना था कि वह सभी प्रकार के अत्याचार को समाप्त करना चाहता है और कर्मचारियों संबंधी समस्याओं के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए प्राधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अर्थपूर्ण वार्ता की शुरुआत चाहता है ।

(ग) इन घटनाओं को नोट किया गया है ।

कोयले का निर्यात

1670. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

डा० कर्णी सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में कोयले के निर्यात के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष में सम्भावित देशों से प्राप्त पेशकश का ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में कुल कितनी कीमत तथा किस्म का कोयला निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) इस समय पड़ोसी देशों को सीमति मात्रा में अकोककर कोयले का निर्यात किया जाता है । अन्य देशों को इसके निर्यात के प्रश्न का पुनरीक्षण देश की आवश्यकताओं तथा उपलब्धता को देखते हुए समय-समय पर किया जाता है । आने वाले वर्षों के लिए नीति पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ।

ब्रिटेन से सहायता

1671. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में बढ़े तेल के मूल्य से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये भारत को ब्रिटेन से कुल कितनी सहायता मिली; और

(ख) उक्त सहायता से तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया और किया जायेगा और तेल का आयात किन किन स्रोतों से किया गया और किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम): (क) 1974-75 के दौरान भारत को ब्रिटेन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य के रूप में तेल और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से गम्भीर प से प्रभावित होने वाले विकासशील देशों की सहायता करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघीय आपातकालीन उपायों के अन्तर्गत अभी तक 2 करोड़ पौंड देने की पेशकश की है।

(ख) उपर्युक्त सहायता का उपयोग फालतू पुर्जों, संघटकों और उर्वरकों जैसी अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए किया जायेगा। इस सहायता से तेल का सीधे आयात नहीं किया जायेगा।

बम्बई क्षेत्र के सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1672. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या वित्त मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई क्षेत्र में श्रेणीवार कितने सीमाशुल्क अधिकारियों को गत एक वर्ष में बम्बई सतर्कता अधिकारियों द्वारा आरोपपत्र दिये गये हैं ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1 जनवरी 1974 से 15 फरवरी 1975 तक की अवधि के दौरान बम्बई क्षेत्र में 11 राजपत्रित अधिकारियों तथा 15 अराजपत्रित अधिकारियों को बम्बई में सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा आरोप-पत्र जारी किये गये थे।

(ख) इन अधिकारियों के खिलाफ लगाये गये आरोपों के स्वरुप इस प्रकार हैं : आयात और निर्यात के मामले में झूठी जांच रिपोर्टें रिकार्ड करना असबाब की जांच में लापरवाही बरतना, वितरण के लिये सौंपी गयी वेतन राशि को खयानत करना, झूठे पत्तन-निकासी प्रमाण-पत्र जारी करना, तस्कर व्यापारियों की सहायता करना और उकसाना तथा विभागीय वाहन का दुरुपयोग करना।

जनता को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की साम्य पूंजी (इक्विटी) के शेयर खरीदनें की अनुमति

1673. **श्री मधु लिमये :**
श्री रानेन सेन :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण कपड़ा मिल राष्ट्रीकरण-विधेयक पर वाद - विवाद के दौरान दिये गये इस सुझाव पर विचार किया है कि जनता को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की साम्य पूंजी (इक्विटी) के शेयर खरीदने की अनुमति दी जाये ताकि पूंजी निवेश के मामले में सरकारी खजाने पर बोझ कम हो सके :

(ख) क्या लोगों को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में धनराशि जमा करवाने के लिये आमन्त्रित करने सम्बन्धी सुझाव पर भी विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने मैसर्स स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड की सामान्य शेयर पूंजी में जनता को भागीदार बनाने का निर्णय किया है। किन्तु सामान्य शेयर पूंजी अथवा ऋण पूंजी में जनता को भागीदार बनाने का अभी ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मयूर भवन और इन्द्रप्रस्थ में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कैन्टीन

1674. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर भवन और इन्द्रप्रस्थ भवन, डीविंग, नई दिल्ली में स्थित आयकर कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई कैण्टीन नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इससे इन कार्यालयों में काम करने वाले लगभग 1500 कर्मचारी प्रभावित होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर कैण्टीन की व्यवस्था शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने मयूर भवन में चार तल किराए पर ले रख है जो नई दिल्ली नगरपालिका के हैं। एक काम चलाऊ कैन्टीन चलाने के लिए भूतकाल में कोशिश की गई थी, परन्तु नई दिल्ली नगरपालिका ने इस पर आपत्ति उठाई। इस मामले पर उनके साथ दोबारा बातचीत चल रही है और तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक इन्द्रप्रस्थ भवन के डी० विंग का सम्बन्ध है खयाल है कि प्रश्न का आशय उस क्षेत्र में स्थित ड्रम-शेप बिल्डिंग से है। यह भवन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का है इसमें अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारी भी काम करते हैं। नजदीक ही लगभग 40-50 गज की दूरी पर स्थित एक अन्य बिल्डिंग में कैन्टीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी बिल्डिंग में कैन्टीन सुविधाएं उपलब्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए केन्द्रीय लोक कार्य निर्माण विभाग से पूछताछ की जा रही है।

उक्त दोनों इमारतों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए किये गये उपाय

1675. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए क्या उपाय किय गये हैं और इनसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ख) मूल्यों को कम न रख पाने में सरकार की असमर्थता के प्रायः क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मूल्यों में हाने वाली वृद्धि को रोकने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में जो उपाय किये गये हैं, उनका उल्लेख '1974-75 को आर्थिक समीक्षा' में किया गया है, जो हाल हो में संसद में पेश की गयो है। मुख्य रूप से इन्हीं उपायों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फितिकारी शक्तियां कुछ कमजोर हुई हैं, और पिछले साढ़े चार महीनों में थोक मूल्यों में लगभग 5.4 ितिशत की गिरावट आई है।

(ख) जिन कारणों से मूल्य सम्बन्धी स्थिति और खराब हो गयो, उनमें से मुख्य ये हैं :– 1971-72 और 1972-73 में कृषि उत्पादन में कमो, 1973-74 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का वस्तुतः रूक जाना और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम की वस्तुओं, उर्वरकों और धातुओं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होना। इसके अलावा, मुद्रा पूर्ति में भी वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के विकास की दर की तुलना में बहुत अधिक थी। अब चूंकि मुद्रा पुर्ति को वृद्धि दर रूक गयो है, रबो की फसल के आसार अच्छे हैं, औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होनो आरम्भ हो गयो है, और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा प्रतिकूल नहीं है, इसलिए मुद्रास्फोति के दबावों पर अब पहले से अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है।

6—11 LSS (ND)/75

भूकम्प की पूर्व चेतावनी देने के लिए वैज्ञानिक उपकरण

1676. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अथवा किसी अन्य देश में ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण है जो कि आने वाले भूकम्प की पूर्व चेतावनी दे सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे उपकरण की सम्भावना की खोज करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) किसी भी देश में अभी तक कोई ऐसा विश्वासनीय वैज्ञानिक यंत्र तैयार नहीं किया गया है जो कि भावी भूकम्प की अग्रिम चेतावनी दे सके। तथापि, भूकम्प भविष्यवानी पर कई देशों में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में हो रही आधुनिकतम प्रगति से अपने आप को परिचित रख रहे हैं।

शुष्क पत्तनों की स्थापना

1677. श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शुष्क पत्तनों की स्थापना संबंधी कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के शुष्क पत्तन किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) तत्संम्बन्धी वित्तीय अनुमान क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) स्थल पत्तन स्थापित करने का सिद्धांत रूप में विनिश्चय किया जा चुका है, पर स्थान के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

(ग) सरकार वैकल्पिक स्थानों के वित्तीय फलितार्थों का अध्ययन कर रही है।

बढ़ते हुए महंगाई भत्ते की मांग को रोकने सम्बन्धी नीति

1678. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता वृद्धि की मांग को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसे किस स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि "यदि मूल्य स्तर की 12 मास की औसत 272 से (1960=100) बढ़ जाये तो सरकार को स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि महंगाई भत्ते की योजना आगे बढ़ाई जाए या वेतनमानों का ही संशोधन किया जाए। सूचकांक 272 के पार हो जाने पर, महंगाई भत्ते के प्रश्न पर सभी पहलुओं से फिर से विचार किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों को हुए लाभ अथवा हानियां

1679. श्री सी० जनार्दन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 और 1974-75 में लाभ अथवा हानि दिखाने वाले सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो आरम्भ से ही हानि में चल रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन उपक्रमों के कार्यकरण की कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) सरकारी उद्यमों के नाम और उनके द्वारा 1973-74 के दौरान अर्जित लाभ अथवा उठाई गयी हानि का ब्यौरा अनुबन्ध I में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 9046/75**] 1974-75 के लेखे अभी बन्द नहीं किये गये हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध II में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9046/75**]

(ग) और (घ) सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन पर सरकार निरन्तर ध्यान रखती है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :– प्रोद्योगिकी समस्याओं को दूर करना ; औद्योगिक सम्बन्धों और अभिप्रेरणा में सुधार करना, मशीनें बन्द रहने का समय कम करने के लिये बेहतर निवारक अनुरक्षण की व्यवस्था, विपणन सम्बन्धी प्रयास जिनमें मांग कम होने की स्थिति में विविधीकरण और निर्यात भी शामिल हैं, बिजली और कच्चे माल की अधिक अच्छी सप्लाई सुनिश्चित करने के उपाय करना, सामग्री और संसाधनों का और अधिक कुशल प्रबन्ध करना।

दिल्ली में चार्टर्ड अकाउन्टन्ट द्वारा आयकर का भुगतान

1680. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में कितने चार्टर्ड अकाउन्टेटों/चार्टर्ड अकाउन्टेट कम्पनियों पर आयकर लगाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उनमें से अधिकांश, आयकर अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मात्र एजेन्ट का काम करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों की सम्पत्तियों की जांच करने का है ताकि उनके आय संसाधनों और ठीक आय का पता लग सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में 815 चार्टर्ड लेखाकारों/चार्टर्ड लेखाकार कम्पनियों का आय-कर निर्धारण किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, ऐसी सूचना मिलने पर जिससे किसी विशेष मामले में छानबी करने का औचित्य हो, उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

Director of Nationalised Banks and Public Financial Institutions Represented in J. K. Synthetics Limited Kota, Rajasthan

1681. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the Directors of nationalised banks and public financial institutions represented in the J. K. Synthetics Limited, Kota, Rajasthan.

(b) the number of shares held by the nationalised banks and financial institutions in J. K. Synthetics Limited, Kota; and

(c) the names of all the Directors of J. K. Synthetics Limited, Kota?

The Deputy Minister in The Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) According to the information available as at the end of December, 1974, there was no director on the Board of M/s. J. K. Synthetics Ltd., Kota representing the public sector banks and the public financial institutions.

(b) The number of shares of the Company held by the public sector banks and the public financial institutions are as under :

Name of the Institution	Number of Shares	
	Equity (Rs. 10/- each)	Preference (Rs. 100/- each)
The Unit Trust of India (as at the end of December 1974) . .	2,38,441	25,500
The Life Insurance Corporation of India (as on date) . . .	3,00,303	
The public sector banks (shares held as pledgee as on 30-9-1972) .	46,470	

(c) As per the balance sheet of the Company for the year ending December, 1973 available with Government, the Board of Directors of the Company comprised the following persons :

Shri G. K. Singhania (Chairman)
Shri Bhim Singh
Shri C. Jhunjhunwala
Shri R. Ramakrishna
Shri V. B. L. Mathur
Dr. J. R. Steiger (Alternate Shri P.D.C. Rana)
Shri Narendrajit Singh
Shri Sohan Lal
Shri H. S. Singhania
Dr. Gaur Hari.

Share-Holdings of Nationalised Banks and Financial Institutions in D.C.M. Rayons and D.C.M. Fertilizers

1682. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the share holdings of the nationalised banks and pubilc financial institutions in the D.C.M. Rayons and D.C.M. Fertilizers Kota, Rajasthan; and

(b) the names of the nationalised banks and public financial institutions which are represented on the Board of Directors of the said concerns?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b) Presumably, information has been sought in respect of the rayon and the fertiliser units of Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. Details of the share-holding of the public financial institutions in Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. are as below :

Name of the Institution	Equity Shares		Preference Shares	
	No. of shares	Face Value (Rs. in lakhs)	No. of shares	Face Value (Rs. in lakhs)
The Life Insurance Corp. of India .	7,14,759	178.69	1,94,547	48.64
The Unit Trust of India . . .	1,50,810	37.70	1,30,648	32.66

Of the five all-India term lending public financial institutions only the IDBI has nominated one representative on the Board of Directors of the Company.

Information about the shareholding of the nationalised banks in the company and their representatives, if any, on the Board of Directors of the Company is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent and in the manner available.

मफत लाल ग्रुप द्वारा आयकर अपवंचन

1683. **श्री लालजी भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मफतलाल ग्रुप ने कर्मचारियों को वेतनेत्तर लाभो के रूप में भारी राशि दिखाने की युक्ति अपनाई है और इस प्रकार सरकार को अन्यथा देय आयकर और अन्य करों से बचाव किया है ;

(ख) क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 'वेतनेतर लाभों' के रूप में व्यय के मद पर दिखाई गई वास्तविक राशि का वर्षवार और कारखानेवार पता लगाने का सरकार का विचार है ;

(ग) अधिकारियों के वेतन पर 'वेतनेत्तर लाभों' के रूप में दिखायी गयी राशि का कुल कितने प्रतिशत व्यय किया गया ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'वेतनेत्तर लाभों' के रूप में अपने खातों में दिखाई गई और कर अधिकारियों को प्रस्तुत कुल राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या मफतलाल ग्रुप पर ऐसे व्यय के लिए कोई अधिकतम सीमा लगाने का सरकार का विचार है, और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 'वेतनेत्तर लाभों' के रूप में खर्चे में दिखाई गई वास्तविक रकम निश्चित कर ली गई है और उसकी स्वीकार्यता की जांच, समूह के विभिन्न एककों के कर-निर्धारण के दौरान की जाती है ।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) इस मामले में कानून सभी कर-विर्धारितियों पर समान रुप से लागू होता है ।

जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा मफतलाल ग्रुप के कारखानों के मंजूर किए गए ऋण

1684. **श्री लालजी भाई** : क्या वित्त मंत्री 22 नवम्बर, 1974 के जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा मफतलाल ग्रुप के कारखानों के लिए मंजूर किये गये ऋणों के बारे में अतारांकित प्रश्न सं० 1723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अन्तिम पैरा में जिस जानकारी को एकत्रित करने का बचन दिया गया था, वह एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण के रुप में कुल कितनी राशि मंजूर की गई और उसका प्रयोजन क्या था ;

(ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का क्या निश्चित उत्तर है ;

(घ) क्या उस ग्रुप को विशिष्ट प्रयोजन के लिए भारी धनराशि ऋण के रुप में दी गई है, परन्तु उस राशि का उचित प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ङ) क्या सरकार उस एजेन्सी की रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त की गई थी कि ऋणों का उचित उपयोग हो ; और

(च) क्या ऋणो का दुरुपयोग करने के बारे में सरकार का विचार जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय म उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) जी, हां। अपेक्षित सूचना 22-11-74 को पूछे गये प्रश्न संख्या 1723 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में अलग से सदन-पटल पर रखी जा रही है

(ख) 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के तीन वर्षों में शेष वित्तीय संस्थाओं में से किसी ने भी मेसर्स मफतलाल ग्रुप आफ मिल्स को कोई भी ऋण मंजूर नहीं किये थे

(ग), (घ), (ड.) और (च) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है कि क्या आई०सी० आई० सी०आई० द्वारा दिये गये ऋण उस विशिष्ट उद्दश्य के लिये इस्तेमाल किये गये थे जिसके लिये वे मंजूर किये गये थे। सूचना एकत्रित होने पर सदन-पटलपर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में हावड़ा के लघु उद्यागों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

1685. श्री एन० ई० होरो :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल में हावड़ा के लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त तक ऐसे कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े थे।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में बैंक-ऋण-प्रवाह विषयक जिलेवार सूचना कुछ समय के बाद सुलभ होती है। हावड़ा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए बकाया अग्रिमों के बारे में इस समय जो सूचना सुलभ है, वह दिसम्बर की आखिरी तारीख तक की ही है। उक्त तिथि को बकाया अग्रिमों की राशि 857.61 लाख रू० थी।

(ख) आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली में बैंकों की शाखाओं के पास विचाराधीन आवेदन-पत्रों के विषय में सूचना संकलित करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बराबर यह प्रयास रहा है कि ऋण आवेदन-पत्रों के निपटान में परिहार्य देरी को दूर किया जाय।

Discontentment Amongst the staff of Bharatpur Branch of United Commercial Bank

1686. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is great discontentment and resentment amongst the staff of the Bharatpur branch of the United Commercial Bank on account of anti-employees policy of the Bank Manager ;

(b) whether a number of trade union organisations have drawn the attention of higher authorities of the Bank towards the attitude of the Manager;

(c) if so, the nature of the complaints made; and

(d) the action taken by Government for redressing their grievances?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) United Commercial Bank has reported that as the Bharatpur Branch has not been functioning satisfactorily for some time past, certain measures have been taken by the Manager to enforce discipline among the staff with a view to ensure its proper working. This is reported to have led to some discontentment and unrest among the members of the staff of the branch.

(b) and (c) Some of the local trade union organisations functioning in the area are reported to have made representations to the bank supporting the employees of the Bharatpur branch of the bank.

(d) The bank has deputed a senior officer of the bank to investigate into the matter.

केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा खोलने की मांग

1687. **श्री वयालर रवि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्ण शाखा खोलने के लिए उस राज्य की जनता की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने सिद्धान्ततः यह निर्णय कर लिया है कि त्रिवेन्द्रम में उनके नियमित कार्यालय के भवन का निर्माण दो चरणों में पूरा किया जाय। प्रथम चरण में, त्रिवेन्द्रम में पहले से ही कार्यरत वर्तमान विभागों अर्थात् बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि-ऋण विभाग को इस भवन में स्थान दिया जायेगा और जैसे ही यह भवन तैयार हो चुकेगा, वहां पर मुद्रा और सिक्कों के विनियम की पूरी सुविधायें देने के लिए निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेंट) का एक उप-कार्यालय (सब-आफिस) भी खोल दिया जायेगा। जहां तक अन्य विभागों का संबंध है, वे यथावश्यक रूप से यथासमय खोल दिए जाएंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ता

1688 **श्री. अनन्तराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी हुई है और समयोपरि भत्ते में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में दिये गये समयोपरि भत्ते (ओवर टाइम) की जो राशि 1969 में 407 लाख रुपये थी वह 1973 में बढ़कर 844 लाख रुपये हो गई। समयोपरि भत्ते की अदायगी में गत वर्षों में हुई इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण बैंकों द्वारा बताये गये हैं :—

(क) बैंकों के कारोबार में वृद्धि ;

(ख) शाखाओं का व्यापक विस्तार और साथ ही साथ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि ; और

(ग) वेतन और मंहगाई भत्ते में वृद्धि (वेतन और मंहगाई भत्ते के आधार पर समयोपरि भत्ते का हिसाब लगाया जाता है)।

बैंकों ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता और समयोपरि भत्ते की अदायगी के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं मालूम होता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी करना मुख्य रूप से कुछ काम मौसमी होने, काम लगातार एक ही मात्रा में न आने और प्रत्येक

दिन का काम उसी दिन समाप्त करने की अनिवार्यता के कारण जरुरी हो जाता है । बैंकों के कारोबार के इन स्वाभाविक कारणों के अलावा, समयोपरि भत्ते की अदायगी कई अन्य बातों पर निर्भर होती है, जैसे :—(क) सामान्य से अधिक गैर हाजरियां, (ख) कर्मचारियों की भरती संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति का समयसाध्यता के कारण कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि न होना, और (ग) नियुक्त किये गये कर्मचारियों को कार्यकुशलता प्राप्त करने में समय लगना आदि।

ऋण नीति में परिवर्तन

1689. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओवरड्राफ्ट पर प्रतिबन्ध लगने और जमा राशि से अधिक राशि अस्थायी रूप से निकालने पर रोक लगने के कारण लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार ऋण नीति में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी): 29 अक्टूबर, 1974 को वर्तमान व्यस्त मौसम के लिए ऋण-नीति घोषित करते समय भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे पैमाने के उद्योग एवम् अन्य छोटे ऋणकर्त्ताओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को और ऋण देने के वास्ते चयनात्मकता के आधार को व्यापकतर बनाने की आवश्यकता के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर जोर दिया था । इस नीति-तंत्र के अन्तर्गत "कोर सेक्टर" और "वेज गुड्स" उद्योगों के लिए उत्पादन करने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एकको की अपेक्षाकृत कम-आवश्यक वस्तुओं के उत्पादक एककों के मुकाबले तरजीह दी जाती है । इसके अतिरिक्त बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि छोटे उद्योग को प्राथमिकता देने की यथावत् नीति को लागू करते समय, उसे परिष्कृत किया जा सकता है, ताकि 10 लाख रुपये और उससे कम ऋण-सीमा वाले एककों विशेषत: इससे अधिक लाभान्वित हो सकें ।

वर्ष 1973–74 में कृषकों को ऋण देने की प्रतिशतता में वृद्धि

1690. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1972–73 की तुलना में वर्ष 1973–74 में कृषकों को ऋण देने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है और यदि हां तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी): हाल के ताजा आंकडों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष बकाया कृषि अग्रिम दिसम्बर, 1972 के अंत में 268.94 करोड़ रुपये थे । ये अग्रिम दिसम्बर, 1973 के अन्त तक बढ़कर 379.70 करोड़ रुपये हो गये । इस प्रकार इस वर्ष के दौरान 41.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विमानों की खरीद

1691. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस में विमानों की कमी की वजह से इण्डियन एयरलाइंस को कुछ वायु-मार्गों पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी थी, जिस से विमान ईंधन की कीमत में हुई वृद्धि की वजह से भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या ईंधन और अन्य उपकरणों पर कम खर्च वाले, परन्तु अधिक संख्या में सीटो वाले नये विमानों को खरदने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो किन कम्पनियों के साथ बात-चीत चल रही है ; और

(ग) क्या क्रयादेश दिये जाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विमानन ईंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि तथा इण्डियन एयरलाइंस द्वारा वाइकाउंट एवं डकोटा विमानों को क्रमश: हटा देने के निर्णय के कारण, कारपोरेशन को अपनी समयावली को नया रूप देना पड़ा जिस के परिणामस्वरूप 16 नगरों के लिये विमान सेवाओं की काट-छांट तथा 18-3-1974 से कुछ अन्य नगरों के लिये सेवाओं की आवृति में कमी हुई। 1-11-1974 से लागू शीतकालीन समयावली में इन 16 नगरों में से किसी के लिये भी पुन: सेवाएं चलाना संभव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइंस इस समय अपने अत्यधिक सघन मुख्य मार्गों पर परिचालन के लिये अपने विमान बेड़े में संभावित समावेश के लिये चोड़ी-बाडी वाले विमानों का विस्तृत अध्ययन करने में लगी हुई है। परन्तु प्राप्त किये जाने वाले विमानों की संख्या तथा टाइप के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अनधिकृत विद्युतचालित करघों का नियमित किया जाना

1692. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 के दौरान अनधिकृत विद्युतचालित करघों को नियमित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुदध वस्त्र आयुक्त, बम्बई ने क्या कार्यवाही की है और ऐसे अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या वस्त्र आयुक्त कार्यालय बम्बई के उन अधिकारियों के विरुदध सरकार ने कोई कार्यवाही की है, जो अनधिकृत रूप से विनियमित करने के इन कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह):(क) तथा (ख) 1972 तथा 1973 में किसी अनधिकृत शक्ति चालित करघे को नियमित किए जाने के बारे में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आई है। वस्त्र आयुक्त अथवा सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लिमिटेड के शेयर

1693. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लिमिटेड द्वारा शेयर जारी करने में पंजाब नेशनल बैंक की अन्तर्ग्रस्तता के बारे में सरकार ने कोई जांच की है ; और

(ख) इस कार्य में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि एक पंजीकृत सहकारी समिति "प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लिमिटेड" ने, उससे (पंजाब नेशनल बैंक से) अनुरोध किया था कि वह अपने सामान्य प्रभारों पर, उक्त समिति के शेयर आवेदनों की रकम स्वीकार करने के वास्ते समिति के बैंकर्स के रूप में काम करे। बैंक नें इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जनता को शेयर जारी करने वाली कम्पनियों को, बैंकों द्वारा सामान्यत: ऐसी सुविधा प्राप्त करा दी जाती है। तदनुसार बैंक की भरतपुर शाखा में समिति का मुख्य खाता खोला गया और बैंक द्वारा, अपनी 102 शाखाओं को, जनता से प्राप्त शेयर-आवेदन पत्रों की राशि एकत्र करने के लिये निर्देश जारी किए गए।

पंजाब नेशनल बैंक ने आगे सूचित किया है कि पता चला है कि बाद में, कुछ आवेदक भरतपुर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने समिति की प्राथमिकता के संबंध में आपना सन्देह व्यक्त किया। भरतपुर पुलिस ने समिति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 और 468 के अन्तर्गत छल

(चीटिंग) का एक मामला भी दर्ज किया है और पुलिस जांच जारी है। समिति द्वारा प्रत्यक्ष और बैंक के माध्यम से, दोनों ही प्रकार से एकत्रित पूरी रकम, समिति द्वारा निकाली गई कुछ राशि को छोड़कर अभी तक बैंक के पास है और इसे निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि पुलिस ने एक अभिग्रहण नोटिस जारी करके इस राशि को अवरुद्ध (फ्रीज) कर दिया है।

पंजाब नेशनल बैंक ने यह भी सूचित किया है कि, कुछ समय पूर्व, राजस्थान के "सहकारी समितियों के सहायक पंजीकार" द्वारा इस समिति का परिसमाधान कर दिया गया था। समिति ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्रवाई की और इन आदेशों को निरस्त कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक दवारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध, राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्ड-पीठ (डिवीजन बेंच) में एक अपील दायर की है और अभी तक कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है।

पालम हवाई अड्डे के एक रेस्टोरेन्ट के नवीकरण और नये रूप से सुसज्जित करने में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्य इंजीनियर का हाथ होना

1694. श्री मधु लिमये : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर एक रेस्टोरेन्ट के नवीकरण और उसे नये रूप से सुसज्जित करने में पालम पर इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के मुख्य इंजीनियर श्री जे० डी० जीजीना के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में सरकार किन निष्कर्षों पर पहुंची है ; और

(ख) क्या पालम पर इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन का एक एयर कन्डीशन एयर मार्शल हुसैन को, जो हैदराबाद में रह रहे हैं, उपहार के रूप में दे दिया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

सीमेन्ट कारखानों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करने के लिए राज्य व्यापार निगम का अनुरोध

1695. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारखानों को, जिनका उत्पादन इस समय निर्यात किया जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने तमिल नाडू राज्य विद्युत बोर्ड को तमिल नाडु राज्य में सीमेंट निर्यातक एककों को सप्लाई के लिए 35 लाख यूनिट बिजली देना स्वीकार कर लिया है, ताकि ये एकक 31-3-1975 तक अपनी निर्यात वचन बद्धताओं को पूरा कर सकें।

चाय भण्डागारों द्वारा कर अपवंचन

1696. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री चाय कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन करने के बारे में 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल्मेर लारी कम्पनी लि०, कलकत्ता के बारे में केन्द्रीय करों की बकाया राशि के बारे में पता कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैसर्स बाल्मेर लारी कम्पनी लि०, कलकत्ता, की तरफ 31 दिसम्बर, 1974 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1966–67 के लिए 8,993 रु० तथा कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 4,638 रु० की आय-कर की मांगें बकाया थीं।

मैसर्स बाल्मेर लारी कम्पनी लि०, कलकत्ता, की तरफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 3,213 रु० बकाया थे। मैसर्स बाल्मेर लारी कम्पनी की एक उपसंगी कम्पनी मैसर्स बीको लारी कम्पनी की तरफ भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 6,021 रु० की रकम बकाया है।

मैसर्स बाल्मेर लारी कम्पनी लि०, कलकत्ता, की तरफ यदि कोई सीमाशुल्क बकाया हो तो उस के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

वर्ष 1975 में चीनी का निर्यात

1697. श्री वसन्त साठे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975 के दौरान चीनी का निर्यात 7 लाख टन तक बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) चीनी का निर्यात किन किन देशों को किया जायेगा तथा इससे कितनी आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 1975 के दौरान चीनी निर्यातों की मात्रा, कीमत तथा गंतव्य स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं सप्लाई स्थिति पर निर्भर करेगा। तथापि देश घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए उच्चतम कीमतों पर अधिकतम सम्भव मात्रा निर्यात करने का प्रयास करेगा।

वर्ष 1975–76 में चीनी का निर्यात

1698. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आवश्यकतायें पूरी किये जाने के बाद वर्ष 1975-76 में विदेशों को चीनी का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक देश को कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) निर्यात की प्रति क्विटल दर क्या होगी और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मात्रा, कीमत तथा गंतव्य स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं सप्लाय स्थिति पर निर्भर करेगा। तथापि, देश घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए उच्चतम कीमतों पर अधिकतम सम्भव मात्रा निर्यात करने का प्रयास करेगा।

चीनी उद्योग की ओर से राज्य व्यापार निगम को पेशकश

1699. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने खुले बाजार में बेचे जाने वाले अपने कोटे में से निर्यात के लिये, 3,400 रुपये प्रति टन की दर से 1,10,000 टन चीनी देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । तथापि 80,000 मे० टन मात्रा की पेशकश है और वास्तव में प्राप्त हुई मात्रा 88,000 मे० टन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारक अधिनियम को चुनौति देने वाली याचिका

1700. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तस्करों ने हाल में पारित विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधियां निवारक अधिनियम की सवैधानिक वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ;

(ख) क्या इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) याचिकायें सुनवायी के लिये स्वीकार की गई हैं । अभी उनकी सुनवायी होनी है ।

(ग) याचिकाओं का विरोध करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

भारत-यूगोस्लाव वैगन सौदे के बारे में गतिरोध

1701. श्री हरि सिंह :

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-यूगोस्लाव वैगन, सौदे के बारे में गतिरोध दूर कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सौदे की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर 1974-जनवरी 1975 में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल बेलग्रेड गया था, तब सभी अनिर्णित मामलों पर एक करार हो गया था । इस करार के अनुसार, शुरू में 3600 वैगनों के लिए जो संविदा की गई थी, उन के स्थान पर अब 1300 वैगन सप्लाई किये जाएंगे । प्रति वैगन के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत लगभग 34 प्रतिशत बढ़ा दी गई है और वैगन की अन्तिम सुपुर्दगी दिसम्बर, 1975 तक पूरी की जानी है ।

नियंत्रित कपड़ा योजना का असफल रहना

1702. श्री बरके जार्ज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पी० टी० आई० की सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि नियंत्रित कपड़ा योजना अपना सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां । सर्वेक्षण ने नियंत्रित कपड़ा योजना के कार्यचालन में निम्नलिखित मुख्य कमियों की ओर ध्यान दिलाया है :—

(1) नियंत्रित कपड़े की घटिया क्वालिटी ;

(2) धोतियों व साड़ियों जैसी कतिपय मदों का उत्पादन इतना कम है कि मांग को पूरा नहीं कर सकता ।

(3) वितरण व्यवस्था में त्रुटियां ।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) 1 अक्तूबर, 1974 से वस्त्र आयुक्त की अनुमति के बिना कोरे लट्ठे का उत्पादन रोक दिया गया है ।

(2) 1 मार्च, 1975 से लट्ठे, कमीजों के कपड़े, धोतियों व साड़ियों के लिए संशोधित विशिष्टियां निर्धारित की गई है ।

2. 1 जनवरी, 1975 से मिलों को निदेश दिये गये हैं कि नियंत्रित कपड़े के अपने उत्पादन का कम से कम 20 प्रतिशत धोतियों तथा साड़ियों के रूप में उत्पादन करें ।

3. प्रत्येक राज्य को आबंटित नियंत्रित कपड़े का वितरण सम्बद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । तथापि जुलाई, 1974 में वस्त्र आयुक्त ने सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वियन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं :

(क) ऐसे कदम उठाये जायें जिससे 15,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाले उप नगरीय केन्द्रों को कपड़ा पहुंचे ;

(ख) राशन काड/हाउस होल्ड कार्ड आदि नियंत्रित कपड़े की बिक्री के आधार बनाये जायें ।

(ग) कपड़ा 400 रुपये से कम मासिक आय पाने वाले लोगों को बेचा जाये ।

भारतीय उद्योग में निजी विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

1703. श्री वयालार रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगों में वर्ष 1974 के अन्त तक निजी विदेशी कंपनियों का कुल कितना पूंजी-निवेश था और उसका देशवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कुल कितनी विदेशी कंपनियों ने भारतीय उद्योगों में पूंजी-निवेश किया है और उन्होंने वर्ष 1972-73 और 1973-74 में लाभ में अपने हिस्सों और तकनीकी जानकारी के लिये शुल्कों के रूप में और अन्य शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि अपने देशों को भेजी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सब से हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1972 के अन्त में भारतीय उद्योगों में 1750.4 करोड़ रुपये की विदेशी गैर-सरकारी पूंजी लगी हुई थी। जिसका देशवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

निगमित उद्योग और वाणिज्यिक उद्यम दीर्घावधिक बकाया विदेशी पूंजी निवेश

(करोड़ रुपयों में)

कनाडा	28.1
फ्रांस	49.5
पश्चिम जर्मनी	135.1
इटली	84.1
जापान	54.7
स्वीटजरलैंड	49.7
स्वीडन	20.0
ब्रिटेन	632.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	485.9
अन्य देश	121.1
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं	89.9
जोड़	1750.4

(ख) 1972, 73 और 1974 के कलेंडर वर्षों में गैर-आवासियों द्वारा भारतीय उद्योगों में विदेशी शेयर पूंजी लगाने के 126 मामलों की स्वीकृति दी गयी थी। 1972-73 के दौरान लाभ और लाभांश तथा तकनीकी जानकारी फीस शुल्क के रूप में विदेशों में भेजी गयी राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :--

(करोड़ रुपयों में)

(1) चालू लाभ और लाभांश	46.7
(2) तकनीकी जानकारी फीस	11.3

वर्ष 1973-74 के संबंध में इस प्रकार के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि में से धन निकाला जाना

1704. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री धामनकर :
सरदार महेंद्र सिंह गिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक या दूसरे बहाने से सामान्य भविष्य निधि में अपनी जमा राशि में से काफी धन निकालते है।

(ख) क्या सामान्य भविष्य निधि में से इस प्रकार धन निकालने पर रोक लगाने हेतु सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि से जुड़ी एक नई बीमा योजना आरम्भ की है, यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है ; और

(ग) धन निकालने की इस सुविधा को दूर कर हमेशा बढ़ती रहने वाली कीमतों के संदर्भ में अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए कौनसी वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि से पेशगियों और वापसियों की अनुमति इस विषय पर दिए गए आदेशों के अनुसरण में उनके द्वारा अपने आवेदन-पत्रों में दिए गए कारणों के संदर्भ में दी जाती है ।

(ख) कर्मचारियों को और अधिक बचत करने में प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में एक योजना लागू की गई है जिसके ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दिए गए हैं ।

(ग) इस योजना में भविष्य निधि में जमा रकमों में से रुपया निकालने की सुविधा को कम करने की परिकल्पना नहीं है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को और अधिक बचत करने में वास्तविक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, सरकार ने एक जमा बद्ध बीमा योजना लागू की है, जिसमें भविष्य निधियों के अंशदाताओं को किसी प्रीमियम की अदायगी किए बगैर बीमा सुरक्षा की व्यवस्था है । इस योजना के अनुसार जिस सरकारी कर्मचारी की 8 जनवरी, 1975 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये उसके परिवार को अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तत्काल तीन वर्ष पूर्व की अवधि में निधि में उसके खाते में जमा औसत बकाया राशि के बराबर होगी, बशर्ते कि मृत्यु की तारीख के तीन पूर्ववर्ती वर्षों में किसी भी समय बकाया राशि निम्नलिखित सीमाओं से नीचे न हुई हो :

प्रथम श्रेणी . .	3,000 रु०
द्वितीय श्रेणी . . .	2,500 रु०
तृतीय श्रेणी	1,500 रु०
चतुर्थ श्रेणी	1,000 रु०

जिस उच्चतर सीमा तक बीमा सुरक्षा का यह लाभ उपलब्ध होगा, वह 10,000 रु० होगी । इस प्रकार निधि में जमा 10,000 रु० से ऊपर किसी भी राशि को इसके अतिरिक्त लाभ के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जायगा ।

इसके अंतर्गत केवल वे कर्मचारी आएंगे जिन्होंने मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो ।

तस्करी रोकने के लिए उपाय

1705. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत छह महीनों के दौरान तस्करी को रोकने लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : तस्कर-व्यापारियों तथा विदेशी मुद्रा के जालचक्र में लगे व्यक्तियों की निवारक नजरबन्दी के अलावा सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों, वितरण-केन्द्रों तथा सम्पर्क-मार्गों पर निवारक चौकियां कायम करने के उपाय किये गये है। एक बेतार संचार व्यवस्था भी कायम की गई है जो पश्चिम तट के बहुत से स्थलों को जोड़ती है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों को अतिरिक्त कर्मचारी तथा उपकरण भी दिये गये है। नार्वे में बनी दस ऐसी नौकायें प्राप्त की गई हैं जिनपर रडार तथा अन्य उपकरण लगे है और इस वर्ष मार्च, अप्रैल तक दस और नौकाओं के पहुचने की सम्भावना है।

अधिक प्रभावी अधिकारियों को मौके पर तैनात करने जैसे बहुत से प्रशासनिक उपाय भी किये गये है। अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वैधानिक उपायों पर विचार किया जा रहा है।

संघ राज्य क्षेत्रों में तस्करों की गिरफ्तारी

1706. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों के दौरान संघ राज्य-क्षेत्रों में तस्करी करने के आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): संघ राज्य क्षेत्रों में 19 दिसम्बर, 1974 से 15 फरवरी, 1975 तक विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

चंडीगढ़	1
दिल्ली	4
गोआ, दमन और दीव	19
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	कोई नहीं

पिछले तीन महीनों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या, जो उपरिनिर्दिष्ट नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या से भिन्न है, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

यूरुपिय एयर बस और नये विमान का खरीदा जाना

1707. **श्री विजय पाल सिंह** :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री राजदेव सिंह :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व व्यवहार्य अध्ययन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की आवश्यकताओं के लिए यूरुपिय 'एयर बस' खरीदने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नया विमान खरीदने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स अत्याधिक सघन यातायात वाले मुख्य मार्गों पर पांचवीं योजनावधि के दौरान चौड़ी बाडी वाले विभिन्न प्रकार के विमानों को संभवतः अपने विमान बेड़े में सम्मिलित करने के लिए फिलहाल उनके आर्थिक पक्षों की जांच कर रही है। प्राप्त किए जाने वाले विमानों की संख्या तथा टाइप के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहकारी बैंक

1708. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में हथकरघा के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने हेतु सहकारी बैंकों की स्थापना करने को कहा गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि सहकारी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों के वित्त पोषण के लिए एक अलग केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया जाये और भारतीय रिजर्व बैंक को यह निदेश दिया जाना चाहिये कि हथकरघा सहकारी समितियों को अपेक्षित वित्त इस केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाये। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके इस प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा।

नई कपड़ा नीति

1709. **श्री सी० जनार्दनन** :

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नई कपड़ा नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस नीति को बनाते समय राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त तकुआ क्षमता तथा करघाक्षमता के लाइसेंस दिये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त 20 दिसम्बर, 1974 को वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किये गए प्रेस नोट में घोषित कर दिये गए हैं। हालांकि राज्य सरकारों के साथ कोई विशिष्ट परामर्श नहीं किये गए परन्तु समय समय पर सूचित किये गए उनके विचारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त तय करते समय ध्यान में रखा गया था। घोषित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का विचार 16 लाख तकुओं और 10,000 करघों की संस्थापना करके सूती वस्त्र उद्योग में और अधिक विस्तार की अनुमति देने का है। देश भर में बुनकरों की जरूरतों को प्रभावकारी रूप में पूरा करने के लिए कताई क्षमता की बेहतर व्यवस्था करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिन क्षेत्रों में हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों हेतु यार्न की अतृप्त मांग है और जिन क्षेत्रों में रुई अधिशेष है, कताई क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन सभी आवेदनपत्रों पर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा जिनके बारे में राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई हो और उपयुक्त कसौटी को पूरा करती हों।

अपरिष्कृत काजू का आयात

1710. श्री पी० आर० शिनाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में अपरिष्कृत काजू के आयात हेतु कितनी मांग थी और अब तक वास्तव में इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया है ; और

(ख) अपरिष्कृत काजू की मांग तथा उपलब्धता में अन्तर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) देश में काजू साधितकर्ता एककों की संस्थापित क्षमता और स्वदेशी कच्चे काजू की सप्लाई में 3 लाख मे० टन से भी अधिक आकलित अन्तर है। इसके विपरीत हम प्रतिवर्ष औसत आधार पर 1.70 लाख मे० टन की मात्रा का आयात करते रहे है। अप्रैल 1974 से जनवरी, 1975 की अवधि के दौरान 1,32,355 मे० टन के आयात हुए हैं।

(ख) काजू की सप्लाई के लिए कीनिया के साथ प्रबंध किया जा चुका है और तंजानिया तथा मोजम्बीक के साथ वार्ताएं चल रही हैं। मार्च, 1975 के प्रारंभ में तंजानिया तथा मोजम्बीक से एक प्रतिनिधिमण्डल आने की आशा है जबकि उद्योग के लिए कच्चे काजू की शीघ्र सप्लाई पुन: आरंभ करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाएंग ।

अलग से नये क्षेत्रों में रोपण सहित विभिन्न स्कीमों के जरिए स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। तथापि, इन परियोजनाओं में उत्पादन आरंभ होने में लम्बा समय लगेगा।

टायलों का निर्यात

1711. श्री पी० आर० शिनाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान टाइलों के निर्यात से कुल कितनी राशि अर्जित की गई ;

(ख) इस समय किन-किन देशों को टाइलों का निर्यात किया जाता है तथा प्रत्येक देश को कितने टाइलों का निर्यात किया गया ; और

(ग) सरकार ने अपनी निर्यात स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9047/75]

(ग) चमकीले टाइलों के निर्यात बढ़ाने के लिए दो प्रमुख कदम है ; आयातित कच्चे माल के लिए आयात प्रतिपूर्ति तथा उन के निर्यात के आधार पर नकद क्षतिपूर्ति समर्थन ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान सेवा शर्तें

1712. श्री पी० आर० शिनाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान सेवा शर्तें बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन शर्तों को बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों कामगर (वर्कमेन) वर्ग के कर्मचारियों का संबंध है, राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के पंच-निर्णयों और द्विपक्षीय समझौतों के परिणामस्वरूप, जोकि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होते हैं, उनकी सेवा-शर्तों में व्यापक समानता है।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों का संबंध है, कुछ समय पूर्व सरकार ने इन कर्मचारियों के वतनमानों, भत्तों और परिलब्धियों के मानकीकरण के लिए एक समिति श्री वी० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी-वर्ग के कर्मचारियों के आचरण और अनुशासन को अभिशासित करने के वास्ते एकसम विनियम बनाने का संबंध है, यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

केरल म काजू कारखानों का बन्द होना

1713. **श्री वरके जार्ज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में 150 काजू कारखानों को अपरिष्कृत काजू के उपलब्ध न होने के कारण बंद होने का खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चूंकि काजू साधितकर्ता उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कच्चा काजू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः कुछ एककों का आंशिक रूप में तथा समय समय पर बंद होना उद्योग की एक सामान्य बात है। यह स्थिति इस वर्ष और भी बिकट हो गई है क्योंकि कुछ अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू के आयात संबंधी व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) काजू की सप्लाई के लिए कीनिया के साथ प्रबंध किया जा चुका है और तंजानिया तथा मोजम्बीक के साथ वार्ताए चल रही हैं। मार्च, 1975 के प्रारंभ में तंजानिया तथा मोजम्बीक के साथ वार्ताए चल रही हैं। मार्च, 1975 के प्रारंभ में तंजानिया तथा मोजम्बीक से एक प्रतिनिधिमण्डल आने की आशा है जबकि उद्योग के लिए कच्चे काजू की शीघ्र सप्लाई पुनः शुरू करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाएंगे।

अलग से नये क्षेत्रों में रोपण सहित विभिन्न स्कीमों के जरिए स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाय जा रहे हैं। तथापि, इन परियोजनाओं में उत्पादन आरंभ होने में लम्बा समय लगेगा।

पुनः बागान लगाने के लिए राजसहायता की दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1714. **श्री वरके जार्ज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि देश में रबड़ उत्पादक लागत को पूरा करने में असमर्थ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पुनः बागान लगाने के लिए दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि रबड़ के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, परन्तु रबड़ की बाजार कीमत अब न्यूनतम अधिसूचित कीमतों से अधिक ऊंची चल रही है।

(ख) तथा (ग) पुनर्रोपण उपदान की दर संशोधित करने की प्रस्थापना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

काजू उद्योग के विकास के लिए योजना

1715. **श्री वरके जार्ज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने काजू उद्योग का विकास करने हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने देश के काजू प्रोसेसिंग उद्योग के विकास के लिए किसी योजना का अनुमोदन नहीं किया है क्योंकि देश में संस्थापित क्षमता पहले से ही कच्चे काजुओं की सप्लाई के मुकाबले कहीं अधिक है । केन्द्रीय सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि कच्चे काजुओं की सप्लाई और मांग के बीच अन्तराल को आयातों द्वारा तथा स्वदेशी उत्पादन बढ़ा कर समाप्त किया जाये ताकि इस उद्योग में स्थिरता आ सके ।

निषिद्ध वस्तुओं का जप्त किया जाना

1716. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि में गुजरात तथा बिहार में मारे गए छापों के दौरान लाखों रुपये मूल्य की निषिद्ध वस्तुओं तथा लेखाबाह्य धन और नकदी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छापों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि तस्करी गिरोहों तथा ऐसे ही अन्य कामों में सरकारी कर्मचारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितने सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क कर्मचारियों की कमी

1717. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क कर्मचारियों की कमी होने के कारण वहां सीमाशुल्क संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सीमाशुल्क कर्मचारियों की कमी के कारण दिल्ली हवाई अडडे पर सीमाशुल्क विभाग दवारा निकासी में हुए विलम्ब का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है । उक्त हवाई अडडे पर पहले ही पर्याप्त सीमाशुल्क कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं और स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

केन्द्र द्वारा अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए बिहार राज्य सरकार को दिए गए सुझाव

1718. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने वर्ष 1974-75 के दौरान अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए बिहार राज्य सरकार को क्या अपेक्षित कार्यवाही करने का सुझाव दिया है और राज्य सरकार को अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राज्य सरकार के अनावश्यक, कम प्राथमिकता वाले और अनुत्पादक व्यय को कम करने की सलाह दो गयी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने खर्च में कमी करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों पर किये जाने वाले व्यय से भिन्न व्यय में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की और आयोजना-भिन्न निर्माण कार्यों तथा अनुरक्षण व्यय में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की कमी शामिल है। राज्य सरकार का अनुमान है कि खर्च में कमी करने के इन उपायों से चालू वित्तीय वर्ष में 14 करोड़ रुपयों की बचत होगी।

जनरल इन्श्योरेन्स यूनिटस (आम बीमा एककों) में झूठे दावों के द्वारा धन का दुर्विनियोग

1719. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री राम सहाय पाण्डे :
श्री धामनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आम बीमा एककों के कुछ अधिकारियों ने राष्ट्रीयकरण के बाद से झूठे दावों को समायोजित करके करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) तथा (ख) न्यू इण्डिया एंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई और ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में झूठे दावों के समायोजन द्वारा गबन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। जहां तक नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी, कलकत्ता का संबंध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक ऐसे मामले की जांच-पड़ताल की गई है, जिसमें लगभग 10,000 रुपये की रकम का मामला अन्तर्ग्रस्त था। यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

कलकत्ता में आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी लिया जाना

1720. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने कलकत्ता में स्थित बैंकों में लेखों का पता लगाने हेतु घर-घर की तलाशी लेने का अभियान चलाया है;

(ख) काले धन का पता लगाने में ऐसी तलाशियां कितनी सफल रही हैं ;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में इसी प्रकार की तलाशियां ली जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

वेतनभोगी कर्मचारियों का ऋणग्रस्त होना

1721. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की नवीनतम बुलेटिन में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 46 प्रतिशत वेतनभोगी कर्मचारियों पर 249 करोड़ रुपये का ऋण है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वेतनभोगी कर्मचारियों को सम्पति की खरीद/निर्माण तथा मरम्मत के लिए लिए गए ऋणों को छोड़कर अन्य प्रकार के ऋणों का पूरी तरह से भुगतान करने में राहत देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) इस आशय की एक प्रैस रिपोर्ट देखने में आई है, जो शहरी क्षेत्रों के गैरश्रमिक कर्मचारी परिवारों के सम्बन्ध में जुलाई 1970 तथा जून 1971 के बीच किए गए कर्जदारी सम्बन्धो सर्वेक्षण पर रिजर्व बैंक बुलेटिन पर आधारित है ।

(ख) इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में फिलहाल कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

Circulation of Counterfeit Notes

1722. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of new notes of the denominations of Rs. 100, 20, 10 and 5 issued during the last one year as also the number of old notes of the same denominations cancelled in that period;

(b) whether many counterfeit notes of the above denominations are in circulation and some foreign elements are also involved in it; and

(c) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) the number of new notes issued during the Calender year 1974 are as under :

Denomination	Pieces (in millions)
Rs. 100	141
Rs. 20	151
Rs. 10	916
Rs. 5	666

The number of cancellations during the same year are as under :

Denomination	Pieces
Rs. 100	61,450,992
Rs. 20	10,026,045
Rs. 10	518,996,297
Rs. 5	435,708,738

(b) and (c) During 1974-75 (upto 31-12-74) the number of notes recovered in circulation and siezed by Police in raids are as under :

(In pieces)

Denomination	1974-75 (upto Dec. 1974) Recovered	Seized
Rs. 100	237	200
Rs. 20	65	71
Rs. 10	331	7492
Rs. 5	168	376

As counterfeit notes are impounded on detection, it is unlikely that many counterfeit notes are in circulation. There is no evidence to suggest that foreign elements are involved in counter geiting of notes.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1723. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

मौलाना इसहाक सम्भली :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के दौरान लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो थोक तथा फुटकर मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ? और

(ग) इसके क्या कारण दिये गये हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1974-75 में कीमतों में सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक वृद्धि का रुख रहा। उसके बाद से उनमें गिरावट आनी शुरू हुई जो अभी तक जारी है।

(ख) वर्ष 1974-75 के पहले 10 महीनों में थोक मूल्यों के सूचकांक में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1972-73 और 1973-74 की इसी अवधि में क्रमशः 11.1 प्रतिशत और 23.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक का संबंध है इसमें 1974-75 के पहले 9 महीनों में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1972-73 और 1973-74 की इसी अवधि में क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ग) कीमतों के बढ़ने के मुख्य कारण ये थे : 1971-72 और 1972-73 में कृषि उत्पादन में कमी होना, 1973-74 में औद्योगिक उत्पादन में वस्तुतः गतिहीनता का आ जाना, और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनी चीजों, उर्वरकों और धातुओं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। जमाखोरी और सट्टाबाजारी ने भी कीमतों को बढ़ाने में भी अपना रोल अदा किया। परिणामस्वरूप, खेती और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के और आंतरिक पूर्ति को आयात द्वारा यथासंभव पूरा करने के उपाय किये गये। जमाखोरी और मुनाफाखोरी से अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए जून 1974 में एक अध्यादेश जारी करके अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धाराओं को और कठोर बनाया गया। तस्करी को भी सितम्बर 1974 में आंतरिक सुरक्षा कानून की परिधि में ले आया गया। अर्थ व्यवस्था में नकदी या नकदी जैसी अतिरिक्त परिसम्पत्ति को बटोरने के लिए अनेक कदम उठाये गये थे जैसे (i) मजदूरी और वेतनों में होने वाली वृद्धियों को काम में लाये जाने पर एक वर्ष के लिए और 6 जुलाई 1974 के बाद देय मंहगाई भत्ते में होने वाली वृद्धियों के अधे भाग को काम में लाये जाने पर दो वर्ष के लिए रोक का लगाया जाना (ii) कम्पनियों पर लाभांश के वितरण पर पाबंदी का लगाया जाना और (iii) उन सभी आयकर दाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से रकम का जमा करवाया जाना जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो। इसके अलावा ऋणों पर लगी पाबन्दियों को भी और सख्त कर दिया गया।

यद्यपि उपर्युक्त उपायों का मुद्रास्फीति के दवाब पर असर पड़ा है लेकिन अर्थ व्यवस्था के वर्तमान असंतुलन की यह मांग है कि इस स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जाय। सरकार इस संबंध में आवश्यकतानुसार और आगे कार्रवाई करेगी।

देश में प्रचलित करेन्सी नोट

1724. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने करेंसी नोट प्रचलित हैं;

(ख) क्या जनवरी, 1974 की तुलना में करेंसी नोटों के प्रचलन में और वृद्धि हुई है ; और

(ग) देश में करेंसी नोटों का प्रचलन कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 31 जनवरी, 1975 को कुल 6185 करोड़ रुपये के नोट चलन में थे ।

(ख) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 1974-75 में केवल 158 करोड़ रुपयों (2.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1973-74 की इसी अवधि में 901 करोड़ रुपये (17.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी ।

(ग) मुद्रा पूर्ति में करेंसी की वृद्धि का अनुपात अथवा मुद्रा पूर्ति के विस्तार में करेंसी का समानुपात 1973-74 के 57.4 प्रतिशत से घटकर 1974-75 में 19.2 प्रतिशत रह गया है । मांग जमा में 1973–74 के 689 करोड़ रुपये के मुकाबले 665 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई इसके परिणामस्वरूप मुद्रा पूर्ति में 1973-74 के 1590 करोड़ रुपये (18.1 प्रतिशत) के मुकाबले 1974-75 में 823 करोड़ रुपये (7.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । करेंसी के विस्तार का विनियमन सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा समग्र रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिये किये गये उपायों का एक भाग है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा केरल को वित्तीय सहायता

1725. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल की वर्तमान वित्तीय कठिनाई की स्थिति से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा उस राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) फरवरी 1975 के अन्त में होने वाले प्रत्याशित घाटे को पूरा करने के लिये केरल सरकार ने अर्थोपाय सहायता मांगी है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य की आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपये की राशि समय से पहले ही दे दी है ।

वर्ष 1974 के दौरान भारत आने वाले पर्यटक

1726. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान गत दो वर्षों की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से सब से अधिक पर्यटक भारत आए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । भारत आने वाले पर्यटकों में 1972 में हुई 13.9 तथा 1973 में 19.5% वृद्धि की तुलना में 1974 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गयी । 1 74 के दौरान पर्यटन से 69.7 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) यूनाइटेड किंगडम, यू० एस० ए०, पश्चिम जर्मनी, श्रीलंका तथा फ्रांस ऐसे देश थे जहां से अधिकतम संख्या में पर्यटक भारत आए ।

एयर इण्डिया के विमान चालक

1727. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के तीन विमानचालकों को जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, अभी तक बहाल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या एयर इंडिया इन्हें सर्वश्रेष्ठ विमानचालक मानती थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप एयर-इण्डिया के तीन विमानचालक 12 सितम्बर, 1974 से सेवा से बरखास्त कर दिये गये थे। सम्बन्धित तीनों विमानचालकों द्वारा अपील करने पर अपील अधिकारी ने सज़ा को सेवा से बरखास्तगी (डिसमिसल) के स्थान पर सेवा से हटाना (रिमूवल) कर दिया ।

(ग) एयर-इंडिया में 'एस पाइलट' जैसी कोई रेटिंग नहीं है ।

कानपुर में हवाई अड्डे की इमारत

1728. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में हवाई अड्डे की इमारत बनाने के कार्य में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) कार्य के कब तक आरम्भ तथा पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) कानपुर में एक विमानक्षेत्र भवन बनाने संबंधी प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । मामला विचाराधीन है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा गैर- सरकारी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक गृहों में पूंजी निवेश

1729. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अधिकांशतः अपनी राशि गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक गृहों में लगाई है ;

(ख) क्या उन्होंने इस प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) 31 मार्च, 1973 तक की इस स्थिति की तुलना में 31 मार्च, 1974 तक बड़े औद्योगिक गृहों में जीवन बीमा निगम के बकाया निवेशों की रकम 169.67 करोड़ रु० से बढ़कर 174.39 करोड़ रु० हो गई ।

(ख) नवीनतम निर्णय के अनुसार, जीवन बीमा निगम एक वर्ष में अपनी नियंत्रित निधी में हुई वृद्धि की 10 प्रतिशत से अधिक रकम गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं लगा सकता। इस व्यवस्था के अधीन रहते हुए, जीवन बीमा निगम बड़े औद्योगिक गृहों की कम्पनियों तथा अन्य कम्पनियों, दोनों में धन लगाता है और ऐसा करने में पूंजी की सुरक्षा तथा उनसे प्राप्य लाभ पर मुख्यतया जोर दिया जाता है।

(ग) बड़े तथा अधिक बड़े औद्योगिक गृहों में जीवन बीमा निगम के निवेशों के उच्च अनुपात का कारण यह है कि इन समूहों द्वारा नियंत्रित उद्यमों में निवेश के अवसर अन्य कम्पनियों की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं क्योंकि बड़ी कम्पनी का कारोबार बहुत दूर तक फैला होता है और निवेश के अवसर भी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। किसी बड़े औद्योगिक गृहों के मामले में जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर सम्मिलित आधार पर सांवधिक ऋण दिये जाते हैं तथा शेयर खरीदने की जिम्मेदारी ली जाती है अथवा शेयरों तथा/अथवा ऋण पत्रों में सीधे अंशदान किया जाता है।

वाणिज्यिक बैंकों की ऋण तथा जमाराशि के अनुपात में कमी

1730. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में इससे पहले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण तथा जमाराशि के अनुपात में काफी कमी आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) कलेण्डर वर्ष 1974 में ऋण निति का जोर निरंतर ऋण के फैलाव को तर्कसंगत सीमाओं के भीतर बनाये रखने पर था। इसके परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण-जमा को जो अनुपात दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को 70.01 प्रतिशत था उसकी तुलना में दिसम्बर, 1974 के अंतिम शुक्रवार को वह कुछ बढ़ कर 69.18 प्रतिशत हो गया।

मैसूर मिनरल्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

1731. **श्री के० लकप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैसूर मिनरल्स लिमिटेड को स्वयं निर्यात करने अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) मैसूर मिनरल्स लिमिटेड द्वारा निर्यात करने के मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) मैसूर मिनरल्स लि० गैर-मार्गीकृत मदों का सीधे निर्यात कर सकता है। मार्गीकृत मदों के संबंध में निर्यात केवल मार्गीकरण अभिकरण, अर्थात् खनिज तथा धातु व्यापार निगम, के माध्यम से ही किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव है कि मैसूर मिनरल्स लि० को इसके द्वारा उत्पादित लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के सीधे निर्यात की अनुमति दी जाये। यह संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना सरकार की मार्गीकरण नीति के बिपरीत होगा।

सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात

1732. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार मास में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल कितने मूल्य के सिले -सिलाए कपड़ों का निर्यात किया गया ; और

(ख) वृद्धि/कमी के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सितम्बर–दिसम्बर, 1973 (4 महीनों) के दौरान सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात 28.624 करोड़ रुपये मूल्य के हुए थे जबकि सितम्बर-दिसम्बर 1974 में (4 महीनों) के दौरान ये निर्यात 28.879 करोड़ रुपये मूल्य के होने का अनुमान है ।

(ख) निर्यातों में कोई खास वृद्धि/गिरावट नहीं हुई है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन विकास दर

1733. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में पर्यटन विकास दर घटी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1973 में पर्यटन में दर्ज की गयी 19.5% की वृद्धि दर की तुलना में 1974 के दौरान यह 3.2% थी। तथापि, वास्तविक संख्या की दृष्टि से पर्यटक यातायात में 1973 की तुलना में 1974 में, 13,266 की वृद्धि हुई ।

पर्यटन प्रवाह को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण हैं— ईंधन की अत्यधिक कीमत जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विमान किराये बढ़ गये हैं, पर्यटक स्त्रोत देशों में मुद्रास्फीति जिस से अवकाशकालीन क्रियाकलापों के लिए पर्यटक धनराशि कम कर दी गयी है, इण्डियन एयर लाइंस में हड़ताल, रेल्वे हड़ताल तथा एयर इंडिया में तालाबंदी । यह बात किसी हदतक आश्वस्त करने वाली है कि हम 1974 में विश्वपर्यटन व्यवसाय में 30% के अनुमानित ह्रास की तुलना में अपने यहां कुछ वृद्धि बनाये रख सके ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा राशियों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर

1734. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सार्वजनिक सावधि जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें विभिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक एक वर्ष के लिए जमा 3000 रुपये और इससे अधिक राशि पर 11 प्रतिशत ब्याज देता है जब कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐसे ही मामलों में केवल 8 प्रतिशत ब्याज देता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अन्तर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न अवधियों में परिपक्व होने वाली सार्वजनिक जमाओं पर देय ब्याज की दरों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है । अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेणी की जमाओं पर आजकल देय ब्याज की दरों की अनुसूची नीचे दी जा रही है :—

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देय ब्याज की दरें (23 जुलाई, 1974 से लागू)*

जमाओं की श्रेणी	(प्रतिशत वार्षिक)
क. चालू खाता, 14 दिन तक की जमाएं, और 14 दिन अथवा उससे कम अवधि के नोटिस पर निकाली जा सकने वाली अथवा भुगतान की जा सकने वाली जमाएं ।	कोई ब्याज नहीं (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के मामले छोडकर)
ख. बचत खाते	5.0
ग. सावधिक जमायें—	
1. 15 दिन से 45 दिन तक की जमाओं पर और 45 दिन तक की अवधि का नोटिस देकर निकाली जा सकने वाली अथवा भुगतान की जा सकने वाली जमाओं पर ।	3.00 प्रतिशत
2. 46 दिन से 90 दिन तक की जमाओं पर और 45 दिन से अधिक किन्तु 90 दिन तक की अवधि का नोटिस देकर निकाली जा सकने वाली अथवा भुगतान की जा सकने वाली जमाओं पर ।	3.5 प्रतिशत
3. 91 दिन और उससे अधिक किन्तु 6 महीने से कम की जमाओं पर	5,5 प्रतिशत
4. 6 महीने और उससे अधिक किन्तु 9 महीने से कम की जमाओं पर .	6.0 प्रतिशत
5. 9 महीने और उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की जमाओं पर .	7.0 प्रतिशत
6. 1 वर्ष और उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम की जमाओं पर .	8.0 प्रतिशत
7. 3 वर्ष और उससे अधिक और 5 वर्ष तक की जमाओं पर .	9.0 प्रतिशत
8. 5 वर्ष से अधिक की जमाओं पर	10.0 प्रतिशत

***टिप्पणी :—** (1) भारत में निगमित जिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र मांग और आवधिक देनदारियां 25 करोड़ रुपये से कम हैं उन्हें यह अनुमति दी गई है कि वे यदि चाहें तो 5 वर्ष तक की अपनी आवधिक जमाओं पर, निर्धारित दरों से 0.25 प्रतिशत वार्षिक की अधिक दर पर ब्याज अदा कर सकते हैं ।

(2) भारत में निगमित जिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र मांग और आवधिक देनदारियां 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक किन्तु 25 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें अपनी बचत जमाओं पर 5.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा । भारत में निगमित जिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र मांग और आवधिक देनदारियां 10 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें अपने यहां रखे गये बचत खातों की जमाओं पर 5.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा ।

(3) इन निदेशों के उपबन्ध, उन खातों पर लागू नहीं होते जो बैंक के किसी वर्तमान अथवा भूतपूर्व कर्मचारी के अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम में, अथवा बैंक के भूतपूर्व कर्मचारी की विधवा के साथ संयुक्त रूप में अथवा ऐसे संघ अथवा निधि के नाम में जिसके सभी सदस्य बैंक के कर्मचारी हों, खोले गये हों । ये उपबन्ध बैंकिंग संस्थाओं अथवा भूमि विकास बैंक के अलावा किसी सहकारी बैंक द्वारा की गई जमाओं पर भी लागू नहीं होते ।

सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1735. श्री राम सहाय पाण्डे :

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बड़ी संख्या में सीमा शुल्क अधिकारियों को हाल में आरोप पत्र दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके विरुदध क्या आरोप हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और संदन-पटल पर रख दी जायगी ।

युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के संसाधन

1736. श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अध्यादेश द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में किए गए संशोधन की दृष्टि से भविष्य में निधि की राशि का यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटों में पूंजी निवेश सुरक्षित मानने के बारे में वित्तीय क्षेत्रों में मतभेद है ;

(ख) क्या भविष्य निधि की राशि का यूनिटों में पूंजी निवेश नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार ने भारतीय न्यास अधिनियम के संशोधन करते हुए इसके लिए कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया है ; और

(ग) क्या सरकार यूनिट ट्रस्ट के साधनों के सुदृढ करना चाहती है और यदि हां तो इस संबंध में सरकार की नीति का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा यूनिटों की बिक्री को बढ़ावा दिये जाने और यूनिट होल्डरों द्वारा यूनिटों को फिर से बेचे जाने को रोकने के लिए सरकार ने 7 जनवरी 1975 को ट्रस्ट लाज़ (अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स 1975 की घोषणा की थी। इस अध्यादेश में यूनिटों सहित कुछ अनुमोदित निवेशों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल ० के अन्तगत पहले हो दी गयी 3000 रुपये की वर्तमान छूट के अलावा यूनिटों से होनेवाली 2000 रुपये की आय तक की और छूट की मंजूरी की व्यवस्था है, इसमें धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अंतर्गत निर्दिष्ट यूनिटों सहित निवेशों के सम्बन्ध में दी गयी वर्तमान छूट के अतिरिक्त यूनिटों में किये जाने वाली निवेशों पर भी धन-कर से 25,000 रुपय तक की छूट की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये यूनिट भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्टी सिक्योरिटियों के रूप में मान्य होंगे और यूनिट होल्डरों द्वारा नामित व्यक्तियों को देय रकम पर कुछ शर्त के अधीन उन्हीं का अधिकार होगा ।

चिथडों के आयात में अनियमितताओं को रोकने के लिए नई प्रक्रिया

1737. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में किए गए चिथडों के आयात में पाई गई अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई नयी प्रक्रिया निकाली है ; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां । चिथड़ों की परिभाषा में संशोधन कर दिया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि यदि पहनने योग्य परिधानों का आयात कर लिया गया हो तो उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा रिलीज किये जाने से पूर्व ही काट फाड़ देना होगा। राज्य व्यापार निगम जिसके माध्यम से चिथड़ों का आयात मार्गीकृत किया गया है यह सुनिश्चित करेगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्ण निगरानी में वस्त्र-आयुक्त तथा आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधिकारियों की देखरेख में इन खेपों को आयातकों को रिलीज किये जाने से पूर्व पूरी तरह से काट-फाड़ दिया जाये । काट-फाड़ पतन क्षेत्र के भीतर ही की जायेंगी ।

सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ देने की योजना

1738. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी 1975 अथवा इसके पश्चात् कार्यरत पाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार को अतिरिक्त लाभ देने संबंधी एक योजना की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को और अधिक बचत करने में वास्तविक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने एक जमाबद्ध बीमा योजना लागू की है जिसमें भविष्यनिधियों के अंशदाताओं को किसी प्रीमियम की अदायगी किए बगैर बीमा सुरक्षा की व्यवस्था है । इस योजना के अनुसार जिस सरकारी कर्मचारी की 8 जनवरी 1975 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए उसके परिवार को अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो भूत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तत्काल तीन वर्ष पूर्व की अवधि में निधि में उसके खाते में जमा औसत बकाया राशि के बराबर होगी बशर्ते कि मृत्यु की तारीख के तीन पूर्ववर्ती वर्षों में किसी भी समय बकाया राशि निम्नलिखित सीमाओं से नीचे न हुई हो :—

	रुपये
प्रथम श्रेणी . . .	3,000
द्वितीय श्रेणी	2,500
तृतीय श्रेणी .	1,500
चतुर्थ श्रेणी	1,000

जिस उच्चतर सीमा तक बीमा सुरक्षा का यह लाभ उपलब्ध होगा वह 10,000 रु० होगी । इस प्रकार निधि में जमा 10,000 रु० से ऊपर किसी भी राशि को इसके अतिरिक्त लाभ के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जायगा ।

इसके अन्तर्गत वे कर्मचारी आएंगे जिन्होंने मृत्यु के समय कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो ।

फलों का निर्यात

1739. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों में भारतीय फलों की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं जो इस समय भारतीय फलों का आयात कर रहे हैं ; और

(ग) फलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस निर्यात के परिणामस्वरूप वर्ष 1975-76 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) खाड़ी के देश, ब्रिटन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, बंगला देश तथा नेपाल, भारतीय फलों के प्रमुख आयातक हैं ।

(ग) निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के रूप में उन्हें, उनके द्वारा किए गए निर्यातों के बदले आयातित पैकिंग सामग्री के लिए 5 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति मिलती है ।

1975-76 के दौरान ताजे फलों के निर्यात से एक करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ।

चाय के भाण्डागारों को बन्धक भाण्डागारों में परिवर्तित करना

1740. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के भांडागारों को बंधक भांडागारों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्योरिटी पेपर मिल्ज होशंगाबाद में मंजूर किए गए पदों का भरना

1741. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद सिक्यूरिटी पेपर मिल्स मे नियुक्ति के लिए पात्र कनिष्ठ कर्मचारियों के उपलब्ध होने के बावजूद भी मंजूर पदों को क्यों नहीं भरा गया है; और

(ख) ये रिक्त पद कितने समय से नहीं भरे गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी संभव होगा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सिक्यूरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद की निर्धारित कागज उत्पादन क्षमता

1742. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योंरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद की निर्धारित कागज उत्पादन क्षमता क्या है और निर्धारित क्षमता के अनुसार वास्तविक कागज उत्पादन क्या है और यदि नहीं, तो यह उत्पादन का कितना कम है ;

(ख) इस अन्तर के क्या कारण है ;

(ग) किसी एक दिन का अधिकतम उत्पादन क्या है और इसे क्यों बनाये नहीं रखा गया है ; और

(घ) क्या कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर इस उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद की निर्धारित उत्पादन क्षमता 2700 मैट्रिक टन वार्षिक है। मिल में पिछले वर्षों में जो वास्तबिक उत्पादन हुआ, उसका ब्योंरा इस प्रकार है :—

	मेट्रिक टन
1969—70	2582
1970—71	2577
1971—72	2629
1972—73	2134
1973—74	1760
1974—75 (सम्भावित)	2600

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973—74 को छोड़कर, इन वर्षों में निर्धारित उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन का अन्तर बहुत थोड़ा और बिल्कुल सामान्य सा ही रहा। 1972—73 और 1973—74 में मिल में मजूरों की समस्याओं के कारण यह अन्तर काफी अधिक रहा।

(ग) 12.4016 मैट्रिक टन का अधिकतम उत्पादन 3-2-1975 को हुआ था। दैनिक उत्पादन के आंकड़े बदलते रहते है और ये तैयार किए गए कागज की किस्म के वजन और मजदूरों की गैर-हाजिरी पर निर्भर करते हैं, जो घटती-बढ़ती रहती है।

(घ) मिल में सात दिनों तक लगातार काम करके और काम को नये सिरे से वर्गों में बांटने के सम्बन्ध में नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को असली रूप देकर उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन दोनों बातों पर अमल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद में कार्य वर्गीकरण के लिए आयोग की नियुक्ति करना

1743. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में कार्य वर्गीकरण करने के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा श्री आर० एन० मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था ;

(ख) क्या यूनियन ने आयोग का बहिष्कार किया था क्यों कि उसे उस पर समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप जबरन छुट्टी हुई और 27 सितम्बर, 1974 को हड़ताल हुई ;

(घ) क्या उक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक भी यूनियन के साथ बातचीत न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां, अप्रैल, 1973 में एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी ।

(ख) बराबर का प्रतिनिधित्व दिये जाने के बाद भी यूनियन ने समिति का बहिष्कार किया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अभी नहीं, श्रीमन ।

(ङ) जब कभी जरूरी होता है, प्रबन्धक उससे बातचीत करते हैं ।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के प्रबन्धकों द्वारा जबरन छुट्टी की घोषणा करना

1744. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के प्रबन्धकों ने 18 सितम्बर, 1974 से जबरन छुट्टी की घोषणा की थी ;

(ख) जबरन छुट्टी के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी और दैनिक उत्पादन क्या था ;

(ग) क्या जबरन छुट्टी के दौरान कर्मचारियों ने काम पर उपस्थित होना चाहा था परन्तु उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी गयी थी ;

(घ) क्या उस समय मशीनें चल रही थीं ; और

(ङ) क्या सरकार 25 मई, 1974 को अथवा उसके आसपास जबरन छुट्टी की अवधि के लिए 75 प्रतिशत वेतन देने को सहमत हुई थी परन्तु अभी तक उसकी अदायगी नहीं हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कुछ कर्मचारियों द्वारा 1 सितम्बर, 1973 से हड़ताल कर दिए जाने के कारण मिल के उन सेक्शनों में आंशिक रूप से जबरन छुट्टी (ले आफ) दे दी गयी थी जिनमें काम नहीं दिया जा सकता था ।

(ख) जबरन छुट्टी के दिनों में मिल में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 111 थी । जबरन छुट्टी के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ ।

(ग) 10 अक्टूबर, 1973 को हड़ताल समाप्त होने तक कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आया। जबरन छुट्टी कई छोटे छोटे दौरों में उस समय हटायी गई जब किसी खास सैक्शन के कर्मचारी ड्यूटी पर आने लग गए और उन्हें काम भी दिया जाने लगा ।

(घ) जी, नहीं । हड़ताल की अवधि में मशीनें नहीं चल रही थीं । ।

(ङ) हड़ताल की अवधि में, जबरन छुट्टी की मजदूरी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हड़ताल खत्म होने के बाद जब जब कर्मचारी ड्यूटी पर आये, जबरन छुट्टी हटा ली गयी और कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया।

रुबल की तुलना में रुपये के मूल्य में कमी

1745. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में भारतीय रुपये का हाल ही में अवमूल्यन हुआ है ;

(ख) क्या सोवियत रुबल के सम्बन्ध में विनिमय मूल्य और अधिक गिर कर निम्नतम स्तर तक आ गया है ; और

(ग) यदि हां तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा देश में इस्पात संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों के प्रसार के लिए दी जाने वाली सोवियत सहायता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) रुबल के सम्बन्ध में भारतीय रुपये का कोई अवमूल्यन नहीं हुआ है। किन्तु सोवियत संघ का स्टेट बैंक सोवियत संघ के अन्दर गैर-वाणिज्यिक लेन देनों के लिए रुबल के सम्बन्ध में विशेषकर 1 मार्च, 1974 से भारतीय रुपये की विनिमय दर में संशोधन करता रहा है। पहली दिसम्बर, 1974 से प्रभावी बैंक द्वारा अधिसूचित दर 100 रुपये = 9.27 रुबल थी जब कि मार्च, 1974 में यह दर 100 रुपये = 9.51 रुपये थी। यह दर दोनों करेंसियों के सोने पर आधारित अर्थात् 100 रुपये = 12 रुबल की विनिमय दर से भिन्न है। गैर-वाणिज्यिक लेन देन कुल लेन देनों का बहुत छोटा सा भाग होते हैं।

(ग) चूंकि इस परिवर्तनों का सम्बन्ध सोवियत संघ के अन्दर किये जाने वाले गैर-वाणिज्यिक लेन देनों से है, इसलिये इनका भारतीय अर्थ-व्यवस्था या भारतीय परियोजनाओं के लिए सोवियत सहायता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

विश्वबाजार में भारतीय पटसन के माल की मांग

1746. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा कनाडा में भारतीय पटसन के माल की मांग में चिंताजनक क ी हुई ;

(ख) क्या विश्व बाजार में भी भारतीय पटसन के माल की मांग में तेजी से कमी हुई है ;

(ग) क्या चालू वर्ष के प्रारम्भिक भाग में इन दोनों देशों को निर्यात 15,000 टन प्रति मास से लगभग 20,000 टन प्रति मास तक गिर गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सामान्य पटसन वस्तुओं और विशेष रूप से गलिचे के अस्तर की मांग में महत्वपूर्ण गिरावट के क्या कारण हैं और इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय म उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हा।

(ख) जी, हां।

(ग) हालांकि पिछले कुछ महीनों में पटसन के माल के मासिक निर्यातों में मामूली गिरावट प्रकट हुई है, लेकिन नवम्बर, दिसम्बर, 1974 के महीनों में कालीन-अस्तर की संविदाकारी घट कर 2,000 मे. टन रह गई तथा जनवरी, 1975 में घटकर और भी कम रह गई।

(घ) संक्षेप में इसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) संश्लिष्ट माल से प्रतियोगिता।

(2) अन्य उत्पादकों से प्रतियोगिता।

(3) संयुक्त राज्य में भवन निर्माण उद्योग में मंदी।

सरकार ने दिसम्बर, 1974 के अन्त में प्राइमरी और सेकेन्डरी कालीन अस्तर पर लगे निर्यात शुल्क में कमी कर दी है। सं० रा० अमरीका तथा कनाडा में भारतीय पटसन माल के बाजारों का गहन अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल भी वहां भेजा गया है।

विमान सेवाओं को चलाने के बारे में प्राइवेट आपरेटरों को प्रोत्साहन

1747. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने निर्णय किया है कि प्राइवेट आपरेटरों को उन मार्गों और स्थानों पर, जहां इण्डियन एयर लाइन्स के विमान नहीं चलते हैं, विमान सेवाओं को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जिन मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स परिचालन नहीं करती उन मार्गों पर परिचालन की अनुमति के लिए प्राइवेट परिचालकों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एयर कारपोरेशन्स एक्ट तथा एयरक्राफ्ट रूल्ज, 1937 के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

होटलों को खोलने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन

1748. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि उन पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भारी बिल अदा करने की स्थिति में नहीं हैं, सामान्य प्रकार के होटलों को खोलने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सामान्य प्रकार के होटलों को खोलने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में सरकार का विचार किस प्रकार की सहायता और सुविधाएं देने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) निम्न आय वर्ग के पर्यटकों का आवास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होटल स्थापित करने के लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर का सदा स्वागत किया है। इस तरह के होटलों के लिए उपयुक्त समझे गए न्यूनतम मानक वही है जोकि 1—स्टार वर्ग के होटलों के लिए निर्धारित किये गए हैं, अर्थात्, किराये पर देने के लिए कम से कम दस शयनकक्ष होने चाहिए जिनमें से कम से कम 25 प्रतिशत के साथ संलग्न स्नानागार होने चाहिए और शेष कमरों के लिए हर चार कमरों के लिए एक स्नानागार होना चाहिए; स्नानागार में उचित सफाई, एवं शीतल जल की सुव्यवस्था होनी चाहिए, तथा गर्म जल की पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए; कमरों में साफ तथा आराम देह शय्याएं और फर्निचर होना चाहिए; एक स्वागत काउन्टर तथा एक साफ और मध्यम स्तर का सुसज्जित भोजन कक्ष/रेस्टोरेन्ट होना चाहिए जिसके साथ एक सुसज्जित रसोईघर व भाण्डागार (पैंट्री) भी हो।

(ख) प्राइवेट सेक्टर से कोई विशेष उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

(ग) माली राहत, संस्थागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर विचार करने में प्राथमिकता देने आदि के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन दे कर प्राइवेट सेक्टर को अधिकाधिक होटल, जिनमें उपरोक्त वर्ग भी सम्मिलित है, स्थापित करने के लिए उत्साहित किया जाता है।

Taking over of uneconomic Tea Plantations

1749. **Shri Bhagat Ram Rajaram Manhar :**

Shri H. K. L. Bhagat :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to take over uneconomic tea plantations; and

(b) if so, the time by which it will be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b) The Task Force on Tea has submitted its report on the question of take over of management of the sick tea gardens, and the finding of the Committee which examined the implications of the proposal are receiving attention.

Development of Tourism in Rajasthan

1750. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of assistance given by the Central Tourism Department for development of tourism in Rajasthan during the Third and Fourth Plans as compared to other States;

(b) whether there are a number of tourist spots in Rajasthan whose development is important from historical and cultural point of view and if so, the names thereof;

(c) whether Government have paid any attention towards them and if not, the reasons therefor; and

(d) whether attention is proposed to be paid to them hereafter and if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Tourist facilities are developed not on State-wise basis but on the basis of attractions places hold for tourists. Hence no comparative statements of expenditure on State-wise basis is maintained.

In the Third Plan an amount of Rs. 8.04 lakhs was spent by the Department of Tourism on developing facilities for tourists in Rajasthan. In the Fourth Plan an expenditure of Rs. 26.03 lakhs was incurred on developing additional facilities in Rajasthan. Besides, a loan of Rs. 60 lakhs was given for the construction of a hotel in the private sector at Jaipur.

In addition, the India Tourism Development Corporation incurred an expenditure of Rs. 32.89 lakhs on various facilities which they provided in Rajasthan in the Fourth Plan.

(b), (c) and (d) Yes, Sir. However, as it is not possible to develop all these places within the limitations of available resources, the Department of Tourism has concentrated on developing facilities at Jaipur, Udaipur, Bharatpur bird sanctuary and Jaisalmer. This pattern of development will continue in the Fifth Plan.

राजस्थान सरकार की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण

1751. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान की सरकार की ओर कुल कितनी राशि के केन्द्रीय ऋण बकाया है ;

(ख) ये ऋण राजस्थान सरकार द्वारा किस रूप में चुकाए जाते हैं ; और

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा प्रति वर्ष व्याज के रूप में कितनी राशि अदा की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1973–74 के अन्त में राजस्थान सरकार पर केन्द्रीय ऋणों की कुल बकाया रकम लगभग 761 करोड़ रुपये थी ।

(ख) विभिन्न प्रकार के ऋण छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित शर्तों के अनुसार चुकाए जा रहे है । आयोग की सिफारिशों में, जो पहले ही सभा पटल पर रख दी गयी है, राजस्थान सरकार द्वारा 31 मार्च, 1974 को बकाया कुछ खास प्रकार के ऋणों के मामले में 2 से 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित इन ऋणों के 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की अवधि में चुकाए जाने की परिकल्पना की गयी है ।

(ग) 1974–75 में राजस्थान द्वारा दिये जाने वाले व्याज की रकम का अनुमान लगभग 36 करोड़ रुपये का है ।

Raids in Rajasthan to Unearth Black Money

1752. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the dates on which raids were conducted in Rajasthan to unearth black money during 1974, the places where raids were conducted and the amount of black money recovered together with the dates of its recovery; and

(b) the action taken so far to seize this money?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The requisite information is furnished in the annexure. [*Placed in the Library. See Nn. L. T*—9048/75]

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी द्वारा "धीमे काम करो" और सामूहिक छुट्टी की नीति अपनाना

1753. **श्री हरि सिंह** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने इस वर्ष जनवरी में धीमे काम करो तथा सामूहिक छुट्टी की नीति अपनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक सूचित किया है कि बैंक के अधिकारियों के दो संघों ने महंगाई भत्ते की वृद्धि की अपनी मांग के समर्थन 10 जनवरी, 1975 से सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर जाने का और 10 फरवरी, 1975 धीमे काम करने का आवाहन किया था ; अब आन्दोलन समाप्त हो गया है क्योंकि बैंक द्वारा महंगाई त्ते में तदर्थ वृद्धि कर दी गई है ।

आस्ट्रेलिया के विदेश व्यापार मंत्री का भारत का दौरा

1754. **श्री हरी सिंह :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदजा :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के विदेश व्यापार मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई और क्या निर्णय किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

निम्नलिखित पर विचार विमर्श हुआ :—

(क) आस्ट्रेलिया को निम्नलिखित माल के भारतीय निर्यातों की कठिनाइयां ;

(i) टैरिफ ढांचे के परिशोधन तथा अन्य प्रतिबंधों के कारण वस्त्र तथा परिधान ;

(ii) आस्ट्रेलिया द्वारा "हस्तशिल्प की वस्तुओं" की नई परिभाषा अपनाने के कारण हस्तशिल्प की वस्तुएं ;

(iii) जूतों के आयातों पर कोटा प्रतिबन्धों तथा टैरिफ ढांचे के कारण जूते ;

(ख) भारतीय निर्यातकों को बाजार सहायता देने के लिए आस्ट्रेलिया सरकार की योजना ;

(ग) भारत में ऊन उद्योग के विकास के लिए भारत-आस्ट्रेलिया परियोजना का पुर्नविलोकन; और

(घ) भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार करार सम्पन्न करने की प्रस्थापना ।

अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रत्येक पक्षकार की स्थिति को नोट कर लिया गया ।

प्रवर्तन तथा उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा छापे

1755. **श्री हरि सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी तथा फरवरी, 1975 में प्रवर्तन विभाग तथा उत्पादन शुल्क विभाग ने उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में बहुत से छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो छापों का विवरण क्या है और और इन छापों से कितना काला धन, जेवर तथा अन्य वस्तुएं बरामद हुई ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम) द्वारा 1 जनवरी, 1975 से 15 फरवरी, 1975 तक की अवधि

में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में मारे गये छापों के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1 जनवरी, 1975 से 15 फरवरी, 1975 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के परिसरों की तलाशियां ली गई और कुछ अपराधारोपणीय दस्तावेज बरामद किये जिनको अधिकार में ले लिया गया। उसी अवधि में देश के अन्य भागों में 237 तलाशियां ली गई और अपराधारोपणीय दस्तावेजों के अतिरिक्त, लगभग 1,28,000 रुपये की भारतीय मुद्रा और 17,000 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी।

यदि, पूछताछ के बाद, सम्बन्धित पार्टियां, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध की दोषी पाई गई, तो अधिनियम में यथा निर्दिष्ट आवश्यक दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा मारे गए छापों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

आस्ट्रेलिया द्वारा जूतों का आयात

1756. श्री निम्बालकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया सरकार से अनुरोध किया है कि जूतों के आयात पर वहां लग प्रतिबन्ध ढील किये जाये ; और

(ख) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। 26 जनवरी से 1 फरवरी 1975 तक आस्ट्रेलिया के विदेश व्यापार मंत्री मि० फ्रैंक क्रेन की हाल की भारत यात्रा के दौरान अन्य बातों के साथ साथ आस्ट्रलिया द्वारा जूतों के आयात पर लगाए गए प्रतिबन्धों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। आस्ट्रेलियाई मंत्री ने आगे विचार के लिए इस समस्या को नोट कर लिया है।

गैर-अनुसूचित विमान सेवाओं को चलान के लिए गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को अनुमति

1757. श्री मधु दण्डवते :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैरसरकारी विमान कम्पनियों को ऐसी गैर-अनुसूचित विमान सेवाओं को चलाने की अनुमति दी गई जो इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा संचालित नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो वे मार्ग कौन कौन से हैं जिन पर गैरसरकारी विमान कम्पनियों का विचार अपनी विमान सेवायें चलाने का है ; और

(ग) क्या गैरसरकारी विमान कम्पनियां इण्डियन एयरलाइन्स विमान सेवाओं के उन 16 केन्द्रों पर उड़ाने भरेंगी जिन्हें ईन्धन के मूल्यों में वृद्धि होने के उपरान्त बन्द कर दिया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कुछ प्राइवेट परिचालकों को गैर अनुसूचित सेवायें परिचालित करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक ने वायुनिगम अधिनियम तथा वायुयान नियम, 1937 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की है। नियमित आधार पर प्राइवेट परिचालकों को कोई मार्ग नहीं दिये जाते हैं। उन्हे ने गैर-अनुसूचित सेवा दैनन्दिन आधार पर चलाने के लिए अनुमति दी जाती है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा छोड़ दिये गये मार्गों पर परिचालन के लिए प्राइवेट परिचालकों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा वायु निगम अधिनियम तथा वायुयान नियम, 1937 के उपबन्धों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

एयर इण्डिया के एक जम्बो जेट विमान के अपहरण का प्रयास

1758. **श्री मधु दण्डवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 दिसम्बर, 1974 को एक कनेडियन द्वारा एयर इण्डिया के एक जम्बो जेट विमान का अपहरण करने का प्रयास किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विमान अपहरण-कर्ता को पकड़ने में सफल होने वाले विमान कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) विमान अपहरणकर्ता का पूर्ववृत्त क्या है ; और

(घ) क्या अपहरण के प्रयास के पीछे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 25 दिसम्बर, 1974 को सैक्टर बैरुत / रोम के बीच जोसेफ होमोला नामक एक कनेडियन राष्ट्रिक ने एयर इण्डिया के जम्बो जेट विमान को अपहरण करने का प्रयत्न किया था। विमान के कमाण्डर कैप्टन ए० एम० कपूर के अनुदेशों पर विमान के कार्मिकों, कैपटन बी० एस० संधु, फर्स्ट आफिसर श्री एस० के० दासगुप्ता, फ्लाइट इंजीनियर तथा इन्फ्लाइट सुपरवाइजर श्री एन० एम० पर्दीवाला ने अपहरणकर्ता को काबू कर लिया।

(ग) मिस्टर जीसोफ होमोला चैकोस्लावाकिया में पैदा हुआ था और लगभग 6 वर्ष पूर्व कनाडा चला गया था। उस के पास कनैडियन पासपोर्ट था।

(घ) यह प्रयत्न राजनीतिक से प्रेरित हुआ प्रतित नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम को वित्तीय सहायता

1759. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को जिसके पास पहले फालतू धन राशि थी अपने निर्यात आयात कार्यों के लिए अब बैंकों से ऋण लेना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम को वित्तीय सहायता देने के बारे में राज्य व्यापार निगम तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो बैंक से राज्य व्यापार निगम को तुरन्त कितनी सहायता उपलब्ध होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विशाल कारोबार दिया गया होने स बैंकों से ऋण लेना, जो वित्त व्यवस्था की मानी हुई पद्धति है, राज्य व्यापार निगम की वित्त आयोजन का हमेशा से एक हिस्सा रहा है।

(ख) राज्य व्यापार निगम को वित्तीय सहायता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने के सम्बन्ध में भी जो राज्य व्यापार निगम के कार्य के सम्बन्ध में सामान्य बात है, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कोई विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

1760. **श्री मधु दण्डवते : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनुमानत: कितनी आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस द्वीप समूह में पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में इस परिसमूह में सुविधाओं के विकास पर विचार नहीं किया जा सका।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम को बड़े औद्योगिक गृहों में पूंजी निवेश करने की नीति

1761. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की प्राथमिकता क्षेत्र की बजाय बड़े और अधिक मुनाफा देने वाले औद्योगिक गृहों में पूंजी निवेश करने की नीति है ; और क्या इससे वाणिज्यिक बैंको की ऋण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम की नीति यह नहीं है कि गैरसरकारी निगम क्षेत्र के अन्य उद्योगों को छोड़कर या उनकी उपेक्षा करके केवल बड़े औद्योगिक गृहों में ही निवेश किया जाय। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति तथा साथ ही जीवन बीमा निगम की निवेश नीति सरकार की व्यापक आर्थिक, वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति के अभिन्न अंग है। नीति निर्धारण के समय सरकार यह सुनिश्चित कर लेती है कि उसकी समग्र नीति के जो, विभिन्न तत्व है उनमें कोई परस्पर विरोध न हो। जीवन बीमा निगम द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों के उद्योगों को सावधिक ऋण मंजूर करने या विशुद्ध रूप से पात्रता के आधार पर अथवा अन्य गैरसरकारी वित्तीय संस्थानों के साथ मिल कर उनकी पूंजी की हामीदारी से वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति पर उनके हितों के विरुद्ध प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

वर्ष 1974–75 में विदेशी सहायता

1762. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आशा है कि वे चालू वित्तीय वर्ष में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से विदेशी सहायता के रूप में 850 करोड़ रुपये की राशि का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1975 तक कितनी विदेशी सहायता के समझौते किए जा चुके हैं ; और

(ग) जो समझौते हुए हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा समझौते किन-किन देशोंसे हुए हैं,

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 1062.31 करोड़ रुपये के सहायता करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें अब तक हस्ताक्षरित करारों और देशों के नामों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

विदेशी सहायता-1974-75

अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975 तक के बीच किये गये करार

(करोड़ रुपये)

देश	परियोजना	परियोजना-भिन्न	जोड़
1. बैल्जियम .	..	5.77	5.77
2. कनाडा	0.54	42.44	42.98
3. डेनमार्क .	..	7.02	7.02
4. फ्रान्स . .	34.44	30.12	64.56
5. पश्चिम जर्मनी . . .	33.18	80.58	113.76
6. जपान .	..	51.69	51.69
7. नीदरलैण्ड . .		25.01	25.01
8. स्वीडन .		37.44	37.44
9. ब्रिटेन . .		74.54	74.54
10. संयुक्त राज्य अमेरिका . .	..	6.93	6.93
11. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	129.12	..	129.12
12. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ . .	302.99	200.50	503.49
जोड़	500.27	562.04	1062.31

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गिरोह

1763. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गिरोहों को दिसम्बर, 1974 में काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था ; और

(ख) क्या इस बीच कार्यवाही में ढील होने के कारण इनकी गतिविधियां फिर से सक्रिय हो गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) विदेशी मुद्रा के जाल-चक्र में लगे व्यक्तियों की आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के अन्तर्गत और बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्दी के परिणामतः विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन काफी कम हो गया है ।

(ख) विदेशी मुद्रा के जाल-चक्र में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध अधियान में कोई ढील नहीं दी गई है और यह कहना सही नहीं है कि उनकी गतिविधियां बढ गई हैं ।

फरवरी, 1975 में डाकार में हुआ तटस्थ देशों का सम्मेलन

1764. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 फरवरी से 8 फरवरी, 1975 तक डाकघर में हुए तटस्थ देशों के सम्बन्ध में कच्चे माल और वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनसे भारत को कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन ने विकासशील देशों द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, उनसे लाभ उठाने, कीमतों तथा विपणन के सम्बन्ध में उनकी वार्ता स्थिति का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से एक घोषणा [illegible]ा कार्यवाही के कार्यक्रम को स्वीकार किया । कार्यवाही के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादकों के विभिन संघों के बीच परामर्श तथा सहयोग के लिए एक परिषद् की स्थापना करने के लिए भी विकासशील देशों से निवेदन किया गया है ।

सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी विनिश्चय किया है कि (i) विकासशील देशों द्वारा नियोजित कच्चे माल की कीमतों को लाभकारी स्थरों पर स्थिर करने के लिए एक विशेष कोष बनाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाए ; (ii) विकासशील देशों के साथ आगामी सम्मेलन के लिए एक सामान्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए गुट-निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों की एक बैठक बुलाई जाए, जिसके द्वारा विकासशील तथा विकसित देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों पर विचार विमर्श किये जाने की प्रस्थापना है, और (iii) कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुओं के क्षेत्र में विकासशील देशों के विधिरूपी हितों का ध्यान रखने के लिए उनके बीच और अधिक समन्वय स्थापित किया जाए ।

(ग) सम्मेलनों के विनिश्चयों के क्रियान्वयन से आशा है कि इससे वस्तुओं सम्बन्धी हमारे व्यापार को सुधारने में सहयोग मिलेगा ।

रुई का आयात

1765. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वे रुई का आयात उससे अधिक नहीं करेंगे जितनी कि नितान्त आवश्यक है तथा वैसी रुई का आयात नहीं करेंगे जैसी कि देश में पैदा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात को संसदीय कार्य मंत्री से प्राप्त पत्र के उत्तर में स्पष्ट कया था ;

(ग) क्या रुई उत्पादकों ने सरकार की रुई आयात नीति के बारे में उत्पादकों के व्याप्त चिन्ता से उन्हें अवगत कर दिया है ;

(घ) क्या उनका मंत्रालय एक नीति पर विचार कर रहा है अथवा उसे तैयार कर रहा है ताकि उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु भारतीय रुई निगम बाजार में अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रवेश कर सके ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सप्लाई और मांग के बीच अन्तर पर निर्भर रहते हुए रुई के कुछ आयात आवश्यक हो सकते हैं। तथा ये आयात, मध्यम रेशे वाली रुई तक सीमीत होंगे जिसकी उपलब्धता, मांग की अपेक्षा कम है।

(ग) जी हां, लेकिन प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए उत्पादकों पर किसी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

(घ) तथा (ङ) भारतीय रुई निगम ने 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की है। हमने, इस सीमा को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। भारतीय रुई निगम ने हाल ही में कुछ खरीदारियां शुरू की हैं।

चालू व्यस्त मौसम के दौरान खाद्य वसूली ऋण प्रसार के सम्बन्ध में कमी

1766. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मौसम की तुलना में चालू व्यस्त मौसम के दौरान खाद्य वसूली के लिए दिये गये ऋण में कमी आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) वर्तमान व्यस्त मौसम के दौरान 31 जनवरी, 1975 तक, सरकारी खाद्यान्न वसूली ऋण में 109 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इसकी तुलना में, 1973–74 के व्यस्त मौसम के दौरान, इसी अवधि में, यह वृद्धि 154 करोड़ रुपये कि थी। समग्रत: चालू व्यस्त मौसम को ईन आंकडो को राशी 363 करोढ़ रुपयें है, जबकि इसकी तुलना में, पिछले व्यस्त-मौसम की इसी अवधि में यह राशि 389 करोड़ रुपये थी।

(ख) वर्तमान मौसम में सरकारी खाद्यान्न वसूली के लिए ऋण प्रसार की अब तक की शिथिल गति का कारण पिछले वर्ष के व्यस्त मौसम की तुलना में इस वर्ष कुल मिलाकर खाद्यान्न वसूली मुहिमों की गति की मन्दता है।

राजस्थान राज्य के निर्यात को बढ़ना

1768. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान लघु उद्योग निगम की ओर से इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फोरेन ट्रैड द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत के निर्यात में व्यापार में राजस्थान का योगदान वर्ष 1973–74 में देश के कुल निर्यात का केवल एक प्रतिशत था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान राजस्थान को और समुचे देश को निर्यात से क्या क: आय हुई ;

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनी निर्यात-आय बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई कार्यक्रम योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितना निर्यात किया जायेगा और यह देश के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत होगा ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष देश के निर्यात मानचित्र में राजस्थान की राज्यवार स्थिति क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात आय के राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान देश से क्रमश: 1608 करोड़ रुपये, 1971 करोड़ रुपये तथा 2483 करोड़ रुपये के निर्यात हुए।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

1769. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार के सम्बन्ध में हाल के वर्षों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पिछले वर्षों में इन देशों से मशीनरी की मदों से सम्बन्धित हमारे आयातों में कमी हुई है तथा औद्योगिक कच्चे माल और हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्व की अन्य मदों के आयातों में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर इन देशों को होने वाले हमारे निर्यातों में विनिर्मित सामान ने पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण जगह बना ली है।

मुद्रास्फिति से प्रभावित विकसित पूंजीवादी देशों से भारतीय व्यापार और वाणिज्य को समाप्त करना

1770. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी वादी देशों की मंडियों से सम्बद्ध होने के कारण भारत में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ती जा रही है ;

(ख) मुद्रास्फीति से प्रभावित विकसित पूंजीवादी देशों से भारत के व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धों को समाप्त करने तथा समाजवादी देशों के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत विश्व में पूंजीवादी तथा गैर पूंजीवादी दोनों प्रकार के देशों के साथ व्यापार कर रहा है। अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां अन्य बातों के साथ साथ आयातित खाद्यान्न, उर्वरकों तथा अन्य विनिर्मित वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण हैं।

(ख) तथा (ग) सरकार की नीति का उद्देश्य, देश के निर्यातों से अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाने और पूर्ण प्रतियोगी कीमतों पर देश की आयात आवश्यकताओं की प्राप्ति के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुकूलतम सीमा तक पूंजीवादी विश्व तथा समाजवादी देशों दोनों के साथ व्यापार बढ़ाना है।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर एक होटल खोलने का प्रस्ताव

1771. **श्री रानेन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सांताक्रुज हवाई अड्डे पर एक होटल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दि होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एयर-इंडिया की एक सहायक कम्पनी है, सांताक्रूज विमानक्षेत्र पर एक होटल का निर्माण कर रही है। होटल के इस वर्ष मई/जून तक 120 कमरों के साथ आंशिक रूप से तथा अगस्त/सितम्बर, 1975 तक 300 कमरों के साथ पूर्णरूप से चालू कर दिये जाने की आशा है। होटल का डिज़ाइन वृत्ताकार है जिस के बीच में एक स्विमिंगपूल, 5 रैस्टोरेंट, शांपिग आर्केड, सम्मेलन सुविधाएं तथा स्वास्थ्य क्लब हैं। होटल में एयरलाएंस काउंटर, एयर-इंडियन लाउंज तथा एयरलाइन यात्रियों के लिये विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी होगी।

भारत को जस्ते की सप्लाई के लिए भारत और रूस के बीच करार

1772. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को जस्ते की सप्लाई के लिए भारत और रूस के बीच कोई करार हाल ही में हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार के अन्तर्गत, 1975 के दौरान सोवियत संघ भारत को 16000 मे० टन इलेक्ट्रोलिटिक हाईग्रेड जस्ता सप्लाई करेगा।

फाइन और सुपर फाइन कपड़े के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव

1773. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई खरीद के लिए निधि बढ़ाने हेतु सरकार ने फाइन और सुपर फाइन कपड़े उत्पादन पर उपकर लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो रूई का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए बनाये गए फार्मूले की मख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार पर गोष्ठी

1774. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 'जनरल स्कीम आफ फ्रीफेरेन्सिस' के अन्तर्गत भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार पर एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इस गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी में समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के संबंध में भारत के अनुभव का पुनर्वलोकन किया गया। गोष्ठी में जिन विशिष्ट उत्पादों पर विचार किया गया वे थे :—इंजीनियरी माल, जूतों सहित चमड़े से बनी वस्तुएं, खेल कूद का सामान, सिले सिलाये कपड़े, होजरी माल तथा ऊनी कालीनों सहित हस्तशिल्प की वस्तुए। गोष्ठी के दौरान सुझाव दिए गये थे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली में विशेष रूप से उन वस्तुओं के संबंध में जिनके निर्यातों पर अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत कोटे की अधिकतम सीमा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, सुधार किए जायें।

यह भी माना गया था कि अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत कोटों के उपयोग के संबंध में जानकारी के निरन्तर मिलते रहने तथा व्यापार को उसका प्रसार करने से अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के बेहतर उपयोग में सुविधा होगी। गोष्ठी के दौरान समुदाय पक्ष ने यह बताया कि अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत इंजीनियरी सामान के निर्यात नये उत्पाद क्षेत्रों का पता लगा कर तथा यूरोपीय बाजारों के उपयुक्त उत्पादों का अनुकूलन करके और अधिक बढ़ाये जा सकते हैं।

जब्त की गई वस्तुओं का निर्यात

1775. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग का विचार जब्त की गई विलास वस्तुओं का निर्यात करने का है ;

(ख) उनके निर्यात के लिए निर्धारित प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जब्त किए गए मूल्यवान पत्थरों और अन्य वस्तुओं के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) तथा (ग) जब्त किये गये माल में से टेक्सटाइल्स, घड़ियों और रत्नों के संबंध में निर्यात की दृष्टि से विचार किया गया। घड़ियों और टेक्सटाइल्स के मामले में सरकार के प्रयत्न सफल नहीं हुए। लेकिन, रत्नों का निर्यात करने के प्रस्ताव और टेक्सटाइल्स को पोशाकों में परिवर्तित करके निर्यात करने के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा रहा है।

तस्करी विरोधी समिति की रिपोर्ट

1776. **श्री राज सिंह बेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोई उच्च अधिकार प्राप्त तस्करी विरोधी समिति बनाई गई है और यदि हां, तो कब और इसके निदेश पद क्या है ;

(ख) क्या इस समिति ने तस्करी-विरोधी गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें और टिप्पणियां क्या हैं और उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) तस्करी विरोधी कार्य के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई उच्चाधिकार समिति नियुक्त नहीं की गई है । लेकिन, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि वे तस्करी विरोधी कार्य के सम्बन्ध में किय जा रहे उपायों की सतत समीक्षा करें और उनमें समन्वय कायम करें ।

इण्डियन एयर लाइन्स के किरायों में वृद्धि

1777. **श्री नुरूल हुडा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स शीघ्र ही किरायों में वृद्धि करने का विचार कर रही है ; और

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) इस मामले का निरन्तर पुनरावलोकन किया जाता है । अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा दिये गये अल्पाहार और पेय पदार्थ

1778. **श्री नुरूल हुडा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा किए गए अल्पाहार और पेय पदार्थों की घटिया और लगातार एक सी किस्म के बारे में यात्रियों की कथित शिकायतों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इसे सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स अपनी उड़ानों के दौरान अच्छी क्वालिटी के स्नैक्स तथा पेय पदार्थों की व्यवस्था करने के प्रयत्न करती रहती है। इन वस्तुओं के स्तर में और सुधार करने एवं उनकी विविधता को और बढ़ाने के प्रश्न पर कार्पोरेशन विचार कर रही है ।

Uniform Pay Scales for Employees working in Flying Clubs

1779. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether flying clubs have been set up in various States and if so, the locations thereof;

(b) whether there is dispartiy in the pay-scales of the employees working in these flying clubs;

(c) if so, the facts thereof and the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to prescribe uniform pay scale for the employees working in flying clubs and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in The Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) ; (a) A list of the existing Flying Clubs in the country along with their locations is given in the attached statement.

(b) and (c) Yes, Sir. The pay scales of the employees are decided upon by the Flying Clubs themselves.

(d) Uniform pay scales for the employees of the Flying Clubs have been specified in the subsidy agreements with the Clubs. Most of the Clubs, however, follow their own pay scales which are higher than the specified scales of pay.

STATEMENT

Nmaes of Flying Clubs

1. Andhra Pradesh Flying Club, Hyderabad.
2. Assam Flying Club Ltd., Gauhati.
3. Bihar Flying Club Ltd., Patna.
4. Bombay Flying Club, Bombay.
5. Delhi Flying Club Ltd., New Delhi.
6. Gujarat Flying Club, Baroda.
7. The Kerala Flying Club Ltd., Trivandrum.
8. Co-Op. Hind Flying Club Ltd., Lucknow.
9. Madhya Pradesh Flying Club, Indore.
10. Nagpur Flying Club Ltd., Nagpur.
11. Madras Flying Club Ltd., Madras.
12. Northern India Flying Club, Jullundur.
13. Orissa Flying Club Ltd., Bhubaneswar.
14. Rajasthan Flying Club Ltd., Jaipur.
15. Coimbatore Flying Club Ltd., Coimbatore.
16. Patiala Aviation Club, Patiala.
17. Amritsar Aviation Club, Amritsar.
18. Banasthali Vidyapith Gliding & Flying Club, Banasthai (Raj.).
19. Hissar Aviation Club, Hissar.
20. Karnal Aviation Club, Karnal.
21. Jamshedpur Co-op. Flying Club Ltd., Jamshedpur.
22. Eastern Madhya Pradesh Flying & Gliding Club, Raipur.
23. Ludhiana Aviation Club, Ludhiana.

"प्रतिबन्धित रक्षा लेखें वर्ष पुस्तिका" के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार सी०डी०ए० पटना के आई०डी० ए० एस० के अधिकारी की पदोन्नति

1780. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पूर्व अनुमति के बिना "प्रतिबन्धित रक्षा लेखे पुस्तिका" (रेसट्रिक्टेड डिफेन्स अकाउन्टस ईयर बुक) के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार सी०डी०ए०पटना के एक आई०डी०ए०एस० अधिकारी पदोन्नति के लिए विचाराधीन है ;

(ख) क्या ऐसे कार्यों के लिए कुछेक अधिकारियों को सरकार द्वारा कोई सजा दी गई है ;

(ग) क्या इसी प्रकार के आधारों पर सी०डी०ए० पटना के कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों को पदोन्नति/स्थायीकरण रोक दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो नियमों तथा आचरण का गम्भीर उल्लंघन करने वाले इस अधिकारी को पुरस्कृत करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 'रक्षा लेखे वर्ष पुस्तिका (1973)' का संकलन एवं प्रकाशन नियंत्रक रक्षा लेखा (पटना) के कार्यालय के कर्मचारी कल्याण समिति ने किया था। समिति के पदाधिकारियों में दो आई०डी०ए०एस० अधिकारी शामिल हैं, जिन में से एक अधिकारी पदोन्नति के लिए विचाराधीन है ।

(ख) वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील के नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी गई थी। तथापि बिना अपेक्षित अनुमति के पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कर्मचारी कल्याण समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों को अलग-अलग से लिखित रूप में चेतावनी दी गई थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमन ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम द्वारा औद्योगिक गृहों और औद्योगिक क्षेत्र में लगाई गई पूंजी

1781. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने किन प्रथम 20 औद्योगिक गृहों में वर्ष 1973–74 और 1974–75 में पूंजी लगाई है तथा प्रत्येक में कितनी कितनी पूंजी लगाई है ; और

(ख) इसी अवधि में जीवन बिमा निगम ने औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी पुंजी लगाई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

(लाख रुपयों में)

औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति रिपोर्ट, 1969 के परिशिष्ट 11 की सूची में दिए गए 20 अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृह	निम्न वर्षों के दौरान सकल निवेश 1973–74	1974–75 (31-12-74 तक)
1	2	3
1. ए०सी०सी०	2.92	8.09
2. एंड्रू यूल	..	..
3. बांगड	23.78	60.00

1	2	3
4. बर्ड हैल्जर्स	..	..
5. बिड़ला	1,55.18	63.24
6. गोयन्का	3.54	0.32
7. आई०सी०आई०	17.51	3.70
8. जे०के०सिंघानियां	28.02	0.21
9. किलाचन्द तुलसीदास	1.48	0.53
10. किल्लिक्स	1.23	36.80
11. मफतलाल	0.19	1.01
12. मार्टिन बर्न	0.09	..
13. साहू जैन	..	..
14. साराभाई	5.20	2.34
15. सिंधिया स्टीम नेविगेशन	..	10.40
16. श्री राम	27.36	115.02
17. सूरजमल नागरमल		
18. टाटा	293.81	157.69
19. थापर	3.17	..
20. वालचन्द	20.13	0.20
20 समूहों का कुल योग	588.61	*459.55
(ख) चीनी सहकारी समितियों सहित औद्योगिक क्षेत्र में कुल निवेश	22,42.89	29,42.85

भारत के आन्तरिक ऋण

1782. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 में और 1974–75 में (जनवरी, 1975 तक) प्रति वर्ष भारत द्वारा कुल कितना ऋण लिया गया ; और

(ख) इसमें से प्रत्येक ऋण की कब तक लौटाया जायेगा तथा उस पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जायगा ?

*ये आंकड़े अनन्तिम है और इनकी लेखा परीक्षा होनी है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1972–73 और 19731-74 के अन्त में तथा 1974–75 में जनवरी 1975 तक केन्द्रीय सरकार के आन्तरिक ऋण की कुल रकम क्रमश: 10197 करोड़ रुपये, 11107 करोड रुपये और 12135 करोड़ रुपये थी।

(ख) आन्तरिक ऋण का अधिक हिस्सा बाजार ऋणों और राजकोष हुण्डियों के रूप में है। अन्य विविध ऋणों में मुआवजा बाण्ड, इनामी बाण्ड और 15 वर्षीय वार्षिकी पत्र शामिल है। इस के अलावा ऐसे ऋण भी है जिनकी अवधि समाप्त हो गयी है जिन पर कोई व्याज नहीं लगता। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एशियाई बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ आदि के नाम जारी की गयी विशेष अहस्तान्तरणीय रुपया सिक्योरिटियां भी हैं, जिन पर भी कोई ब्याज नहीं लगता। राजकोष हुण्डियों की अवधि 91 दिन होती हैं और इन पर 4.6 प्रतिशत ब्याज लगता है। बकाया बाजार ऋणों के पकने की तारीख और व्याज की दरें संलग्न अनुबन्ध में दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी–9049/75**] इस अनुबन्ध में आन्तरिक ऋण की अन्य सियोरिटियां की जनवरी, 1975 के अन्त में बकाया शेष रकम भी दी गयी है।

इराक और ईरान के साथ व्यापार करार

1783. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमने इराक और ईरान के साथ कहां तक और किस प्रकार के व्यापार करार किये हैं; और

(ख) उनके साथ व्यापार करारों को सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या प्रयास किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1971 में भारत और इराक के बीच हस्ताक्षरित व्यापार करार द्विपक्षी किस्म का है। इस करार की मुख्य बातें ये हैं :

(i) दोनों सरकारों में व्यापार के संबंध में परस्पर परम-मित्र-राष्ट्र-व्यवहार प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है ;

(ii) करार तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, यह करार दोनों में किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्ति नोटिस न दिये जाने की दशा में उतनी अवधि के लिए उसे स्वत: नवीकृत समझा जाएगा ;

(iii) भारत से माल के निर्यात और इराक से माल के आयात दोनों के लिए भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में किये जाने हैं ;

(iv) करार के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच व्यापार स्वरुप का वार्षिक पुनरीक्षण करने और अगले वर्ष के लिए एक सहमति प्राप्त व्यापार योजना का सुझाव देने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति हेतु व्यवस्था है। संयुक्त समिति व्यापार करार के संदर्भ में प्रत्येक के निष्पादन का भी पुनरीक्षण करेगी ;

(v) प्रत्यक देश व्यापार मेले/प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा ;

2. भारत और ईरान के बीच दीर्घकालिक व्यापार करार की जो कि दिसम्बर, 1974 में लागू हुआ, मुख्य बातें ये हैं:

(i) करार पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

(ii) इसके अन्तर्गत पारस्परिक व्यापार में परम-मित्र-राष्ट्र व्यवहार प्रदान किय जाने की व्यवस्था है।

(iii) एक देश द्वारा दूसरे देश को व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने में सुविधायें दी जाएंगी।

(iv) करार के अन्तर्गत सभी भुगतान परिवर्तनीय मुद्राओं में किये जाएंगे।

(v) करार के साथ संलग्न उदाहरण स्वरूप में अनुसूचियों में वे मदें दी गई हैं जिन का भारत से ईरान को और ईरान से भारत को निर्यात हो सकता है।

(vi) व्यापार के निष्पादन की छ: महीने में एक बार समीक्षा की जाएगी।

(ख) दोनों सरकारें, व्यापार करार के क्रियान्वयन में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर एक दूसरे से संपर्क करती है।

"काटन वेस्ट एक्सपोर्ट ग्राइण्ड टु एं हाल्ट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1784. **श्री वसन्त साठे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकार बची रुई (कोटन वेस्ट) का निर्यात बिलकुल बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है, करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गत पांच वर्षों में साफ्ट तथा हार्ड काटन वेस्ट दोनों के निर्यात के आंकडों से ऐसा प्रतीत होगा कि निर्यात पूरी तरह से स्थिर रहे ह।

(लाख कि० ग्राम में)

वर्ष	निर्यात		
	साफ्ट	हार्ड	योग
1969	180	40	220
1970 . . .	150	40	190
1971	130	30	160
1972 . .	160	40	200
1973 . . .	160	40	200
1974 (जनवरी-जून) . .	70	20	90

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अपने रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा आयकर का अपवंचन

1785. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर प्राधिकारियों द्वारा हाल में मारे गये छापों में अपने रोजगार में लगे हुए ऐसे कितने व्यक्ति आयकर अपवंचन करते हुए पाये गये, और

(ख) क्या सरकार का विचार अपने रोजगार में लगे हुए इन सम्मान व्यक्तियों को आयकर के दायरे में लाने को सुनिश्चित करने के लिए आगे कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 तक के तीन महीनों में, आय-कर विभाग के अधिकारियों ने सभी वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में, जिनमें कम्पनियों, व्यापारी और पेशेवर व्यक्ति शामिल हैं, 709 तलाशियां ली। स्व-नियोजित व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस रूप में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्वनियोजित, पेशेवर तथा अन्य व्यक्ति जिनकी आमदानी/धन आय-कर लगने योग्य है, कर के दायरे में आ जायें, संगठित सर्वेक्षण का अभियान चलाया गया है।

दिसम्बर, 1974 में एयर इण्डिया के एक विमान को अपहरण करने के प्रयास के बारे में जांच रिपोर्ट

1786. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1974 में रोम में एयर इंडिया के विमान को अपहरण करने के प्रयास के बारे में जांच रिपोर्ट इस बीच सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जाच रिपोर्ट की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) 25 दिसम्बर, 1974 को एयर इंडिया के विमान का अपहरण करने का जो प्रयास किया गया था उसके संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

आयकर का बकाया

1787. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर के बकाया के संबंध में इस समय की स्थिति क्या है ;

(ख) सब से अधिक बकाया आयकर वाले सौ व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और 1973-74 और 1974-75 में उनकी ओर बकाया राशियां क्या थीं ; और

(ग) बकाया आयकर की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 30 सितम्बर, 1974 की स्थिति के अनुसार सकल मांग और आयकर की शुद्ध बकाया, जिसमें निगम-कर शामिल है, इस प्रकार थीं :

	30-9-1974 की स्थिति के अनुसार (करोड रूपयों में)
सकल मांग	783.52
शुद्ध बकाया	572.74

शुद्ध बकाया रकमों का हिसाब लगाने के लिए सकल मांग में से निम्नलिखित रकमों को घटाया जाता है :—

(1) वे रकमें, जो देय नहीं हुई हों।

(2) वे रकमें, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे अदा की जा चुकी हैं, किन्तु जिनका समायोजन/सत्यापन होना है।

(3) वे रकमें, जिनके बारे में स्थगन-आदेश की मंजूरी विभिन्न अधिकारियों, एवं न्यायालयों द्वारा दी गयी हो ।

(4) वे रकमें, जिनके लिए किस्तों की मंजूरी दी गई हो।

(ख) जिन चोटी के सौ व्यक्तियों की तरफ 30 सितम्बर, 1974 को आय-कर की अधिकतम माग बकाया थीं उनके नाम और 30 सितम्बर, 1974 एवं 31 मार्च 1974 को उनकी तरफ बकाया सकल मांग के आंकडे अनुबन्ध में दिये गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9050/75]

(ग) आय-कर की मांग की वसूली करने के निमित्त, आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट ऐसे उपाय किये जाते हैं जो प्रत्यक मामल की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होत हैं।

रुपये के मूल्य में गिरावट

1788. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960–61 में रुपए के मूल्य की तुलना में रुपये के मूल्य की स्थिति इस समय क्या है ;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों की मुद्रा के मूल्य की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पडा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) यदि वर्ष 1960 को आधार माना जाय, तो 1974 के अन्त में रुपये का मूल्य 1960 में उसके मूल्य का 31 प्रतिशत था।

(ख) से (घ) ऐसे समय में जब दुनिया के विभिन्न देशों की विनिमय दरें अस्थिर हों तब किसी मुद्रा का सही–सही औसत बाहय मूल्य स्थापित करना सम्भव नहीं। भारत के विदेशी व्यापार का बहुत बाडा भाग निर्धारित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। जहां तक बाकी का संबंध है, विनिमय दरों में मामूली सी घट–बढ़ का अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पडा है।

'कोमेकोन' के साथ भारत के सम्बन्ध

1789. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 'कोमेकोन' के साथ निकटतर संबंध स्थापित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) "कोमेकोन" के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर, भारत के आर्थिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंध पहले से ही बहुत घनिष्ट है। हमारी यह बराबर कोशिश रहती है कि इन संबंधों को और मजबूत बनाया जाय।

अपरिष्कृत पटसन के मूल्यों में कमी को रोकने के लिए कार्यवाही

1790. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये अपरिष्कृत पटसन के मल्यों में कमी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) कच्चे पटसन की कीमतों में उपयुक्त स्थिरता सुनिश्चित करनेहेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) प्रत्येक वर्ष कानूनी न्यूनतम कीमतों की घोषणा जो उत्तरोत्तर बढ़ती रही है।

(2) मांग तथा सप्लाई के बीच असंतुलन को ठीक करने तथा कच्चे पटसन की विपणन व्यवस्था में वर्तमान कमियों को दूर करने के एक साधन के रूप में भारतीय पटसन निगम का सृजन।

(3) खरीद की कार्यवाहियों में सहकारी समितियों का अधिक से अधिक भाग लेना ?

(4) बाजार में कच्चे पटसन की आमद तथा बिक्री के बीच असंतुलन को रोकने के लिय काननी शक्तियों का उपयोग।

इन उपायों के फलस्वरूप कीमतें गतवर्ष की किमतों तथा न्यूनतम समर्थन कीमतों से औसतन काफी ऊपर बनी रही हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1975 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के अधीन जारी की गई अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :—

(i) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों) की एक प्रति जो दिनांक 21 फरवरी, 1975 क दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (27)/74फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9038/75।]**

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 242 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी 9039/75।**

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण—सभा पटल पर रखता हूं :

चौथी लोक सभा

(i)	विवरण संख्या 30	छठा सत्र, 1968
(ii)	विवरण संख्या 37	सातवां सत्र, 1969
(iii)	विवरण संख्या 36	नौवां सत्र, 1969
(iv)	विवरण संख्या 40	दसवां सत्र, 1970
(v)	विवरण संख्या 27	ग्यारहवां सत्र, 1970
(vi)	विवरण संख्या 32	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(vii)	विवरण संख्या 15	पहला सत्र, 1971
(viii)	विवरण संख्या 35	दूसरा सत्र, 1971
(ix)	विवरण संख्या 22	तीसरा सत्र, 1971
(x)	विवरण संख्या 26	चौथा सत्र, 1972
(xi)	विवरण संख्या 18	पांचवां सत्र, 1972
(xii)	विवरण संख्या 16	छठा सत्र, 1972
(xiii)	विवरण संख्या 19	सातवां सत्र, 1973
(xiv)	विवरण संख्या 13	आठवां सत्र, 1973
(xv)	विवरण संख्या 11	नौवां सत्र, 1973
(xvi)	विवरण संख्या 12	दसवां सत्र, 1974
(xvii)	विवरण संख्या 5	ग्यारहवां सत्र, 1974
(xviii)	विवरण संख्या 2	बारहवां सत्र, 1974
(xix)	विवरण संख्या 3	बारहवां सत्र, 1974

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए। संख्या एल० टी० 9040/75।]

निर्यात गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 और विभिन्न विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मै निर्यात (गुण—प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षग) अधिनियम 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3354 में प्रकाशित हुए थे।

(2) मेढ़क टांगों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3355 में प्रकाशित हुए थे।

(3) लोवस्टर की जमाई हुई पूछों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3356 में प्रकाशित हुए थे।

(4) पी० बी० सी० लेदर क्लाथ का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3357 में प्रकाशित हुए थे।

(5) लिनोलियम का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3358 में प्रकाशित हुए थे।

(6) रंगरोगन और संबद्ध उत्पादों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3359 में प्रकाशित हुए थे।

(7) कास्ट आयरन सोयल पाइप्स और फिटिंग्ज का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3360 में प्रकाशित हुए थे।

(8) कास्ट आयरन मेनहोल में ढक्कनों और फ्रेमों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3361 में प्रकाशित हुए थे।

(9) बरफी जाली इस्पात की चादरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3362 में प्रकाशित हुए थ।

(10) इलेक्ट्रिक केबलों और कंडक्टरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3363 में प्रकाशित हुए थे।

(11) साइकिलों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3364 में प्रकाशित हुए थे।

(12) मोटर गाडी फालतू पुर्जे और उपांगों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3365 में प्रकाशित हुए थे।

(13) सिलाई की मशीनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3396 में प्रकाशित हुए थे।

(14) छोटे पुर्जों और हाथ के पुर्जों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्रों में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3397 में प्रकाशित हुए थे।

(15) डीजल इंजनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3398 में प्रकाशित हुए थे।

(16) लाइट इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3399 में प्रकाशित हुए थे।

(17) आर्गेनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 92 में प्रकाशित हुए थे।

(18) विद्युत-चालित पम्पों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9041/75।]

मैं निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अप्रैल, 1974 के गट्ठे में से मई, 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़ा का आबंटन दिखाने वाला विवरण।

(2) मई, 1974 के गट्ठे में से जून, 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़ा का आबंटन दिखाने वाला विवरण।

(3) जून, 1974 के गट्ठे में से जुलाई, 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़े का आबंटन दिखाने वाला विवरण।

(4) जुलाई, 1974 के गट्ठे में से अगस्त, 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़े का आबंटन दिखाने वाला विवरण।

(5) अगस्त, 1974 के गट्ठे में से सितम्बर, 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़े का आबंटन दिखाने वाला विवरण।

(6) सितम्बर, 1974 के गट्ठे में से अक्तूबर, 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़े का आबंटन दिखाने वाला विवरण।

(7) अप्रैल–सितम्बर, 1974 के दौरान नियंत्रित कपड़े का मदवार और श्रेणीवार गट्ठ (उत्पादन) दिखाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9042/75।]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मुझे राज्यसभा के महा सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं:

(एक) कि राज्य सभा ने 26 फरवरी, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं

की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि राज्य सभा के 93 वें सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाई गई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 26 फरवरी, 1975 की अपनी बैठक में स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1975 पास कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 26 फरवरी, 1975 की अपनी बैठक में प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 पास कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पास किए गए विधेयक

BILLS PASSED BY RAJYA SABHA

महा सचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्थावर सम्पत्ती का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1975

(2) प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

महा सचिव महोदय : मैं दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संविधान (35 वां संशोधन) विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से सभा में घोषणा करता हूं कि सोमवार 3 मार्च, 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर के संबंध में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा।

(2) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1975 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार और उसे पास करना।

(3) वर्ष 1975-76 के लिए रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा।

(4) वर्ष 1975-76 के लिये सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ सदस्यों के नाम हैं। वे कृपया 1 या $1\frac{1}{2}$ मिनट से अधिक न लें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : देश के अभाव ग्रस्थ क्षेत्रों एवं राज्यों को कुछ केन्द्रीय अनुदान मिलते हैं। यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त सहायता का दुरूपयोग न हो। महाराष्ट्र में पंढरपुर क्षेत्र में जहां पुनीत मन्दिर में 21 फरवरी से कथित बलि के यज्ञ के नाम से व्यवस्था की गई है अतएव वहां पर महीना भर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट होंगें। अनाज की होने वाली बर्बादी के विरूद्ध समाजवादी दल ने पन्नालाल सुराना और बाबा अधव के नेतृत्व में 20 फरवरी को एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। उन दोनों व्यक्तियों को चोटें लगी तथा उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये लोग महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। उन्हें गिरफतार करके उनपर दंगा करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय कलेक्टर ने कहा है कि जबतक वे यज्ञ के दौरान कोई बैठक न करने का आश्वासन नहीं देगें तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जायेगा। जिन लोगों पत्थराव किया उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया है इसलिए मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं ताकि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके तथा समाज सुधारकों को जल्द रिहा कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसन्त साठे, यह मामला अब नियम 377 का बन गया है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्य पर चर्चा को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिये सरकार अनुदान देती है। देश के विभिन्न भागों के उद्योगपति महाराष्ट्र में आकर इस योजना से लाभान्वित होते हैं। उन्हें बाद में कहा जाता है कि वे अन्य राज्यों में क्यों नहीं जाते। इस बात को आधार बना कर उनके अनुदान बन्द किये गये हैं। सरकार के इस प्रकार के रूख से देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो पायेगा। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय महत्व की इस योजना को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : In my constituency police resorted to firing in Shivpur causing death of 4 persons. There were certain persons who were neither in jail nor in their houses. Their whereabouts are not known. Certain persons who are in police coustody are being compelled to give statement that the firing was made by the people.

I request that the local officers should be transferred from there and the matter be investigated.

The main demand of the people is to convert Shivpur into a District as Morena is about 200 km. away and the people have to travel a long distance. It is a legitimate demand. It should be acceded to.

Shri J. B. Mangharam has misappropriated money of his workers worth crores of rupees. The Government may take over the factories run by that firm and hand over to the workers for operation.

Mr. Speaker : You are talking about the matters which come under State Governments jurisdiction.

Shri Hukam Chand Kachwai : I am representative of the area. Please ask the Hon Minister to make a statement.

Mr. Speaker : If it is not a state subject he may make a statement.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें आश्चर्य है कि श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन बोर्डों की स्थापना में बहुत विलम्ब हुआ है। इससे पूर्व कि वे लोग देशव्यापी आन्दोलन चलायें, इस बारे में घोषणा कर दी जाये। मैं चाहता हूं कि इस मामले को अगले सप्ताह को कार्यवाही में सम्मिलित किया जायें और इस बारे में वक्तव्य किया जाये कि वेतन बोर्ड की

(श्री० एस० एम० बनर्जी)

नयुक्ति कब की जायेगी। दूसरे मैं चाहता हूं कि कानपुर के श्री राम रतन गुप्ता को लक्ष्मी रतन काटन मिल को अपने अधिकार में लिये जाने के बारे में असाधारण विलंब के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री एक वक्तव्य दे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझे बताया था कि उन्होंने केन्द्र से यह सिफारिश कर दी है कि दो महीनों के अन्दर जांच पूरी की जानी चाहिए और मिल को अपने अधिकार में ले लिया जाना चाहिए। इस मिल के मालिक ने अपने 4000 कर्मकारों को उनकी भविष्य निधि का पैसा नहीं दिया हैं। उसने सरकार को भी राजस्व नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि इस मामल की जांच करके इसे तुरन्त अपने अधिकार मे ले लिया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च तक ऐसा नही किया जायेगा तो इस मिल का प्रबंध श्रमिकों को सौंप दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Foreign Trade Minister in reply to my question regarding Shri Chandrajit Yadav and Paramount Engineering works has said :

"That M/s Paramount Engineering Works, Lucknow had last obtained import licences/release orders for Rs. 65,47,674 for non-ferrous metal for the licensing period 1971-72".

"(b) and (d) Government have no information on this. The unit has since been reported closed and the utilisation of imported materials is being looked into"

I informed the Foreign Trade Minister about four types of notings on the files of Foreign Trade Ministry and Import Control Authority, Kanpur.

There the question is of 65 lakhs rupees, but in reply to my letter, they have accepted that licences worth rupees 75 lakhs have been issued within two years. I want an inquiry into this matter. I specifically asked whether any investigations have been carried out into this scandal?

Now I want to know whether we will be allowed to have a discussion during next week on the motion regarding allegations made against Shri Chandrajit Yadav? If it is not possible, whether Foreign Trade Minister will be asked to make a statement? I have repeatedly raised this matter but no satisfactory reply is being given.

Shri Chandrajit Yadav is not prepared to explain this matter in this House. Whether the Members of Parliament are supposed to issue licences to the bogus firms?

Whether this firm was registered under the Factories Act? Whether this firm had any certificate regarding its capacity assessment? What was the total investment made in this firm? These are some of the main questions which should be categorically answered otherwise there will be a feeling among the people that Shri Chandrajit Yadav got the licences issued to the bogus firms and shared the profit earned by these firms.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री चन्द्रजीत यादव के विरुध्द एक निश्चित आरोप लगाया गया है। वैसे उस समय वह मंत्री नही थे। कहा गया है की अब वह फर्म भी नही है। अत: मैं चाहता हूं कि इस मामले को जांच को जानी चाहीए और श्री चन्द्रजीत यादव को एक वक्तव्य दे देना चाहिए।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा एक व्यवस्था की प्रश्न है। क्या इस मामले पर यहां चर्चा हो रही है (**व्यवधान**) मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने, जो उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी, उद्योग निदेशक, कानपुर को 26 जनवरी, 1967 को एक पत्र लिखा था वह ऐसा था :

"I am sending Shri Shanmshad Ali of M/s. Paramount Engineering Works, Lucknow to you ...

श्री के० एल० चावड़ा (पाटन) : अब वह जिन्दा नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने आगे यह लिखा था :—

"I had written to you earlier also regarding his case... He is an enterprising young man. I have seen his factory personally. Please try to get him raw materials for his works."

मैं चाहता हूं कि श्री चन्द्रजीत यादव इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दूसरे सदन में वक्तव्य दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : You ask the Commerce Minister to explain it. (*Interruption*).

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, I want to draw your attention to the gruesome incident which took place at Dhanuadech on the 19th February.

About 60-70 men at the instance of Shri Sooraj Dev Singh, a Leader of N.T.U.C. attacked the office of B.C.C.L. and United Coal Workers Union and they murdered Shri Lalita Singh, Shri Rajendra Rai and Shri Subhash Rai on the spot. A number of persons got injured. This all happened in the presence of the police and the Industrial Security Force. It seems that these leaders of A.I.T.U.C. were murdered in collusion with the Police and Government officers. A statement should be made by the Home Minister and action should be taken against the guilty persons.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य की कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित है।

Shri Ramavatar Shastri : I have given notice of a calling attention motion regarding an incident in which 40 colliery workers have been killed and more than 24 persons have been injured. This incident took place in a colliery in Giridih district. This is not a Government colliery and neither any licence has been issued to its owner. So a calling attention motion may be please accepted in this regard so that the factual position may come to light.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा कर दी है कि काश्मीर समझौते पर अगले सप्ताह चर्चा होगी। मैं चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए भी अवसर दिया जाय। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में कई विदेशी मामलों का उल्लेख किया है। पिछले दो सत्रों के दौरान आपने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था किन्तु समयाभाव के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई।

दूसरे गुजरात मे राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढाने का एकत्म कल सभा में पारित हुआ है मैं चाहता हु कि सरकार गुजरात की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के तत्काल कदम ऊठाये। वहां भयंकर सूखा व्याप्त है और अन्य कई समस्याएं भी हैं। 6 फरवरी को गृह मंत्री ने कहा था कि 9,757 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं जबकि ऐसे गांवों की संख्या 11,600 पहुंच गई है। जल समस्या भी वहां बड़ी गंभीर है। वहां अधिक धन और अनाज दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि गृह मंत्री इस बात का अनुमान लगायेंगे कि वहां की कठिनाइयों का सामना करने के लिए कितनी सहायता की आवश्यकता होगी।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Mr. Speaker, the cases against the employees of office of the Accountant General, Allahabad who had participated in railway employee's strike should be withdrawn. Finance Minister should make a statement in this regard.

Secondly, I wanted to know the factual position regarding corruption prevailing in Maruti Ltd. This matter has been raised in this House a number of times (*interruption*).

[Shri Janeshwar Mishra]

We have asked the Government several times to appoint a Parliamentary Committee to enquire into this matter, but our demand has not been acceded to. Now I want that the Home Minister should make a statement next week in this regard.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Government have already received the report of the Agriculture Price Commission. There is discontentment among the farmers and Sugarcane growers due to wheat procurement and sugar-cane price under the new food policy. The Commission has recommended to increase sugar-cane price. Agriculture Minister should make a statement in this regard.

The report should also be placed on the table of the House so that it could be discussed.

श्री के० रघुरामैया : अगले सप्ताह से सम्बन्धित सभी मामलों से मैं सम्बन्धित मंत्रियों को अवगत करा दूंगा।

तम्बाकू बोर्ड विधेयक

TOBACCO BOARD BILL

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : तम्बाकू उत्पादकों को उत्पादन और विपणन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां हैं। यद्यपि इस विधेयक से कृषकों को कई कठिनाइयां दूर होंगी फिर भी यह उतना व्यापक नहीं है जितना कि होना चाहिए।

इस व्यापार में लगी कम्पनियां कृषकों का शोषण कर रही हैं और उन्हें समय पर भुगतान नहीं करती। प्रायः देखा गया है कि इस वर्ष खरीदे गए तम्बाकू का मूल्य अगले वर्ष दिया जाता है। यहां तक कि उसका आधा मूल्य भी उसी वर्ष नहीं दिया जाता। अतः तम्बाकू के मूल्य का भुगतान तुरन्त किया जाना चाहिए और उसे आगामी वर्ष तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिये।

किसानों को उर्वरक उचित मूल्य पर तथा वांछित मात्रा में उपलब्ध करने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए।

विधेयक में अनुसंधान कार्यों के लिए भी कुछ उपबन्ध किया गया है। इस दिशा में समय-समय पर अनुसंधान किया जाना चाहिए। साथ ही इसका विदेशों में प्रचार भी किया जाना चाहिए।

जो किसान बहुत पहले से तम्बाकू का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें इसे उगाने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए इन्हें प्रमाण पत्र देने में कोई अड़चन नहीं डाली जानी चाहिए।

विधेयक में उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने की बात कहीं गई है। उसमें अधिक कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यह कैसे संभव होगा? यदि हम नीलामी करते हैं तो ये सब कम्पनियां एक होकर किसानों को उचित मूल्य नहीं देंगी। अतः इसके विपणन के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री): ईस विधेयक को पेश करने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है फिर भी मुझे हर्ष है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए आखिर सरकार ने यह विधेयक पेश कर ही दिया है।

आन्ध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तम्बाकू उगाया जाता है। इससे अबकारी कर तथा बिक्री कर के रूप में सरकार को बहुत धन राशि प्राप्त होती है। अतः उन लोगों को लाभप्रद मूल्य दिया जाना चाहिए। इस समय तम्बाकू उत्पादकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस विधेयक के माध्यम से उनके हितों को रक्षा को जानो चाहिए। प्रस्तावित बोर्ड को उत्पादकों को कठिनाइयां दूर करनो चाहियें। और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करनो चाहियें।

खंड 6(5) में कहा गया है कि कोई पूर्णकालिक अधिकारी केन्द्रोय सरकार की अनुमति के बिना अपने काम के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकता। खंड 9 (1) में निहित उपबन्ध के माध्यम से सरकार बोर्ड को किसी भो समय समाप्त कर सकतो है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारियों को तम्बाकू कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यापार से सम्बन्ध हों तो, उन्हें बनाये रखने दिया जाये।

धारा 13 में बताया गया है कि तम्बाकू को नोलामी के लिए किसान उसे स्वयं अलग किस्मों में बांटे। नहीं तो भ्रांति हो सकती है। ऐसा करने से लाभ भो होगा।

नए उप खंड 8 (2) (1) में यह प्रस्ताव किया गया है कि तम्बाकू से सम्बन्धित वर्तमान एगमार्क विभाग के कार्यों को तम्बाकू बोर्ड अपने अधिकार में ले लेगा। इससे तम्बाकू विपणन तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा तम्बाकू को वैज्ञानकि ढंग से नोलामो करने में सहायता मिलेगो। मैंने कुछ संशोधन दिये हैं। उन्हें स्वोकार कर लिया जाये। मैं समझता हूं कि इस विधान के उत्पादकों और व्यापारियों को लाभ होगा। आंध्र प्रदेश विशेषत: इसके लिये बहुत आभारो है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The object of this Bill is to streamline the tobacco industry, to ensure remunerative price to growers and to augment exports etc. Tobacco cultivation is not restricted to Andhra Pradesh alone but M.P. and Gujarat are also worth a mention. I, therefore, request Government not to restrict their efforts in this direction to one State only.

The decision to set up a Development Board has been taken after much indecision on the Part of Government and only when the export of Virginia tobacco came down considerably. The activities of the proposed Board should not be restricted to the production and export of this variety of tobacco only but should include other varieties of tobacco also so that they might also be made exportable.

The composition of the Board should not be restricted to Andhra and Karnataka only but should be extended to other tobacco-producing States also. Clause 3 should, therefore, be amended accordingly. The number of Members of Parliament on the Board should a also be increased by accepting my amendment to this effect. I also want that like representatives of growers, these of the labour should also be included in the Board. The Board should also lay down a practicable policy in regard to industries dependent on tobacco.

अध्यक्ष महोदय : श्रो दासचौधरो अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के बाद आरंभ करें।

तत्पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.00 बजे तक म०म० के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2.05 बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पोठासीन हुए।]
[**Mr. Deputy Speaker** in the chair]

श्री बी० के०दास चौधरी (कूच बिहार) : यद्यपि यह विधेयक क विलम्ब से लाया गया है फिर भी इसका स्वागत है, परन्तु जो 35 करोड़ किलो तम्बाकू भारत में पैदा होता, वह केवल वर्जीनिया ही

[श्री बी० के० दासचौधरी]

सो नहीं है। यह ठीक है कि इसका हो निर्यात होता है फिर भो तम्बाकू को अन्य किस्मों को भी सरकारी सहायता और प्रोत्साहन को आवश्यकता है अतः पश्चिम बंगाल, असम और उन राज्यों को भी ये सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये जहां अन्य किस्मों का तम्बाकू पैदा किया जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार कूचबिहार में पैदा होने वाला "रैपर" तम्बाकू विश्वभर में अपनी किस्म का सबसे बढ़िया तम्बाकू है परन्तु इन गरीब उत्पादकों को सुविधाएं प्राप्त न होने और बड़ी कंपनियों तथा व्यापारियों द्वारा चलाए जा रहे बन्धक-गृहों के कारण वह तम्बाकू उन्हें एक निश्चित अवधि में ही बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें वह न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पाता जो अन्य उत्पादनों को प्राप्य है और नहीं इस विधेयक में उचित मूल्य सुनिश्चित करने संबंधी कोई उपबंध किया गया है। क्या तम्बाकू बोर्ड स्वयं उत्पादकों से थोक खरीद करके उन्हें लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करेगा ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये सुविधाएं बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को भी दी जाएं।

उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य-निर्धारण प्रणाली विशेष रुप से बनाई जानी चाहिये क्योंकि बिचौलियों को समाप्त करके उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि कूच-बिहार में वर्जीनिया तम्बाकू की खेती के लिए अनुकूल भूमि है अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां एक विशेषज्ञ भेजा जाय और वहां के तम्बाकू उत्पादकों को भी वही सुविधाएं दी जाये। हमें सभी प्रकार का अनुसंधान करना चाहिये और सभी तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों का विकास करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ishaque Sambhali (Amrohe) : I am glad that the Government has given due attention to tobacco growers and the workers engaged in tobacco industry in the Tobacco Board Bill. A comprehensive Bill is necessary in view of exploitation of tobacco growers and workers.

On the one hand there is exploitation of the tobacco growers and the excise people harass them and on the other hand tobacco growers do not get the due cost. The production of tobacco would improve only when the growers are given necessary facilities. Whether the improvement of the lot of Bidi Workers is one of the duty of the Board?

Who would be the members in this Board? It is stated in the Bill that Members of Parliament would be there. Exporter's and Manufacturer's representative would be on the Board. But there would be no representative of the workers, although their number is several lakhs. What is the reason for not making any provision for representation of workers on this Board? Who will look after their interests?

Even today persons having foreign interests are owners of the tobacco factories. I would like the Government to make an announcement that people having foreign interests, would not be taken on the Board.

I request that the producers may give reasonable price, the Board itself should purchase the tobacco. At least the wholesale trade in tobacco should be taken over and the workers' representatives may be taken on the Board.

Dr. Kailas (Bombay-South) : It is evident from the statement of objects that the issues that were placed before the Government two or three years back have now been included in this Bill.

Tobacco industry adds to the wealth of the nation. It removes unemployment and earns foreign exchange. It would be in the fitness of things if Bidi and cigarette workers are taken on the Board.

Under chapter 2(4) under constitution of Board it is stated : "the members to be appointed by the Central Government by rotation in the Alphabatcial order to represent the Governments of toabacco growing States other than the States of Andhra Pradesh and Karnataka."

I wanted that the States other than Andhra Pradesh and Karnataka that are growing more and more of tobacco be included. I agree that the Maharashtra comes third.

Shri D. D. Desai : No, no, it is Gujarat.

Dr. Kailas : By adopting the system of alphabetical order Assam would come first but on the basis of production Gujarat or Maharashtra would be the first.

It is provided under Clause (E) that not more than eight members to be appointed by the Central Government from amongst growers of tobacco dealers and exporters, manufacturers and few amongst persons who, in the opinion of the Central Government are experts in tobacco marketing or agricultural economics.

I want that if state Assembly members are included in the Board, it would be better.

Under chapter 2 there is provision to co-opt members of the Board. It is better it elected representatives are taken on the Board I am against nominations.

There is a long history of verginia tobacco. These foreign monopolists are now growing tobacco in large area today. We would have to be vigilent in the matter of selecting representatives of growers. There is some provision for obtaining certificate of registration by growers. What for this has been started? Our growers are not in a position to understand the laws. I request the hon. Minister to enlighten us in this regard.

There should be a regulated market system and the system of auctions should be done away with.

***श्री जे० माना गौडर** (नीलगिरी) : मैं द्रविड मुनेत्तर कड़गम की ओर से बोलते हुए तम्बाकू बोर्ड विधेयक का पूरे दिल में समर्थन करता हूं ।

मुझे इस बात के करने में कोई संकोच नहीं है कि वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात करने वाले देशों में भारत दूसरा बड़ा देश है, अतएव एसे बोर्ड की स्थापना आवश्यक है। तम्बाकू बोर्ड के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उसे वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े जैसा कि कपास निगम के बारे में हुआ है। इस निगम के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये विशेष प्रयास करने पड़े थे। मैं चाहता हूं कि तम्बाकू बोर्ड आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में होना चाहिये।

मुझे खुशी है कि तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय आन्ध्र प्रदेश में होगा । परन्तु इसे अन्य उत्पादक-राज्यों में भी अपने छोटे कार्यालय (सैल) स्थापित करने चाहिए ताकि छोटे उत्पादकों की आवश्यकताओं पर समय रहते पर्याप्त रुप से ध्यान दिया जा सके।

अपने पूर्ववर्त्ती सदस्यों का समर्थन करते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बोर्ड को सभी निहित हितों का प्रतिनिधि बनाया जाये। सहकारी एवं छोटे उत्पादकों और उद्योग के कर्मचारियों को बोर्ड में स्थान दिया जाये । उद्योग में लगे लाखों कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० माता गौडर]

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि वर्जीनिया तम्बाकू का अधिकांश भाग रूस को निर्यात किया जाता है। कुछ राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करके कुछ लोगों ने रूस को वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात करने के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि रूस तथा अन्य देशों को वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात करने का कार्य सरकार को अपने हाथों में ले लेना चहिये। यह कार्य गैर-सरकारी लोगों के हाथों में नहीं रहने दिया जाना चाहिये।

तम्बाकू बोर्ड में तम्बाकू उद्योग के सभी छोटे-बड़े लोगों जैसे सहकारी समितियों, सिगार और बीड़ी उत्पादन में लगे श्रमिकों आदि को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं तम्बाकू बोर्ड विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इस विधेयक को पेश करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही थी और स्वयं श्री रघु रामैय्या ने जबकि वह सदस्य थे, इस विधेयक की मांग की थी। यह हर्ष की बात है कि आखिर तम्बाकू बोर्ड सम्बन्धी विधेयक सरकार ने प्रस्तुत कर दिया। आज हमारे देश में 400,000 हैक्टर भूमि पर तम्बाकू का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें लगभग 35 करोड़ किलोग्राम तम्बाकू का उत्पादन होता है जिसमें लगभग एक तिहाई मात्रा वर्जीनिया तम्बाकू की होती है। इसमें से 5.5 करोड़ किलोग्राम तम्बाकू का निर्यात कर दिया जाता है। वर्ष 1968-69 में हमने 33 करोड़ रुपये के मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया था और अब हम लगभग 58 करोड़ रुपये के मूल्य के तम्बाकू का निर्यात कर रहे है।

आज हमारे देश में तम्बाकू के छोटे उत्पादकों की स्थिति बहुत दयनीय है वे सदा ही छोटे व्यापारियों की दया पर निर्भर रहते हैं। छोटे किसान वर्गीकरण के बारे में नहीं जानते तथा जो कुछ भी मूल्य निर्धारित करना होता है, वह बड़े व्यापारियों की इच्छानुसार ही किया जाता है। बड़ी बड़ी फर्मों ने छोटे-छोटे किसानों का शोषण कर लिया है। अब इस बोर्ड के गठन का सब से बड़ा लाभ यह होगा कि उनका शोषण रूक जायेगा तथा उनके हितों की सुरक्षा करने में भी सहायता मिलेगी।

विधेयक के खण्ड 4 का सम्बन्ध बोर्ड के गठन से है। इसमें छोटे छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा के सम्बध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है परन्तु यह समझ में नहीं आया कि श्रमिकों को इसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है। बीडी उद्योग में 20 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है। वैसे इसमें 40 लाख से भी अधिक लोग लगे हुये है और वे सभी तम्बाकू श्रमिक ही हैं। परन्तु इन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, परन्तु गुजरात में 100,000 टन तम्बाकू का उत्पादन बावजूद भी उसे इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तमिल नाडु को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्या सरकार का इरादा केवल उन्हीं राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का है जो वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन करते हैं?

देश में ऐसे फार्म होने चाहिये जहां उत्पादन सम्बन्धी प्रदर्शन दिया जा सके। बोर्ड को ऐसे प्रदर्शन फार्म स्थापित करने चाहिये जैसे कि कई गैर-सरकरी कम्पनियों के हैं।

निर्यात का समस्त कार्य बोर्ड को नहीं दिया जा सकता। किन्तु यह मालूम किया जाना चाहिए कि अन्य देशों में इस सम्बन्ध में क्या नीति है। यह काम निजी अभिकरणों को नहीं सौंपा जा सकता।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मैं सरकार को इस विधेयक के लिए बधाई देता हूं क्योंकि मेरे परिवार के साथ इस विधेयक का विशेष भावत्मक तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध है। सैकड़ों वर्ष पूर्व मेरे पुरखे नौकाओं में तम्बाकू के पौधे लाये थे और आज यही तम्बाकू हमारे देश की आय का एक महत्व-पूर्ण साधन है।

विधेयक को देखने पर मालूम होता है कि गुजरात राज्य को जहां 1.16 लाख टन तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है, बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। गुजरात में कर्नाटक से लगभग 7 गुना अधिक तम्बाकू का उत्पाद होता है। गुजरात में बीड़ी तम्बाकू तथा विर्जेनिया तम्बाकू का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। मेरा सुझाव है कि विधेयक में संशोधन करके गुजारत को उस में स्थाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके साथ ही मेरा अन्य सुझाव यह है कि तम्बाकू बोर्ड का एक सहायक केन्द्र गुजरात में भी बनाया जाना चाहिये।

गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क के रूप में सब से अधिक धनराशि देता है। परन्तु तम्बाकू विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को देखने से स्पष्ट होता है कि गुजरात को उसमें से केवल 8 करोड रुपये ही दिये गये है। जबकि आन्ध्र प्रदेश को 59 करोड़ तथा मैसूर को 24 करोड़ रुपये दिये गये है। गुजरात राज्य जब केन्द्र को उत्पादन शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये देता है तो फिर उसे इतनी कम धनराशि का आबंटन क्यों किया जाता है? यह उचित नही लगता।

जो वित्तीय उपबन्ध किया गया है कि वह अनुसंधान और विपणन कार्यों के लिए काफी नहीं होगा। आज तम्बाकू की खेती करने वालों की स्थिति बहुत दयनीय है। व्यापारी लोग उनकी खेती उठा लेते है। तम्बाकू के लिए भी, कपास निगम की तरह का ही एक नियम कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत बनाया जाना चाहिये। प्राय: हमने देखा है कि वाणिज्य मंत्रालय के हित किसानों के हितों से टकरा जाते है, परन्तु तम्बाकू के मामले में हम ऐसा नहीं होने देगें।

श्री नुरूल हुडा (कछार) : यह अच्छी बात है कि आखिर सरकार ने काफी समय के बाद यह विधेयक प्रस्तुत कर ही दिया है। यह समाचार भी देखने को आया है कि भारत ने वर्ष 1974 के 7 महीनों में 53,000 टन तम्बाकू का निर्यात करके, 51 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई है। विधेयक के उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि यह काफी सराहनीय कदम है, परन्तु इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि हमारी कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिये।

विधेयक के सम्बध में मुझे कुछ एक बाते कहनी है। खण्ड 4 का सम्बन्ध तम्बाकू बोर्ड के गठन से है। इसके अनुसार बोर्ड का एक चेयरमन होगा जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी।

एक संशोधन प्रस्तुत करके यह सुझाव दिया गया है कि किसी गैर-सरकारी संसद सदस्य को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जाना चाहिये तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों में संसद सदस्य हो जिनमें से 4 का चुनाव लोकसभा द्वारा और 2 का राज्य विधान परिषदों द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार एक अन्य सुझाव दिया गया है कि जिस के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वर्गो से आठ सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। एक संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि बोर्ड में श्रमिकों तथा किसानों का भी एक एक प्रतिनिधो होना चाहिये। इन सभी सुझावों पर अपेक्षित विचार किया जाना चाहिये।

आज भारत में वस्तुस्थिति यह है कि तम्बाकू के उत्पादन का एकाधिकार मुख्य रुप से तीन कम्पनियों, यथा इण्डिया टोबाको लिमिटेड, वजीर सुल्तान तथा गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के हाथों

[श्री नुरुल हुडा]

में है। गत वर्ष तत्कालीन औद्योगीक मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इन कम्पनियों का भारतीयकरण कर दिया जायेगा। ये कम्पनियां भारतीय मुद्रा की भारी राशि विदेशों को भेज रही है और इस लिए शीघ्र ही इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान बीड़ी तथा सिगरेट उद्योग में लगे लगभग 30-40 लाख श्रमिकों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। ये लोग संगठित नहीं हैं। वर्ष 1966 में बीड़ी और सिगरेट श्रमिकों के बारे में एक अधिनियम बनाया गया था परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कर्नाटक तथा केरल को छोड़ कर अन्य किसी राज्य में इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। आज आठ-नौ वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी किसी राज्य सरकार ने श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है। यही कारण है कि आज तक ठेकेदारों द्वारा इस उद्योग में लगे श्रमिकों का भारी शोषण किया जा रहा है। पुरुषों तथा स्त्रियों को समान मजूरी नही दी जाती बोनस की इस उद्योग में कोई प्रथा ही नहीं है। बच्चों को मजदूर रखने की मध्यकालीन प्रथा भी चल रही है।

मैं तम्बाकू बोर्ड विधेयक का स्वागत करते हुये सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस उद्योग में लगे 30-40 लाख श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : तम्बाकू बोर्ड अन्य बोर्डों, जैसे काफी बोर्ड, इलायची बोर्ड और चाय बोर्ड की भांति होगा। सरकार द्वारा नाम निर्देशित बड़े अधिकारियों ने बोर्डों के कार्यकरण में रुचि नहीं ली। क्या हम तम्बाकू बोर्डों में विशेषज्ञों और उत्पादकों, बीड़ी श्रमिकों तथा उन लोगों को सम्मिलित नहीं कर सकते जो कि इस व्यापार में लगे हुए हैं।

इलायची के मामले में एक छोटे उत्पादक को भी लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसे इलायची बोर्ड के शाखा कार्यालय में जाना पड़ता है और 50 रुपये फीस देनी पड़ती है। एक एकड़ से कम भूमि में तम्बाकू उगाने वाले छोटे तम्बाकू उत्पादकों की छूट दी जानी चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : आन्ध्र प्रदेश अधिकतम तम्बाकु उत्पादक राज्यों में से एक है। किन्तु नगर-जूना सागर बांध बनने के बाद पानी का स्तर बढ़ने से आन्ध्र प्रदेश में उगाया जाने वाला बढ़िया किस्म का वर्जीनिया तम्बाकु धीरे-धीरे कर्नाटक में उगाया जाना आरम्भ हो जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विश्व में न्यूनतम निकोटीन वाला वर्जीनिया तम्बाकू उगाने में समर्थ रहा है। हजारीबाग के विशनगढ़ जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कुछ परीक्षणात्मक केन्द्र चला रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह धनाभाव से ग्रस्त है। यदि हमें विश्व में न्यूनतम निकोटीन वाले वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन में सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी क्योंकि लागत प्रभावशीलता की दृष्टि से भी इससे कई गुना आय होगी।

श्री पी० अंकीनीडु प्रसाद राव (ओंगोल) : मैं सरकारको बधाई देता हू कि उसने तम्बाकू बोर्ड के मुख्यालय को आन्ध्र-प्रदेश में विशेषकर गुन्टूर में स्थापित करने का निर्णय किया है। इस बोर्ड को तम्बाकू उत्पादन और उसे नियमित करने का दायित्व सौंपा जा रहा है। वर्जीनिया तम्बाकू का 90 प्रतिशत उत्पादन आन्ध्र प्रदेश में होता है। यह गुन्टूर के चारों और के 100 मील के क्षेत्र में होता है। इस फसल से प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। किन्तु तम्बाकु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुसंधान कार्य नहीं होता। यदि हम आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि इसकी खेती का क्षेत्र कम होता जा रहा है। निर्यात के आंकड़ों में वृद्धि इस कारण से हो रही है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होती जा रही है। किन्तु उत्पादन में

में तो वस्तुत: गिरावट आ रही है। किसान लोग इसकी खेती में रुचि नहीं ले रहे हैं और अन्य फसलों की खेती करने लगे हैं। इस कारण तम्बाकू के उत्पादन में कमी होती जा रही है। अत: तम्बाकू बोर्ड को मूल्य स्तर नियंत्रित करने के साथ ही संतुष्ट न रह कर कृषकों की पूरी पूरी सहायता करनी चाहिए ताकि तम्बाकू की खेती बढ़े और हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। इसके अनुसंधान कार्य के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बोर्ड के 8 सदस्यों में उत्पादकों पैक करने वालों और व्यापारियों के प्रतिनिधी भी होंगे। इस बोर्ड में तम्बाकू उत्पादकों, पैक करने वालों और व्यापारियों के अधिक सदस्य होने चाहिए।

बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तम्बाकू उत्पादकों को उचित मूल्य मिले और इसके उत्पादक में वृद्धि हो। इस व्यापार में लगे लोग विदेशी व्यापार से अच्छी आय कमा लेते हैं। वे अपने आपको तम्बाकू निर्माता कहते हैं। परन्तु वास्तव में तम्बाकू का उत्पादन किसान करते हैं वे तो केवल इसमें सुधार करते हैं। ये लोग व्यापार से होने वाले लाभ का अधिकांश लाभ ले लेते हैं और किसान के पास एक पैसा तक नहीं जाता।

श्री पी० व्यंकटासुबैय्या (नन्दयाल) : इस तम्बाकू बोर्ड का उद्देश्य छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, मंडी का विनियमन करना तथा उन्हें समुचित मूल्य देना और निर्यात और विपणन सुविधाएं प्रदान करना तथा उत्तम किस्म के तम्बाकू का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन करना है। इस बोर्ड में नौकरशाही की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। बोर्ड किसी भी दशा में निष्क्रिय नहीं होने देना चाहिए। यह न हो कि कहीं यह कुछ कार्य न करे और केवल धन व्यय करे। कृषि अनुसंधान के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा धनराशि प्रदान की जानी चाहिए और प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन अब धीरे धीरे गुन्टूर जिले से मैसूर में और रायलसीमा क्षेत्र में स्थानान्तरित हो रहा है। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन राज्यों में तम्बाकू उत्पादन की अधिक संभावना है, उन्हें बोर्ड में समुचति प्रतिनिधित्व दिया जाए। बोर्ड का कर्तव्य है कि वह तम्बाकू उत्पादकों, विशेषकर छोटे उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दे।

Shri Ramkanwar (Tonk) : I support this Bill. But at the same time I want to submit that the Bill should be properly implemented.

The Board should not consist of officers and bureaucrates in a large number. The producers should be given more representation in the Board.

In the Kota district of Rajasthan there is good production of tobacco. Encouragement should be given to the tobacco production there.

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया है और अन्य राज्यों को वर्णानुक्रम से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आंध्र को वर्जीनिया तम्बाकू उत्पन्न करने वाला प्रमुख राज्य होने के कारण बोर्ड में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व दिया गया है। जहां तक कर्नाटक राज्य का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वहां उत्पादन चाहे अधिक क्षेत्र में नहीं होता फिर भी उसकी भावी स्थिति को देखते हुए उसे बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है क्योंकि तम्बाकू की किस्म निकोटीन की मात्रा पर निर्भर करती हैं। कर्नाटक में तम्बाकु में निकोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम है इसलिए इस सम्बन्ध में इसके आसार अच्छे हैं। कृषि मंत्रालय ने तम्बाकु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले से ही एक केन्द्र खोल दिया है।

यदि हम आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि सर्वप्रथम गुजरात और बिहार को इस में सम्मिलित किया जायेगा। गुजरात के बारे में यह शिकायत है कि उसे पहली बार सम्मिलित किया गया है (व्यवधान)।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : गुजरात का दूसरा स्थान है।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : आप गुजरात को इसलिए प्रतिनिधित्व दे रहें हैं क्योंकि वहां कर्नाटक की तुलना में तम्बाकू का अधिक उत्पादन होता है **(व्यवधान)** ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गुजरात और बिहार को भी शीघ्र ही बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। दोनों राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में वर्णानुक्रम से बारी-बारी आयेंगे। हमने इस मामले पर बड़े शांत मन से विचार किया है। आन्ध्र तथा कर्नाटक राज्य को उनके राज्य में उत्पन्न होने वाले वर्जीनिया तम्बाकू के महत्व के कारण क्योंकि कर्नाटक तथा आन्ध्र, ये दो राज्य इसी वस्तु का निर्यात करकें देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, बोर्ड में स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया हैं, किन्तु पहली बार ।

तम्बाकू की अन्य किस्मों के विषय में चिन्ता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। सभी किस्म के तम्बाकू इसके अन्तर्गत आते हैं और सभी के मामले में रुचि ली जायेगी तथा उनका ध्यान रखा जायेगा । किन्तु वर्जीनिया तम्बाकु को प्राथमिकता दी गई है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : प्रश्न यह है कि बोर्ड में गुजरात को स्थायी रुप से प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं ? बोर्ड में गुजारत का क्या दर्जा है **(व्यवधान)** ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सदस्यों ने उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा कर्मचारियों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने पर चिन्ता व्यक्त की है। जहां तक उत्पादकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, हमने न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की है। कई बार हमारे द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या बनी है। नियम काफी लचीले हैं ताकि विभिन्न हितों को स्थिति के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जा सके। नियम बनाये जायेंगे और संसद के समक्ष रखे जायेंगे। सदस्य बोर्ड में विभिन्न कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि बड़े बड़े एकाधिकार गृह और बड़ी बड़ी तम्बाकू फर्में बोर्ड पर अपना एकाधिकार जमा लेंगी । किन्तु विधेयक में इसको रोकने की व्यवस्था है। यह सही है कि इस समय बड़ी बड़ी तम्बाकू कम्पनियां बाजार स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही हैं। जब कोई उत्पादक इन बडी कम्पनियों जैसे इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी या ब्रिटिश इंडिया टोबैको कम्पनी या नवभारत टोबैको कम्पनी के मंच पर जाता है तो उसे अबकारी परमिट अपने जोखिम पर ले जाना होता है। ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपनी व्यापक वित्तीय शक्ति के कारण माल खरीदने से इन्कार करती हैं और फिर उत्पादकों के पास भी नया अबकारी परमिट लेने के अतरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता । इस विधेयक के अन्तर्गत हमने बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन निलामी मंचों की व्यवस्था की है। सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए इन संदेहों का, कि बड़े व्यापार गृह बोर्ड पर एकाधिकार जमा लेंगे, निराकरण हो जाना चाहिए।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : ये सुविधाएं पश्चिम बंगाल तथा आसाम को भी दी जानी चाहिए **(व्यवधान)** ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं सभी बातों का उत्तर दूंगा । एक ही साथ सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता **(व्यवधान)** ।

कहा गया है कि यद्यपि बीडी कर्मचारियों की संख्या अधिक है, फिर भी वह संगठित नहीं है। यह बड़े दुख की बात है कि इतनी विशाल संख्या वाले श्रमिक अभी तक असंगठित हैं। एक कर्मचारी तभी प्रतिनिधि बन सकता है जबकि उसे किसी संगठन का समर्थन प्राप्त हो। बीडी और

सिगार कर्मचारियों के लिए पृथक रूप से 1966 का अधिनियम है जिसमें बीडी कर्मचारियों की मजूरी तथा अन्य शर्तों के बारे में उल्लेख है। यदि इनका कोई संगठनात्मक आधार होता तो उनको बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाता। जहां तक किसानों को प्रनिधित्व देने का सम्बन्ध है, यदि उनका कोई संगठन होगा तो हम इसपर विचार करेंगे और उन्हें प्राथमिकता देंगे।

उत्पादकों के स्तर पर वर्गीकरण करने की बात कही गई है। यह एक अच्छा सुझाव है। किन्तु बजाय इसके कि, उनके लिए सांविधिक उपबन्ध की व्यवस्था की जाये, हमें उन्हें शिक्षित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

सिगारेट उद्योग के एकाधिकार गृहों का भी उल्लेख किया गया है। सिगारेट उद्योग को औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम की सूची में अधिसूचित किया गया है। एकाधिकार निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया गया है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो बोर्ड प्राधिकारियों के साथ इसमें पूरा सहयोग देगा। हमारी यही नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि तम्बाकू उद्योग का संघ के नियंत्रण के अधीन विकास करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही का समय समाप्त हो चुका है। श्री श्याम नंदन मिश्र यहां पर नहीं हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने उन्हें बताया था कि इसे कुछ समय बाद लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा इस पर सहमत हो।

श्री के० रघुरामैया : सभा सहमत है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य खण्डों के बारे में कई संशोधन हैं।

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री) : मैं अपने संशोधनों पर अग्रह नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधनों का प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है इसलिये मैं खण्ड 4 से खण्ड 33 मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 33 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 4 to 33 were added to the Bill.

खण्ड 1—(संक्षिप्त शीर्षक विस्तार तथा प्रारम्भ)

CLAUSE 1—(SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT)

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में :

"1974" के स्थान पर "1975" प्रतिस्थापित किया जाये" (7)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में :

(पच्चीसवें वर्ष) के स्थान पर

Twenty fifth years

"Twenty-sixth year" (छब्बीसवें वर्ष) प्रतिस्थापित किया जाये।

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप से विधेयक में जोड़ दिया गया।
The enacting formula as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया।
The title was added to the Bill.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित कर दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

51 वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेदिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 51 वें प्रतिवेदन से, जो 26 फरवरी, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा-गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 51 वें प्रतिवेदन से, जो 26 फरवरी, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

देश में फासिस्टवाद के फैलाव के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. GROWTH OF FASCISM IN THE COUNTRY

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा 30 अगस्त, 1974 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा करेंगे ।

श्री श्यामानन्द मिश्र (बेगुसराय) : मेरा यह संकल्प पिछले दो-तीन सत्रों से प्राय: टाला जाता रहा है ।

[**श्री इसहाक सम्भली** पीठासीन हुए ।]
[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*.]

इस प्रस्ताव को मैं किसी प्रकार की अनिश्चित भावना अथवा सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध किसी प्रकार की द्वेष भावना से नहीं लाया हूं। सम्भवत: इस सदन में हम सभी कुछ सीमा तक देश में फासिस्टवाद लाने के लिये जिम्मेदार हैं। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार को स्थिति पैदा करने की मुख्य जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है।

मैंने यह प्रस्ताव इस लिए पेश किया है ताकि सदन सावधानी से स्थिति का मुल्यांकन कर सके और इस बारे में समय पर वे उचित सोच-विचार कर सके। मैं इस सदन तथा सदन द्वारा देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम फासिस्टवाद की अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं यह नहीं कहता कि फासिस्टवाद के लिए परिस्थितिया पैदा हो चुकी हैं। लेकिन सरकार देश में फासिस्टवाद के लिए स्थिति पैदा कर रही हैं।

इस समय की हमारी वर्तमान पद्धति के फासिस्टवाद का पूरा रूप धारण नहीं किया है। लेकिन इस बात का भय है कि हम बहुत जल्द ही इस प्रकार की स्थिति में पहुच जायेंगे । हमारे समाज में आज एक प्रकार का असंतुलन है इस प्रकार की राजनैतिक स्थिति बन गई है जिसमें फासिस्टवाद पनपता है। इस असंतुलन को सत्तारूढ़ दल पैदा कर रहा है। साधारण साधनों एवं सामान्य कानूनों द्वारा इसका समाधान नहो किया जा सकता गरीब लोग भी संगठित होकर सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते। इटली और जर्मनी में भी फासिस्टवाद के हानी होने से पहले ऐसी ही स्थिति थी।

जिस प्रकार पूंजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद के लिये कोई समान ढांचा नहीं हो सकता उसी प्रकार फासिस्टवाद के लिए भी कोई समान ढांचां नहीं हो सकता ।

ऐसी कौन सी विशेष बातें तथा परिस्थितियां है जो इस देश में उभर रहीं हैं। पहली बात राज्य तथा दल के बीच समानता से सम्बन्धित है। लगता है कि राज्य तथा दल मिलकर एक हो गये हैं। संक्षेप में इससे हमें विशेष चिन्ता है। 1972 में कलकत्ता में ऐसा ही हुआ। वहां पर रक्षा विभाग को कांग्रेस अधिवेशन के लिए पुल बनाने का कार्य सौंपा गया था। हाल में नरोरा आयोजित किये गये कांग्रेस के शिबिर में क्या हुआ है?

अनेक लोगों ने जो उन दिनों नरोरा गए, देखा होगा कि वहां उस अवसर पर सैकड़ों टैन्ट लगाए गए थे। वहां उपस्थित प्रतिनिधियों की रक्षा के लिए हर कदम पर पुलिस की व्यवस्था की गई थी। अत: आप राज्य और दल के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं समझते।

इस स्थिति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान स्थिति को अस्थायी बनाना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर बात में अस्थायित्व लाया जा रहा है। एकमात्र स्थायी तत्व यह है कि सर्वोच्च नेता की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाये। फासिस्टवाद का बुनियादी पहलू यही है कि हर वस्तु को अस्थायी बनाया जाये और सर्वोच्चनेता ही एक स्थायी बात होनी चाहिए।

देश में व्यक्तिपूजा की प्रथा का विकास हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति की तुलना देवी अथवा देवता से की जाये तो देश में प्रजातन्त्र के भाग्य का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या किसी ऐसे व्यक्तित्व की छाया में प्रजातंत्र पनप सकता है जिसे सभी कानूनों से सर्वोपरि समझा जाता है? वर्तमान प्रधान मंत्री की तुलना लोग इसी प्रकार करते हैं।

व्यक्तिगत शासन तो बढ़ता जा रहा है किन्तु संस्थागत शासन का ह्रास होता जा रहा है। एसी स्थिति में फासिस्टवाद [को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा। किसी भी देश में एकदलीय शासन एक बड़े आधिकारी वर्ग के समर्थन से ही संभव होता है। किन्तु इस समय प्रधान-मंत्री के साथ अधिकारी वर्ग कहां है?

फासिस्ट नेतृत्व सदैव अधिकाधिक शक्तियों की मांग करता है तथा अधिकाधिक शक्तियों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है किन्तु इन शाक्तियों का उपयोग वह सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं करता। प्रधान मंत्री ने क्या किया है? 1969 में प्रधान मंत्री ने कहा था कि 'दल के बड़े बड़े नेता मुझे इच्छानुसार कार्य नहीं करने देते। वे मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं'। फलस्वरुप दल के एक बड़े भाग ने प्रधान मंत्री के सामने हथियार रख दिए। किन्तु हथियार डालने और बड़े बड़े नेताओं को अपने मार्ग से हटाने के बाद क्या हुआ? केवल यही कि अव्यवस्था बढ़ती ही गई है।

इसके बाद 1970 में प्रधानमंत्री ने कहा कि "संसद मुझे पर्याप्त शक्तियां नहीं दे रही हैं। जिसके कारण मुझे अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रही"। अत: उन्होंने संसद भंग कर दी ताकि छुटकारा पाया जा सके। 1971 में उन्हें भारी बहुमत मिला। 1972 में उन्होने देश की जनता को बताया कि "मूलभूत अधिकार मेरे मा में बाधक "। जिसके फलस्वरूप यह समझा गया कि मूलभूत अधिकार भी सम्मिलित कि जायें यह संसद भी मूलभूत अधिकारों, जिसमें अल्प संख्यकों के अधिकार भी सम्मिलित थे, समाप्त करने के लिए सहमत हो गई। इससे भी प्रधान मंत्री को संतुष्टि नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका मरे मार्ग मे बाधक हैं। न्याय पालिका आवश्यक सामाजिक सुधार मे रुकावट पैदा कर रही है। इसे भी पाठ पढ़ाया गया। तत्पश्चात प्रधान मंत्री ने शिकायत की कि नोकरशाही उनके लिए बाधक बन रही है, अत: उसे मतबद्ध होना चाहिए। अर्थात उन्हें प्रधान मंत्री के नेतृत्व के प्रति मतबद्ध होना चाहिए। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इन सबका क्या परिणाम निकला? क्या इससे देश में आर्थिक समृद्धि आई है? आज देश की वही दशा है जो कि 1965-66 में थी। इस शासन के फलस्वरूप देश मे निरंतर शिथिलता आयी है। अपनी सभी भूलों के लिए आपने नौकरशाही को दोषी ठहराया, आगे समूचा प्रशासन अव्यवस्थित है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य समझ रहे होंगे कि लाइसेंस कांड का मामला अब ठप्प हो जायेगा किन्तु नहीं। हम इस सत्र में उस पर और अधिक ओर से चर्चा करेंगे। आखिर देश के प्रशासन की जिम्मेदारी सभी लोगों की है"।

क्या आप [जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने समस्तीपुर बाम कांड के बारे में क्या उत्तर दिया है? जब प्रधान मंत्री स्वयं जांच करने वाले अधिकरण की मुखिया है तो उस जांच का क्या होगा?

[श्री श्यामानन्दन मिश्र]

इन सब बातों का प्रधान मंत्री तथा शासक दल को कोई लाभ नहीं हुवा। इसलिए सत्तारूढ़ दल ने सोचा कि उनके पास आसाधारण कानून होने चाहिए। इसलिए "आंसुका" और भारतीय रक्षा नियमों के द्वारा संकटकालीन स्थिति जारी रखी जा रही है। परन्तु आज देश आपसे पूछता है कि क्या अधिक भोजन, अधिक मकान, अधिक वस्त्र मिल सकेंगे ?

प्रधान मंत्री स्पष्ट घोषणा करें कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, के विरुद्ध आंसुका का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ऐसा आश्वासन आंसुका सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करते हुए भी मंत्री महोदय ने दिया था। परन्तु आंसुका का प्रयोग राजनीति कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। हिटलर ने अधिकाधिक शक्तियों की मांग की थी। लेकिन उसने उन शक्तियों का प्रयोग संसद भंग करने के लिये किया। सत्तारुढ़ दल ने भी कुछ ऐसा ही किया है।

यहां पर समाजवाद फासिस्टवाद का मुखौटा है और यह समाजवाद की भाषा बोलता है। नाजियों ने भी ऐसा ही किया था। भारत में फासिस्टवाद नकली, और उग्र सुधारवाद बनता जा रहा है। यह फासिस्टवाद जर्मनी और इटली से भी अधिक उग्र सुधारवादी हो सकता है।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) **:** You are more scared than needed.

Shri Shyamnandan Mishra : In case we were afraid we would not have attached the Parliament on 6th March. This was a peaceful march to Parliament.

संसदीय प्रणाली में कुछ प्रतिबन्ध तथा शर्तें होती हैं। कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिये सत्तारूढ़ दल को सरकार पर रोक लगानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह दल सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहा। वास्तविकता यह है कि सत्तारूढ़ दल कार्य ही नहीं कर रहा है।

मुझे भी संयुक्त पार्टी में रहने का सौभाग्य रहा है परन्तु तब पार्टी कार्य करती थी।

श्री के० रघुरामैया : जब हम संयुक्त थे तब हमने इतना अधिक कार्य किया कि हम थककर टूट गये।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : दल का विघटन शासक दल को तानाशाही के कारण हुआ।

अच्छे समय में कांग्रेस सोशलिस्ट फोर्म को कार्य करने दिया जाता था। मुझे उक्त फोर्म का संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है।

श्री वसन्त साठे : तो आपका भी समाजवाद में विश्वास है ?

श्री श्यामानन्दन मिश्र : अब मैं इस शब्द के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ कर अपना उपहास नहीं कराना चाहता क्योंकि आप ने इसे बहुत गन्दा कर दिया है।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ऐसे फोर्मो का स्वागत किया था। परन्तु वर्तमान प्रधान मंत्रीने ऐसे फोर्मो को भंग करना ही उचित समझा है। तब भी यह दावा किया गया है कि वह अत्यन्त प्रगतिशील दल के सदस्य हैं।

अब वह आप प्रजातन्त्र को ही भंग कर रहें हैं। अब तो नाम मात्र की संस्थाएं हैं और प्रधान मंत्री के लिये यह उचित नहीं हैं। मंत्रीमंडलीय बैठक में किसी का भी साहस नहीं है कि कोई उपयोगी सुझाव रख सके।

इस समय सदन में विरोधी पक्ष की संख्या बहुत कम है। अतएव यह प्रभावी भी नहीं है। इस लिए यह कांग्रेस पार्टी का उत्तरदायित्व है कि भीतर से कुछ प्रतिबन्ध लगायें जायें। दूसरा प्रतिबन्ध प्रेस लगा सकता है, परन्तु उसकी भी आज क्या स्थिति है?

सभापति महोदय : आप अगले दिल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned till seventeen of the Clock.

———

लोक सभा 5 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha there re-assembled at seventeen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

[सामान्य बजट, 1975-76
GENERAL BUDGET, 1975-76]

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यम) : महोदय,

1.1 यह मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष इस महान सदन के सम्मुख बजट पेश करने का मुझे अवसर मिल रहा है।

1.2 इसे तैयार करने का काम कोई आसान काम नहीं था लेकिन मेरा बोझ मेरे पूर्ववर्ती सम्मानित वित्त मंत्री ने हल्का कर दिया है जिन्होंने इस वर्ष के शुरू में बहुत से सुधारात्मक उपाय लागू किये थे; इन कड़े उपायों का खासी कठिन आर्थिक परिस्थिति पर काफी असर पड़ा जो अभी तक हमारे राष्ट्र के आड़े आ रही थी।

1.3 इस अवसर पर घरेलू और बाहरी, दोनों तरह की विभिन्न परिस्थितियों को ब्यौरेवार दुहराना ज़रूरी नहीं जिन्होंने हाल में हमारी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के ठीक-ठीक चलते रहने में रुकावटें पैदा की हैं। किमतें जिस भयंकरता से बढ़ती रहीं और इसका जो विनाशकारी असर राष्ट्रों की सीमाओं को पार करता हुआ पड़ा उससे भारत जैसे विकासशील देशों पर ऐसे दबाव और मुसीबतें आयीं जिनको सहन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। हमारी जनता के रहन-सहन के स्तर और देश में वास्तविक आय के स्वरूप पर इसका काफी गंभीर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा खराब बात है कीमतों का लगातार बढ़ते रहना जिसने बचत करने की क्षमता को क्षीण कर दिया है और हमारा भविष्य सुखद बनाने वाली योजनाओं को चालू रखने के लिए जिस पूंजी की इतनी सख्त जरूरत है उसका उपयोग करने में भारी कठिनाई पैदा कर दी है। 'आर्थिक समीक्षा' में ईस कठिण समस्या का विश्लेषण कुछ विस्तार के साथ किया गया है और मौजूदा स्थिति की खास-खास बातों को चर्चा की गयी है।

[श्री सी० सुब्रम्हण्यम]

1.4 मैं आशा करता हूं कि जो बजट प्रस्ताव मैं पेश करूंगा उनका मूल्यांकन सम्मानित सदस्य इस पृष्ठभूमि को सामने रख कर करेंगे और अपना निर्णय देंगे ।

1.5 कोई पूछ सकता है कि इन प्रस्तावों को तैयार करते समय इनके पीछे कौन-सा दृष्टिकोण, कौन-सा आधारभूत दर्शन रहा है? क्या इस बजट में सरकारी खजाने की आय और खर्च मे तालमेल बिठालने की कोशिश कर कर्तव्य को पूरा हुआ समझ लिया गया है? या यह बजट अधिक निश्चयपूर्ण और सोद्देश्य तरीके से राष्ट्रीय उद्देश्यों को व्यापक आधार पर पूरा करने में सहायता प्रदान करता है।

1.6 इसका उत्तर निश्चय ही स्पष्ट और सीधा है। जिन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा रही है उन तक पहुंचने के लिए हम बजट को निस्संदेह एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। विकास, देश की सुरक्षा और सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि की कसौटी अब भी यह निर्णय करती है कि हम किस काम को पहले करें और किसे बाद में उठायें। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि हम कितना खर्च करें, किन कार्यक्रमों पर खर्च करें और खर्च के लिए किस तरीके से रकम जुटायी जानी चाहिए। समय-समय पर बदलती हुई परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार हमारे खर्च के स्वरूप और साथ ही रकम जुटाने के लिए साधन विशेष पर दिये जाने वाले बल के क्रम में हेर-फेर हो सकती है——भले ही इस स्वरूप और क्रम को फिर से तैयार करने की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन जहा तक पीस डालने वाली गरीबी से जनता को उबारने का काम है, जो बड़ी चिन्ता का विषय है और जिसे दूर करने का हमने बीड़ा उठा रखा है उस काम के प्रति निश्चय ही कभी कोई सन्देह या दो रायें नहीं हो सकतीं। राष्ट्र को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में जो ठोस उपाय किये गये हैं उनके बारे में मै अपने भाषण में आगे बताऊंगा।

1.7 स्वभावत: हमारी वित्तीय और मुद्रा संबंधी नीतियों का तत्काल उद्देश्य मूल्य वृद्धि-कारी दबावों को दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखना रहा है। बढ़ती हुई कीमतों के वातावरण से गिरी हुई अर्थव्यवस्था में रोटी कपड़ा, मकान, लकड़ी, बिजली और यातायात के साधनों की तंगी होने की स्थिति में इनकी भारी मांग को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये जिनमें से कुछ अप्रिय और अरुचिकर भी थे। योजना बनाने और नीति तैयार करने वालों के पास थोड़े ही समय में इन जरूरी चीजों की मांग और सप्लाई में सन्तुलन लाने के लिए कोई दूसरा कारगर उपाय नहीं था जिससे कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह हमारे राष्ट्र के लिए एक बडी चुनौती है जिसके लिए साहस और धीरज की जरूरत है।

1.8 फिर भी, मैं समझता हूं कि कीमतों के गिरने के स्पष्ट संकेत देखकर अगर हमें थोड़ा भी सन्तोष नहीं होता तो इस निराशा का कोई इलाज नहीं है। 'आर्थिक' समीक्षा में मुख्य वस्तुओं की कीमतों के संकेत के बारे में कुछ ब्यौरे दिये गये हैं। इनसे कुछ आशा बंधती है लेकिन सामान्यत: बुद्धिमानी यह है कि हम इस बात से सावधान रहें कि मूल्य-वृद्धि का बुखार पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है बल्कि इसके ताप के कुछ-कुछ कम होने के सिर्फ संकेत मिलने लगे हैं।

1.9 लेकिन तब, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश की गरीबी की समस्याओं को सिर्फ कीमतों को आगे बढ़ने देने से रोकने से ही दूर नहीं किया जा सकता। हम उनका सामना सिर्फ विकास लाकर ही कर सकते हैं। तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था ही गरीबी को जड़ से दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है, निश्चय ही इसका यही एक समाधान है। इसलिए हमें जो क्षमता उपलब्ध है, उससे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तौर-तरीके ढूंढ निकालने हैं और इस क्षमता को उन क्षेत्रों में लगाना है जो गरीबों की आमदनी में वृद्धि करने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके लिए हमें अपनी पूंजी में वृद्धि करने, अपनी

टेकनालोजी और प्रबन्ध-व्यवस्था को सुधारने के लिए चहुंमुखी प्रयास करने होंगे। मैं इस समय जो बजट प्रस्ताव रख रहा हूं उन में इस आधार पर अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने की कुछ खास कोशिशें की गयी हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक स्थायित्व और इस आधार पर अधिक जीवन और शक्ति प्रदान करने वाली दीर्घकालीन योजना की अंग हैं।

II

2.1 हम अपनी जनता की बुनियादी, कम से कम जरूरतों को कहां तक पूरा कर सकते हैं, यह मुख्य रूप से हमारी खेती की पैदावार पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में, मैं कृषि में वृद्धि के खर्च को विकासखर्चों में **पहला खर्च** समझता हूं। आजकल की खेती, उद्योग के साथ जुड़ी हुई है। बिजली की सप्लाई के अलावा उर्वरक, कीड़ों को मारने वाली दवाएं, खेती के औजारों से पैदावार पर उतना ही असर पड़ता है जितना कि बीजों और सिंचाई का पड़ता है। अपने उद्योग के जिन क्षेत्रों से इन चीजों की सप्लाई मिलती है हमें उन्हें ऊंची प्राथमिकता देना होगा।

2.2 पिछले दो या तीन वर्षों में हमारी अर्थ व्यवस्था में जो विकृतियां आयीं वह खास तौर से 1971-72 से भारत में खेती की पैदावार में लगातार ढीलेपन के बने रहने के कारण आयीं। इस ढीलेपन के कारणों को सावधानी से देखा परखा गया है और हमनें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक नयी जिंदगी लाने के लिए अनेक उपाय ढूंढ़ निकाले हैं। अगली रबी की फसल के बढ़िया होने की संभावनाएं अच्छी हैं। लेकिन इससे हमारी उन कोशिशों में ढील नहीं आनी चाहिए जो हमने खेती में लगी हुई जमीन और श्रम से और अधिक पैदावार लेने के लिए शुरू की हैं। पैदावार को लगातार बढ़ाते रहने के लिए हम अनेक मोर्चों पर काम करना होगा।

2.3 इस दिशा में **सबसे पहला काम** जो हमें करना है वह अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अच्छे बीजों की सप्लाई करने के बारे में है। बड़े पैमाने पर अच्छे बीजों को पैदा करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू की गयी है। इस परियोजना में बीजों का उत्पादन, उनको प्रोसेस करना उनकी बिक्री व खरीद करना और उनके बढ़िया किस्म को बनाये रखना शामिल है। अच्छे बीजों की मांग की पूरी तरह से पूरी करने के बारे में आत्म निर्भर बनाने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाकर क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बीज निगमों की स्थापना की जा रही है, अच्छे बीजों की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जायगा। बीजों के उत्पादन और सप्लाई की व्यावहारिक कठिनाइयों को सुलझाने में वहां के अनुसन्धान करने वालों, प्रशिक्षण देने वालों और साथ ही वहां के विद्यार्थियों का सहयोग लिया जायगा। बीजों का सुधार करने के कारगर कार्यक्रम के लिए और आपत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय भंडार बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य-क्रम के लिए जितने भी खर्च की जरूरत होगी या जो और भी आवश्यकताएं होंगी, उनको हर तरह से पूरा किया जायगा।

2.4 दूसरें नये यूनिटों की परियोजना की लागत में वृद्धि होने के बावजूद उर्वरक उत्पादन करने वाले कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिक उर्वरक पैदा करने को क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र, सहकारी समितियों और गैर-सरकारी क्षेत्रों का दायित्व निश्चित किया गया है जिससे हम विदेशों से इनका आयात करने पर, जो महंगा पड़ता है और जिसका कोई निश्चय भी नही होता, अपनी परवशता को आशा है कि अगर पूरी तरह दूर न कर सके तो कम अवश्य कर सकेंगे।

2.5 तिसरें, फसलों की पैदावार की सिंचाई के लिए जो पानी जमीन पर, ऊपर या उसके निचे मिल सकता है उसका पूरा पूरा उपयोग करने के लिए बनाये गये कार्यक्रमों को शुरू किया जायगा। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र कार्य क्रमों को खेती

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

में काम आने वाले साधनों व सामग्री द्वारा पुष्ट किया जायगा जिससे किसान नयी क्षमता का जल्दी से लाभ उठा सकें और जो समाज के लिए अधिक से अधिक लाभकारी हो। अन्त-र्राज्यीय जल विवादों को जो दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से बिना किसी निर्णय पर पहुंचे अनेक कारणों से चलते चले आ रहे हैं, तुरंत निबटाने के विचार से अब देखा-परखा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कुछेक मामलों में प्रगति काफी अच्छी रही है। इन झगड़ों को न सुलझाने से हमारी नदियों का पानी बेकार जा रहा है और देश को जिस अधिक पैदावार की बेहद जरूरत है, उसकी बलि हो रही है।

2.6 चौथे, कृषक सेवा समितियों को संगठित करने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे किसानों को समय पर ऋण दिलाया जा सके और वह खेती में काम आने वाली चीजों को प्राप्त कर सके, अपनी पैदावार बढ़ा सकें और बाजार में अपनी उपज की बिक्री कर सकें। इन समस्याओं की एक उच्चस्तरीय समिति ने जांच की थी। इस समिति ने सक्षम बहुद्देशीय समितियां बनाने की स्कीम तैयार की है। यह समितियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों से संबद्ध रहेंगी। इन सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और संबद्ध विभाग कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं जिससे किसानों को खास तौर से छोटे और बिचले किसानों के लाभ के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण देने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अलावा इसमें खेती में काम आने वाली चीजों के रूप में दी जाने वाली सहायता और पैदावार को बढ़ाने और उसकी बिक्री के लिए व्यवस्था करने का काम भी शामिल है।

2.7 कृषि क्षेत्र के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा नम्बर ऊर्जा के क्षेत्र का है। कोयले के राष्ट्रीयकरण से फायदे मिलने शुरू हो गये है। आशा है कि चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन 100 लाख टन बढ़ कर 880 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन पर पहुंच जायगा। मैं कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों की सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, अगर उनका उत्साहपूर्ण सहयोग न मिला होता तो शायद इतना उत्पादन हासिल करना संभव नहीं होता। इन खानों की प्रबन्ध-व्यवस्था का पुनर्गठन करने और इन खानों जो जिन उपकरणों, स्पेयर पुर्जो और टेकनीकल विशेषज्ञों की बहुत जरूरत थी उनकी सप्लाई करने से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक नींव सी डाल दी गई है। कोयले के उत्पादन में जो बड़ी रुकावटें अर्थात् रेल यातयात और बिजली की कमी जो खास तौर से पूर्वी क्षेत्र में थी, उसे अब लगभग दूर किया जा चुका है। मौजूदा प्रगति को देखते हुए आशा है कि अगले वर्ष कोयले का उत्पादन 100 लाख टन और बढ़ जायगा अर्थात् यह 980 लाख टन हो जायगा। कोयले का इतना उत्पादन होने से, देश के अन्दर की इसकी मांग को (जिसमें भट्टी में तेल की जगह कुछ अंश तक कोयले के इस्तेमाल के लिए कोयले की मांग शामिल है) पूरा किया जा सकेगा और हम कुछ कोयला विदेशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी कमा सकेंगे जिसकी कि हमें बड़ी जरूरत है।

2.8 कच्चे तेल और पैट्रोलियम से बनी चीजों की कीमतों के एक दम से चढ़ जाने का तुरंत असर देश के व्यापार सन्तुलन पर निःसन्देह बुरा पड़ा। लेकिन इसके साथ ही, इससे देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की अपनी कोशिशों को जल्दी जल्दी पूरा करने, उनमें तेजी लाने की भावना पैदा हुई। एक साल की थोड़ीसी अवधि में, 1974-75 से 1975-76 के बीच, आशा है कि कच्चे तेल का उत्पादन 75 लाख टन से बढ़कर 84 लाख टन हो जायगा अर्थात् 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां महत्व की बात यह देखना है कि हमने कितनी सफलता प्राप्त कर ली या देश में अगले 5 से 10 वर्षों के अन्दर इसके उत्पादन में भारी वृद्धि करने में कितनी बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खोल दिये गये हैं। बम्बई के पास समुद्र में तेल भंडार की खोज में जो सफलता मिली है उसे अब सभी जानते हैं। आशा है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1976 के उत्तरार्द्ध में यहां उत्पादन का पहला दौर पूरा कर

लेगा और प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन कच्चा तेल निकलने लगेगा। आशा है कि 1980 तक यह उत्पादन 100 लाख टन होने लगेगा हालांकि इसके बारे में पक्की तौरसे अनुमान लगाने में अभी कुछ समय लग सकता है। बंगाल और कच्छ के पास समुद्र में तेल का पता लगाने के लिए गहन सर्वेक्षण किया जा रहा है। यहां पर जो परिणाम अब तक प्राप्त हुए हैं वह उत्साहवर्धक लगते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस दिशा में जो तत्परता दिखायी है, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए।

2.9 पिछले काफी दिनों से बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था और बिजली की कमी महसूस की जा रही थी जिसका व्यापक प्रभाव उद्योग और कृषि दोनों पर पड़ रहा था लेकिन हाल में इसके उत्पादन और वितरण में अच्छी प्रगति हुई है। समूचे बिजली उद्योग के ढांचे में व्यावसायिकता, कुशलता और दक्षता पर बल देते हुए तथा कर्मचारियों के लिए उनका दायित्व निश्चित करते हुए फिर से सुधार किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरुप पूर्वी क्षेत्र में बिजली पैदा करने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को फिर से सक्रिय बनाया जा रहा है और राज्य बिजली बोर्डों को अपने प्रबन्ध को व्यावसायिक बनाने, मरम्मत सेवाओं की व्यवस्था करने और अपने कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने में सहायता दी जा रही है। इन कार्यक्रमों से और हाल में जो सफलताएं प्राप्त की गयी हैं उनसे हाल के वर्षों की अपेक्षा बिजली की सप्लाई के सुधरने के संकेत मिलते हैं। सरकार देश में कोयले की खानों के प्रमुख क्षेत्रों में खानों के सिरे पर कई बड़े बड़े तापीय बिजली घर बनाने की संभावना पर तेजी से विचार कर रही है। केन्द्र द्वारा स्थापित इन बड़े बिजली केन्द्रों से संघ सरकार को पावर की सप्लाई में आने वाले क्षेत्रीय असन्तुलन को कुछ हद तक कम करने, इसकी सप्लाई में भारी वृद्धि करने, और ज़रूरत के अनुसार बिजली के उत्पादन और वितरण की समस्या के बारे में अधिक युक्तिपूर्ण तरीका अपनाने में सहायता मिलेगी।

2.10 निवेदन है कि इस बजट की सबसे प्रमुख विशेषता इन जुड़वां प्राथमिकताओं पर अर्थात अन्न और ऊर्जा और साथ-साथ अन्य पोषक सुविधाओं पर स्पष्ट रूप से ज़ोर देना है और दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने के पहले इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि के लिए पर्याप्त रकम निश्चित करना है। विकासशील देशों में योजना तैयार करने और नीति का निर्माण करने वालों के सामने यह एक अनिवार्य और कभी कभी निर्मम दायित्व होता है जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है चाहे साधनों का कितना ही अभाव या आवश्यकताएं कितनी ही क्यों न हों। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इस बजट में अर्थव्यवस्था के अन्न और ऊर्जा क्षेत्रों को दूसरे बाकी क्षेत्रों की थोड़ी बहुत उपेक्षा का जोखिम लेकर जो सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी है, सम्मानित सदस्य उसकी पुष्टि करेंगे। यहां मैं यह और कह दूं कि ऐसा करने में हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बतायी गयी पूंजी लगाने की बुनियादी नीति का पालन कर रहे हैं।

2.11 स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देने की यह कोशिश केन्द्रीय बजट तक ही सीमित नहीं रहेगी। राज्यों की सरकारों से 1975-76 की उनकी आयोजनाओं के आकार और स्वरुप पर विचार करते समय यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि कृषि, सिंचाई और बिजली के क्षेत्र की आवश्यकताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय और उसके बाद जो कुछ बाकी बचे उसे ही दूसरे अन्य क्षेत्रों में वितरित किया जाय। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के इस व्यापक ढांचे में अपनी-अपनी योजनाओं को तैयार करने में राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों ने हार्दिक सहायता और सहयोग देना स्वीकार किया है, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।

2.12 ऊंची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश करते समय हमें दो अन्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं—पहली बात का संबंध उत्पादन के मानवीय और भौगोलिक पक्ष से है और दूसरी बात यह है कि जो चीजें हम पैदा करें उनका समुचित वितरण होना चाहिए। हमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते रहना होगा जहां पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है या जो क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। उत्पादन की समस्या, आय और रोजगार में

[श्री सी० सुब्रम्हण्यम]

वृद्धि की समस्या, असमानताओं को दूर करने की समस्या और सबके लिए खपत का कम से कम स्तर निश्चित करने की समस्या पर ज्यों का त्यों विचार करना होगा। इन शीर्षों के अधीन जो विशिष्ट कार्य क्रम बनाये जायंगे उन्हें इस तरीके से बनाना चाहिए कि यह एक दूसरे के न केवल अनुरूप हो बल्कि एक दूसरे के लिए सहायक और एक दूसरे की पुष्टि करते हों। कृषि की पैदावार बढ़ाने का जो लक्ष्य हम बना रहे हैं वह इस तरह मशीनों से गुना-जोड़ करते हुए किसी जादुई अंक को प्राप्त करना नहीं है। किसानों में छोटे-बड़े होने के अन्तर, एक क्षेत्र की पैदावार के दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा कम या ज्यादा होने के अन्तर के बारे में सोचना और उत्पादन के स्वरुप को सुनिश्चित करना, जो हमारे सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार हो, उतना ही महत्वपूर्ण है।

2.13 अगर आर्थिक विकास के लाभ को बराबर वितरित करना है तो अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों और इलाकों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। इस प्रयोजन के लिए विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं, संभावनाओं, और साधनों का सावधानी से विश्लेषण कर उसके आधार पर तैयार करना होगा। इस संबंध में, मैं भारत के सभी जिलों में प्राकृतकि साधनों के व्यापक सर्वेक्षण पर जोर देता हूं। इससे हमें व्यवहार की दृष्टि से सार्थक योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता मिलेगी जिससे हम स्थानीय रूप से जो साधन उपलब्ध हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेंगे जैसा कि तेलंगाना में करीमनगर परियोजना में किया गया, जिसे सभी जानते हैं।

III

3.1 आजकल जो तरह तरह के दुर्भाग्य की भविष्यवाणियां सुनने में आ रही हैं उनके बावजूद भी मैं निश्चित रुप से आशावान हूं कि आने वाले वर्षों मे हमार आर्थिक विकास में पर्याप्त तेजी से प्रगति होगी। लेकिन यहां मैं बता दूं कि विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए हमें लगातार परिश्रम करते रहने और हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। इस समय हम अपने देश में वित्तीय स्रोतों की भारी कमी का सामना कर रहें हैं। हमारे भुगतान सन्तुलन पर भी दबाव पड़ रहा है। जो काम हमें पूरे करने हैं, उनको कारगर तरीके से पूरा करने के लिए, हमें अपनी शक्ति भर अपने निर्यात में वृद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए और उत्पादन में काम आने वाली दुर्लभ वस्तुओं का जिनको हम बाहर से मांगाते हैं, कम से कम उपयोग करना चाहिए। बुनियादी क्षेत्रों मे अधिक से अधिक पुंजी लगाना जरुरी है लेकिन यह पुंजी गैर स्फीतिकारी उपायों से जुटायी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें बचतों की दर में वृद्धि करनी ही चाहिए। मौजूदा खपत में अधिक वृद्धि को रोकने के उपाय के रूप में हमें मजदूरी और वेतन का अधिक युक्ति संगत ढांचा तैयार करना पड़ेगा जो मौजूदा ढांचे की अपेक्षा न्याय संगत हो और गतिशील अर्थ व्यवस्था मे शिल्पों की बदलती हुई मांगों के अनुरुप हो।

3.2 स्थायित्व के साथ तेजी से विकास करने की जो हमारी कोशिश है उसमें मैं सबसे ज्यादा महत्व इस बात पर देता हूं कि हमारी जनता में जो अधिक कमजोर वर्ग हैं उसको रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों की बढ़ती हुई कीमतों और उनके अभाव से राहत दिलायी जाय। इसके लिए हमारे पास बुनियादी जरूरत की कुछ चीजों की कारगर सरकारी वितरण प्रणाली होनी चाहिए। इन चीजों की सप्लाई और अधिक सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन लोगों की जरूरतें पूरी की जानी चाहिए जिन्हें इस प्रणाली से लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाय। इससे जरूरत की चीजों की खरीद के लिए कुशल व्यवस्था का होना जरूरी हो जाता है। मुझे खुशी है कि चालू वर्ष में खरीफ की फसल की सरकारी खरीद में संतोषजनक प्रगति हुई है। इससे और इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज का आयात करने से निश्चय ही अगले वर्ष अनाज की सरकारी वितरण प्रणाली को कारगर तरीके से चलाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

3·3 कपड़ा एक दूसरी जरूरी वस्तु है जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हाल में कपड़े की बीमार मिलों के राष्ट्रीयकरण का कानून बन जाने से सरकार ने 103 कपड़ा मिलों को अपने अधीन ले लिया जिनका प्रबन्ध पहले ही सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा चुका था। इन मिलों को अपने अधीन लेने से कपड़ा तैयार करने और उसका वितरण करने के काम को ठीक करने के लिए सरकार को एक और उपयोगी साधन मिल गया। सरकार कुछ और उपायों पर भी विचार कर रही है जिनसे निर्धारित लक्ष के अनुसार कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन सुनिश्चित हो सके और यह कपड़ा समाज के उन वर्गों तक पहुंच सके जिनके लिए यह तैयार किया जाता है।

3.4 चूंकि साधनों का अभाव है इसलिए सबसे ज्यादा बल उत्पादकता में वृद्धि करने पर दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा काम है जिसमें समूचे सुधार को जरूरत सरकारी प्रशासन और उद्यमों का प्रबन्ध, दोनों क्षेत्रों में है। मुझे पूरी आशा है कि हाल में जो नयी व्यवस्था शुरू की गयी है जैसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की प्रणाली, कार्यानुसार बजट बनाना और मानीटरिंग व सूचना पर अधिक बल देना, उससे सरकारी प्रशासन के प्रबन्ध को और भी सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। मुझे यह देख कर खुशी है कि सरकारी क्षेत्र के सभी मैन्यूफक्चरिंग उद्यमों में कार्मिक प्रशासन, प्रबन्ध विकास, सामग्री प्रबन्ध और प्रबन्ध सूचना प्रणालियों के क्षेत्रों में अधिक वैज्ञानकि नीतिया लागू करे तथा इसके अलावा उत्पादकता के नये टेकनीकों का प्रयोग शुरू कर उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों के कार्यों में जो सुधार हुआ है उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

3.5 मुझे विश्वास है कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि सरकार ने जो जोरदार उपाय किये उनसे हमें एक ऐसी स्थिति पर कारगर ढंग से काबू पाने में सफलता मिली जो अन्धाधुन्ध मूल्य वृद्धि की स्थिति जैसी बन गयी थी। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए सरकार के गैर-विकास खर्च में कटौती की गयी, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के एक अंश को अस्थायी तौर पर जाम कर दिया गया, मुद्रापूर्ति में वृद्धि की दर में भारी कटौती की गयी और जमाखोरों और तस्कर व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी। इन उपायों के फलस्वरुप पिछले कुछ महीनों में कीमतें धीरे-धिरे लेकोन लगातार गिरती गयीं हैं। जब हम विश्व के बहुत से दूसरे देशों में कीमतों को अब भी बढ़ते हुए देखते हैं तब ऐसी सफलता पाना कुछ कम श्रेय की बात नहीं लगती। खर्च पर जबरदस्त कटौती लगाने की इस नीति को जारी रखने के साथ साथ, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों को और गैर सरकारी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक पूंजी लगानी चाहिए। इस बजट के अन्य उद्देश्यों में से यह एक उद्देश्य है कि इस काम को पूरा करने में सहायता दी जाय। दूसरे और क्षेत्रों में थोड़े समय के लिए खर्च की दर नीची रहनी चाहिए लेकिन यही समय है कि हम आने वाले वर्षों में अधिक पूंजी लगाने के लिए एक भूमिका तैयार करें और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक छानबीन भी करें। हम इसी काम में लगे हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि हम इस समय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं में जिनसे हमें जल्दी ही लाभ हो सके पूंजी लगायें और उन परियोजनाओं को पूरा करें जिन पर काम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। यह भी जरुरी है कि हम देश में बचतों को बढ़वा दे और पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन दे इस बजट से हमारी कोशिश यह है कि हम इन्हीं विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करें।

3.6 मैंने अभी पूंजी लगाने में बढ़ावा देने की जरूरत की चर्चा की है। पिछले कुछ दिनों हमारे पूंजी बाजार में, खास तौर से लाभांशों के वितरण पर रोक लगाने वाले अधिनियम के बाद, कुछ मंदी आ गयी। युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें यूनिटों की बिक्री की अपेक्षा पुन: खरीदने की दर काफी ज्यादा थी। सरकार ने इसलिए एक अध्यादेश निकाला जिसमें करों से कुछ छूट तथा अन्य सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था की गयी थी। इससे स्थिति के सुधारने में बहुत सहायता मिली। पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए मेरा विचार शीघ्र ही लाभांशों पर प्रतिबन्ध अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाने का है। इसमें यह व्यवस्था होगी कि अधिनियम में दी गयी सीमा से अधिक लाभांश चाहे न दिया जाय लेकिन उसे घोषित किया जा सकता है और यह स्थगित लाभांश

[श्री सी० सुब्रम्हण्यम]

मौजूदा अधिनिम के समाप्त होने पर दो वार्षिक किस्तों में दिया जायगा लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा। इससे पूंजी लगाने के लिए, खास तौर से नये शेयरों में पूंजी लगाने के लिए, और अच्छा वातावरण तैयार होगा।

3.7 मुझे यह भी मालूम है कि हाल में पूंजी लागत में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे कुछ पूंजी प्रधान उद्योगों में जो हमारे भावी विकास के लिए बहुत जरूरी है, नयी पूंजी लगनी रुक गयी है। सरकार ने इस सवाल पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट के मिलते ही हम जल्दी ही उचित वित्तीय छूट देने की आवश्यकता के सवाल पर और इन क्षेत्रों में नयी पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिए कीमतें तय करने की नयी नीतियां बनाने के बारे में विचार करेंगे।

3.8 पिछले दो वर्षों के अनुभव से यह अच्छी तरह से पता चलता है कि काले धन के कारबार को उखाड़ फेंकने के कारगर उपायों को अर्थव्यवस्था में पर्याप्त स्थायित्व लाने और उपलब्ध राष्ट्रीय बचतों की रकम को ऊंची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाने की हमारी युक्ति का अनिवार्य रूप से आवश्यक अंग होना चाहिए। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि सरकार तस्कर-व्यापार, जमाखोरी, काला बाजारी और करों में चोरी की प्रथा को निकाल फेंकने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है और इस दिशा में अपने संकल्पों के प्रमाण दे चुकी है। इस प्रसंग में विभिन्न आर्थिक अपराधों को और सख्ती से कुचलने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है।

3.9 इस प्रकार अपने दृष्टिकोण की रूप रेखा प्रस्तुत करने के बाद में अब 1974-75 के संशोधित अनुमानों और 1975-76 के बजट अनुमानों के बारे में कुछ ब्यौरे प्रस्तुत कर रहा हूं।

IV

संशोधित अनुमान 1974-75

4.1 चालू वर्ष के मूल बजट में 126 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान किया गया था। यह घाटा इस रकम तक बना न रह सका क्योंकि मूल बजट जिन अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया था उनमें से अधिकांश अनुमानों पर अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल घटनाएं होने, खास तौर से इस वर्ष कीमतों के असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण बुरा असर पड़ा। मैं इन कारणों को ब्यौरे से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

4.2 बजट में अन्न के लिए सरकारी सहायता के तौर पर 100 करोड़ रुपये रखे गये थे। अन्न की न परिस्थिति को देखते हुए और 110 लाख टन के स्तर पर सरकारी वितरण की प्रणाली को बनाये रखने के लिए हमें 1974 में विदेशों से 55 लाख टन अन्न का आयात करना पड़ा। जो अन्न आयात किया गया उसकी लागत भी बहुत बढ़ गयी। अनुमान है कि इस वर्ष अन्न के लिए सरकारी सहायता 295 करोड़ रुपये तक की होगी।

4.3 वर्ष 1974-75 के बजट में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन की जितनी व्यवस्था की गयी थी वह कीमतों के दिसम्बर 1973 तक के स्तर के आधार पर थी और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के खर्च को पूरा करने के लिए 120 करोड़ रुपयों की एक मुश्त व्यवस्था की गयी थी। अप्रैल 1974 तक बढ़ने वाली कीमतों के आधार पर महंगाई भत्ते की तीन किस्ते की गयीं। लेकिन कीमतें सितम्बर 1974 तक बढ़ती रहीं और महंगाई भत्ते का जो फारमूला सरकार ने स्वीकार किया था उसके आधार पर महंगाई भत्ते की तीन कीस्तें और बकाया हो गयीं। महंगाई भत्ता और अधिक

दिये जाने से अर्थ व्यवस्था पर इसके बढ़ते हुए दबावों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत समझी गयी। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के परामर्श से यह तय किया गया कि वही किस्तें मंजूर की जायं जो 272 तक के औसत कीमत सूचक अंक के आधार पर हों। यह भी तय हुआ कि इस प्रकार जो रकमें दिसम्बर, 1974 तक बकाया हो और नकद दी जाने वाली हों थोड़ी अवधि के लिए भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जायं। मौजूद कठिन परिस्थिति का सामना करने में कर्मचारियों ने जो सद्भावना और सहयोग व्यक्त किया उसके लिए मैं इनका आभार मानता हूं। इससे महंगाई भत्ते की छह कीश्तों के कारण होने वाले खर्च को चालू वर्ष में बजट में 230 करोड़ रुपये तक सीमित रखने में सहायता मिली। यह अब भी बजट में की गयी 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था से 110 करोड़ रुपये अधिक है।

4.4 चालू वर्ष में रक्षा-व्यय 2157 करोड़ रुपये होगा जब कि मूल बजट में 1915 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। महंगाई भत्ते के कारण 95 करोड़ रुपये दिये जाने के अलावा यह वृद्धि, वेतन दरों में संशोधन किये जाने, पैट्रोलियम से बनी चीजों की कीमतों के बढ़ जाने और दूसरी ओर रसद और यातायात का खर्च अधिक बढ़ जाने के कारण हुई।

4.5 घाटे में वृद्धि का दूसरा कारण देशके विभिन्न भागों में पड़ने वाला सूखा और आने वाली बाढ़ थी। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं कि इस समय सूखा और बाढ़ के लिए केन्द्र की सहायता आयोजना सहायता में रखी गयी रकम में से सिर्फ पेशगी देकर या सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जन जातीय विकास योजनाओं आदि के अन्तर्गत दी जा रही है जिससे योजना में दी गयी प्राथमिकताओं के क्रम पर कोई असर न पड़े और इस सहायता से उत्पादक और स्थायी परिसम्पत्तियां बनायी जा सकें। इस प्रकार दी गयी सहायता की पेशगी रकम को बाद के वर्षों में राज्यों को साधारण रूप से मिलने वाली आयोजना सहायता के रूप में दिखाया जायगा। इस नीति के अनुसार सूखा और बाढ़ सहायता के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए पेशगी आयोजना सहायता के रूप में 55 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा राज्यों को ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सहायता मिल सकने की व्यवस्था की गयी है। इन खर्चों से और कुछ और जरूरी वायदों से जो हमने राज्यों को दे रखे हैं, राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता की रकम 161 करोड़ रुपये हो जायगी जिसमें 1973-74 के अल्प बचत संग्रह के बदले दिये जाने वाले ऋण की रकम भी शामिल है।

4.6 घाटा अधिक हो जाने के जो दूसरे और कारण हैं उनका संबंध सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, उर्वरक, आयात और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय से है। कुछ उद्यमों के पास इतना पर्याप्त अधिशेष नहीं था कि वह सरकार से लिये गये ऋणों को चुका सकते। इसलिए यह जरूरी हो गया कि अनेक अंडरटेकिंगों को खास तौर से वेतन, महंगाई भत्ते और तेल की लागत में वृद्धि के कारण खर्च पूरा करने के लिए 126 करोड़ रुपये की सहायता दी जाय जिसका अनुमान बजट में नहीं किया गया था।

4.7 वर्ष 1974-75 के बजट में उर्वरकों की बिक्री व खरीद के लिए कोई निवल रकम नहीं रखी गयी थी। पूल से दिये जाने वाले उर्वरक की बिक्री कीमत सिर्फ जून 1974 से बढ़ायी गयी थी। उर्वरकों की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए, बाद में विदेशों से काफी भारी कीमत पर लगभग 10 लाख टन उर्वरक का आयात करना पड़ा। विदेशों में उर्वरक की कीमत का भुगतान करने और राज्यों को दिये गये उर्वरक के बदले उनसे उसकी लागत वसूल करने में आमतौर से चार महीने लग जाते हैं। इस देरी के कारण विदेशों से मंगाये जाने वाले उर्वरक की रकम का भुगतान तो केन्द्रीय सरकार ने कर दिया लेकिन इस वर्ष के अन्त तक यह खर्च राज्यों से वसूल नहीं हो सकेगा। इसका बोझ केन्द्रीय बजट पर ही पड़ेगा। जैसी कि इस समय स्थिति है, अनुमान है कि उर्वरक के लेनदेन पर नकद खर्च लगभग 290 करोड़ रुपये होगा।

[श्री सी० सुब्रम्हण्यम]

4.8 जैसा कि सदन को मालूम है अगस्त, 1974 में अनेक कटौतियां की गयी थी जिससे खर्च में काफी बचत हुई। फिर भी उर्वरक, बिजली, कोयला, पैट्रोलियम, इस्पात, बन्दरगाहें और कागज जैसे बुनियादी क्षेत्रों में योजना की स्कीमों के लिए 190 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी जिससे इनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनके अनुसार काम जारी रह सके और लागत में बढ़ने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। अन्य क्षेत्रों में खर्च में जितनी कटौती करनी सोची गयी थी लागत का खर्च बढ़ जाने के कारण उतनी नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरुप केन्द्रीय योजना पर निवल खर्च 74 करोड़ रुपए बढ़ जायेगा।

4.9 इन सभी प्रतिकूल बातों के कारण बजट का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता लेकिन करों से होने वाली आय में वृद्धि होने के कारण स्थिति काफी हद तक सुधर गयी।

4.10 आशा है कि सीमा शुल्क से बजट अनुमानों के 936 करोड़ रुपये की आय के अनुमान के बदले 1300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस वृद्धि का कारण उर्वरकों, लोहा और इस्पात का भारी मात्रा में आयात किया जाना और उर्वरकों मशीनरी और उपकरणों जैसी चीजों की कीमतों का अधिक बढ़ जाना है।

4.11 आय और कम्पनी करों से मूल बजट के 1370 करोड़ रुपये के अनुमान के बदले अब आशा है कि 1460 करोड़ रुपये की आय होगी।

4.12 संघ उत्पाद शुल्कों के संग्रह में, दूसरे वित्त विधेयक, 1974 में लगाये गये शुल्कों के कारण समायोजित बजट अनुमानों की अपेक्षा कोई खास वृद्धि नहीं होगी।

4.13 अपेक्षाकृत ऊंची आय वाले वर्गों पर ही ज्यादा ज़ोर रखने और सभी क्षेत्रों में कर तंत्र को सामान्यतः कड़ा बनाने के जो उपाय किये गये थे उनमें भारी लाभ हुआ है। राजस्व संग्रह करने वाले कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से कार्य किया है उसकी मैं सराहना करता हूं।

4.14 विदेशों से ऋणों के रूप में मिलने वाली रकम में लगभग 43 करोड़ रुपये की वृद्धि होती दिखायी पड़ती है जो मुख्यतः भारत सहायता संघ के सदस्य देशों द्वारा उनके ऋणों में छूट देने और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से आयोजना भिन्न ऋणों के मिलने के कारण हुई। विदेशी स्रोतों से मिलने वाले अनुदानों से होने वाली वास्तविक आय के संशोधित अनुमानों में 60 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी पड़ती है जिसका मुख्य कारण भारत को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघ के आपातकालीन सहायता कोष से मिलने वाली सहायता है जो उन देशों को सहायता देने के लिए बनाया गया है कि जिन पर तेल संकट का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत को इसके अलावा कुछ अन्य देशों से भी अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई।

4.15 देश में चीनी की सप्लाई की स्थिति के कुछ खराब होने का जोखिम उठा कर भी सरकार ने 5 लाख टन चीनी का निर्यात करने का कठिन निर्णय लिया। इससे हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति जहां सुधारी है वहां इससे होने वाली आय से जो 125 करोड़ तक की हुई है, बजट को भी लाभ पहुंचा है।

4.16 इन सब सुधारों के बावजूद, इस वर्ष के अन्त तक घाटा 625 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। लेकिन इसमें 330 करोड़ रुपये विदेशों से आयात किये गये अन्न और उर्वरक की कीमतों का भुगतान करने के लिए हैं। यह अन्न और उर्वरक हमारे पास स्टाक में हैं। यह खर्च शीघ्र ही वसूल कर लिया जायगा। ये दोनों चीजें विदेशों में अपनी ही प्रारक्षित निधि से रकम निकाल कर खरीदी गयीं जिससे मुद्रापूर्ति में वृद्धि नहीं होती। इसलिए 330 करोड़ रुपये तक का घाटा मूल्य वृद्धिकारी नहीं है।

बजट अनुमान 1975-76

5.1 अर्थव्यवस्था में लगातार कमी के बने रहने और बढ़ी हुई कीमतों के असर की पृष्ठभूमि में अगले वर्ष के लिए बजट बनाना कोई आसान काम नहीं रहा। विकास कार्यों पर जहां सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वहां रक्षा, अन्न के लिए सरकारी सहायता और सामाजिक सेवाओं को बनाये रखने पर किये जाने वाले खर्च की जो आयोजना भिन्न खर्च है और जो काफी होता है, उपेक्षा नहीं की जा सकती। मैंने इस बजट में दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में जो थोड़ी बहुत एक दूसरे से उल्टी पड़ती है, तालमेल बिठाने की कोशिश की है। यह दो आवश्यकताएं हैं—मूल्य वृद्धि के दबावों को काबू रखने की अस्थायी आवश्यकता और विकास की गति जारी रखने की आवश्यकता जो उतनी ही महत्वपूर्ण है और जो मूल्य-वृद्धि की समस्या का वास्तविक समाधान करती है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि विकास की कोशिशों में अगर कोई ढील हुई तो उससे भविष्य में हमारी समस्याएं और भी बढ़ जायेगी।

5.2 करों की मौजूद दरों पर अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाते समय इनसे इस वर्ष जैसी सन्तोषजनक आय हुई है उसका ध्यान रखा गया है। आय करों और कम्पनी करों से 1570 करोड़ रुपये और संघ उत्पाद शुल्कों से 3500 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। ब्याज कर से 60 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। लेकिन इस्पात का कम आयात किये जाने और उर्वरकों का सारा आयात चालू वर्ष के अन्त में होने के कारण सीमा-शुल्कों से अगले वर्ष 50 करोड़ रुपये कम की आय होगी।

5.3 बजट में 125 करोड़ रुपये की आय का अनुमान चीनी के निर्यात से होने वाले लाभ के आधार पर लगाया है और अनुमान किया गया है कि अगले वर्ष चीनी का कम से कम उतना ही निर्यात होगा जितना कि इस वर्ष हुआ है।

5.4 विदेशी ऋणों से उतनी ही रकम के प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है जितनी इस संशोधित अनुमानों में दिखायी गयी है। पट्रोलियम की चीजों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के हमारे भुगतान सन्तुलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव और भी बुरा पड़ता अगर ईरान, ईराक और आबू ढाबी से उदारतापूर्वक छूट नहीं मिलती। हमें इन देशों से तेल के ऋण मिलने की आशा है जिससे 1975-76 में बजट में 230 करोड़ रुपयों का सहारा मिल जायगा।

5.5 योजना के लिए रकम बचाने की भारी जरूरत को देखते हुए आयोजना-भिन्न खर्च को कम से कम रखने की कोशिश की गयी है। लेकिन हमें उन क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा विकास कार्यों के अनुरक्षण और समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था करनी है। ऋण चुकाने और अगले वर्ष के लिए खर्च की दूसरी जरूरी मदों के अलावा रक्षा पर चालू वर्ष के 2157 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 2274 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1975-76 में अन्न के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली सहायता अनुमानतः 295 करोड़ रुपये होगी। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में सुधार होने का अनुमान किया गया है इसलिए आयोजना भिन्न सहायता के तौर पर इन उपक्रमों को चालू वर्ष में 217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में अगले वर्ष के लिए 78 करोड़ रुपये कम रखे जायगे। उर्वरकों के लेन-देन पर अगले वर्ष के लिए 140 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया है।

5.6 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सवाल पर उनके प्रतिनिधियों के साथ अगले कुछ सप्ताहों में चर्चा की जाने वाली है। यह प्रायः सभी लोग मानने लगे हैं चाहे यह अरुचिकर और कठोर भी हो कि मूल्यवृद्धि के कारणों को दूर करने के लिए कारगर तरीके ढूंढे जाने चाहिए बजाय इसके कि कीमतों, आय और वेतन में बार बार तालमेल बिठाया जाय, जिससे सुनियोजित वृद्धि की प्रक्रिया में भारी रुकावट आती है। जिस देश में भारी बेरोजगारी हो, लोगों को पूरा रोजगार न मिला हुआ हो वहां पूरी तरह से रोजगार में लगे लोगों की चालू खपत की ओर अत्यधिक ध्यान देने से उस पूंजी में कमी आ जाती है जो किसी काम में लगायी जा सकती है और बेरोजगार व्यक्तियों के कष्टों को कम

[श्री स० सुब्रम्हन्यम]

करने के लिए जिस रफतार से रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं उस पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, आय में ऐसी वृद्धि से जो देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि के अनुसार नहीं हो, अर्थव्यवस्था में मूल्य-वृद्धि के दबाव और बढ़ जाते हैं, इससे उन लोगों के आराम चैन को भी खतरा हो सकता है जिन्हें पूरी तरह से रोजगार मिला हुआ है। कीमतों के बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें हालांकि मैं जानता हूं लेकिन मैं हृदय से यह आशा करता हूं कि जो हमारी बातचीत होगी उसमें इस व्यापक दृष्टिकोण को सामने रख कर महंगाई भत्ते पर विचार किया जायगा।

5.7 अगले वर्ष के लिए योजना की आवश्यकताओं पर सावधानी से और विस्तार के साथ क्षेत्रवार विचार करने के बाद यह अनुभव किया गया कि अगर हमें दीर्घकालीन उद्देश्यों और तुरन्त जरूरी प्राथमिकताओं को पर्याप्त रीति से पूरा करना है तो केन्द्र, राज्य और संघ क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्र के बजट में कम से कम 3612 करोड़ रुपये रखे जाने चाहिए। बजट द्वारा जुटायी जाने वाली इस 3612 करोड़ रुपये की रकम में राज्यों और संघ क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 1054 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिसमें पहाड़ी और जनजातियों के क्षेत्रों की उपयोजनाओं का खर्च, उत्तर पूर्वी परिषद की आवश्यकताओं को पूरा करना और ग्रामीण बिजलीकरण निगम के माध्यम से बिजली की स्कीमों के लिए सहायता देने पर होने वाला खर्च शामिल है। इस में कुछ राज्यों को जिनके अपने साधन चालू वर्ष में दी गयी केन्द्र की सहायता के आधार पर कम पड़ सकते हैं, पेशगी के तौर पर विशेष योजना सहायता देने के लिए 100 करोड़ की रकम भी शामिल है जिससे सिंचाई और बिजली के बुनियादी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजी लगाना सुनिश्चित किया जा सके। बजट में केन्द्रीय योजना के लिए 2558 करोड़ रुपये की सहायता रखी गयी है। अगले वर्ष केन्द्रीय आयोजना का कुल खर्च 3154 करोड़ रुपया होगा जिसमें बजट के बाहर का खर्च भी शामिल है। राज्य और संघ क्षेत्र की योजनाओं पर 2806 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इस तरह 1975-76 के लिए योजना का कुल खर्च 5960 करोड़ रुपये रखा गया है जो आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो 1974-75 के योजना के 4844 करोड़ रुपये के खर्च से 23 प्रतिशत ज्यादा है।

5.8 केन्द्रीय योजना के लिए बजट में 2558 करोड़ रुपये जो रखे गये हैं वह चालू वर्ष में संशोधित अनुमानों के 2129 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 429 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। मैं समझता हूं कि पांचवी योजना के मसौदे में जो लक्ष्य रखे गये हैं उन्हें सभी क्षेत्रों में पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से योजनाओं में लगायी जाने वाली पूंजी में भारी वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े पैमाने पर घाटे की व्यवस्था करने से कीमतें और बढ़ेंगी जिससे योजना का मूल तत्व नष्ट हो जायगा और योजनाबद्ध विकास के कार्य क्रम को और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि मैं पहले जोर दे चुका हूं, हमने चयनात्मक तरीका अपनाया है और खेती, बिजली, उर्वरक, कोयला, पैट्रोलियम जैसे बुनियादी क्षेत्रों को, सीमेंट और कागज और जहाज निर्माण जैसे जरूरी उद्योगों को और यातायात को बाकी सभी क्षेत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता दी है और बुनियादी क्षेत्रों की ऐसी परियोजनाओं के लिए भी प्राथमिकता दी गयी है जो अपेक्षाकृत ज्यादा अवधि से पूरी होती है।

5.9 अर्थव्यवस्था का आधार चूंकि कृषि है इसलिए इस क्षेत्र में और ज्यादा पूंजी लगाने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है अर्थात् संशोधित अनुमान के 193 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 270 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसमें कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए 50 करोड़ रुपये, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये, छोटे और सीमान्तक किसानों के लिए 22 करोड़ रुपये, सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए 16 करोड़ रुपये, कृषि अनुसन्धान और प्रशिक्षण के लिए 23 करोड़ रुपये और सहकारी उर्वरक फैक्टरियों सहित सहकारिता क्षेत्र के लिए 43 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

5.10 उर्वरक के उत्पादन के लिए चालू वर्ष में रखे गये 192 करोड़ रुपये की तुलना में इसमें 84 करोड़ रुपये की वृद्धि की जायगी। नंगल कारखाने का विस्तार, रामगुंडम, तलचर, हल्दिया और कोचीन फेज–II और कुछ नये प्लांट जैसे ट्राम्बे IV और V तथा भटिंडा और पानीपत और सिंद्री में एक नयी परियोजना के लिए पर्याप्त रकम रखी जा रही है।

5.11 अगले वर्ष के बजट में केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए रखे गये हैं जिसमें ग्रामीण बिजलीकरण परियोजना के लिए की गयी व्यवस्था भी शामिल है। चालू परियोजनाओं जैसे बदरपुर एक्शटेंशन, लोकटक, बैरास्यूिल और अन्तर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पर्याप्त रकम रखी गयी है। इसके अलावा राज्य योजनाओं में बिजली के लिए 900 करोड़ रुपयों की कुल व्यवस्था की जायगी।

5.12 इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 141 रोड़ रुपये की रकम में भारी वृद्धि कर बजट में कोयले के लिए 229 करोड़ रुपये रखे गये हैं। कोयला खनन प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड के लिए भी अधिक रकम रखी गयी है जिससे पांचवीं योजना के अन्त तक 1350 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा हो सके। नेवेली में लिगनाइट के उत्पादन को 45 लाख टन के स्तर पर बनाये रखने के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

5.13 पैट्रोलियम और पैट्रोकेमिकल्स के लिए बजट में जो रकम रखी गयी है उसे 1974-75 के संशोधित अनुमानों के 60 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ा कर 1975-76 के लिए 170 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तेल और प्राकृतकि गैस आयोग, आयल इंडिया, और इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन के लिए की गयी व्यवस्था में भारी वृद्धि की जायगी। जैसा कि सदन को मालूम है चालू वर्ष में तेल उद्योग के विकास के लिए एक उपकर लगाया गया था और तेल के क्षेत्र का विकास करने के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं में समन्वय करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड बनाया गया था। बजट में जो रकम रखी गयी है उसके अलावा उक्त उपकर से 61 करोड़ रुपये अगले साल इस बोर्ड को तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए मिलेंगे।

5.14 इस्पात क्षेत्र में खासतौर से बोकारो और भिलाई कारखानों का विस्तार करने के लिए व्यवस्था करते समय भविष्य में इस्पात की संभावित मांग को ध्यान में रखा गया हैं। कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी रकम रखी गयी है।

5.15 सीमेन्ट उत्पादन की जो परियोजनाएं इस समय चालू हैं उनके लिए और तीन नयी परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष की योजना में पर्याप्त रकम रखी गयी है। नागालैंड में कागज का कारखान बनाने के काम के लिए ऊंची प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने जिन कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है।

5.16 परिवहन और संचार के क्षेत्र में सभी मौजूदा बन्दरगाहों, जहाजरानी, जहाज निर्माण, विमानन परियोजनाओं की आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

5.17 सामाजिक सेवाओं की उपेक्षा नहीं की गयी है। ग्रामीण और लघु उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आवासन और नगरीय विकास तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए इस वर्ष के संशोधित अनुमानों की रकम से अधिक रकम रखी गयी है।

5.18 जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, दो स्कीमें पहली वेतन वृद्धि और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की आधी रकम को अनिवार्य रूप से जमा करने वाली स्कीम और दूसरी आय-कर देने वालों की आय के कुछ प्रतिशत अंश की अनिवार्य जमा स्कीम पिछली जुलाई से शुरू की गयी थी। यह स्कीमें मुद्रापूर्ति में भारी वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में आये गंभीर असन्तुलन को रोकने के लिए ज़रूरी थी। हमें खुशी है कि इन उपायों से और कुछ दूसरे उपायों से जो हमने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए किये कीमतों को स्थिर करने में सहायता मिली है। सरकार कानून जहां लगातार मूल्यवृद्धि को रोकने में लगा हुआ है वहां यह भी ज़रूरी है कि विकास कार्यों को जारी रखा जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था के जरूरी क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए पर्याप्त साधनों को व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक से वहां पर 1975-76 में जमा होने वाली अवरुद्ध रकमों के आधार पर लगभग 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाव।

[श्री सी० सुब्रम्हण्यम]

5.19 इस रकम को हिसाब में लेने पर 1975-76 की योजना के लिए बजट में 3612 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिससे 464 करोड़ रुपयों का घाटा होगा। सम्मानित सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मैं इस घाटे को किस प्रकार पूरा करूंगा।

प्रत्यक्ष कर

1.1 महोदय, मेरे प्रस्ताव सबसे पहले प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में हैं। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की एक सिफारिश के आधार पर पिछले वर्ष व्यक्तिगत आय पर आय-कर की दरों को घटाया गया था। आशा की गयी थी कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आय-कर मिलेगा। मेरा विचार है कि पिछले वर्ष जो नीति अपनायी गयी थी उसे अभी चालू रहना चाहिए। मैं इसलिए कम्पनी-भिन्न करदाताओं के सम्बन्ध में आय-कर की दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

1.2 इस समय अल्पजन-धारित औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में आय-कर की बुनियादी-दर, कर योग्य आय की पहले 2 लाख रुपयों की रकम तक 55 प्रतिशत और बाकी आय पर 60 प्रतिशत है। बहुजन-धारित कम्पनियों पर लागू कर की दरों के नमूने पर मैं इस व्यवस्था में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे इन अल्पजन-धारित कम्पनियों की समूची आय पर जहां सामान्य सीमान्तिक छूट देने के बाद कर योग्य आय 2 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है 60 प्रतिशत की ऊंची दर लागू होगी। इस उपाय से पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपये और 1975-76 में 3 करोड़ रुपयों की प्राप्ति होगी। दूसरी श्रेणी की कम्पनियों के सम्बन्ध में आय-कर की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

1.3 अनुसूचित बैंकों को मिलने वाले ब्याज पर ब्याज-कर अधिनियम 1974 के अधीन शुल्क लगाने से इन बैंकों से लिये जाने वाले ऋण का खर्च औसतन में लगभग एक प्रतिशत बढ़ गया है। इस शुल्क के कारण गैर बैंकिंग, गैर वित्तीय कम्पनियों को जनता से कहीं ज्यादा रकम, खास तौर से रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अपनाये जाने के संदर्भ में, जमा के तौर पर मिलने लग गयी है। इन कम्पनियों द्वारा जनता से ऋण लिये जाने पर कुछ रोक लगाने के उद्देश्य से कुछ सुधारात्मक उपाय किये गये हैं जिससे सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण आयोजन का उद्देश्य विफल न हो जाय। मैं इसलिए प्रस्ताव करता हूं कि गैर बैंकिंग, गैर वित्तीय कम्पनियों की कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय उनके द्वारा जनता की जमा पर दिये जाने वाले ब्याज की केवल 85 प्रतिशत रकम को खर्च समझ कर कर के प्रयोजन से छूट मिल सकेगी। इससे पूरे वर्ष में 10 करोड़ रुपये और 1975-76 में 7.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

1.4 इस समय कर-अवकाश की छूट उन उद्योगों को जो 1 अप्रैल 1976 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे और उन जहाजों को दी जाती है जो उक्त तारीख से पहले इस्तेमाल में आने लगेंगे। मैं ऐसे मामलों में इस छूट को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह रियायत अनुमोदित होटलों को भी इस समय प्राप्त है चाहे वह किसी भी तारीख से अपना काम शुरू करें। मैं औद्योगिक उपक्रमों और जहाजों की निस्बत इस रियायत को अनुमोदित होटलों को देने के लिए कोई उचित कारण नहीं मानता। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि यह छूट केवल उन्हीं अनुमोदित होटलों को दी जानी चाहिए जो 1 अप्रैल 1981 के पहले अपना काम शुरू कर देंगे।

1.5 इस समय शेयर होल्डरों की आय में कम्पनियों द्वारा अपने कर-अवकाश मुनाफे में से घोषित लाभांश की रकम को आय-कर के प्रयोजन से नहीं जोड़ा जाता और जिसके परिणाम-स्वरुप लाभांश का वितरण करने वाली कम्पनी की आय में कोई परिवर्तन होने पर उसके सभी

शेयर होल्डरों के कर निर्धारण में संशोधन करना जरूरी हो जाता है। अनुभव से यह पता चलता है कि इस उपबन्ध को लागू करना कठिन होता है क्योंकि सभी शेयर होल्डर एक जगह नहीं रहते। इसलिए मैं कम्पनियों द्वारा छूट की अवधि से सम्बन्धित कर अवकाश मुनाफों में से अदा किये गये लाभांशों के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। इस रियायत को समाप्त करने से शेयर होल्डरों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिये मैं कम्पनियों के मामले में कर अवकाश मुनाफे की राशि को नये औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों अथवा होटलों में लगायी गयी पूंजी के 6 प्रतित से बढ़ा कर 7.5 प्रतिशत वार्षिक करने का प्रस्ताव करता हूं।

1.6 कम्पनी-बचतों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की ओर मोड़ने के लिए मैं घरेलू कम्पनियों को उर्वरकों कीड़े मारने की दवाओं, कागज और सीमेंट का उत्पादन करने वाली नयी कम्पनियों से प्राप्त होने वाले अन्तर्कम्पनी लाभांशों को आय कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

1.7 जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है आय-कर अधिनियम की नवीं अनुसूची में शामिल प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के सम्बन्ध मे मशीनों और संयंत्र की लागत के 20 प्रतिशत की दर से प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट दी जाती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कीड़े मारने की दवाओं के महत्व को देखते हुए मैं प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट का लाभ कीड़े मारने की दवाइयों के उद्योग को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

1.8 वांछित क्षेत्रों में पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के एक अन्य उपाय के रूप में मैं आय-कर की नवीं अनुसूची में शामिल प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी नयी कम्पनियों के सामान्य शेयरों में लगायी गयी पूंजी को पांच वर्षों की अवधि के लिए धन-कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

1.9 वित्त विधेयक 1974 में किये गये एक उपबन्ध के अन्तर्गत उन जहाजों के मामले में जिनके लिए 1 दिसम्बर 1973 से पहले आर्डर दिये गये हों विकास छूट दी जा सकती है यदि ये जहाज 1 जून 1975 से पहले प्राप्त कर लिये जायं। जहाजों को प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए मैं यह रियायत उन जहाजों के बारे में देने का प्रस्ताव करता हूं जो 1 जनवरी 1977 से पहले प्राप्त कर लिये जायं बशर्ते कि उनके आर्डर 1 दिसम्बर 1973 से पहले दे दिये गये हों।

1.10 मौजूदा कानून के अन्तर्गत कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय पुस्तकों के प्रकाशन के कारबार से होने वाले लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर की कटौती करने की छूट दी जाती है। यह रियायत 1975-76 के कर-निर्धारण वर्ष को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। मैं इस रियायत को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

1.11 हमारे विकास-प्रयत्नों को बचतों को बढ़ावा देकर ही जारी रखा जा सकता है। इसलिए भविष्य निधियों, जीवन बीमा आदि के माध्यम से की जाने वाली दीर्घकालीन बचतों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत इस समय जो रियायत उपलब्ध है मैंने उसे उदार बनाने का निश्चय किया है जिससे कि अर्हता प्राप्त बचतों के पहले 4,000 रुपये के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत की और इस प्रकार की बचतों के अगले 6 000 रुपयों के 50 प्रतिशत की और शेष बचत के 40 प्रतिशत की कटौती की जाय। इस उपाय से राजस्व में एक पूरे वर्ष में 8 करोड़ रुपये की और 1975-76 में 6 करोड़ रुपये की कमी होगी।

1.12 सरकारी भविष्य निधियों से बार बार रकम निकाली जाती है। इसलिए मैंने उन सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए जो वर्ष के दौरान अपनी भविष्य निधि से कोई रकम नहीं निकालने उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक बोनस योजना लागू करने का निश्चय किया है। यह

[श्री॰ सी॰ सुब्रम्हण्यम]

बोनस किसी वर्ष के दौरान किये गये अंशदान पर दिया जायगा और 500 रुपया मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 3 प्रतिशत की दर से और 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 1 प्रतिशत की दर से दिया जायगा।

1.13 सम्मानित सदस्य यह देखेंगे कि पूंजी लगाने के वातावरण में सुधार करने के लिए उपाय किये गये हैं जैसे कर-अवकाश का विस्तार, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में लगी नय. कम्पनियों से प्राप्त अन्तर्कम्पनी लाभांशों को छुट, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी कम्पनियों के सामान्य शेयरों को धन-कर से छूट और अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहन। साधनों की भारी तंगी के बावजूद मैंने कर सम्बन्धी ये प्रोत्साहन देना उचित समझा है क्योंकि मेरा विचार है कि यदि हमें भविष्य में अपनी कठिनाइयों में वृद्धि नहीं करनी है तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहन देना जरूरी है। कर-सम्बन्धी इन उपायों से उन अन्य उपायों को बल मिलेगा जो सरकार ने कुछ बुनियादी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिये किये हैं।

1.14 मध्य वर्ग के उन परिवारों को जिन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का भार सहन करना पड़ता है कुछ राहत देने के लिए मैं व्यक्तियों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये खर्च के एवज में छूट देने का प्रस्ताव करता हुं। चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विषयों में ग्रैजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के विद्यार्थियों के मामले में छूट की राशि 1,000 रुपये प्रति बालक होगी और अन्य विषयों में ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट कक्षाओं अथवा चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी विषयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये प्रति बालक होगी। यह नयी रियायत उन व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध होगी जिनकी कुल सकल आय 12,000 रुपया वार्षिक से अधिक नहीं होगी और हर हालत में दो बच्चों तक सीमित होगी। इस उपाय से राजस्व मे एक पूरे वर्ष मे 7 करोड रुपये को और 1975-76 में 4 करोड रुपये से कुछ अधिक की कमी होगी।

1.15 इस समय पशु-पालन और कुक्कुट-पालन और डेरी-फार्मिग से होने वाली आमदनी पर आय-कर नहीं लगता। कई बार ऐसी आमदनी को जिस पर अन्यथा कर लग सकता है छूट प्राप्त आमदनी दिखा कर इस छूट का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं इस छूट को एक वर्ष में 10,000 रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक पूरे वर्ष में 2 करोड़ रुपये का और 1975-76 के वित्तीय वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

1.16 मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के अन्तर्गत कर्मचारियों को अदा किये गये छंटनी सम्बन्धी मुआवजे को 20,000 रुपये की अधिकतम राशि तक आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

1.17 इस समय वेतन पाने वाले करदाताओं के सम्बन्ध में आय-कर से छूट की कुछ सीमाएं लागू हैं जिनका सम्बन्ध मकान किराये भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायतों से है। छूट की इन सीमाओं को उदार बनाया जा रहा है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय तकनीशियनों को भी कुछ कर-राहत देने का प्रस्ताव है।

1.18 विदेशी जहाजरानी उपक्रमों के हिसाब किताब अक्सर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इन पर कर-निर्धारण की प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्यों से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इन उपक्रमों की आय भारत में उत्पन्न यातायात से होने वाली उनकी सकल कमाई और भारत में प्राप्त अन्य कमाई के जोड़ के 7.5 प्रतिशत के बराबर मान ली जानी चाहिए। यह परिवर्तन कुछ अन्य देशों में विद्यमान प्रथा से मेल खाता है।

1.19 इस समय किसी अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि में किये जाने वाले अंशदानों की कर योग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय कटौती कर दी जाती है। यह शंका प्रकट की गयी है कि सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार जैसे कि वे इस समय लेखबद्ध हैं, करदाताओं द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में की गयी व्यवस्थाओं को भी कटौती के लिए अर्हता प्राप्त है। स्पष्टः अभिप्राय यह नहीं है। चूंकि मालिक का नियंत्रण इन राशियों पर बना रहता है इसलिए मैं विशिष्ट रूप से यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि भावी ग्रेच्युटियों के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कर-प्रयोजनों के लिए कोई कटौती नहीं की जायगी।

1.20 व्यापार और व्यवसाय में तड़क-भड़क सम्बन्धी खर्च को कम करने के लिए मैं उन आयातित कारों के सम्बन्ध में जो 28 फरवरी, 1975 के बाद प्राप्त की जायंगी, मूल्यह्रास छूट न देने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ साथ, मैं देश में बनी कारों के सम्बन्ध में, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, पुरे मूल्यह्रास की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

1.21 इस समय, कृषि भूमि पर उगे वृक्षों को धन-कर से छूट नहीं प्राप्त होती। वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैं फलों के बागों और बागानों को छोड़ कर कृषि भूमि पर उगे वृक्षों के मूल्य को धन-कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

1.22 कम्पनी कर के अन्तर्गत, इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 14.0 करोड़ रुपये और 1975-76 में 10.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। जो रियायतें दी गयी हैं उनके परिणाम स्वरुप आय-कर के अन्तर्गत एक पूरे वर्ष में 13 करोड़ रुपये की और 1975-76 में 9 करोड़ रुपये की कमी होगी। 1975-76 में केन्द्रीय राजस्व पर इस कमी का प्रभाव 2.26 करोड़ रुपये होगा।

II

अप्रत्यक्ष कर

2.1 मैं अब अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों पर आता हूं।

2.2 हालांकि मुझे व्यापक तौर पर अनेक चीजों पर शुल्क लगाना पड़ा है लेकिन मैंने भरसक यही कोशिश की है कि समाज के अधिक कमजोर वर्ग के लोगों पर इनका कम से कम बोझ पड़े। मेरी यह भी कोशिश रही है कि मैं उन्हीं चीजों को चूनूं जो समाज को ज्यादा अमीर वर्ग के लोगों की खपत में आती हैं। मैंने यह भी कोशिश की है कि उन्हीं चीजों को चुना जाय जो हमारे निर्यात की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं जिससे उनकी देश में खपत कम हो और वह निर्यात के लिए उपलब्ध हो सकें तथा हम उससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकें।

उत्पाद-शुल्क

2.3 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत के हाल में एकदम से चढ़ जाने से भारत को इस वस्तु का निर्यात बढ़ाने का भले ही कुछ त्याग कर, एक बढ़िया मौका मिला है। कुछ कम जरूरी चीजों पर चीनी के होने वाले उपयोग को कम कर और अधिक मात्रा में चीनी के निर्यात की व्यवस्था करने के विचार से मैं खुले बाजार में चीनी की बिक्री के बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इस समय लेवी चीनी पर जो कुल देशी खपत का 65 प्रतिशत भाग है, शुल्क की मौजूदा प्रभावी दर में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। जिससे हर व्यक्ति को उचित कीमत पर उसके कोटे के अनुसार चीनी निश्चय रूप से मिल सके। चीनी की खुली बिक्री पर शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि करने से 30.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.4 खंडसारी चीनी पर इस समय 17.5 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगता है। फिर भी आजकल मिश्रित लेवी की एक योजना चालू है जिसके अधीन खंडसारी चीनी की वह यनीटें जो इस स्कीम को स्वीकार कर चुकी हैं, प्रति सप्ताह चलने के लिए सेंट्रीफ्यूज के आकार और उनकी संख्या के आधार पर शुल्क के रूप में निश्चित रकम देती हैं। यह शुल्क रेगुलर वैक्यूम पैन वाली चीनी मिलों पर शुल्क प्रभार को देखते हुए काफी कम बैठता है। इसलिए मैं मिश्रित लेवी योजना को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। सभी खंडसारी यूनिटों पर केन्द्रीय उत्पाद व्यवस्था लागू होगी और यह 17.5 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क देंगी। इस प्रस्ताव से मुझे आशा है कि 19.60 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.5 विभिन्न जोनों में पैदा की जाने वाली चाय पर शुल्क में पिछले पांच वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस अवधि में भारतीय और लन्दन के बाजारों में चाय की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। मैं इसलिए इसको 10 से 15 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। जोन I, II, IV और V में पैदा की जाने वाली खुली चाय पर और जोन III चाय पर इस समय सब से ज्यादा शुल्क लगता है और इसकी उपज कम होने व खेती की लागत ज्यादा बैठने के कारण कुछ रियायत देने की जरूरत है। इस जोन द्वारा पैदा की जाने वाली 90 प्रतिशत से ज्यादा चाय निर्यात की जाती है और चूंकि इन चायों की कीमत सबसे कम बढ़ी है इसलिए इस जोन के बुनियादी शुल्क को 10 पैसे प्रति किलोग्राम घटाने का प्रस्ताव करता हूं। जोन I, II, IV और V की चाय पर शुल्क में वृद्धि करने से राजस्व की प्राप्ति होने के अलावा विदेशों को निर्यात करने के लिए अधिक मात्रा में चाय मिलने लगेगी। मैं निर्यात की चाय को मौजूदा स्कीम के अधीन मिलने वाली छूट की दर को 75 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति किलोग्राम कर देने का प्रस्ताव करता हूं जिससे चाय पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने से इसका निर्यात पर खराब असर न पड़े। इस प्रस्तावित वृद्धि से 3.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.6 सीमेंट विदेशी मुद्रा कमाने का एक दूसरा सक्षम साधन है और इसी कारण से मैं सीमेंट पर बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 15.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.7 कच्चे पैट्रोलियम और पैट्रोलियम से बनी चीजों का आयात करने के लिए अब भी उपलब्ध विदेशी मुद्रा की काफी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। मैं सोचता हूं कि जब तक उर्जा का संकट बना रहेगा, तब तक पट्रोलियम की चीजो को और महंगा करना जरूरी है जिससे इनकी खपत में कमी की जा सके और इनका संभाल कर उपयोग किया जाय। इस पृष्ठभूमि में मीटर स्पिरिट पर शुल्क को 10 पैसे प्रति लिटर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। तेल से चलने वाले उपकरणों के स्थान पर कोयले से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मैं भट्टी के तेल पर शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इस शुल्क के लग जाने से भी पुराने उपकरणों की जगह नयी कुशल मशीनरी का इस्तेमाल उन प्रतिष्ठानों में भी होने लगेगा जो तेल से चलते हैं। विभिन्न उद्योगों में इसके इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए थोड़ी ही वृद्धि करने का निर्णय किया गया है जो 3 पैसे प्रति लिटर से भी कम है। लेकिन बिजली पैदा करने के काम में आने वाले लो सल्फर हेवी स्टाक को जैसा कि इस समय है, छूट मिलती रहेगी। पैट्रोलियम से बनी चीजों पर लगने वाले इन शुल्कों से कुल मिला कर 26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.8 कमर्शियल ग्रेड की तुलना में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड के एल्यूमिनियम के उत्पादन के अनुपात में हाल में कमी आयी है। ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम की कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल ग्रेड के एल्यूमिनियम पर 2,000 रुपय प्रति टन उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। एल्यूमिनियम पर शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने लगेगा।

2. 9. मैं अब ऐसी चीज़ लेता हूं जिसका सभी वित्त मंत्रियों ने आसरा लिया है। तम्बाकू उत्पाद शुल्क दर समिति ने सिगरेट बनाने के काम में आने वाली तम्बाकको छोड़ कर नान-फिलयू क्योर्ड अन-मैन्यूफक्चर्ड तम्बाकू पर एक समान टेरिफ दर लागू करने और इसके साथ तम्बाकू से बनी कुछ विशिष्ट वस्तुओं जैसे ब्रांड नामों से बेची जाने वाली बीड़ियों और खाने की तम्बाकू तथा सुंधनी पर कम दर से उत्पाद शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के अनुसार मैं नान-फ्लियू क्योर्ड अन-मन्यूफक्चर्ड तंबाकू पर जिसमें सिगरेट बनाने के काम में आने वाली तम्बाकू शामिल नहीं है, कुल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक समान उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसका आशय यह होगा कि बीड़ी की तम्बाकू के कुल उत्पाद शुल्क में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम और हुक्का, खाने की तम्बाकू और सुघंनी की तम्बाकू में 25 पसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से घटती हो जायगी। लेकिन तम्बाकू के डण्ठलों के सम्बन्ध में मौजूदा 65 पैसे प्रति किलोग्राम के स्थान पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। मशीनों के द्वारा बनायी जाने वाली बीड़ियों पर 3.60 रुपये प्रति एक हजार की दर से शुल्क अब भी लगा हुआ है। मैं हाथ से बनायी जाने वाली बीड़ियों पर भी 1 रुपये प्रति एक हजार की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें से 80 पैसे बुनियादी शुल्क के रूप में और 20 पैसे बिक्री कर के बदले लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के स्थान में होंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए यह शुल्क उन्हीं बीड़ियों पर लगेगा जो किसी ब्रांड के नाम से बेची जाती हैं। मशीनों से बनी बीड़ी पर, तद-नुसार, शुल्क 3.60 रुपये से बढ़ाकर 4.60 रुपये प्रति हजार कर दिया जायगा। इस तरह जो लोग किसी खास ब्रांड को बोड़ा नहीं पीते और हाथ की बनी बिना ब्रांड वाली बीडी पीते हैं वह लोग बीड़ी की तम्बाकू पर शुल्क के घटाय जाने से लाभ में रहेंगे। मैं ब्रांडों के नाम से बिकने वाली खाने की तम्बाकू और सुघनी पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं। लेकिन खाने वाली तम्बाकू के मामले में, जिसकी कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक न हो, 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायगी। अगर ब्रांड वाली बीड़ी पीने वाले को ज्यादा कर देने के लिए कहा जा रहा है तो न्याय की मांग यह है कि पाइप पीने वालों और सिगरेट पीने वालों को भी विकास प्रयत्नों में सहायता देने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं सिगरेटों पर प्रभावी शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। अगर सिगरेटों की कीमत 10 रुपये प्रति हजार की कीमत से ज्यादा न होतो उन सिगरेटों पर मूल्यनुसार बुनियादी शुल्क की प्रभावी दरें इस समय 85 प्रतिशत है जिसमें 10 रुपये प्रति हजार से ऊपर के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये या उसके भाग के लिए 3 प्रतिशत मूल्या-नुसार की वृद्धि हो जाती है। इस शुल्क में, कीमतों के सभी स्तरों पर 5 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से वृद्धि की जायगी, लेकिन बुनियादी शुल्क की उच्चतम सीमा 250 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर पर बनी रहेगी। इसी प्रकार मैं स्मोकिंग मिक्सर के बुनियादी प्रभावी शुल्क में 5 प्रतिशत मूल्या-नुसार की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। अनमैन्यूफैक्चर्ड तम्बाकू पर लगे शुल्क के युक्तिसंगत बनाये जाने के कारण राजस्व में 8.25 करोड़ रुपये तक की कमी हो जायगी। लेकिन तम्बाकू और तम्बाकू से बनी वस्तुओं से 26.88 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.10. राजस्व जुटाने के लिए और युक्तिकरण के उपाय के रूप में, मैं रेयन और सिंथेटिक यार्न (जिसमें ब्लेंडेड यार्न भी शामिल है) तथा रेयन और कृत्रिम रेशम के कपड़े पर लगने वाले शुल्क की दरों में फेरबदल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं नकली रेशम के कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के भार को आंशिक रूप से कपड़े की स्टेज से हटा कर यार्न की स्टेज पर डालना चाहता हूं क्योंकि यार्न की स्टेज पर राजस्व का संग्रह प्रशासनिक दृष्टि से अधिक आसान है और उससे बच निकलने के रास्ते कम होते हैं। नकली रेशम के कपड़े पर बिक्री-कर के बदले लगाया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और हथकरघा उपकर पहले की तरह कपड़ की स्टेज पर ही लगाया जाता रहेगा; लेकिन नकली रेशम के कपड़े पर 15 रुपये वर्ग गज़ से अधिक कीमत वाले कपड़े के मामलों को छोड़ कर, कोई बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। इससे राजस्व में 22 करोड़ रुपये की कमी होगी। इस कमी को दूर करने के लिए और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिये मैं रेयन और सिंथेटिक यार्न पर लगने वाले शुल्क में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं टेक्सचर्ड यार्न पर, उसके निर्माण में इस्तेमाल किये

[श्री सी० सुब्रमण्यम]

जाने वाले आधारभूत यार्न पर लगने वाले शुल्क के अलावा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम का एक नया शुल्क लगाने का और बुने हुए कपड़े के सम्बन्ध में मौजूदा रियायतें वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। टायर कार्ड यार्न और ग्लास यार्न के, जो औद्योगिक उत्पादन के काम आता है, और अपशिष्ट पदार्थों के शुल्क म कोई वृदिध करन का प्रस्ताव नहो है।

2.11. मैं सुपरफाइन और फाइन सूती यार्न पर, जो कम्पोजिट मिलों द्वारा, बिजली-चालित करघों, द्वारा, और सूती कपड़ा उद्योग के हौजरी और सिलाई के धागे के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है लगने वाले मौजूदा शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। सूती यार्न के शुल्क की दरों में वृद्धि के क्रम में, मैं कम्पोजिट मिलों द्वारा अपने द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सूती यार्न और मिश्रित यार्न के सम्बन्ध में अदा की जाने वाली कम्पाउन्डड लेव की दरों में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उद्देश्य से कि यार्न पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि से हथकरघा क्षेत्र को आधात न पहुंचे, मिलों द्वारा स्ट्रे रील हैंक्स के रूप में निकसी किये गये यार्न पर, जो अधिकांशत: हथकरघा क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लगने वाले शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा।

2.12. 1973 में सरकार ने हथकरघा की समस्याओं की गहराई से जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त अध्ययन दल की नियुक्ति की थी। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि बिजली-चलित करघे इस स्थिति में हैं कि वे हथकरघों के उचित बाजार में अधिक सस्ते दामों पर माल बेच सकते हैं; दल ने यह सिफारिश की थी कि बिजली-चालित करघो पर लगने वाली कम्पाउंडेड लेवी 300 रुपया प्रति करघा प्रति वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए चाहे किसी एकक में करघों की संख्या कितनी ही क्यों न हो। इस मामले की सरकार ने ध्यानपूर्वक जांच की है और अब मैं उन सभी एककों पर जिनमें से प्रत्येक में 50 से कम बिजली-चालित करघे हों, बिजली चालित करघों पर लगी कम्पाउंडेड लेवी को बढ़ा कर 200 रुपया प्रति करघा प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

2.13. इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ मिलें फफेंट् और रग्स की निकासी के लिए निर्धारित शुल्क मौजूदा रियायती दरों का अनुचित लाभ उठाती हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, सूती फटेंस् और रैग्स के लिए शुल्कों का एकस्तरीय ढांचा लागू करने का प्रस्ताव है, निचला स्तर एक निर्धारित सीमा तक निकासी किय गये फेंट्स और रैग्स पर लागू होगा और उच्च स्तर उस सीमा से ऊपर की निकासी पर लागू होगा। कपड़े सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों से 49.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.14. हालांकि एयर कडिशनरों पर पहले ही 75 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगता है, फिर भी मैं इसको बढ़ा कर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार, मैं रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग संयत्रों और मशीनों के हिस्सों पर लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन रेफ्रिजरेटरों और रेफ्रिजरटिंग मशीनों और उपकरणों तथा एयर कुलरों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज प्लांटों, अस्पतालों और कारखानों के लिए रेफ्रिजरेटिंग मशीनों के हिस्सों पर भी मौजूदा रियायती दर से ही शुल्क लगता रहेगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि श्रृन्गार और प्रसाधन सामग्री के बुनियादी शुल्क की 30 प्रतिशत की मूल्यानुसार मौजूदा दर को बढ़ा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाय। चूंकि इस मद पर प्रभावी बुनियादी शुल्क की 50 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क भी लगता है इसलिए शुल्क म कुल 15 प्रतिशत की मूल्यानुसार वृदिध होगी। शेम्पू पर भी अब स 40 प्रतिशत का बुनियादी शुल्क लगेगा।

2.15. भाग्य से जिनके पास इतनी काफी नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुए हैं कि उन्हें सेफ और स्ट्रांग बाक्स खरीदने की जरूरत है उन्हें मेरे इस अगले प्रस्ताव के प्रति कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सेफ, स्ट्रांग बाक्स और ऐसी वस्तुओं के शुल्क की मूल्यानुसार दर को 10 प्रतिशत से बड़ाकर 20

प्रतिशत कर दिया जाय। एयर कंडीशनरों और उनके हिस्सों, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री और सेफ और स्ट्रांग बक्सों और अन्य वस्तुओं के शुल्क में वृद्धि करने के मेरे प्रस्तावों के संयुक्त परिणाम के तौर पर राजस्व में 7.65 करोड़ रुपय की वृद्धि होने की सम्भावना है।

2.16. राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में, मैं सिंथेटिक आर्गेनिक डाई स्टफ और सिंथेटिक आर्गेनिक डेरिवटिव्ज, चीनी मिट्टी के सामान, पोर्सिलेन के सामान और कांच तथा कांच के सामान पर, प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान को छोड़ कर, लगनें वाले प्रभावी शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा चीनी के सामान और पोर्सिलेन के सामान के छोटे पैमाने के निर्माताओं को शुल्क में रियायत देने के मौजूदा आधार में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है, लेकिन यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 1975 से लागू होंगे। सिंथेटिक आर्गेनिक डाईस्टफ, कांच और कांच के सामान और चीनी मिट्टी के सामान और पोर्सिलन के सामान के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से 10.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.17. मैं पैकिंग और रैपिंग पेपर, पल्प बोर्ड और डुप्लेक्स तथा ट्रिप्लेक्स बोर्डों पर लगने वाले शुल्क की दर को 80 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 1.20 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 9.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.18. मैं बिजली के तारो और केबलों के—उनको छोड़ कर जिनका इस्तेमाल दूर-संचार और उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया जाता है– प्रभावी शुल्क में $2\frac{1}{2}$ से 5 प्रतिशत मूल्यानुसार तक की दरो से वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं बिजली के पखों के शुल्क में भी मामूली सी वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं, लेकिन औद्योगिक पंखो के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिजली के तारों, केबलों और पंखों के शुल्क में प्रस्तावित वृद्धियों से 4.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.19. ग्रामोफोनों, रेकार्ड प्लेयरों, टेप रिकार्डरों, स्थायी चम्बकों, गाड़ियों के टायरों, मोटरगाड़ियों के हिस्सों, बूल टाप्स के सम्बन्ध में शुल्क दरो का युक्तिकरण करने और छूट अधिसूचित करने, साबन के उत्पादन में चावल की भूसी के तेल और माइनर आयल के इस्तेमाल के लिए और वनस्पति उत्पादों के उत्पादन के लिए बिनौले के तेल के इस्तेमाल के लिए रियायतों का प्रस्ताव किया गया है। मैं एक्सपोज्ड सिनमेटोग्राफ फिल्मों की शुल्क-दरों को युक्ति संगत बनाने और रंगीन व सादा दोनों तरह की फिल्मों की मौजूदा दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इन सभी उपायों से 6.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2 20. 'स्केल्प' शब्द के अर्थ के बारे में भ्रम को दूर करने के लिए मैं टैरिफ की मद 26 ए०ए० के अन्त में एक परिभाषा देने और इसी परिभाषा के अनुसार पिछली लेवी व शुल्कों के निर्धारण और संग्रह को विधि सम्मत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

2.21. चूंकि आयात किय गये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों और एनोडों की कीमत और इनको देश में तैयार किये जाने पर होने वाले खर्च दोनों में अन्तर होता है इसलिए मैं ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों और एनोडों पर 15 प्रतिशत का मूल्यानसार उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 1.50 करोड़ रुपयों का राजस्व मिलेगा।

2.22. मैं अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की एक नई धारणा पर आता हूं। अब तक केन्द्रीय उत्पाद शल्क के टैरिफ में कुछ निश्चित की गयी चीजें आती है। करयोग्य चीजों की सीमा को व्यापक बनाने और भविष्य में राजस्व इकट्ठा करने की कोशिशों के लिए अधिक विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए मैं केन्द्रीय उत्पाद शल्क टरिफ की अनसूची में एक नयी मद शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं जो कुछक अपवादों को छोड़ कर बिक्री या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बनायी गयी सभी वस्तुओं को जो इस अनुसूची में शामिल नहीं ह, शामिल करलेगी। इस नयी मद के अन्तर्गत आनेवाली सभी

[श्री सी० सुब्रम्हण्यम]

चीजों पर 1 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सांकेतिक शुल्क लगेगा। टैरिफ की इस मद में फ़ैक्टरीज ऐक्ट, 1948 की परिभाषा में आने वाली सभी फ़ैक्टरियों का उत्पादन शामिल होगा लेकिन मैं प्रशासनिक सुविधा के लिए बिजली से चलने वाली ऐसी फ़ैक्टरियों को शामिल नहीं करूंगा जिनमें 49 से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करते। इसी तरह बिजली के बिना चलने वाली ऐसी फैक्टरियों का उत्पादन भी शामिल नहीं होगा जिनमें 99 से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करते। शुल्क लगाने को और अधिक सरल बनाने के लिए मैं इस मद में आने वाले अन्तवर्ती उत्पादों और हिस्सों को शामिल नहीं करूंगा जो किसी फैक्टरी में पैदा किये जाते हो और पूर्ण निर्मित माल तैयार करने के लिए उसी फ़ैक्टरी में इस्तेमाल कर लिये जाते हों। इस नयी मद से मिलते जुलते-आयात किये गये माल पर कोई प्रति-संतुलनकारी शुल्क नहीं लगेगा। यह लेवी निश्चय ही एक प्रयोगात्मक उपाय है। मेरा अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

2.23. 31 मार्च, 1975 तक वैध 1974 के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये सहायक उत्पाद शुल्क को 30 जून, 1976 तक बढाया जा रहा है। कुछ मदों पर प्रस्तावित बुनियादी शुल्क में वृद्धि के कारण मुख्यत: सहायक शुल्कों से अतिरिक्त आय होगी जो अनुमानत: 5.34 करोड़ रुपये होगी। यह रकम उल्लिखित संबद्ध मदों के अन्तर्गत राजस्व अनुमान में शामिल कर ली गयी है।

2.24. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत ऊपर दिये गये प्रस्तावों से 250.47 करोड़ रुपयो की अतिरिक्त आय होगी। इसमें संघ सरकार का भाग 194.81 करोड़ रुपये और राज्यों की सरकारों का भाग 55.66 करोड़ रुपये होगा।

आयात शुल्क

2.25. मैं सीमा शुल्कों की दरो में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं करता। लेकिन अलौह धातुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो को देखते हुए मैं तांबे के प्रतिस तुलनकारी शुल्क में 3,500 रुपये प्रति टन और जस्ते के प्रतिसतुलनकारी शुल्क में 2,125 रुपये प्रति टन की वृद्धि का प्रस्ताव करता हू। इन परिवर्तनो से 24.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.26 ऊपर जिन कुछ मदों पर मैंने सीमा शुल्कों की वृद्धि की है उससे आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में 9.55 करोड़ की वृद्धि होगी।

2.27. 1974 के वित्त अधिनियम के अधीन लगे सहायक सीमा शुल्कों को 30 जून, 1976 तक बढाया जा रहा है और इस लेवी की प्रभावी दरों में कोई फेरबदल नहीं की गयी है।

2.28. मैंने जो विभिन्न प्रस्ताव किये हैं उनसे सीमा शुल्क के राजस्व में 34.05 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

2.29. संघ उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों से मिलाकर केन्द्र को 1975-76 में 228.86 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

केन्द्रीय बिक्री कर

2.30. अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं एक प्रस्ताव का उल्लेख कर रहा हूं। जिसके द्वारा मैं राज्यो और संघ क्षेत्रों की सरकारों के लाभ के लिए साधनों का संग्रह कर रहा हूं। अन्तर्राज्यीय चीजों की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 3 प्रतिशत से बढा कर 4 प्रतिशत किया है और इसी के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित चीजों के स्थानीय बिक्री कर के सम्बन्ध में निर्धारित उच्चतम सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप, जो 1 जुलाई,

1975 से लागू होगा, उन संघ क्षेत्रों के लिए, जिनका राजस्व भारत की समेकित निधि का भाग होता है, 1975-76 में 1.75 करोड़ रुपये की वसूली होगी। इस उपाय से 1975-76 में राज्यों को 38.25 करोड़ रुपये तक का लाभ होगा।

III

3.1. सक्षेप में, जहां तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है विभिन्न प्रस्तावों से 1975-76 के लिए 239 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और बजट का 464 करोड़ रुपये का घाटा कम हो कर 225 करोड़ रुपये तक रह जायगा।

3.2. इस प्रकार इस बजट का घाटा मामूली रखा गया है। अन्न, बिजली और ईंधन के ज्यादा मात्रा में मिल सकने की सम्भावना से इतने घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि के दबावों के और ज्यादा बढ़ने की सम्भावना नहीं होगी।

3.3. इस बजट को बनाने में मेरी सबसे बड़ी चिन्ता यह रही है कि अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी लगाने की दर में वृद्धि लाकर उत्पादन बढाया जाय। हमने अपने लिए जो लक्ष्य निश्चित किये हैं उनको प्राप्त करने के साधनों का कारगर होना मोटे तौर पर समाज के सभी वर्गों की इच्छा पर निर्भर करता है कि लोग इस समान लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना कितना सहयोग देते हैं।

3.4. आइये, हम सभी, चाहे सरकार में हों, विधान सभाओं में या बाहर, इस घड़ी में इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में फिर से जुट जाय और अपने आचरण में एसा संयम और संकल्प ले आयें जिसकी कि इस समय ज़रूरत है।

वित्त विधेयक, 1975
FINANCE BILL, 1975

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्राह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हू कि वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा 3 मार्च, 1975 / 12 फाल्गन, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, March 3 1975/Phalguna 12, 1886 (Saka).

भ०स०मु०ना०वि०-7—11 लोक सभा।75-18-7-75—2,00

P.L.S. 48.XLVIII.10.75(N)
200

© 1975 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित ।

© 1975 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.